एकादश माला, खंड 11, अंक 22

शुक्रवार, 21 मार्च, 1997
30 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIB
No. ...57...
Date... 11. 2.C

चौथा सत्र (भाग–एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 11 में अंक 21 और 22 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 21 मार्च, 1997/30 फाल्गुन, 1918 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (ii)	1	अर्धक्षम	अर्धक्षम
विषय-सूची (ii)	10	ब्रांदा	बांदा
212	नीचे से 8	श्रीगोरेधनभाई जावीया	श्री गोरधनभाई जावीया

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रा
नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 11, चौथा सत्र (भाग-एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 22, शुक्रवार, 21 मार्च, 1997/30 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	381 से 383	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	384 से 400	26-54
अतारांकित प्रश्न संख्या	4238 से 4467	55-285
सभा पटल पर रखे गए पत्र		285-295
राज्य सभा से सन्देश		
और		
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया		296
संचार संबंधी स्थायी समिति		
नौवां प्रतिवेदन — *प्रस्तुत*		296
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति		
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश -- *प्रस्तुत*		296-297
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
विमानों में हवाई टक्कर बचाव प्रणाली (ए०सी०ए०एस०) को अनिवार्य रूप से लगाए जाने के बारे में		
श्री सी०एम० इब्राहीम		297-321
विशेषाधिकार समिति को भेजे गये विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में .		321-323
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पान उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री		323-324
(दो) उत्तर प्रदेश के राबर्टसगंज में जिन लोगों की भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की गई है, उनको पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता		
श्री रामशकल		324
(तीन) आन्ध्र प्रदेश की पोचमपड चरण-दो सिचांई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता		
श्री भूमा नागी रेड्डी		324-325

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कालम**

(चार) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम को अर्थक्षम बनाने के लिए अपतटीय प्लेटफार्मों के निष्पादन का कार्य उसे सौंपे जाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम को अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी 325

(पांच) बिहार में पटना में दूरदर्शन केन्द्र को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 325-326

(छः) तटवर्ती सिद्धांतों के आधार पर पंजाब को नदी जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 326

(सात) असम में नदियों से गाद निकलाने के लिए विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ० अरुण कुमार शर्मा 326-327

(आठ) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पेयजल की भारी कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 327

(नौ) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कानपुर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जगत वीर सिंह द्रोण 327-328

(दस) देश भक्ति और राष्ट्रीयतावाद के प्रतीक के रूप में आई०एन०एस० विक्रान्त का परीरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक 328-329

पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प — *अस्वीकृत*

और

पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक — *पारित*

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री नीतीश कुमार 329-335

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन. 335-337

प्रो० रासा सिंह रावत 337-341

श्री अनादि चरण साहू 341-347

खंड 2 से 31 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 347-348

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक — *पुरः स्थापित*

(एक) मातृ — वंशावली विधेयक

श्रीमती सुमित्रा महाजन. 348

(दो) प्रत्येक गांव में संचार सुविधा का उपबंध विधेयक

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी 348-349

(तीन) युवा कल्याण विधेयक

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी 349

(चार) कपास उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी 349

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 324 में संशोधन)

श्री आर० साम्बासिवा राव 350

(छः) जानकारी तक पहुंच विधेयक

श्री सनत मेहता 350

(सात) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 और 19 में संशोधन)

श्रीमती मीरा कुमार 350-351

(आठ) धर्म परिवर्तन का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक

श्री काशीराम राणा 351

(नौ) मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन विधेयक

श्री काशीराम राणा 351

(दस) बेरोजगारी भत्ता विधेयक

श्री आर० साम्बासिवा राव 352

(ग्यारह) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक

(धारा 16 में संशोधन)

श्रीमती राम नाईक 352

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 44 का लोप, आदि) — *विचाराधीन*

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जी०एम० बनातवाला 353-361

श्री चित्त बसु 361-365

श्री संतोष कुमार गंगवार 365-368

श्री सैयद मसूदल हुसैन 368-372

विषय	कालम

श्री नीतीश भारद्वाज 372-378

श्री के० परसुरामन 378-380

श्री ए०सी० जोस 380-382

श्री सत्यपाल जैन 382-391

जल कृषि प्राधिकरण विधेयक के बारे में

श्री राम नाइक 393-394

श्री जसवंत सिंह 394

श्री जी०एम० बनातवाला 394-395

श्री संतोष मोहन देव 395

श्री चतुरानन मिश्र 395-396

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक — *पारित*

विचार करने के लिए प्रस्ताव .

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया 400

श्री मंगत राम शर्मा 400-401

श्री मंगल राम प्रेमी 401-402

खंड 2,3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

लोक सभा

शुक्रवार, 21 मार्च, 1997/30 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन

+

*381. श्री सोहन बीर :
श्री राजकेशर सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रति वर्ष हथकरघा वस्त्रों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान, हथकरघा उद्योग के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में हथकरघा क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान कपड़े का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है :

वर्ष	हथकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)
1993-94	5851
1994-95	6180
1995-96	7202

हथकरघा क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94 से 1995-96 में जारी राशि (लाख रु० में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	8027.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	91.50
3.	असम	4339.17
4.	बिहार	1918.10
5.	दिल्ली	93.01
6.	गुजरात	862.68
7.	हरियाणा	224.50
8.	हिमाचल प्रदेश	435.24
9.	जम्मू व कश्मीर	433.02
10.	कर्नाटक	4485.73
11.	केरल	3031.32
12.	मध्य प्रदेश	2021.63
13.	मेघालय	17.81
14.	महाराष्ट्र	3443.78
15.	मनीपुर	1343.87
16.	मिजोरम	58.97
17.	नागालैंड	127.32
18.	उड़ीसा	4859.66
19.	पांडिचेरी	126.37
20.	पंजाब	137.57
21.	राजस्थान	1274.41
22.	सिक्किम	3.04
23.	तमिलनाडु	13765.28
24.	त्रिपुरा	700.88
25.	उत्तर प्रदेश	7405.76
26.	पश्चिम बंगाल	6002.08
	कुल योग :	65230.30

(ग) भारत सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास/संवर्धन और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने देश में उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों सहित हथकरघा उद्योग के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं :

1. कल्याणकारी पैकेज योजना (थ्रिफ्ट फंड, समूह बीमा और स्वास्थ्य पैकेज योजनाएं)।
2. निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी की योजना।
3. हथकरघा बुनकरों के लिए कार्यशाला-सह-आवास योजना के लिए अनुदान।
4. हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कर्ष रंगाई इकाई योजना।
5. प्रोजैक्ट पैकेज योजना।
6. समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना।
7. निर्यात विकास योजना।
8. राष्ट्रीय सिल्क यार्न बैंक योजना।
9. मिल गेट मूल्य योजना।
10. जनता कपड़ा योजना।
11. विपणन विकास सहायता योजना।
12. एन.एच.डी.सी. द्वारा विपणन कम्पलैक्स की स्थापना।
13. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो/मिनी एक्सपो/जिला स्तर के मेले।

[हिन्दी]

श्री सोहन बीर : क्या कपड़ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितनी वित्त सहायता दी गई ?

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, पिछले तीन वर्षों में 74.5 करोड़ रुपये दिए गए।

[हिन्दी]

श्री सोहन बीर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के बुनकरों के कल्याणार्थ हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया गया है अथवा यह कदम उठाने का सरकार का क्या इरादा है ?

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे योजनाएं बनाकर उनको केन्द्र सरकार के पास भेजें। उन्होंने जो भी योजनाएं भेजी हैं हमने उन्हें अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री राजकेशर सिंह : (क) सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केवल बड़े हथकरघा कर्मियों को ही प्रशिक्षण का लाभ मिल पाता है। क्योंकि छोटे बुनकरों का प्रशिक्षण के लिए चयन ही नहीं हो पाता है। इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है;

(ख) वर्ष 1995-96 की तुलना में 1996-97 में हथकरघा वस्त्रों का अलग-अलग कुल उत्पादन कितना रहा और विशेषकर इस संबंध में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है;

(ग) माननीय मंत्री जी मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की बहुत दयनीय स्थिति है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इन कर्मियों की स्थिति सुधर सके।

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, जहां तक प्रशिक्षण की बात है यह निश्चय ही सम्पन्न तथा निर्धन दोनों तरह के बुनकरों के लिए है इसलिए सम्पन्न तथा निर्धन बुनकरों के बीच भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है।

दूसरे, वर्ष 1994-95 में हथकरघा कपड़ों का कुल उत्पादन 6180 मिलियन स्क्वायर मीटर था। वर्ष 1995-96 में यह 7200 मिलियन स्क्वायर मीटर था।

जहां तक विशेष योजनाओं को शुरू करने का संबंध है, जो भी योजनाएं राज्य सरकारों ने बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं हमने उन्हें अनुमोदित कर दिया है तथा मैं पहले ही उन्हें सदन में रख चुका हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, खादी तथा हथकरघा दोनों उत्पाद रियायत के आधार पर बेचे जाते हैं। एक वर्ष में कुछ निश्चित महीने हैं जब ऐसी रियायतें दी जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष हथकरघा को दी जाने वाली राजसहायता में थोड़ी-सी वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इसमें वास्तव में कमी आई है।

श्री आर० एल० जालप्पा : जहां तक जनता क्वालिटी वाले वस्त्र का संबंध है यह राजसहायता वर्ष-दर-वर्ष धीरे-धीरे खत्म की जा रही है। जहां तक दूसरी रियायतों का संबंध है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसके आंकड़े क्या हैं ? मैंने पूछा है कि क्या हैंडलूम क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता में वास्तव में कमी आई है।

सभापति महोदय : क्या आपके पास आंकड़े हैं ?

श्री आर० एल० जालप्पा : जी हां, वर्ष 1993-94 में विपणन विकास सहायता ......

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं हथकरघा क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता के बारे में पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : वह हथकरघा को दी जाने वाली राजसहायता के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री आर० एल० जालप्पा : इसलिए, मैं इसी बात का उत्तर दे रहा हूं।

वर्ष 1993-94 में कुल 218 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई थी। वर्ष 1994-95 में यह 235 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1995-96 में यह 200 करोड़ रुपये थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका मतलब यह है कि यह कम हुई है।

श्री आर० एल० जालप्पा : इसमें कमी आई है क्योंकि इसकी कोई मांग नहीं थी। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई मांग नहीं थी इसीलिए यह कम हुई है।

श्री पी० कोदंडरमैया : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हथकरघा के बारे में देश में कोई सर्वेक्षण किया है। यदि यह किया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों में यह पूरा किया जा चुका है तथा कितने राज्यों में यह अभी चल रहा है तथा कितने राज्यों में करघों में वृद्धि हुई या कमी आई है।

करघों में जो कमी आई है इस संबंध में क्या सरकार हमें बता सकती है कि ऐसी कौन-सी विषम परिस्थितियां हैं जो करघा बन्द करने के लिए बुनकरों को मजबूर कर रही हैं ?

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, पांच राज्यों के सिवाय सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। यदि वह राज्यवार आंकड़े चाहते हैं तो मैं उन्हें आंकड़े देने के लिए तैयार हूं। वर्ष 1987-88 में आन्ध्र प्रदेश में सर्वेक्षण किया गया था। वर्ष 1987-88 में 2,19,715 करघे थे। अब करघों में 3 प्रतिशत की कमी आई है और बुनकरों की संख्या में 33 प्रतिशत कमी हुई है। बिहार में 82,657 करघे थे।

सभापति महोदय : क्या आपको इन सब विवरणों की आवश्यकता है ?

श्री पी० कोदंडरमैया : महोदय, मैं कम से कम कर्नाटक के आंकड़े जानना चाहूंगा।

श्री आर० एल० जालप्पा : वर्ष 1987-88 में कर्नाटक में 81,585 करघे थे और अब करघों में 12 प्रतिशत की कमी आई है।

श्री पी० कोदंडरमैया : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा इस कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए तथा विषम कारक क्या हैं ?

श्री आर० एल० जालप्पा : कारण यह है कि बहुत से क्षेत्रों में हथकरघा बुनकर विद्युत करघा क्षेत्रों में जा रहे हैं क्योंकि उनको पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है और हम जनता-क्लाथ को धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। इसीलिए, हम इन लोगों को मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उन्हें जितनी भी सहायता की जरूरत हो, दे रहे हैं और ये लोग हैंडलूम वीविंग को अपना लें और अधिक पारिश्रमिक पाएं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभापति जी, पूरे देश में हैंडलूम वीवर्स और हथकरघा उद्योग के मजदूरों की हालत बहुत खराब है। उन्हें दोनों समय की रोटी नहीं मिलती। केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत उन्हें जितनी सबसिडी मिलती है, वह काफी नहीं है, बहुत कम है। हमारे महाराष्ट्र में, एक केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र हैंडलूम कार्पोरेशन की स्थापना हुई थी, जिसे यहां से सबसिडी दी जाती है। हथकरघा मजदूरों ने न्याय के लिए अपना केस हाई कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया, मंत्री जी आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद कि उन्हें इंडस्ट्रियल वर्कर्स ट्रीट किया जाए और वे तमाम फैसिलीटीज दी जाएं जो एक इंडस्ट्रियल वर्कर को मिलती हैं, अभी तक उन्हें वे फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो महाराष्ट्र हैंडलूम कार्पोरेशन चल रहा है, वह केन्द्र सरकार की एक स्कीम के अन्तर्गत चल रहा है। मेरा आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि केन्द्रीय सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्पलीमेंट करने के लिए कब तक कदम उठाएगी, कब तक उन्हें इंडस्ट्रियल वर्कर डिक्लेयर करके वे तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो एक इंडस्ट्रियल वर्कर को मिलती हैं ?

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, मुझे खेद है, मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में कुछ नहीं जानता हूं और मैं इस संबंध में क्या स्थिति है उसका पता लगाऊंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं कह रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है। मैं संसद का एक जिम्मेदार सदस्य हूं।

श्री आर० एल० जालप्पा : मैंने यह नहीं कहा है कि वह गलत है।

सभापति महोदय : इन्हें निर्णय की जानकारी नहीं है वह इसका पता लगाएंगे तब आपको बताएंगे।

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, मुझे भी निर्णय पर गौर करना है क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि उसमें क्या कहा गया है। दूसरे, यह एक असंगठित क्षेत्र है, यह संगठित क्षेत्र नहीं है। हर एक के पास एक या दो करघे हैं इसलिए हमारे लिए इस अधिनियम को लागू करना बहुत मुश्किल होगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है तथा मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[हिन्दी]

इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इम्पलीमेंट करने की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्पलीमेंट किया जाएगा ?

सभापति महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में मालूम नहीं है। वे मालूम करके बताएंगे।

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : हम इसे देखेंगे, हम इसे कार्यान्वित करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उनका कहना है कि वे देखेंगे कि क्या डिसीजन है, क्या जजमेंट है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हथकरघा को मिटाने के लिए आज हिन्दुस्तान की सरकार लगी हुई है। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र के लिए 262 करोड़ रुपये का आबंटन किया था और रिवाइज्ड एस्टीमेट के रूप में वह 195 करोड़ रुपये रह गया और इस साल के बजट में समूचे हैंडलूम क्षेत्र के लिए 203 करोड़ रुपये रखे गए हैं। जहां पिछले साल का आपका आंकड़ा 262 करोड़ रुपये का है वहां इस साल 203 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान किया है और हम जानते हैं कि ये 203 करोड़ रुपये भी नहीं मिलने वाले हैं। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है, जो हर साल घटती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए आपका मंत्रालय और वित्त मंत्री कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ?

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग में पैदा की गई वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने की जो आवश्यकता है और उसमें जो परेशानी हो रही है, उस परेशानी से बचने के लिए और इनका विपणन करने हेतु क्या भारत सरकार स्वयं अपने तमाम दफ्तरों में, अपनी तमाम जगहों में हथकरघा का कपड़ा इस्तेमाल करने की नीति को अपनाने के लिए तैयार हैं और उसके साथ-साथ राज्य सरकारों को और अन्य सरकारी संस्थाओं को क्या हथकरघा उद्योग में बने हुए कपड़े को इस्तेमाल करने के लिए सख्ती से निर्देश देने के लिए तैयार हैं ?

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वे हमारे अनुरोध का कितना पालन करेंगे। मैं जानता हूं कि जनता-क्लाथ को समाप्त किये जाने के कारण प्रत्येक वर्ष बजट से 4 करोड़ रुपये कम हो रहा है। सरकार का इरादा जनता-क्लाथ को समाप्त करने का है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मंत्री तीन-चार करोड़ रुपये कम होने की बात कह रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 60 करोड़ रुपये कम हुए हैं।

[अनुवाद]

पिछले वर्ष के बजट अनुमानों और इस वर्ष के बजट अनुमानों के बीच 60 करोड़ रुपये की कमी की गई है।

[हिन्दी]

और आप तीन-चार करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, यदि सम्बन्धित राज्य सरकार की मांग वास्तविक है और प्रदान कराई गई धनराशि अपर्याप्त है तो मैं वित्त मंत्री से दोबारा अनुरोध करूंगा कि वह हमें कुछ और धनराशि दें।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कर्मा : माननीय सभापति महोदय, हथकरघा उत्पादन के तहत जनता साड़ियों के उत्पादन में केन्द्र सरकार ने 50 प्रतिशत कटौती करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया है और खासकर मध्य प्रदेश सरकार को जिससे जनता साड़ी का उत्पादन करने वाले हजारों हजार मजदूरों के बेरोजगार होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपने उत्पादन में कमी करने का निर्देश दिया है, तो इस बुनकर व्यवसाय से जुड़े हुए मजदूरों के रोजगार देने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, वर्ष 1993-94 में जनता-क्लाथ उत्पादन के लिए 370 मिलियन वर्गमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि उत्पादन 313 मिलियन वर्गमीटर था, वर्ष 1994-95 में लक्ष्य 320 मिलियन वर्गमीटर था, जबकि उत्पादन 217 मिलियन वर्गमीटर था और वर्ष 1995-96 में लक्ष्य 250 मिलियन वर्ग मीटर था और उत्पादन मात्र 198.86 मिलियन वर्गमीटर था।

महोदय, ये आंकड़े यह दर्शाएंगे कि उत्पादन हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। उनको जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं वे उन्हें प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हैंडलूम वीवर्स की दुर्दशा से संबंधित एक याचिका (पिटीशन) राज्य सभा की याचिका समिति को दी गई थी और स्वयं मैंने उस समिति की अध्यक्षा के नाते उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, हैंडलूम वीवरों के घरों में जाकर देखने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट-सदन में प्रस्तुत की थी जिसमें

यह सारी कार्य-योजना सुझाई गई थी कि यदि इन-इन बातों पर सरकार अमल करे, तो उनकी दशा में सुधार हो सकता है। आज लगभग एक वर्ष उस प्रतिवेदन को दिए हुए हो गया और आज तक, एक वर्ष गुजर जाने के बाद भी, उस समिति की रिक्मेंडेशन को इम्पलीमेंट नहीं किया गया है, तो मैं जानना चाहती हूं कि उस समिति के प्रतिवेदन में दी गई कार्य-योजना के अनुसार कार्य करने तथा उस समिति की रिक्मेंडेशन को इम्पलीमेंट करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैंने ऐसी याचिका को नहीं देखा है, मैं अपने अधिकारियों से इसे लाने के लिए कहूंगा। मैंने इसे नहीं देखा। *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह क्या कह रहे हैं ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मैंने इस याचिका को नहीं देखा है। इसे मेरी जानकारी में नहीं लाया गया है। मुझे वह प्रतिवेदन रिपोर्ट तीन अथवा चार दिनों के भीतर मिल जाएगी और मैं आपको लिखूंगा कि सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

श्री संतोष मोहन देव : महादेय, कल प्रधानमंत्री महोदय ने राज्य सभा में कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। यह स्थिति है। मंत्री महादेय सरलता से कह रहे हैं कि उन्हें इन प्रतिवेदनों के बारे में जानकारी नहीं है। यह सरकार कैसे चल रही है ?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, अजीब ढंग से यह सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में इन्हें पता ही नहीं है। राज्य सभा की समिति की रिपोर्ट जो केवल इसी बिन्दु पर आधारित है उसकी उनको जानकारी नहीं है, तो वह रिपोर्ट कैसे इम्पलीमेंट होगी। किस तरह से यह सरकार चल रही है। उस रिपोर्ट को दिए हुए एक साल हो गया है।

सभापति महोदय : आप एक कापी और दे दीजिए।

श्री सुषमा स्वराज : सभापति जी, आप इतना लाइटली ले रहे हैं। पूरे सदन की रिपोर्ट जो सदन में ले की गयी थी, जो विभाग को भेजी गयी थी ऐसी तमाम बातें जैसे जार्ज फर्नान्डीज साहब ने कहा कि सारे राज्यों को यह कहा जाए कि हथकरघा का कपड़ा बनाए आदि तमाम चीजें सिफारिश के तौर पर रखी गयी थीं। अगर उस पर अमल किया जाए तो इस देश में हैंडलूम वीवर्स की दशा सुधर जाए। *(व्यवधान)* मंत्री जी कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने देखी नहीं है। *(व्यवधान)* आप इसको सीरियस लीजिए। आप कह रहे हैं कि मैं एक कापी और भेज दूं। *(व्यवधान)* यह मामला मेरे और उनके बीच का थोड़े ही है। यह पूरे सदन और सरकार के बीच का मामला है। *(व्यवधान)* इस सरकार की कार्य-शैली क्या है ?

[अनुवाद]

श्री आर० एल० जालप्पा : महोदय, इस समिति को पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। यह रिपोर्ट पिछली सरकार को दी गई थी। इसलिए अतः मुझे इस बारे में पता नहीं है। मुझे इस कथित रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय जब संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट देती है तो उसकी सिफारिशों पर सरकार को कार्यवाही करनी होती है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मंत्री महोदय से कहें कि सरकार एक सतत संस्था है।

श्री आर० एल० जालप्पा : मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है। महोदया, मैंने आपको बताया है कि मुझे वह रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर मिल जाएगी तथा मैं उस रिपोर्ट को देखूंगा। मैं तब आपको बताऊंगा कि क्या कार्यवाहियां की जा चुकी हैं और क्या कार्यवाहियां की जानी हैं। मैं कम्प्यूटर नहीं हूं तथा मैं ये सभी चीजें याद नहीं रख सकता। मैं इसके बारे में नहीं जानता। यह पिछली सरकार को दी गई थी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं क्या उम्मीद लेकर चलूं ? क्या इम्पलीमेंट हो रहा है ? *(व्यवधान)* हम तो सोच रहे थे कि इन्होंने अभी तक संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाई होगी और रिपोर्ट का इम्पलीमेंट कर रहे होंगे लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। *(व्यवधान)* आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : सभापति जी, ऐसे कैसे चलेगा। *(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभापति जी, कोटा साड़ी सारे हिन्दुस्तान में बड़ी चर्चित है। *(व्यवधान)* वहां के सारे वीवर्स भूखे मर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना

\+

***382. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगनाईजेशन'

से निर्यात संबंधी नीति और प्रक्रिया को सुचारू तथा सरल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए अध्ययन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एफ.आई.ई.ओ. की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार की निर्यात संवर्धन परिषदों और फियो, फिक्की, सी आई आई, एसोचेम जैसे संगठनों के माध्यम से व्यापार तथा उद्योग के साथ निरंतर परस्पर विचार-विमर्श करने की नीति के भाग के रूप में नीति तथा क्रियाविधियों को सुव्यवस्थित और सरल तथा सरलीकरण करने पर व्यापार बोर्ड, कोर ग्रुप, ओपन हाउसिस तथा संगोष्ठियों आदि जैसे विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किए जाते हैं तथा निर्यातक समुदाय के लिए निर्यात संवर्धन स्कीमों को अधिक पारदर्शी तथा उपयोगी बनाने हेतु समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते हैं। नई निर्यात तथा आयात नीति को तैयार करने के संदर्भ में जो अप्रैल, 1997 से लागू होगी, नीति और क्रियाविधियों को और सरल बनाने के लिए फियो सहित विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन सभी सुझावों की जांच की गई है और जिन्हें स्वीकार्य पाया गया है, उन्हें नई निर्यात-आयात नीति, 1997-2002 में शामिल कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : सभापति जी, आपके माध्यम से मुझे यह कहना है कि स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर टोटल एक्सपोर्ट का 30-40 परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं। जब आई. टी. पी. ओ. विदेशों में कोई एग्जीबिशन लगाती है तो स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर को कोई सुविधा नहीं दी जाती जिससे कि वे अपना माल वहां डिसप्ले कर सकें और आर्डर्स ले सकें क्योंकि इसके लिए खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। इसके साथ-साथ बड़े एक्सपोर्टर का छोटे एक्सपोर्टर्स पर हावी होने के कारण छोटे एक्सपोर्टर्स वहां अपना सामान डिसप्ले नहीं कर सकते। नतीजा यह होता है कि उनको आर्डर्स पूरे नहीं मिल पाते।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि एग्जिम पालिसी में स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिससे वह अपना माल डिसप्ले कर सकें और अच्छे आर्डर्स प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : सभापति महोदय, आई. टी. पी. ओ. के अन्तर्गत हम निरन्तर विश्व के विभिन्न देशों में बहुत सारी प्रदर्शनियां लगा रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य चाहते हैं कि इन प्रदर्शनियों में लघु-उद्योग क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हम निश्चित रूप से उनको कुछ सहायता देंगे।

जिस देश में वे प्रदर्शनियां लगा रहे हैं उसका हित तो उन्हें देखना है। मैं आई. टी. पी. ओ. से निश्चित रूप से कहूंगा कि वे उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दें और यह भी सुनिश्चित करें कि उन देशों में उनके बाजारों में सुधार आए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग अपना छोटा-छोटा सामान बनाते हैं, क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि वह केन्द्र में या स्टेटवाइज़ उनके लिए कुछ ट्रेनिंग कैम्प लगाए ताकि वे अपना माल डायरैक्ट एक्सपोर्ट कर सकें ?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा लघु-उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाते हैं। वे जो कुछ भी आयोजित करना चाहें उनके लिए हम वाणिज्य मन्त्रालय से उन्हें कोई भी सहायता दे सकते हैं जिससे वह यह कार्य कर सकेंगे।

जहां तक आयात-निर्यात नीति की बात है हमें विभिन्न मुद्दों पर बहुत सारे अभ्यावेदन मिल रहे हैं। हम उन मुद्दों को संकलित कर जांच कर रहे हैं और हम इस माह के अन्त तक इस पर बात करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' : सभापति जी, एक्सपोर्ट तो केन्द्र का मामला है।

श्री अमर पाल सिंह : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि केन्द्र सरकार उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या कर रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बोला बुल्ली रमैया : केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है लेकिन हम राज्य सरकार के केवल उन्हीं कार्यक्रमों को सहायता दे रहे हैं जिन पर वे कार्यवाही कर रहे हैं और हम उनको अपनी सहायता भी दे रहे हैं।

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी : सभापति महोदय, निर्यात में जैसी वृद्धि होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। परम्परागत वस्तुएं जैसे चाय, हीरे-जवाहरात, लोहा और इस्पात, बने हुए कपड़े, चमड़ा और उससे बनी हुई वस्तुएं, कालीन आदि का खासतौर से निर्यात घटा है। एफ. आई. ई. ओ. ने आपको जनवरी 1997

में अपना सुझाव दिया है। निर्यात बढ़ाने में लघु उद्योग की भूमिका सराहनीय है। लघु उद्योग 30 से 40 प्रतिशत तक निर्यात कर रहा है। लेकिन उनको ऋण देने का जो प्रावधान है और उस पर जो ब्याज लिया जाता है, खासतौर से जब वे बाहर के देश में सामान भेजते हैं, तो उसका भुगतान बहुत दिनों तक नहीं होता। उनसे जो आम ब्याज लिया जाता है, उससे उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। उनको आपने निर्यात के लिए बहुत-सी सुविधाएं दे रखी हैं। यह भी सही है कि जिस हिसाब से निर्यात बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है बल्कि अब उस प्रतिशत में घटने के संकेत आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है जिससे उनको ब्याज की दर में कुछ सहूलियत दी जाए ?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : इस सुझाव को बहुत पंसद किया गया है और लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों के बारे में उनके अन्य सुझावों के अनुसार हमें लघु उद्योग क्षेत्र से अपने निर्यात का 30 प्रतिशंत से अधिक मिल रहा है। हम लघु क्षेत्र के निर्यातों को हमेशा बहुत महत्व देते हैं तथा उनको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं।

जहां तक ब्याज दर संबंधी प्रश्न की बात है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में कुछ छूट दी है तथा इसे और अधिक अवधि के लिए भी बढ़ा दिया है। लेकिन निर्यात संवर्धन परिषद ने हमसे 90 दिनों के लिए 13 प्रतिशत की दर से कहा है। इसके पश्चात् उन पर ऊंची दरों से कर नहीं लगाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 90 दिनों के लिए 13 प्रतिशत अनुमोदित कर दिया है तथा इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य 90 दिनों के लिए 15 प्रतिशत तथा 180 दिनों के बाद बैंक दर पर देना मंजूर कर लिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात प्रयोजनों के लिए उन्हें अधिक सहायता दी जाय, इसके लिए निर्धारित प्रावधानों से भी कहीं अधिक सहायता दी है। मैं समझता हूं कि लघु क्षेत्र में निर्यात के लिए ब्याज दर को और कम करने की संभावना की भी वे जांच कर रहे हैं।

श्री ए० सी० जोस : चाय हमारी पारम्परिक निर्यात मदों में से एक है। केरल में चाय उद्योग संकट में है और विशेषरूप से इडुक्की जिले के मुन्नार तथा पेरुमेडू के बहुत से चाय बागान बन्द होने की कगार पर हैं। बहुत सारे चाय बागानों ने अपने कर्मचारियों को मजदूरी भी अदा नहीं की है। कारण यह है कि हमारा निर्यात तत्कालीन सोवियत संघ और खाड़ी के देशों को होता था।

सोवियत संघ के विघटन तथा साम्यवाद के लुप्त होने के कारण यह बाजार नष्ट हो गया। *(व्यवधान)*

श्री टी० गोविंदन : साम्यवाद वहां आज भी है *(व्यवधान)*

श्री ए० सी० जोस : मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं। जहां तक इस मुद्दे की बात है खाड़ी युद्ध के बाद खाड़ी देशों में निर्यात बाजार पूरी तरह समाप्त हो गया। इसमें आग में घी का काम करते हुए श्रीलंका ने यूरोपीय बाजार में चाय के संबंध में एकवर्षीय ऋण (क्रेडिट) योजना शुरू की। मेरा प्रश्न है कि क्या टी-बोर्ड के पास चाय को विशेषरूप से दक्षिण भारत की चाय को प्रोत्साहन देने व निर्यात में सुधार लाने की कोई योजना है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय चाय निर्यातकों को कर में कुछ छूट देने पर विचार करेंगे। निःसंदेह, उन्होंने कुछ बैंक सुविधाओं तथा सभी निर्यातकों को कुछ छूट देने की बात की है। परन्तु चाय के संबंध में आवश्यकता इस बात की है कि मंत्री महोदय इसे विशेष महत्व दें। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार चाय निर्यातकों को कुछ कर तथा बैंक ऋण छूट देने पर विचार करेगी। *(व्यवधान)*

श्री टी० गोविंदन : महोदय, श्री जोस और उनके मित्र सोवियत संघ के विघटन पर बहुत प्रफुल्लित थे। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि साम्यवाद वहां अभी भी बरकरार है *(व्यवधान)*

श्री ए० सी० जोस : जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इसके बारे में अत्यंत खेद है।

श्री बोला बुल्ली रमैया : माननीय सदस्य, ने इस संबंध में बहुत स्पष्ट कारण बताए हैं कि किस तरह से चाय निर्यातक प्रभावित हुए हैं। वास्तव में, शीघ्र ही हम यह सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ कुछ चर्चा करने रूस जा रहे हैं कि हम रूस के साथ भी अपने व्यापार में कहां तक सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अब हम कुछ पैकिंग इन्डस्ट्रीज, चाय पैकिंग इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की भी आयोजना कर रहे हैं ताकि वे और अधिक चाय निर्यात कर सकें जिससे वे मूल्य-वर्धित उत्पादों को निर्यात कर सकें। अब हम विभिन्न बाजारों का मूल्यांकन कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने अवश्य महसूस किया होगा कि हमारे प्रयासों की वजह से चाय के मूल्यों में सुधार आया है। हम अन्य देशों के साथ भी प्रयास कर रहे हैं। हमने विभिन्न दक्षिण अमरीकी देशों के साथ भी प्रयास करने शुरू कर दिये हैं। मुझे आशा है कि जल्दी ही हम अन्य बाजारों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को ऋण

***383. डॉ० अमृत लाल भारती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की स्थापना हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंक ऋण प्रदान

करते हैं। पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) द्वारा पात्र व्यक्तियों से आवेदनों की प्राप्ति, कृतिक बल द्वारा संवीक्षा और संबंधित बैंकों को प्रायोजित करना शामिल है। इसके पश्चात् हिताधिकारियों द्वारा चुने गए ट्रेड के आधार पर प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ऐसे ऋण-आवेदनों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर निपटाने के लिए कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर, उसने लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से अपने अनुमानित (प्रोजेक्टेड) वार्षिक आवर्त के 20 प्रतिशत के आधार पर लघु उद्योग एकाकों को एक करोड़ रु. से कम की कार्यशील पूंजी सीमाएं मंजूर करने के अनुदेश दिए हैं। 2 लाख रु. तक के उधारकर्ताओं, जो सभी लघु उद्योग उधारकर्ताओं का लगभग 90 प्रतिशत हैं, के लिए एक आसान आवेदन पत्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि 25,000 रु. तक की ऋण सीमा वाले सभी आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रु. से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए हैं :

(i) प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर लघु उद्योग खंड के अन्तर्गत अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत कुटीर उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योगों, कारीगरों, अति लघु उद्योगों को दिया जाना चाहिए;

(ii) देश के 85 पहचान किए गए जिलों (अर्थात् वे जिले जहां कम से कम 200 लघु उद्योग एंकक हैं) में वर्ष 1995-96 में कम से कम 100 विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं और वर्ष 1996-97 में ऐसी 100 और शाखाएं को परिचालन योग्य बनाना;

(iii) सीमाओं में शीघ्रता से वृद्धि करने और तत्परतापूर्वक निर्णय लेने संबंधी अनुरोधों पर विचार करना; और

(iv) यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग एंककों के अस्वीकृति/सीमाओं में कमी वाले सभी मामले की अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

[हिन्दी]

डॉ० अमृत लाल भारती : सभापति जी, क्या सरकार ने लघु उद्योगों की स्थापना हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बनाने के सम्बन्ध में मेरा क्वश्चन था। हमें उत्तर मिला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नायक समिति ने कितने बिन्दुओं पर सिफारिश की थी और उनमें से कितने व कौन-कौन सी सिफारिशों को कब से मान्य किया गया है, लागू किया गया है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अभी भी बेरोजगार लोगों की संख्या बैंकों के चक्कर काट रही है और बिचौलिए उसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें कोई सरलीकरण का प्रावधान नहीं है। इन्होंने सरलीकरण का उत्तर दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सरलीकरण के लिए इनके पास एक प्रक्रिया भेजी है, लेकिन उस प्रक्रिया के माध्यम से बस यही किया है कि नायक समिति का गठन किया।

सभापति महोदय : आपका सवाल क्या है, आप सवाल पर आइए।

डॉ० अमृत लाल भारती : क्या सरकार ने लघु उद्योगों की स्थापना हेतु शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए कोई निर्णय लिया है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : सभापति महोदय, शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा प्रदान करने वाली मुख्य योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। मैंने अपने उत्तर में प्र. रो. योजना की प्रक्रिया संबंधी बातों को बता दिया है और मैंने अपनी बात वहीं समाप्त नहीं कि बल्कि यह सोचते हुए कि इस प्रश्न का संबंध लघु उद्योग इकाईयों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी सम्बन्धित है, इसलिए मैंने इस प्रक्रिया का भी उल्लेख कर दिया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न का अर्थ यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना सम्बन्धी प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे ? इसका उत्तर है : जी हां। मैं इसकी स्वयं पुनरीक्षा करना चाहता हूं और प्र. रो. योजना के अर्न्गत दिए जाने वाले ऋणों की प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : उन्होंने क्वश्चन पूछा था कि ऋण सुविधा को सरल बनाने के लिए आपने कुछ किया है।

डॉ० अमृत लाल भारती : 1997-98 में शिक्षित-प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए क्या लघु उद्योगों में वृद्धि करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : यदि प्रश्न यह है कि क्या मैं लघु उद्योग यूनिटों में वृद्धि करूंगा ? उत्तर यह है कि : यह मेरे नियन्त्रण में नहीं है यह बहुत सारे लोगों, जो लघु उद्योग इकाईयां लगाने के लिए आगे आते हैं उन पर निर्भर है। यदि प्रश्न यह है कि : "क्या हम प्र. मं. रो. योजना के तहत लक्ष्यों की उपलब्धि के सम्बन्ध में सुधार लाएंगे ? तो मेरा उत्तर हां है।" इस पर मेरा बस चलता है। मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि प्र. म. रो. योजना के लिए वर्ष 1997-98 में बेहतर लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

श्री एन० एस० वी० चित्तुथन : यदि प्र. म. रो. योजना के तहत कोई बेराजगार शिक्षित युवक, नया उद्योग अथवा व्यवसाय शुरू करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करता है तथा आवश्यक

मानदंडों के अन्तर्गत संतुष्ट होने के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र मामले को राष्ट्रीकृत बैंक को भेजता है ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वह अपना उदाहरण देते हुए पूछ रहे हैं ···*(व्यवधान)*

श्री एन० एस० वी० चित्थन : मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। दुखः की बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कई अवसरों पर ऋण राशि वितरित नहीं करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लगभग 2 वर्ष पूर्व एक गरीब शिक्षित व्यक्ति ने फोटोस्टेट मशीन खरीदने के लिए ऋण हेतु आवेदन दिया। जिला उद्योग केन्द्र ने केनरा बैंक मदुराई को मामला 80 पै. प्रति प्रिन्ट की दर से ऋण प्रदान करने का सुझाव देकर अग्रसारित किया। दो वर्ष गुजर चुके हैं। बेराजगार युवक दर-दर भटक रहा है, यह प्र. म. रो. योजना का एक मामला है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जो बुद्धिमत्ता और शीघ्र कार्यवाही करने के लिए जाने जाते हैं। यह पूछा सकता हूं कि इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया चल रही है उसे सरल बनाने के लिए कदम उठाएंगे तथा ऋण वितरण के लिए शीघ्र कार्यवाही करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह इस संबंध में तटस्थ भाव रखने वाले बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जो प्र. म. रो. योजना की अनदेखी कर रहे हैं कठोर कार्यवाही करेंगे। मैं जानता हूं कि वे अपने ग्राहकों के प्रति बहुत उदार हैं परन्तु वे नवागंतुकों के लिए बहुत तटस्थ भाव रखते हैं। मंत्री महोदय, से मैं सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : सभापति जी।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : क्या आप उनको उत्तर देना चाहते हैं ···*(व्यवधान)* मैं समझता हूं माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इस बारे में जरा भी शक नहीं है। जो भी हाथ उठा रहे हैं वे मुझसे एक ही विषय पर प्रश्न पूछने वाले हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं।

सभापति महोदय : यदि वह सबको संतुष्ट करने में समर्थ हैं, तो मैं समझता हूं कि अन्य कोई पूरक नहीं होगा।

(व्यवधान)

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं समझता हूं यह एक गंभीर विषय है और इसमें हम सबकी रुचि है। कृपया मुझे विस्तृत उत्तर देने के लिए दो से तीन मिनट का समय दीजिए। मैंने डी. आर. डी. ए. और मेरे जिले की अन्य बैठकों में भी भाग लिया है। मैंने मंत्री के रूप में और संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्वीकृति और उसके अन्तर्गत वितरण पुनरीक्षा की है। मैंने पाया है कि यह पूरी तरह से असंतोषजनक है। इस तथ्य से कि मैं वित्त मंत्री बन गया हूं, रातों रात इसे संतोषजनक नहीं बना सकता। जो कुछ हुआ है, वह यह है कि बैंकीय प्रणाली में इन रवैयों ने इतनी गहराई से पैठ कर ली है कि हमें इन्हें बदलना पड़ेगा। मैं ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, जिनसे पता चलेगा कि बेपरवाह बैंकरों के हाथों में पड़ कर सरकार द्वारा जारी किसी अच्छी परियोजना की क्या दुर्गति होती है। यह अक्तूबर 1993 में शुरू हुआ। 1993-94 तक शुरूआती वर्ष होने के कारण इस वर्ष को छोड़ दें। 1994-95 में लक्ष्य 2,20,000 था, 1,94,000 ऋण स्वीकृत हुए और केवल 1,11,000 का वितरण हुआ। 1995-96 में 3,21,000 की तुलना में 2,94,000 ऋण स्वीकृत हुए और 1,67,000 रु. की राशि वितरित की गयी थी सबसे पहले, लक्ष्य की तुलना में, स्वीकृति के रूप में सफलता लगभग 90 प्रतिशत के आसपास है। स्वीकृति की तुलना में वितरण मात्र 55 प्रतिशत के आसपास है। मैं उनसे पूछ चुका हूं कि ऐसा क्यों है। वितरण प्राधिकारियों के पत्र और स्वीकृति के मध्य वे उन्हें आठ सप्ताह की अनुमति देते हैं। अब मैं नहीं समझता कि आठ सप्ताह की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। ये बैंकर ही हैं जो प्रायोजन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करता है। जब प्रायोजन प्राधिकरण एक पत्र जारी करता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि स्वीकृति पत्र जारी करने में आठ सप्ताह का समय लिया जाए। मैं इस अवधि को कम करना चाहता हूं। यह प्रथम चरण है।

दूसरी कार्यवाही यह है कि स्वीकृति और वितरण के मध्य प्रबंधन में छह माह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो सही है। लेकिन प्रबंधन और वितरण में छह माह का प्रशिक्षण दो माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने ऋण का वितरण करने हेतु छह माह दिए हैं, और मेरे मित्र ने बताया है कि दो वर्ष के बाद भी ऋण का वितरण नहीं हुआ है।

महोदय, मैं इस विषय पर ध्यान दूंगा। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं दोनों लक्ष्य 1997-98 में प्राप्त करना चाहता हूं। हमें प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह सही रास्ता नहीं है। हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः मैं समय पर कार्यवाही करूंगा। मैं वचन देता हूं कि 1997-98 में काफी सुधार होगा।

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री इस समस्या पर पहले ही जागरूक हैं। हमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना को नहीं भूलना चाहिए। यह उन बेरोजगारों के लिए उत्कृष्ट योजना है, जो हताशा से पीड़ित हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहने वाले बैंकरों के विरुद्ध उनकी क्या कार्यवाही करने का विचार है। भविष्य में वे ऐसे क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं कि प्रत्येक बैंकर यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और निर्धारित समय के भीतर राशि वितरित करने की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाता तो उसे डर हो।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, पहले मुझे कार्यवाही करने दें,

फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। मेरे यह बताने का प्रश्न ही नहीं है कि मैं क्या कार्यवाही करूंगा और फिर कोई कार्यवाही न करूं। मुझे कार्यवाही करने दें और तब मैं आऊंगा तथा बताऊंगा कि ···*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : सभापति महोदय, मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री समीक लहिरी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, इसके अंदर घोटाला है गरीब लोगों को लोन नहीं मिल रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री समीक लहिरी : महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि वह कार्यवाही करेंगे।

मेरा प्रश्न यह है कि पिछले आठ माह में वित्त मंत्री ने उन बैंकरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जो ऋण वितरण नहीं कर सके हैं ? मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह पूछ रहे हैं कि इन आठ माह के दौरान आपने क्या कार्यवाही की है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप जरा बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतिश कुमार : भ्रष्ट बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : प्रश्न जो पूछा गया है, उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : वे बता रहे हैं। आप सुनिए, वे बता रहे हैं कि आठ महीने में क्या-क्या एक्शन लिए हैं।

श्री विजय गोयल : आठ महीने में कुछ एक्शन नहीं लिए हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यदि यही तरीका है, तो मैं क्या कह सकता हूं ?

सभापति महोदय : कृपया मंत्री को बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप मंत्री हैं, फील्ड में जाकर देखिए कि अनएम्पलायड लोगों को लोन नहीं मिलता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप मंत्री महोदय को उत्तर देने देंगे ? वह उत्तर दे रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। पहले उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देने दें।

श्री विजय गोयल : वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : पहले उन्हें उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य उत्तेजित क्यों हैं। मैंने स्वयं कहा है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं *(व्यवधान)* उनके चिल्लाने का क्या मतलब है ? केवल उनके चिल्लाने से ही मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। ···*(व्यवधान)* महोदय, यदि वह ऐसे ही चिल्लाएंगे तो मैं उत्तर देने से इन्कार करता हूं।

सभापति महोदय : आप उन्हें उत्तर देने देंगे या नहीं ? वह उत्तर दे रहे हैं कि इन आठ माह में उन्होंने क्या कार्यवाही की है। आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उत्तर देने का इच्छुक हूं। लेकिन माननीय सदस्य चिल्लाएं नहीं। मैं उत्तर देने का इच्छुक हूं ···*(व्यवधान)* मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूं। इस योजना को मैंने शुरू नहीं किया है। मैंने आपको इस योजना के बारे में पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दिए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यह कितनी असंतोषजनक है। मैं भी आपकी तरह असंतुष्ट हूं। मैं एक मंत्री के नाते किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता ···*(व्यवधान)* यदि आप ऐसे ही चिल्लाते रहें, तो मैं आपको कोई उत्तर नहीं देने वाला। यदि आप चिल्लाते हैं, तो मैं आपको कोई उत्तर नहीं दूंगा।

सभापति महोदय : आप उन्हें उत्तर नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : वह इस तरह चिल्ला नहीं सकते। मैं उन्हें उत्तर नहीं दूंगा। यह एक गम्भीर मामला है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप शांत रहिए, हाउस शांत रहेगा।

*[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह एक माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्हें अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए। आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे माननीय सदस्य की चिंता की जानकारी है। मैं भी इस चिंता में शामिल हूं। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। मैं कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागा हूं। मेरे मित्र श्री गुमान मल लोढा जानते हैं कि मैं प्रत्येक प्रश्न का भली प्रकार उत्तर दूंगा।

प्रश्न यह है कि यह संतोषजनक नहीं है। आपने पूछा है कि मैंने क्या कार्यवाही की है। मैं एक अधिकारी के विरुद्ध सीधे कार्यवाही नहीं कर सकता। मैं केवल बैंकों को कार्यवाही करने के लिए कह सकता हूं, क्योंकि वे बैंक के कर्मचारी हैं। लेकिन अब मैंने तीन पक्के मामलों के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट कर दी है, क्योंकि मैं उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने वाला हूं। मैं उन सभी मामलों के बारे में जिनकी तरफ श्री चितुयन ने मेरा ध्यान दिलाया है, ठोस उत्तर चाहूंगा। मुझे सबसे गन्दे मामलों को लूंगा और निवारक कार्यवाही करूंगा। जब मैं एक महाप्रबंधक या क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध निवारक कार्यवाही करता हूं, तो यह बात शाखा प्रबंधकों के पास भी पहुंच जाएगी। मैं 62,000 शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अपने मित्र श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी को बताया था कि जो मैं नहीं कर सकता हूं उसके बारे में मेरा कहने का क्या फायदा है। पहले मुझे कार्यवाही करने दीजिए, फिर मैं आकर आपको बताऊंगा। मैं ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा, जिनका कार्य निरीक्षण करना है, शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब यहां देख-रेख करना तो वरिष्ठ अधिकारियों का कार्य है, ताकि नीचे तक सबको यह संदेश मिल जाएगा कि यदि आप चुस्ती-फुर्ती से कार्य नहीं करेंगे, तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन : इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने जो रवैया अपनाया है मैं उसकी सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री पूरे सदन द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं का ख्याल रखेंगे।

हमें बैंक अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही कड़वा अनुभव हुआ है। बैंक अधिकारी तो माननीय संसद सदस्यों की प्रार्थनाओं पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। मैं एक सुझाव से सम्बन्धित विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या सरकार इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु संसद सदस्यों या विधान सभा सदस्यों अथवा जनता के प्रतिनिधियों की सलाहकार समिति गठित करने पर विचार करेगी ? यदि इस कार्यक्रम की जांच पड़ताल हेतु सलाहकार समिति बनायी जाती है, तो इससे निश्चित रूप से लक्ष्य हासिल हो सकेगा। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे सैद्धान्तिक रूप से सलाहकार समितियां गठित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे ऐसी समितियों की उपयोगिता के बारे में सन्देह है। एक डी. आर. डी. ए. एजेंसी है, जिसमें कलेक्टर, संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य हैं, किंतु लगता है कि इसकी सलाहों पर कोई सुनवाई नहीं होती। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कार्यवाही की जाए।

अब, रिजर्व बैंक ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का समीक्षात्मक अध्ययन किया है। मैंने सोचा यह मेरी अन्य बातों से अधिक रुचिकर होगा। अब तक छह लाख मामलों में कुल 3366 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ और वितरण इसका आधा हुआ है। जैसाकि मैंने कहा था, अब तक लगभग 1800 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा की तुलना में औसतन लगभग 58,000 रुपये का वितरण हुआ है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि छोटी अवधि के ऋण का वितरण किया जा रहा है, जबकि लम्बी अवधि के ऋण का वितरण नहीं किया जा रहा है। मैं जानता हूं, समस्या कहां है।

दूसरे, वसूली लगभग पचास प्रतिशत है, जो आई. आर. डी. पी. की तुलना में काफी अधिक है। अतः यह सुस्पष्ट है कि यदि बेरोजगार युवाओं को धन दिया जाता है तो ये योजनाएं काफी सफल हैं।

साठ प्रतिशत मामलों में ऋण लेने वाले व्यक्तियों की औसत मासिक आय 2,000 रुपये और शेष मामलों में 1,000 से 2,000 रुपये तक हो जाती है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक अच्छी योजना है, क्योंकि इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। मैं इस योजना को सफल बनाने का इच्छुक हूं। मुझे समय दीजिए। मुझे कार्यवाही करने दें, फिर मैं आपको आकर बताऊंगा। मैं इस योजना को सफला बनाऊंगा।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न इस पर अन्तिम अनुपूरक प्रश्न होगा। श्री धनन्जय कुमार।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, महिला सदस्यों को एक अवसर जरूर देना चाहिए। उन्हें एक अवसर दें।

सभापति महोदय : मैं उन्हें श्री धनन्जय कुमार के बाद अवसर दूंगा।

श्री वी० धनन्जय कुमार : महोदय, यह काफी हद तक स्पष्ट हो चुका है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक सजावटी कार्यक्रम बनकर रह गया है। 'प्रधानमंत्री' शब्द का उल्लेख होने के बावजूद भी, यदि कोई बैंक अधिकारी सकारात्मक उत्तर नहीं देता है और माननीय मंत्री जी भी असहायता प्रकट कर रहे हैं; तो मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उनसे केवल सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं।

सभापति महोदय : श्री धनन्जय कुमार जी प्रश्न पर आइए।

श्री वी० धनन्जय कुमार : मेरा प्रश्न यह है। प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने के अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना से बदलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, ताकि कम से कम प्रधानमंत्री के नाम का अपमान और अवमानना से बचा जा सके।

उन्होंने तीन पार्टियों का उल्लेख किया है। यह एक बहुत विशेष प्रश्न है। उन्होंने एस. एस आई. एककों को 2 लाख रुपये तक के ऋण देने के बारे में बताया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने घोषणा

की है कि 2 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज लगाने के मामले में बैंकों पर लादी गयी शर्तों को हटाया जा रहा है। क्या यह लघु उद्योगों पर भी प्रभावी होगी, जहां बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैंने नहीं कहा कि यह योजना सजावटी है। मैंने कभी असहाय महसूस नहीं किया। मैंने केवल यही कहा, जहां तक लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात है इस योजना को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी योजना है। इससे आय हुई है। 1740 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। हमें इस योजना को जरूर सफल बनाना चाहिए। इसलिए कृपया मुझे समर्थन दें। हम इस योजना को सफल बनाने की कोशिश करेंगे।

लघु उद्योगों के बारे में दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, 25,000 से 2 लाख तक के ऋणों पर ब्याज दरें विनियमित की जाती हैं और 2 लाख से ऊपर के ऋणों पर ब्याज दरें विनियमित नहीं की जाती हैं। किंतु 2 लाख तक के ऋणों पर ब्याज दरें विनियमित की जाती हैं।

सभापति महोदय : अगला प्रश्न **बेरोजगार महिला** द्वारा किया जाएगा।

श्रीमती रजनी पाटिल : महोदय, एक बेरोजगार युवा को अवसर देने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आदर्श मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर बहुत आदर्श है। माननीय मंत्री जी बेरोजगार युवाओं को ऋण वितरण के संदर्भ में दिशा-निर्देश और प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में बात कर रहे थे। बैंक में ऋण लेने जाने वाले बेरोजगार युवा को बैंक अधिकारी परेशान करते हैं। यदि वह कागजों पर वजन नहीं रखते, घूस नहीं देते, तो ऋण स्वीकृति की तो बात छोड़िए, उनके कागजात या प्रस्तावों को स्वीकार ही नहीं किया जाता है। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं से प्रधानमंत्री योजना के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मैं बेरोगार युवा हूं और हमारा इस सम्बन्ध में समान अनुभव है। क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कोई विशेष समयबद्ध कार्यक्रम है ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं यह मानने को तैयार हूं कि वह युवाओं की श्रेणी में आती है, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वह बेरोजगार हैं। सच तो यह है कि तीन लाख मामलों में 1,740 करोड़ से भी अधिक का वितरण किया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इन मामलों में प्रत्येक को किसी तरह का 'वजन' रखना पड़ा है, जैसे कि आप बता रही हैं।

महोदया, कृपया समझने की कोशिश करें। यह योजना मैंने नहीं बनायी है। इस योजना में भ्रष्टाचार के तत्व शामिल हैं। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। यह एक मुद्दा है। मैं सोचता हूं, कि जहां तक हम सबका सम्बन्ध है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएं। कल्पना करें कि 1,740 करोड़ रुपये के बजाए यदि 3,866 करोड़ रुपये वितरित किए जाएं, तो इतनी बड़ी राशि से कितने लोगों का भला होगा। इसलिए हमें इस योजना को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भ्रष्टाचार जरूर है। मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं। मैं भरसक प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी पहली कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। मैं इस योजना को लागू करने हेतु पूरी कोशिश करूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी का रुख सकारात्मक है। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। सभापति होने की हैसियत से, मैं कलकत्ता में सभी बैंक चेयरमैनों से मिला। मैं आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के पांच बैंकों के अधिकारियों से भी मिला था।

महोदय, आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप इस कार्यबल को नया रूप दें तो आप अग्रणी बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों को भी इसमें सम्मिलित करें। यह इसलिए कि, मान लीजिए कार्यबल एक लाख रुपये की सिफारिश करता है तो जब यह किसी भी बैंक में जाता है, तो 50,000 या 60,000 या कुछ इतना हो जाता है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि 'नाबार्ड' जैसी किसी संस्था को व्यावहारिक परियोजनाओं की पहचान का कार्य सौंपना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पंसारी की दुकान या कुछ ऐसी ही दुकान खोलने के लिए ऋण मांग रहा है। यदि इतने सारे ऋण वितरित किए जाते हैं, तो यह गलत होगा। मैं उनसे इन दो मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह प्रश्न बहुत उचित है। वह चाहते हैं कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि सम्बन्धित बैंक इन मार्गनिर्देशों का अपनी शक्ति का सहारा लेकर कार्यबल की सिफारिशों का महत्व कम करके और इनमें परिवर्तन करके उल्लंघन न करे। सुझाव सराहनीय है। मैं कोई वायदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रत्यन करूंगा कि जितना जल्दी संभव हो सके जुर्माने सहित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि माननीय वित्त मंत्री प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके असफल होने का एक कारण जिसे आप पहले ही कह चुके हैं प्रशिक्षण है। जिस क्षेत्र में ऋण स्वीकृत किया जा रहा है आपको उस क्षेत्र के एन. जी. ओ. को भी उसमें अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। इस जिले विशेष में आपको ऐसे एन. जी. ओ. की पहचान करनी चाहिए, जो कि दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण दे सकें।

पी. एम. आर. वाई. को एम. पी. आर. वाई. होना चाहिए। आपको जिला स्तर पर, जहां लाभार्थियों की पहचान करके इसे लागू किया जा रहा है संसद सदस्यों को जरूर सम्मिलित करना चाहिए।

मैं दो और महत्वपूर्ण पहलुओं को लेना चाहूंगा। लघु उद्योगों का निर्यात में सर्वाधिक योजना है। इसलिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन जो एकक निर्यात में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आपको पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सी. पी. एम. के अनुसार आप 100 जिलों की पहचान

करना चाहते हैं। इसलिए धनराशि का 80 प्रतिशत पिछड़े जिलों को दिया जाना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, श्री सुरेश प्रभु के सभी सुझाव निश्चित रूप से अच्छे सुझाव हैं और मैं इनका ध्यान रखूंगा।

12.00 मध्याह्न

श्रीमती कृष्णा बोस : मैंने तो यह सोच ही लिया था कि मुझे अवसर नहीं दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न इससे सम्बन्धित है ...*(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : केवल आधा मिनट शेष है, महोदया *(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोस : सभापति महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रखूं ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी, हां।

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, मेरा प्रश्न बेरोजगार युवाओं के बारे में है। वे सभी हमारे पास आते हैं, क्योंकि उन्हें यह प्रमाण देना पड़ता है कि वे शिक्षित और बेरोजगार हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा बोस : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे 15 लाख लोग हैं ...*(व्यवधान)* मैं वास्तव में यह पता नहीं लगा सकती कि वे वास्तव में बेरोजगार हैं या नहीं ? इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि क्या वे इस प्रक्रिया को सरल बनाएंगे ताकि कोई भी बाकी स्थानीय लोगों (कर्मचारियों) के पास जाकर और उनके आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें ...*(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैंने प्रश्न सुन लिया है ... *(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर सकती ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : यदि कोई यह प्रमाण पत्र पेश करता है कि वह मैट्रिक पास है या फेल है, तो यह पर्याप्त है; और किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ...*(व्यवधान)*

डॉ० रामचन्द्र डोम : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कृपया इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मुझे आधे घंटे की चर्चा की सूचना दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

***384. श्री सुरेन्द्र यादव :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान देश में कपास के उत्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) क्या देश में कपास की घरेलू खपत का भी आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में कपास का निर्यात किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) कपास सलाहकार बोर्ड ने 24 फरवरी, 1997 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1996-97 की फसल का अनुमान 160 लाख गांठ होना लगाया है। कपास सलाहकार बोर्ड ने कपास वर्ष 1997-98 (अर्थात अक्टूबर 1997-सितम्बर 1998) के दौरान देश में कपास के उत्पादन का अभी तक निर्धारण नहीं किया है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाने का अभी उचित समय नहीं है तथा पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में अप्रैल/मई माह से ही कपास की फसल की बुआई शुरू होती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के लिए कपास सलाहकार बोर्ड ने कुल खपत 152.50 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1997-98 के लिए अभी तक कपास की घरेलू खपत का अनुमान नहीं लगाया है।

(ङ) सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान निर्यात के लिए स्वीकृत की जाने वाली कपास की मात्रा के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है। दीर्घावधि नीति के अनुसार निर्यात के लिए सामान्यतः कपास की 5 लाख गांठों की स्वीकृति दी जाती है जोकि कपास मौसम के प्रारंभ में होती है। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो अतिरिक्त कोटों की घोषणा की जाती है। कपास के निर्यात के कोटों की रिलीज कपास के उत्पादन के प्राक्कलन, उपलब्धता, खपत, संभावित निर्यात योग्य बेशी कीमत प्रवृति, आदि सहित सभी संबद्ध कारकों पर ध्यान देने के बाद की जाती है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ व्यापार समझौता

***385. श्री नीतीश भारद्वाज :**
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उपरोक्त देशों से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में पाकिस्तान और बंगलादेश के शिष्टमंडलों के साथ व्यापार के उदारीकरण के लिए कोई बातचीत की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उन समझौतों का ब्यौरा क्या है जिन पर भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश ने हस्ताक्षर किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) सरकार की नीति पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे पड़ौसी देशों समेत सभी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाना है।

2. सार्क अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्ता) के तत्वावधान में व्यापार उदारीकरण संबंधी अन्तर-सरकार समूह की दूसरे दौर की व्यापार वार्ता सम्पन्न करने के लिए बातचीत हुई थी। ये वार्ताएं कोलम्बो में मार्च, 96 में, इस्लामाबाद में सितम्बर, 96 में, नई दिल्ली में अक्तूबर, 96 में, काठमाण्डू में नवम्बर, 96 में हुई थीं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा सार्क के अन्य सदस्य देशों ने भाग लिया था। इन वार्ताओं के पश्चात् सार्क के सदस्य देशों ने अभिज्ञात उत्पादों की अनुरोध सूची के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत रियायतों के लिए एक-दूसरे के साथ टैरिफ-रियायतों का आदान-प्रदान किया है।

3. भारत ने बंगलादेश को छह अंकीय स्तर पर 513 टैरिफ मदों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की हैं, जिनमें शामिल हैं—अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन, चर्म वस्तुएं, काष्ठ, कागज/पेपर बोर्ड, वस्त्र, फुटवियर इत्यादि। ये रियायतें दो दरों पर दी गई थीं; (1) उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लागू सीमा शुल्क रु. 50 प्रतिशत और (2) शेष मदों के लिए 25 प्रतिशत रियायत। भारत ने बंगलादेश से 6 अंकीय स्तर पर 204 टैरिफ मदों पर लागू टैरिफ का 10 प्रतिशत रियायत प्राप्त की है जिनमें शामिल हैं—कृषि उत्पाद, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, चर्म, काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद, कागज, धातु इत्यादि।

4. पाकिस्तान के लिए भारत ने छह अंकीय स्तर पर 375 टैरिफ मदों के बारे में टैरिफ रियायतें दी हैं जिनमें शामिल हैं—कृषि उत्पाद अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन, काष्ठ पत्थर की वस्तुएं, वाहन, उत्पाद इत्यादि। यद्यपि अधिकांश वस्तुओं के लिए लागू टैरिफ पर 10 प्रतिशत रियायत दी गयी है, फिर भी कुछ मदों पर 15 प्रतिशत रियायत लागू रहेगी। पाकिस्तान ने बदले में भारत को छह अंकीय स्तर पर 230 टैरिफ मदों के बारे में लागू टैरिफ पर 10 प्रतिशत टैरिफ रियायतें दी हैं जिनमें शामिल हैं—सब्जी उत्पाद, अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक एवं रबड़ की वस्तुएं, काष्ठ की वस्तुएं, कागज, बेस धातु, औद्योगिक मशीनरी इत्यादि।

5. भारत-बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की दिनांक 10-12 मार्च 1997 को नयी दिल्ली में हुई 5वीं बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग स्थिति की समीक्षा की। विचार-विमर्श के दौरान, निम्नलिखित के बारे में करार किए गए—

(1) निर्यात एवं आयात दोनों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मार्गों का इस्तेमाल किया जायेगा :

क—हल्दी बाड़ी—छिलाहाटी

ख—घोजादुंगा—बुरीमाड़ी

ग—बर्सोडा—चेर्रागांव

घ—न्यू जलपाईगुड़ी—तेन्तुलिया

ङ—जल बाजार—बेतुली-फुल्टाला

(2) विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाएगा जो प्रवेश स्थलों, व्यापार करने योग्य उत्पादों की सूची, भुगतान शर्तें, मात्रात्मक सीमा एवं शुल्क तथा आव्रजन के तरीकों जैसे मुद्दों की जांच कर इनके बारे में सिफारिशें देगा।

[हिन्दी]

समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना

***386. श्री देवी बक्स सिंह :**
डॉ० रमेश चंद तोमर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना" के अन्तर्गत राज्य-वार अब तक कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस योजना के अन्तर्गत और गांवों को शामिल करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना के वर्ष 1991-92 के आरम्भ होने से कुल मिलाकर 188 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। मंजूर की गयी योजनाओं की राज्यवार जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों के आधार पर समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 81 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 8 राज्यों को 51 परियोजनाएं मंजूर की गयी। आन्ध्र प्रदेश के लिए 23, असम के लिए 14, गुजरात के लिए 1, केरल के लिए 3, कर्नाटक के

लिए 1, मनीपुर के लिए 3, उड़ीसा के लिए 3 और त्रिपुरा के लिए 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। 15 परियोजनाओं के प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। जिनमें 11 प्रस्ताव असम से, 1 मध्य प्रदेश से और 3 उड़ीसा से हैं। शेष 15 प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गयी क्योंकि वे इस योजना की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं।

(घ) गत तीन वर्षों अर्थात् 1993-94 से 1995-96 के दौरान समेकित हथकरघा ग्राम विकास/योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 105 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

विवरण

वर्ष 1991-92 से विभिन्न राज्य सरकारों को समेकित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत मंजूर की गयी परियोजनाओं की संख्या

क्र.स.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	44
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	38
4.	बिहार	2
5.	दिल्ली	–
6.	गुजरात	5
7.	हरियाणा	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू व कश्मीर	–
10.	केरल	9
11.	कर्नाटक	3
12.	मध्य प्रदेश	10
13.	महाराष्ट्र	2
14.	मेघालय	2
15.	मनीपुर	10
16.	मिजोरम	3
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	17
19.	पांडिचेरी	–
20.	पंजाब	–
21.	राजस्थान	2
22.	सिक्किम	–
23.	तमिलनाडू	13
24.	उत्तर प्रदेश	15
25.	त्रिपुरा	9
26.	पश्चिम बंगाल	3
	योग :	188

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन

***387. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन चल रही कपड़ा मिलों के कार्यकरण में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों की संख्या क्या है जिनके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सभी मिलों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी शुरू करने की है;

(घ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निदेशक मंडल के स्तर पर श्रमिकों का कोई प्रतिनिधित्व है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) इस समय एन. टी. सी. की 120 मिलों में से 84 मिलों में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्रभावित हुई है। बाकी मिलों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां कि अत्यधिक मजदूर संघ होने तथा संघ के अंदर और संघों के बीच प्रतिद्वंद्व होने के कारण प्रगति धीमी है। कामगारों की सहभागिता के कारण कार्य संस्कृति तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार आया है जिसका मिलों के कार्यचालन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तथापि, अप्रचलित मशीनों, कार्यशील पूंजी की जटिल कमी आदि जैसे कारकों के कारण ये मिलें अपने समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार नहीं कर पायी हैं।

(घ) से (च) एन. टी. सी. तथा उसके सहायक निगमों के निदेशक मंडल का गठन संघ के नियमों तथा सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। एन. टी. सी. के 9 सहायक निगमों में से एन. टी. सी. (डब्ल्यू. बी. ए. बी. एंड ओ.) लि., के निदेशक

मंडल में एक मजदूर संघ का नेता है जिसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित किया गया है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

***388. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से अब तक लाभ कमा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तथा इसी अवधि के दौरान घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कारगर और लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ कमाने वाले और घाटे में चलने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	लाभ वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ	घाटे वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	वर्ष के दौरान घाटा
1993-94	23	2190.79	173	38886.31
1994-95	32	2895.82	164	42321.37 आंकड़े
1995-96	44	4238.25	152	46796.56 अनंतिम

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को घाटा, अन्य बातों के साथ-साथ, कम विस्तार, ग्राहकों के चुनाव और परिचालन क्षेत्र पर प्रतिबंध, शाखा नेटवर्क की तुलना में कारोबार की कम मात्रा, खराब वसूलियों और उच्च स्थापना लागतों के कारण हो रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) चुनिन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तुलन-पत्रों का निपटान करने के लिए पर्याप्त इक्विटी सहायता प्रदान की गयी है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय, वसूली, वृद्धि और उत्पादकता संबंधी पैरामीटरों के आधार पर चुने गए हैं। मार्च, 1996 तक 102 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इक्विटी सहायता के लिए सरकार द्वारा 374 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गयी है। 200 करोड़ रु. के उपलब्ध बजटीय आबंटन की तुलना में चालू वर्ष के दौरान पहले से शामिल (कवर) किए जा चुके कुछेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त इक्विटी सहायता देने के साथ-साथ 15 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इक्विटी सहायता देने के लिए 125 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गयी है। शेष 75 करोड़ रु. की राशि के चालू वर्ष के दौरान ही जारी किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1997-98 के लिए इस उद्देश्य से लगभग 270 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(ii) तीन से पांच वर्ष के निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए बैंक विशेष विकास कार्य योजना (डीएपी) तैयार की गयी है। डीएपी की तैयारी के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने प्रायोजक बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिनमें उनकी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) कार्यनिष्पादन सम्बन्धी बाध्यताओं/प्रतिबद्धताओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। दिसम्बर, 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 192 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने डीएपी के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से, अन्य बातों के साथ-साथ वसूली नीति पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की जाती है।

(iii) आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों को वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू कर दिया गया है और प्रावधान करने सम्बन्धी मानदंडों को 1996-97 से लागू कर दिया गया है।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभ कमाने वाली सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के बांडों और ख्याति प्राप्त विश्वसमीय कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में सावधि जमाराशियों के रूप में बेहतर निवेश की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी अधिशेष गैर-एसएलआर निधियों के एक भाग को अपने प्रायोजक बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियों में प्रायोजक बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले गैर-जोखिम हिस्सेदारी भागीदारी प्रामण-पत्र (नान रिस्क शेयरिंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट) के माध्यम से अभिनियोजित करने की अनुमति प्रदान की है।

(v) सेवाओं के रेंज और संभावनाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से दिनांक 1.1.1994 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने नए उधारों के 60 प्रतिशत तक गैर-लक्ष्यगत समूहों का वित्तपोषण करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

(vi) वर्ष 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रु. से भी कम के संवितरण वाले 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यताओं से मुक्त कर दिया गया है।

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने सेवा क्षेत्र के भीतर अपनी घाटा देने वाली शाखाओं को अपेक्षाकृत बेहतर स्थान पर अवस्थित करने की अनुमति दी गयी है।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने अंतिम उधारकर्ताओं से प्रभारित की जा सकने वाली ब्याज दरों को दिनांक 26.08.1996 से विनियमित कर दिया है।

अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश

***389. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश आकर्षित करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं;

(ख) अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में और निवेश आकर्षित करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार ने आधारभूत संरघनात्मक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में उपाय किए हैं। सड़कों, पुलों, नए हवाई अड्डों, पत्तनों और रेलवे परियोजनाओं जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं को विकास, अनुरक्षण और प्रचालन में लगी कंपनियों के लिए 5 वर्ष के करावकाश का जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, मल व्ययन परियोजनाओं और दूरसंचार को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। बिजली उत्पादन और पारेषण गैर-पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन और वितरण तथा सड़कों, पुलों, रेल की पटरियों, पत्तनों, रनवे, पाइप लाइनों और पोताश्रयों के निर्माण और अनुरक्षण जैसे प्रमुख आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों में 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी सहभागिता के लिए स्वतः अनुमोदन देने हेतु विदेशी निवेश से सम्बन्धित प्रावधानों को और अधिक उदार बनाया गया है। भूमि तथा जल परिवहन के लिए सहायक सेवाओं को शामिल करने के लिए 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन की सूची का विस्तार किया गया है।

(ख) आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। छह उद्योगों अर्थात् बिजली उत्पादन, कोयला, इस्पात, कच्चा तेल, पैट्रोलियम उत्पाद और सीमेंट जिनका औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आई. आई. पी.) में संयुक्त सारांश 28.8 प्रतिशत है, की अप्रैल जनवरी, 1996-97 में औसतन वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत रही है जोकि अप्रैल-जनवरी, 1995-96 में हुई 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में आधे से भी कम है।

(ग) बजट प्रस्ताव 1997-98, में यह शामिल है कि तेल अन्वेषण तथा औद्योगिक पार्क आयकर अधिनियम की धारा 80झ क के तहत पांच वर्षीय करावकाश के लिए पात्र होंगे। दूरसंचार विभाग तथा वित्तीय संस्थानों के बीच एक समनुदेश्यीय करार किया गया है तथा यह सेलुलर और मूलभूत दूरसंचार परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाएगा। 1997-98 के बजट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 200 करोड़ रु. की बजटीय सहायता को बढ़ाकर 500 करोड़ रु. कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में भूमि का धंसाव

***390. श्री रविन्द्र कुमार पांडेय :**
डॉ० कृपासिन्धु भोई :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कोयला क्षेत्रों में भूमि के धंसने की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी घटनाएं आयी हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की अनुमानतः कितनी क्षति हुई है; और

(घ) देश में कोयला खानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों तथा कोयला खानों के आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अनियोजित रूप में धंसाव की समस्या मुख्यतः क्रमशः पश्चिम बंगाल और बिहार के रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में धंसाव की 25 घटनाएं हुई हैं।

(ग) धंसाव की घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। किंतु, संपत्ति को कुछ क्षति पहुंची है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

(i) वर्ष 1994 में पांडवेश्वर क्षेत्र में हुई धंसाव की घटना में एक कच्चा घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था।

(ii) सतग्राम इन्क्लाइन में वर्ष 1995 में हुई धंसाव की घटना में एक छोटी दीवार को क्षति पहुंची थी।

(iii) वर्ष 1996 में जामबाद ओपनकास्ट खान में हुए धंसाव में कंपनी का एक उपकेन्द्र प्रभावित हुआ था।

(iv) वर्ष 1996 में नबा काजोरा में हुए धंसाव में कंपनी के 24 क्वार्टरों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची थी।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(i) जनवरी, 1995 में ईस्ट कटरास में हुई धंसाव की घटना में 3 अनधिकृत रूप से बने कच्चे घरों में दरारें आ गयी थी।

(ii) अगस्त, 1995 में बागडीगी कोलियरी में हुए धंसाव में कंपनी के 60 क्वार्टर क्षतिगस्त हुए थे।

(iii) अगस्त, 1995 में बांसदेवपुर कोलियरी में हुई धंसाव की घटना में कंपनी के 3 क्वार्टरों को क्षति पहुंची थी।

(iv) फरवरी, 1995 में लोयाबाद कोलियरी में हुए धंसाव के कारण 22 घर और 350 क्वार्टर प्रभावित हुए थे।

(v) मई, 1995 में औद्योगिक कोलियरी में हुए धंसाव में कंपनी के 400 क्वार्टर तथा एजेंट का कार्यालय प्रभावित हुए थे।

(vi) मार्च, 1996 में ईस्ट भुग्गतडीह में हुई धंसाव की घटना के कारण 346 घर प्रभावित हुए थे।

(vii) अक्तूबर, 1996 में ईस्ट भुग्गतडीह में केन्द्रीय झरिया के चौथाई कूल्ही क्षेत्र में 219 अनधिकृत रूप से बने निजी घरों में दरारें आ गयी थीं।

(घ) झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों के धंसाव प्रवृत्त क्षेत्रों पर रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं :

(i) जहां भी व्यवहार्य हो, विनिर्मित क्षेत्रों के नीचे असुरक्षित भूमिगत खानों को सुदृढ़ीकृत किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है;

(ii) हाइड्रो-न्यूमेटिक रेत भराई की नवीन प्रौद्योगिकी स्थापित किए जाने के लिए, विनिर्मित क्षेत्रों के नीचे पानी से भरी भूमिगत खानों को सुदृढ़ीकृत किए जाने हेतु 5 स्थलों पर स्थल परीक्षण किए जा रहे हैं;

(iii) अनेक अनुसंधानों तथा विकास परियोजनाओं के माध्यम से पानी से भरे असर्वेक्षित भूमिगत गढ्ढों के रेखा-चित्रण की जांच की गयी है;

(iv) सम्बद्ध कोयला कंपनियां विनिर्मित क्षेत्रों के नीचे बनी भूमिगत खानों की अस्थिरता के बारे में स्थानीय समाचार-पत्रों में अपीलें जारी करके व्यक्तियों को सूचित कर रही हैं तथा उनसे इन स्थानों को खाली किए जाने का अनुरोध कर रही हैं;

(v) असुरक्षित घोषित किए गए क्षेत्रों से व्यक्तियों को हटाए जाने हेतु जिला प्राधिकारियों तथा स्थानीय सांसदों/विधायकों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है; और

(vi) रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों में धंसाव तथा आग की समस्या का विस्तृत रूप में समाधान किए जाने की दृष्टि से दिनांक 19.12.1996 को एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) हैं और जिसमें योजना आयोग, श्रम मंत्रालय, पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी. जी. एम. एस.), कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (के. खा. आ. डि. सं. लि.), भारत कोकिंग कोल लि. (भा. को. को. लि.) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई. को. लि.) के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति की दो बैठकें आयोजित हुई हैं, जिसमें से एक दिल्ली में तथा दूसरी झरिया कोयला क्षेत्र में क्रमशः दिनांक 6.2.1997 तथा 7/8.3.1997 को आयोजित हुई है। इस समिति द्वारा जून, 1997 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

दसवां वित्त आयोग

***391. श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने राज्यों को विशेषकर आन्ध्र प्रदेश को योजना राजस्व घाटा संबंधी अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना हेतु राजस्व व्यय जुटाने में राज्य सरकारों द्वारा कठिनाई का सामना किए जाने की आशंका है तथा क्या योजना हेतु अपेक्षाकृत कम संसाधन उपलब्ध होंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त अनुदान न दिए जाने के कारण राज्यों की संसाधनों की कमी को पूरा करने संबंधी विशेष कठिनाई को हल करने के लिए योजना के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दसवें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य को योजना राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश नहीं की है।

(ख) नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरण की अपेक्षा दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत सभी राज्यों को कुल अंतरण में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार योजना के लिए राजस्व संसाधनों सहित सभी राज्यों के राजस्व संसाधनों में सुधार होगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय और राज्य संबंधी योजनाओं के लिए सकल बजटीय समर्थन भारत सरकार की समग्र संसाधन उपलब्धता पर निर्भर करता है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का वितरण योजना आयोग द्वारा एक फार्मूले के आधार पर किया जाता है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत तथा उपर्युक्त (ख) में स्पष्ट की गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा आबंटित सहायता के सिवाय अन्य किसी प्रकार की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लाभ/हानि

***392. श्री भक्त चरण दास :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक ग्रुप के रूप में वर्ष 1995-96 के दौरान 371.37 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई जबकि 1994-95 में 115.71 करोड़ रु. का लाभ हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिकतम हानि हुई;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हानि को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या 1995-96 के दौरान बैंकों के प्रचालन लाभ में वर्ष 1994-95 की तुलना में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रचालन लाभ में वृद्धि के बावजूद बैंकों में हानि के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, एक समूह के रूप में, वर्ष 1994-95 के दौरान 1115.82 करोड़ रुपये के लाभ के विपरीत, वर्ष 1995-96 के दौरान 371.36 करोड़ रुपये की हानि उठाई। वर्ष 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हुई हानि के निम्नलिखित कारण थे :

(i) वर्ष 1995-96 के लिए अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान करना तथा पिछले वर्षों में अनुपयोग्य आस्तियों के लिए किए गए कम प्रावधान के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना।

(ii) वाई. टी. एम. दर में वृद्धि के कारण निवेश पर ह्रास के लिए प्रावधान में वृद्धि करना।

(iii) वेतन (वेजेस) में संशोधन के कारण वेतन के बकाये का प्रावधान तथा कर्मचारी पेंशन के लिए प्रावधान करना।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान इण्डियन बैंक ने सबसे अधिक हानि दर्ज की।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने हानि उठाने वाले बैंकों से कहा है कि वे अनिष्पादित आस्तियों को कम करें, अग्रिमों तथा निवेशों पर औसत आय को बढ़ाएं, उच्च लागत निधि को कम करें तथा साथ ही ऋण विस्तार को कम करें, पूंजी व्यय को घटाएं और नये कर्मचारियों की भर्ती न करें।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालनात्मक वर्ष 1994-95 के दौरान 5628.33 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान 7568.87 करोड़ रुपये था। परिचालनात्मक लाभ के बावजूद सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान निवल हानियां उठाने के कारणों को उत्तर के भाग (ख) में दिया गया है।

[हिन्दी]

जनहित के मुकदमों पर प्रतिबंध

***393. प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनहित याचिका पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयास के खिलाफ सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

एन्टी-डम्पिंग मैकेनिज्म

***394. श्री राम नाईक :**
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक सुदृढ़ 'एन्टी-डम्पिंग मैकेनिज्म' के लिए व्यापार मंडल की भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ 18 फरवरी, 1997 को नई दिल्ली में बैठक हुई;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार ने डम्पिंग नीति का पालन करने वाले विदेशी उद्योगों की पहचान की है; अथवा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में, भारत में इस व्यवस्था की पर्याप्तता और जांच-पड़ताल को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निपटाने की जरूरत पर व्यापक चर्चा की गई। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के तहत पदनामित प्राधिकारी के समक्ष उद्योगों द्वारा जो पाटन-रोधी याचिकाएं दायर की जाती हैं, सरकार उन्हें निरन्तर मॉनिटर कर रही है। आवश्यक होने पर इस व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। पूछताछ में तेजी लाने का जहां तक प्रश्न है, इसके लिए सांविधिक नियमों में विभिन्न समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं (जो डब्ल्यू टी ओ करार की धारा VI के अनुरूप हैं)। इन समय सीमाओं का पदनामित प्राधिकारी द्वारा पालन किया जाता है।

(ग) प्रतिपाटन के सम्बन्ध में शिकायतें व जांच-पड़ताल निश्चित विदेशी निर्यातकों से सम्बन्धित हैं। इस प्रयोजन हेतु निर्यातकों या विदेशी उद्योगों का कोई सर्वेक्षण या पहचान नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कम राख वाला कोयला

***395. श्री टी० गोपाल कृष्ण** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 तक की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न उद्योगों में कम राख वाले कोयले की कुल कितनी मांग है;

(ख) वे मुख्य उद्योग कौन-कौन से हैं जिन्हें कम राख वाले कोक की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम राख वाले कोक का उत्पादन पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो कम राख वाले कोक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा कच्चे कोयले की मांग का मूल्यांकन क्षेत्र-वार किया जाता है। हार्ड कोक की मांग का मूल्यांकन अलग से नहीं किया जाता है। कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, न तो उनके पास निम्न राख वाले कोक के लिए कोई मांग पंजीकृत है और न ही उनके द्वारा निम्न राख वाले कोक के लिए कोई संयोजन दिया जाता है। किन्तु, निजी कोकरियों की यूनिट 10 प्रतिशत राख की मात्रा के निम्न राख वाले कोक की कुछ मात्रा उत्पादन करती हैं, जिसको कि कुछ एलेक्ट्रॉड तथा कार्बाइड के उत्पादकों को आपूर्ति की जा रही है।

(ग) और (घ) निम्न राख वाले कोक का उत्पादन कोल इंडिया लि. की किसी सहायक कंपनी में नहीं किया जाता है। कोल इंडिया लि. के अन्तर्गत कोयला कंपनियां हार्ड कोक का उत्पादन करती हैं। हार्ड कोक की कीमतों तथा वितरण को अब विनियंत्रित कर दिया गया है। इसके उत्पादन तथा विपणन के संबंध में निर्णय कोयला कंपनियों द्वारा बाजार के रुख तथा वाणिज्यिक हितों के आधार पर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

नये नोटों पर प्रीमियम

***396. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक, दो, पांच, दस और पचास रुपये के सिक्कों पर भारी प्रीमियम लिया जा रहा है जैसाकि दिनांक 21 फरवरी, 1997 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों में नए करेंसी नोटों और सिक्कों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बाजार में करेंसी नोट तथा सिक्के उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण, देश में नोट प्रिंटिंग प्रेसें तथा टकसालें भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों और सिक्कों की हमेशा बढ़ती हुई मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। तथापि, सरकार ने करेंसी नोटों और सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. नासिक और देवास स्थित दो वर्तमान नोट प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण करना।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन एक सालबोनी (पश्चिम बंगाल) और दूसरी मैसूर (कर्नाटक) में दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना करना।

3. मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित भारत सरकार टकसालों का आधुनिकीकरण करना।

4. एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के कम मूल्य वर्ग के नोटों का सिक्काकरण करना तथा इस प्रकार निर्मुक्त हुई क्षमता का इस्तेमाल उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए करना।

5. एकबारगी उपाय के रूप में, 1000 मिलियन अदद सिक्कों के साथ-साथ 3600 मिलियन अदद मुद्रित नोटों के आयात का सहारा लेना।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात

***397. श्री एन० एस० वी० चितूयन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इलेक्ट्रानिक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में देश-वार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या साफ्टवेयर के निर्यातकों को अपनी वस्तुओं के निर्यात में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने तथा निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की है। इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के क्षेत्र में दर्ज वृद्धि की प्रतिशतता और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार हुई विदेशी मुद्रा आय संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

सरकार ने इलेक्ट्रानिक और कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन और इस क्षेत्र द्वारा झेली जा रही परेशानियों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए की थी जब भी कभी कोई समस्या सरकार के ध्यान में लाई जाती है। उसके समाधान के लिए प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाती है। सरकार ने अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता में इलेक्ट्रानिक्स और साफ्टवेयर के बारे में स्थायी समिति की भी स्थापना की है जो ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई करती है जिनमें सरकार द्वारा समन्वित उत्तर देना होता है। निर्यात को बढ़ाने के लिए जो अन्य कदम उठाए जाते हैं उनमें शामिल है अनन्यतः भारतीय व्यापार प्रदर्शनों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के दौरे इत्यादि सामान्य उपायों में शामिल हैं—इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनालाजी पार्क स्कीम (ई. एच. टी. पी.), साफ्टवेयर तकनालाजी पार्क स्कीम (एस. टी. पी.) चलाना जोकि निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्योतन्मुखी योजनाएं हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर का निर्यात तथा मुख्य गन्तव्य देश
(1993-94 से 1995-96)

गन्तव्य देश	1993-94		1994-95				1995-96			
	करोड़ रु.	मिलियन यू.एस. डालर	करोड़ रु.	मिलियन यू.एस. डालर	प्रतिशत वृद्धि		करोड़ रु.	मिलियन अमरीकी डालर	प्रतिशत वृद्धि	
					रु. के रूप में	यू.एस. डालर के रूप में			रु. के रूप में	यू.एस. डालर के रूप में
यू.एस.ए. और कनाडा	297.50	96.01	266.30	85.91	-10.52	-10.52	428.00	127.76	60.72	48.71
लातिन अमेरिका	6.23	2.01	8.57	2.75	37.56	37.56	3.11	0.93	-63.71	-66.18
यूरोप (यू.एस. देश)	235.87	76.08	294.05	94.85	24.67	24.67	603.46	180.14	105.22	89.92
यूरोप (गैर यू.एस. देश)	13.13	4.22	13.85	4.47	5.48	5.48	20.37	6.08	47.08	33.02
रूस और सी आई एस देश	28.22	9.11	182.10	58.76	545.29	545.29	147.57	44.05	-18.96	-25.03
अफ्रीकन देश	25.89	8.35	45.91	14.80	77.33	77.33	39.56	11.81	-13.83	-20.20
मध्य पूर्व के देश	123.84	39.96	161.49	52.10	30.40	30.40	127.95	38.19	-20.77	-26.70
सिंगापुर, हांगकांग और अन्य दक्षिण एशियाई	320.35	103.34	470.04	151.62	46.73	46.73	931.46	278.05	98.17	83.39
जापान, कोरिया और सुदूर पूर्व के देश	22.09	7.13	48.47	15.64	119.42	119.42	78.70	23.49	62.37	50.19
आस्ट्रेलिया और अन्य महासागरीय देश	4.78	1.54	16.22	5.23	239.33	239.33	19.82	5.92	22.19	13.19
कुल	1078.00	347.75	1507.00	486.13	39.80	39.80	2400.00	716.42	59.26	47.37

औसत विनिमय दर 1993-94 और 1994-95। यू.एस. डालर=33.50 रु.।

(स्रोत : इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद)

पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं सेवाओं का निर्यात तथा मुख्य गन्तव्य देश
(1993-94 से 1995-96)

गन्तव्य देश	1993-94		1994-95				1995-96			
	करोड़ रु.	मिलियन यू.एस. डालर	करोड़ रु.	मिलियन यू.एस. डालर	प्रतिशत वृद्धि		करोड़ रु.	मिलियन अमरीकी डालर	प्रतिशत वृद्धि	
					रु. के रूप में	यू.एस. डालर के रूप में			रु. के रूप में	यू.एस. डालर के रूप में
यू.एस.ए. और कनाडा	681.07	220.02	787.76	254.12	15.50	15.50	1638.17	489.01	107.96	92.43
लातिन अमेरिका	2.96	0.95	5.56	1.76	84.46	84.46	6.08	1.81	11.36	2.84
यूरोप (यू.एस. देश)	179.83	58.01	329.57	106.31	83.27	83.27	490.70	146.48	48.89	37.79
यूरोप (गैर यू.एस. देश)	53.65	17.31	79.62	25.69	48.41	48.41	82.06	24.50	3.06	-4.60
रूस और सी आई एस देश	1.94	0.63	53.30	17.19	2647.42	2647.42	28.33	8.45	-46.85	-50.79
अफ्रीकन देश	10.61	3.42	14.49	4.67	36.57	36.57	24.04	7.18	65.91	53.75
मध्य पूर्व के देश	17.54	5.66	21.32	6.88	21.55	21.55	21.87	6.53	2.58	-5.09
सिंगापुर, हांगकांग और अन्य दक्षिण एशियाई	37.74	12.18	121.39	39.16	221.65	221.65	283.80	84.71	133.79	116.34
जापान, कोरिया और सुदूर पूर्व के देश	26.21	8.45	40.74	13.14	55.44	55.44	40.67	12.14	-0.17	-7.61
आस्ट्रेलिया और अन्य महासागरीय देश	7.45	2.40	20.35	6.55	173.15	173.15	34.28	10.23	68.45	55.71
कुल	1020.00	329.03	1474.00	475.78	44.51	44.51	2650.00	791.05	79.78	66.37

औसत विनिमय दर 1993-94 और 1994-95। यू.एस. डालर=33.50 रु.।

(स्रोत : इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद)

कोयला कंपनियों की बकाया राशि

***398. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1997 तक सभी वर्गों के उपभोक्ताओं पर कोल इंडिया लि. और उसकी सहयोगी कंपनियों की कितनी राशि बकाया है;

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य विद्युत इकाइयों पर इस राशि की कितनी प्रतिशत राशि बकाया है; और

(ग) विशेषकर राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) दिनांक 1.3.1997 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (को.इं. लि.) तथा इसकी सहायक कंपनियों के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की ओर कुल देय बकाया राशि 3584.35 करोड़ रु. (अनंतिम) की है।

(ख) विद्युत गृहों, राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य विद्युत उपयोगिताओं दोनों की ओर देय बकाया राशि, कुल देय बकाया राशि का लगभग 80 प्रतिशत हैं।

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों से देय बकाया राशि की वसूली किए जाने के संबंध में सरकार/को. इ. लि. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कोल इंडिया लि. को यह सलाह दी गयी है कि वे विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम भुगतान अथवा लेटर-आफ-क्रेडिट के एवज् में ही करें। दिनांक 1.1.1997 से अधिक उत्साह के साथ-'कैश एंड कैरी' स्कीम को क्रियान्वित किया गया है।

(2) कुछ विद्युत उपयोगिताओं के संबंध में ऊर्जा बिलों के एवज् में समायोजन करके देय बकाया राशि की वसूली की जा रही है।

(3) राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को शीघ्र देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने के लिए प्रोत्साहित करें/निपटारा करने में सहायता प्रदान करें।

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में को.इं.लि. तथा रेलवे की देय बकाया राशि की वसूली योजनागत सहायता से की जाए, जोकि वर्ष 1995-96 में बदरपुर तापीय विद्युत गृह को आपूर्ति किए गए कोयले के एवज् में वसूल की जाए। यह कार्यवाई वर्ष 1996-97 के लिए भी जारी रखी जा रही है।

(5) कोयला कंपनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के बीच, देय बकाया राशि से संबंधित विवादित देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने हेतु, अधिनिर्णायकों की नियुक्ति की गयी है।

कोयले पर रायल्टी

*399. **श्री हंस राज अहीर** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला उत्पादक राज्यों को किस दर से रायल्टी का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के रायल्टी के हिस्से की दर में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले का उत्पादन करने वाली राज्य सरकारों को अदा की जा रही कोयले पर रायल्टी की दरें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) से (ग) कोयला कंपनियों द्वारा संग्रहित की गयी संपूर्ण कोयले पर रायल्टी संबद्ध कोयले का उत्पादन करने वाले राज्यों को अदा की जाती है। रायल्टी की दरों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जोकि खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारण किया जाता है। इस संबंध में दरों को अंतिम बार दिनांक 11.10.1994 को संशोधित किया गया था। खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के परन्तुक की शर्तों के अन्तर्गत कोयले पर रायल्टी की दरों में 3 वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है। अतः कोयले पर रायल्टी की दरों में आगामी संशोधन दिनांक 11.10.1997 के बाद देय होगा। दिनांक 28.1.1997 को एक अध्ययन दल का गठन किया गया है, जोकि रायल्टी की दर में संशोधन के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और यह दल अपनी रिपोर्ट तीन महीने की अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा। रायल्टी की दरों में संशोधन की सीमा का, वर्ष 1997 के अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक निर्णय लिए जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान कोयले पर रायल्टी के रूप में महाराष्ट्र सरकार को 217.90 करोड़ रु. की राशि की अदायगी कर दी गयी है।

विवरण

(ए) पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में उत्पादित कोयले पर रायल्टी की दरें नीचे दी गयी हैं

(i) ग्रुप-I कोयला :

(क)	कोककर कोयला इस्पात ग्रेड-I इस्पात ग्रेड-II वाशरी ग्रेड-I	केवल एक सौ पन्चानवे रुपये प्रति टन
(ख)	अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	केवल एक सौ पचास रुपये प्रति टन

(ii) ग्रुप-II कोयला :

(क)	कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-II कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-III	केवल एक सौ पचास रुपये प्रति टन
(ख)	अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-I अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-II	
(ग)	गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ए गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-बी	

(घ) अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	केवल एक सौ बीस रु. प्रति टन

(iii) ग्रुप-III कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-4 (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-सी	केवल पन्चानवे रुपये रु. प्रति टन

(iv) ग्रुप-IV कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-डी (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ई	केवल सत्तर रुपये प्रति टन

(v) ग्रुप-V कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-एफ (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-जी	केवल पचास रूपये प्रति टन

लिग्नाइट : केवल दो रुपये पचास पैसे प्रति टन

(vi) ग्रुप-VI कोयला :

आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला केवल पचहत्तर रुपये प्रति टन

(बी) पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों में उत्पादित कोयले पर रायल्टी की दरें नीचे दी गयी हैं

I. ग्रुप-I कोयला :

(क) कोककारी कोयला

इस्पात ग्रेड-I इस्पात ग्रेड-II वाशरी ग्रेड-I	केवल सात रुपये प्रति टन
(ख) मेघालय राज्य में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	केवल एक सौ पचास रु. रुपये प्रति टन

II. ग्रुप-II कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-II कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-III	केवल छह रुपये पचास पैसे प्रति टन
(ख) अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-I अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-II	केवल छह रुपये पचास पैसे प्रति टन
(ग) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ए गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-बी	केवल छह रुपये पचास पैसे प्रति टन
(घ) मेघालय राज्य में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	केवल एक सौ बीस रुपये प्रति टन

III. ग्रुप-III कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड-4 (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-सी	केवल पांच रुपये पचास पैसे प्रति टन

VI. ग्रुप-IV कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-डी (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-ई	केवल चार रुपये तीस पैसे प्रति टन

V. ग्रुप-V कोयला :

(क) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-एफ (ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड-जी	केवल दो रुपये पचास पैसे प्रति टन

औषधियों और भेषजों का निर्यात

*400. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश-वार कितनी मात्रा में औषधियों और भेषजों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) सरकार द्वारा औषधियों और भेषजों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) दवाओं और भेषजों के क्षेत्र में निर्यात निष्पादन की मानीटरिंग मूल्य के रूप में की जाती है और 1995-96 के दौरान निर्यात का कुल मूल्य 3366.17 करोड़ रुपये है। निर्यातों के देश-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दवाओं और भेषजों सहित निर्यात संवर्धन के लिए सरकार की एक्ज़िम नीति के अन्तर्गत अनेक योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना (ई. पी. सी. जी.) शुल्क छूट योजना, निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र योजना और माने गए निर्यात योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करती है, विदेश में व्यापार मेलों में भागीदारी को बढ़ावा देती है, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं और वाणिज्यिक सूचना के प्रसार को सुकर बनाती है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान औषधियों तथा भेषज पदार्थों के निर्यात का देश-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	देश	मूल्य
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	5.04
2.	अल्बानिया	1.75

1	2	3	1	2	3
3.	अल्जीरिया	2.74	34.	चाईना पी गण.	30.05
4.	अमेरी सामोआ	1.07	35.	क्रिसमस आइसलैंड	0.12
5.	अंगोला	0.40	36.	कोलम्बिया	3.61
6.	आंटीगुआ	0.006	37.	कोमरस	0.63
7.	अर्जेन्टीना	4.85	38.	कांगो पी. गण.	0.29
8.	अरमेनिया	0.0095	39.	कुक आइसलैंड	0.01
9.	आस्ट्रेलिया	14.39	40.	कोस्टारिका	0.82
10.	अस्ट्रीया	1.36	41.	क्रोएटिया	1.04
11.	अजरबेजियान	0.56	42.	क्यूबा	0.07
12.	बहमास	0.01	43.	साइप्रस	13.54
13.	बेहरीन आइसलैंड	1.36	44.	चैक गण.	3.86
14.	बंगलादेश	45.99	45.	डेनमार्क	22.06
15.	बेल्जियम	53.41	46.	जिबोटी	2.60
16.	बेनिन	0.11	47.	डोमीनिक गण.	1.94
17.	भूटान	0.02	48.	डोमिनिका	0.40
18.	बोलविया	0.26	49.	इक्वाडौर	0.33
19.	बोस्तवाना	1.90	50.	मिश्र अरब गण.	14.61
20.	ब्राजील	15.34	51.	एल सेल्वाडोर	0.11
21.	बी विरगीन आइसलैंड	0.04	52.	एस्टोनिया	0.07
22.	ब्रूनई	0.07	53.	इथोपिया	3.16
23.	बुल्गारिया	3.13	54.	इक्यूटल गूईनिया	0.0039
24.	ब्रुन्डी	2.42	55.	फिनलैंड	2.97
25.	बेलारुस	7.17	56.	फिजी आइसलैंड	0.0065
26.	कोलम्बिया	4.15	57.	फ्रांस	37.73
27.	कैमरुन	2.58	58.	गाबन	0.01
28.	कनाडा	33.84	59.	गाम्बिया	0.52
29.	सी अंफरी गण.	0.32	60.	जार्जिया	0.14
30.	चाड	4.57	61.	जर्मन फेडरल गण.	336.92
31.	चैनल आइसलैंड	1.16	62.	घाना	21.23
32.	चिली	32.97	63.	ग्रीस	5.48
33.	चाइनिस तेईपई	25.78	64.	गोडोलोप	0.01

1	2	3	1	2	3
65.	ग्वाटेमाला	0.58	95.	लिथुआनिया	2.65
66.	ग्यूनिया	1.28	96.	मकाओ	0.24
67.	ग्यूनिया बिसू	0.13	97.	मेसिओ रेनिया	0.14
68.	गुआना	0.20	98.	मालदीगण.	0.08
69.	हैट्टी	1.53	99.	मालविया	2.59
70.	होन्डरास	0.24	100.	मलयेशिया	30.85
71.	हांगकांग	188.91	101.	मालदीव	2.95
72.	हंगरी	4.51	102.	माली	2.15
73.	आइसलैंड	1.17	103.	माल्टा	7.88
74.	इंडोनेशिया	19.42	104.	मारटनीक्यू	0.77
75.	ईरान	61.58	105.	मारीटानिया	0.0034
76.	ईराक	1.01	106.	मारीशस	6.57
77.	आयरलैंड	7.48	107.	म्यामार	2.16
78.	इजरायल	10.44	108.	मैक्सिको	40.68
79.	इटली	68.60	109.	मोल्डविया	0.10
80.	आइवरी कोस्ट	0.53	110.	मोन्टसेराट	0.04
81.	जमाईका	0.18	111.	मोरक्को	0.53
82.	जापान	47.78	112.	मोजाम्बिक	0.61
83.	जोर्डन	15.54	113.	नामीबिया	0.05
84.	कजाकिस्तान	3.58	114.	नैरु गण.	0.11
85.	केन्या	59.63	115.	नेपाल	62.31
86.	कोरिया डीपी गण.	2.42	116.	नीदरलैंड	142.56
87.	कोरिया गण.	53.84	117.	नीदरलैंडेन्टिल	0.21
88.	कुवैत	0.50	118.	न्यू केलोडोनिया	0.0026
89.	लिया पीडी गण.	0.63	119.	न्यूजीलैंड	3.58
90.	लात्विया	0.56	120.	निकारागुआ	0.48
91.	लेबनान	0.14	121.	नाइजर	0.25
92.	लेसोथो	0.06	122.	नाइजीरिया	118.41
93.	लाइबेरिया	0.54	123.	नार्वे	0.22
94.	लीबिया	0.07	124.	ओमान	8.08

1	2	3	1	2	3
125.	पाकिस्तान	0.91	154.	स्वाजलैंड	1.94
126.	पनामा गण.	1.45	155.	स्वीडन	9.14
127.	पनामा सी जैड	0.22	156.	स्वीटजरलैंड	58.78
128.	पपुआ एन जीएनए	1.65	157.	सीरिया	1.61
129.	परागुए	2.61	158.	कजाकिस्तान	1.17
130.	पेरु	4.14	159.	तंजानिया गण.	20.92
131.	फिलीपिन्स	14.44	160.	थाइलैंड	46.71
132.	पौलेंड	13.33	161.	टोगो	0.28
133.	पुर्तगाल	2.65	162.	टोंगा	1.16
134.	प्यूरटो रिको	0.16	163.	ट्रिनीडाड	1.18
135.	कतार	0.42	164.	ट्यूनिशिया	0.05
136.	रियूनियन	0.0024	165.	टुर्की	8.62
137.	रोमानिया	2.91	166.	तुर्कमेनिस्तान	0.05
138.	रूस	297.80	167.	टूवालू	0.0005
139.	रवांडा	0.23	168.	ऊगांडा	23.73
140.	सऊदी अरब	38.69	169.	संयुक्त अरब अमीरात	50.33
141.	सेनेगल	0.23	170.	यू. के.	112.61
142.	युगोस्लाविया एफ गण.	0.13	171.	उक्रेन	25.50
143.	सेचिलीस	0.18	172.	यू. एस. ए.	418.63
144.	सीरिया लियोन	2.09	173.	उरुग्वे	7.51
145.	सिंगापुर	77.91	174.	उजबेकिस्तान	6.89
146.	स्लोवानिया	0.12	175.	वनोटू	0.12
147.	सोलामन आइलैंड	0.56	176.	वेनजुएला	1.70
148.	सोमालिया	0.16	177.	वियतनाम सोस. गण.	87.27
149.	साउथ अफ्रीका	23.48	178.	वेस्ट समोआ	0.05
150.	स्पेन	74.04	179.	यमन गण.	11.16
151.	श्रीलंका	82.57	180.	जेयरे गण.	32.31
152.	सूडान	8.24	181.	जाम्बिया	6.12
153.	सूरीनाम	0.01	182.	जिम्बावे	7.94

रबड़ की खेती

4238. श्री बादल चौधरी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य राज्यों ने झूम खेती के कारण विस्थापित जनजातियों को रबड़ की खेती के माध्यम से पुनर्वासित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार को रबड़ की खेती हेतु भूमि उपलब्ध कराने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अब तक रबड़ को "वन्य वस्तु" की श्रेणी में नहीं रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या रबड़ को "वन्य वस्तु" की श्रेणी में रखे जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। त्रिपुरा सरकार ने झूम कृषि पर आश्रित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए एक त्रिपुरा पुनर्वास बागान निगम स्थापित किया है। इस निगम ने वर्ष 1995-96 के दौरान लगभग 2246 परिवारों का पुनर्वास किया है। मेघालग और असम की सरकारों ने भी ऐसे आदिवासियों के पुनर्वास के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत रबड़ को एक वन-प्रजाति नहीं माना गया है।

विश्व बैंक

4239. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार देश के अनेक राज्य विश्व बैंक के चूककर्ता हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम और चूक की राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोको का उत्पादन

4240. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में राज्यवार कोको का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में कोको के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई व्यापक योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) कोकोआ का राज्यवार कुल उत्पादन इस प्रकार है :

क्रम सं.	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
1.	केरल	5323	5262	4291
2.	कर्नाटक	1464	1397	1422
3.	तमिलनाडु	34	42	—
	कुल :	6821	6701	5713

(ख) और (ग) देश में कोकोआ के उत्पादन और उत्पादिता को बढ़ाने के लिए 8वीं योजना अवधि के दौरान 3.00 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में काकोआ के विकास के लिए एक व्यापक केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 8वीं योजना के दौरान 1.22 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं :

(1) वैज्ञानिक खाद डालने तथा पौध संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन प्लाट की स्थापना तथा रख-रखाव;

(2) सिंचाई एकक स्थापित करने के लिए सहायता देना;

(3) किसानों के खेतों में अधिक उपज देने वाले क्लोन के प्रदर्शन प्लाट स्थापित करना;

(4) कोकोआ ग्राफ्ट का उत्पादन और वितरण;

(5) अनुत्पादक कोकोआ बागानों को पुनर्जीवित करना; तथा

(6) कोकोआ बीन के विपणन और संसाधन को आयोजित करने के लिए कोकोआ उत्पादकों को वित्तीय सहायता देना।

आई०टी०पी०ओ० के अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी

4241. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन प्रगति मैदान, नई दिल्ली को अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के रोस्टर के रखरखाव और उनकी

वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिस्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) रोस्टर रखे जाने के संबंध में प्रक्रिया का उल्लघंन करने, अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति तथा अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की पदोन्नति में अनियमितताएं बरतने और इटपो में अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की समस्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त सलाहकार की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ग) सरकार ने इटपो से कहा है कि वह शिकायतों में लगाए गए आरोपों की जांच करें। इटपो ने निम्नानुसार उत्तर दिया है :

(1) यह आरोप सही नहीं है कि आरक्षण रोस्टर नहीं रखा जाता।

(2) इटपों में नियुक्तियां निर्धारित भर्ती नियमों के उपबंधों के अधीन अ.जा. और अ.ज.जा. श्रेणियों के लिए सरकार की भर्ती नीति और उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता को यथोचित ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।

(3) अ. जाति/अ. जनजाति कर्मचारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता, लागू भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित की गयी है।

(4) इटपो में अ. जाति/अ. जनजाति कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त सलाहकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है जिन पर जब कभी अवसर आता है, विचार किया जाता है।

निर्यातकों तथा आयातकों की समस्याएं

4242. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा वृद्धि में परिवहन, पत्तन, विद्युत तथा दूरसंचार में खामियां मूल अड़चनें हैं;

(ख) क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार पुराने उपकरण, घटिया व्यवस्था तथा कम श्रम उत्पादकता वे अन्य समस्याएं हैं जो देश के निर्यातकों/आयातकों द्वारा झेली जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) स्थिति के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) विश्व बैंक ने अपने देशीय आर्थिक ज्ञापन 1996 में उल्लेख किया है कि परिवहन, पत्तन, विद्युत और दूरसंचार क्षेत्र की कमियां भारत के विकास और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए प्रमुख बाधाएं हैं।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने यह टिप्पणी नहीं की है कि अप्रचलित उपस्कर, खराब प्रबंधन, निम्न स्तरीय श्रम उत्पादकता ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना देश के निर्यातकों-आयातकों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) तथापि, भारत सरकार ने स्वयं अपनी ओर से परिवहन, पत्तन, विद्युत और दूरसंचार क्षेत्रों की कारगरता को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन क्षेत्रों को प्रदान किए गए अनेक राजकोषीय प्रोत्साहन, करावकाश, आधारभूत क्षेत्रों को समर्पित निधियों को आय पर आयकर से छूट, नयी आधारभूत विकास वित्त कंपनी का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए संसाधन, इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रवेश, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्ताव आदि जैसे कुछ कदम शामिल हैं जो इस दिशा में सरकार ने उठाए हैं।

बैंकों का विलय

4243. श्री बी० एल० शंकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वस्तरीय बैंकों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न छोटे-छोटे बैंकों का विलय करके कोई बड़ा बैंक स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं की नियुक्ति

4244. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितने विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं की नियुक्ति की गयी है; और

(ख) वर्ष 1997 तथा 1998 के दौरान प्रत्येक उपक्रम में इनकी नियुक्ति हेतु क्या योजना बनायी गयी है तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकारी क्षेत्र के 194 उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1994 से वर्ष 1996 तक के तीन वर्षों के दौरान उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 257 विकलांग व्यक्तियों तथा 6,393 महिलाओं की भर्ती की गयी थी।

(ख) जहां तक विकलांग व्यक्तियों का संबंध है, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का सृजन करने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने हेतु उन्हें शक्ति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून से अधिनियमन से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान सिर्फ समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों के लिए किया गया था, उसे अब बढ़ाकर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह "क" एवं "ख" के कुछ निर्धारित पदों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि विकलांगों अथवा विकलांगों की पृथक-पृथक श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों के मामले में भिन्न-भिन्न श्रेणी के विकलांगों को कम-से-कम 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिसमें से (i) नेत्रहीनों अथवा अल्पदृष्टि वालों (ii) चालन निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्तियों, और (iii) श्रवण क्षति वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण हो।

जहां तक महिलाओं का संबंध है, उन्हें रोजगार के मामले में कोई विशेष आरक्षण नहीं दिया गया है, और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती की स्थिति में उनके मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

लंबित जनहित याचिकाएं

4245. श्री विजय गोयल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अब तक दायर जनहित याचिकाओं की न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस समय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में कितनी जनहित याचिकाएं लंबित हैं; और

(ग) इनमें से कितनी याचिकाएं अलग-अलग सरकारी घोटाले और गैर-सरकारी घोटालों से संबंधित हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग में राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा•पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया गया निवेश

4246. श्री हाराधन राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। वर्तमान सूचना प्रणाली के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक उधारकर्ता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर संबंधित तिमाहियों के अंत की स्थिति के अनुसार, मंजूर किए गए और बकाया 5 करोड़ रुपये और अधिक के अग्रिमों की संचयी राशि के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराएं। जून 1993, जून 1994 और जून 1995 को समाप्त तिमाही के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र को मंजूर किए गए और उनके पास बकाया अग्रिमों की स्थिति निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	औद्योगिक क्षेत्र	
	मंजूर की गयी सीमाएं	बकाया राशि
जून, 1993	41557.3	29060.2
जून, 1994	53078.6	28973.5
जून, 1995	52247.3	37473.2

टेक्सटाइल कोटा नीतियां

4247. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू परिधान और वस्त्र कोटा नीतियों की समीक्षा करने के लिए कोई कृतिक बल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृतक बल से 1997 से लागू की जाने वाली नयी कोटा नीति में परिवर्तन सुझाने का भी आग्रह किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को बुलाई गई बैठक में उनके विचारों का पता लगाने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में कितने निर्यातकों ने भाग लिया और उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए; और

(ङ) सरकार ने उनके सुझाव किस हद तक स्वीकार कर लिए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ङ) सरकार ने जून 1996 में एक कार्य दल का गठन वर्ष 1997-1999 की अवधि के लिए नई दीर्घकालीन वस्त्र निर्यात हकदार नीति पर अपनी सिफारिशें देने तथा वर्तमान परिधान निर्यात हकदार नीति में यदि आवश्यकता हो, तो परिवर्तन करने के लिए किया था। कार्य दल ने अपेरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल निर्यातक संघों, व्यक्तिगत निर्यातकों सहित विभिन्न वस्त्र निर्यात सवर्द्धन परिषदों से सुझाव प्राप्त किए हैं तथा मुंबई, मद्रास और नई दिल्ली में निर्यातकों/हित समूहों के साथ खुले वातावरण में आयोजित बैठकों में भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। कार्य दल ने 31 जुलाई, 1996 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। कार्य दल की सिफारिशों की विस्तृत समीक्षा करने के पश्चात्, सरकार ने क्रमशः दिनांक 14.10.96 तथा 16.10.96 को तीन वर्षों की अवधि (1997-99) के लिए वैध वस्त्र निर्यात हकदारी नीति तथा परिधान निर्यात हकदारी नीति की घोषणा की हैं।

टोयटा द्वारा कार निर्माण उद्योग की स्थापना

4248. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की टोयटा मोटर कारपोरेशन द्वारा आंध्र प्रदेश में कार निर्माण उद्योग लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) यात्री कार उद्योग लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और कार निर्माण एकक की स्थापना के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार को जापान की टोयटा मोटर कार्पोरेशन से आंध्र प्रदेश में एक कार एकक की स्थापना करने संबंधी कोई भी विदेशी सहयोग का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

4249. श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा, ऋण आबंटन इत्यादि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा कृषि, औद्योगिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितना ऋण निर्धारित किया गया तथा कितना ऋण स्वीकृत किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, बिहार में पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियां और सकल बैंक ऋण संलग्न विवरण-I में दिए गये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बिहार में वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि एवं लघु उद्योग तथा अन्यों के लिए स्वीकृत ऋणों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गयी हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाइ) तथा शहरी व्यष्टि उद्यम योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य, स्वीकृत ऋण तथा संवितरण क्रमशः विवरण-III और IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

मार्च 1994, 1995 और 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण

(राशि हजार रुपये में)

बैंक समूह का नाम	मार्च 1994		मार्च 1995		मार्च 1996	
	जमाराशि	ऋण	जमाराशि	ऋण	जमाराशि	ऋण
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	43556402	16601627	51819029	18485531	60908558	21432493
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	328141	122740	379814	130942	437032	132235
स्टेट बैंक आफ पटियाला	70984	20116	78445	20549	126528	18640
स्टेट बैंक आफ बड़ौदा	3257057	1025958	3814317	1048479	4292722	1054554
इलाहाबाद बैंक	7709146	2567995	8658637	2467694	10099064	1658848
बैंक आफ इंडिया	11962960	4313921	16348320	4909505	19233124	6545044
बैंक आफ महाराष्ट्र	27032	6182	44572	7745	49206	13669
केनरा बैंक	6542451	3000375	7657880	1599763	9022697	2343571

1	2	3	4	5	6	7
देना बैंक	376401	145938	396568	138840	467295	168055
इंडियन बैंक	1054972	296553	1163725	436945	1334126	360819
इंडियन ओवरसीज बैंक	1327989	258855	1570244	275634	2026222	519560
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	11916199	3070053	3934742	4725704	16272976	5221375
यूनियन बैंक	3152531	971007	3955902	1182904	4315778	1274019
पंजाब नेशनल बैंक	12530632	4000901	3041974	4921109	18621350	5327754
युनाइटेड बैंक	3691096	1195021	4318082	1118014	4741217	1104118
यूको बैंक	4900324	1812063	5999694	1700374	7048178	1017547
सिंडिकेट बैंक	883942	167533	1108537	205973	1273491	221831
आन्ध्रा बैंक	172864	28993	203830	31380	216205	30545
कारपोरेशन बैंक	822594	26666	676370	46427	664825	63088
ओरियटल बैंक आफ कामर्स	254444	42355	218162	44913	419799	77461
पंजाब एंड सिंध बैंक	519232	216879	587991	251334	629099	300339
विजया बैंक	679373	105520	779120	175918	782570	183661

विवरण-II

1993-94 की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंक-वार लक्ष्यों और उपलब्धियों की 31 मार्च, 1994 की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम		कृषि	लघु उद्योग (एस.एस.आई.)	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र (ओ.पी.एस.)	कुल
1	2		3	4	5	6
1.	बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	4994.75	2973.68	2671.05	10639.48
		उप०	2047.85	2047.85	1200.19	3770.03
		%	41	18	45	35
2.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	4089.43	2688.46	1816.10	8593.99
		उप०	1194.27	393.31	540.13	2127.71
		%	29	15	30	25
3.	पंजाब नेशनल बैंक	लक्ष्य	6012.90	4212.03	3260.82	13485.75
		उप०	1465.57	774.03	820.02	3059.62
		%	24	18	25	23

1	2		3	4	5	6
4.	भारतीय स्टेट बैंक	लक्ष्य	13774.19	10201.46	5370.19	29345.84
		उप०	4567.00	3313.00	1797.00	9671.00
		%	33	32	23	33
5.	यूको बैंक	लक्ष्य	1729.74	1151.91	1018.90	3900.55
		उप०	631.26	170.00	35.52	1155.82
		%	36	15	35	30
6.	इलाहाबाद बैंक	लक्ष्य	2192.55	1623.94	1102.13	4918.62
		उप०	789.00	312.00	448.00	1549.00
		%	36	19	41	31
7.	बैंक आफ बड़ौदा	लक्ष्य	1151.90	714.99	897.20	2764.09
		उप०	277.00	220.00	365.00	862.00
		%	24	31	41	31
8.	केनरा बैंक	लक्ष्य	1467.74	1037.04	1156.68	3661.46
		उप०	502.63	199.06	348.62	1050.31
		%	34	19	30	29
9.	इंडियन बैंक	लक्ष्य	243.29	146.57	150.52	540.38
		उप०	70.16	13.96	30.02	114.14
		%	29	10	20	21
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	लक्ष्य	79.94	222.03	136.99	438.96
		उप०	28.75	31.57	18.37	78.69
		%	36	14	13	18
11.	सिंडिकेट बैंक	लक्ष्य	88.89	121.48	110.56	320.93
		उप०	16.65	15.42	15.66	47.73
		%	19	13	14	15
12.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	864.53	702.86	468.71	2036.10
		उप०	248.10	110.25	119.90	478.25
		%	29	16	26	23
13.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	770.65	790.10	816.99	2377.74
		उप०	314.78	291.57	274.40	880.75
		%	41	37	34	37
14.	विजया बैंक	लक्ष्य	16.11	89.74	99.21	205.56
		उप०	4.05	22.31	94.16	121.02
		%	25	25	95	59

उप० : उपलब्धियां

वार्षिक ऋण योजना 1994-95 (31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार)

(राशि लाख में)

क्रम सं.	बैंक का नाम		कृषि	लघु उद्योग (एस.एस.आई.)	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र (ओ.पी.एस.)	कुल
1	2		3	4	5	6
1.	बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	3419	1723	2245	7387
		उप०	1117	897	1691	3705
						% 50.15
2.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	4495	1804	1644	7943
		उप०	1220	1163	839	3222
						% 40.56
3.	पंजाब नेशनल बैंक	लक्ष्य	4076	2021	2137	8234
		उप०	1385	1088	1103	3576
						% 43.42
4.	भारतीय स्टेट बैंक	लक्ष्य	10691	4314	3635	18670
		उप०	8136	2327	3600	14063
						% 75.32
5.	यूको बैंक	लक्ष्य	3761	792	723	5276
		उप०	405	80	247	732
						% –
6.	इलाहाबाद बैंक	लक्ष्य	1075	310	417	1802
		उप०	601	410	278	1289
						% 71.53
7.	बैंक आफ बड़ौदा	लक्ष्य	726	159	509	1394
		उप०	401	63	244	708
						% 50.75
8.	बैंक आफ महाराष्ट्र	लक्ष्य	–	16	24	40
		उप०	–	–	–	N.A.
						% –
9.	केनरा बैंक	लक्ष्य	828	495	955	2278
		उप०	913	453	543	1909
						% 8380
10.	देना बैंक	लक्ष्य	9	25	27	51
		उप०	–	–	–	N.A.
						% –

1	2		3	4	5	6
11.	इंडियन बैंक	लक्ष्य	146	73	87	306
		उप०	84	15	70	169
						% 54.90
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	लक्ष्य	89	115	166	371
		उप०	12	25	65	102
						% 27.49
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	लक्ष्य	2	60	28	90
		उप०	0	13	10	23
						% 25.55
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	लक्ष्य	18	61	69	148
		उप०	1	9	38	48
						% 32.43
15.	सिंडिकेट बैंक	लक्ष्य	62	45	142	250
		उप०	21	12	53	86
						% 34.87
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	482	3	544	1379
		उप०	456	516	656	1628
						% 118.05
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	87	57	119	263
		उप०	48	18	68	131
						% 49.80
18.	विजया बैंक	लक्ष्य	26	21	44	92
		उप०	6	41	57	104
						% 113.04
19.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	लक्ष्य	3	2	49	79
		उप०	1	33	28	62
						% 78.48

उप० : उपलधियां

वार्षिक ऋण योजना 1995-96, (31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार) (राशि लाख में)

क्र.सं.	बैंक का नाम		कृषि	लघु उद्योग (एस.एस.आई.)	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र (ओ.पी.एस.)	कुल	प्रतिशत में उपलब्धियां
1	2		3	4	5	6	7
1.	बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	3212	1658	2959	7829	
		उप०	1782	895	3275	5952	76.02
2.	केनरा बैंक	लक्ष्य	2212	996	2022	5230	
		उप०	1982	506	2746	5234	100.08

1	2		3	4	5	6	7
3.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	4182	2476	2240	8898	
		उप०	1617	1445	1518	4580	51.47
4.	पंजाब नेशनल बैंक	लक्ष्य	4506	2648	2909	10063	
		उप०	2756	1645	2658	7059	70.15
5.	भारतीय स्टेट बैंक	लक्ष्य	10538	4500	5545	20583	
		उप०	8273	4743	5078	18094	87.91
6.	यूको बैंक	लक्ष्य	1997	1002	1210	4439	
		उप०	545	380	605	1530	34.47
7.	इलाहाबाद बैंक	लक्ष्य	1163	545	542	2250	
		उप०	598	597	557	1752	77.87
8.	आन्ध्रा बैंक	लक्ष्य	2	9	25	36	
		उप०	—	3	6	9	25.00
9.	बैंक आफ बड़ौदा	लक्ष्य	839	155	526	1520	
		उप०	620	103	278	1001	65.85
10.	बैंक आफ महाराष्ट्र	लक्ष्य	—	18	5	23	
		उप०	—	16	7	23	100.00
11.	कारपोरेशन बैंक	लक्ष्य	42	86	53	181	
		उप०	—	25	95	120	66.30
12.	देना बैंक	लक्ष्य	15	25	49	89	
		उप०	—	—	—	—	—
13.	इंडियन बैंक	लक्ष्य	121	42	51	214	
		उप०	108	26	121	255	119.16
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	लक्ष्य	109	194	308	611	
		उप०	56	103	129	288	47.13
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	लक्ष्य	47	132	55	234	
		उप०	2	153	33	188	80.34
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	लक्ष्य	14	72	93	179	
		उप०	2	11	16	29	16.20
17.	सिंडिकेट बैंक	लक्ष्य	100	53	156	309	
		उप०	99	16	123	178	57.60
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	654	1431	937	3022	
		उप०	802	825	806	2433	80.51
19.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	लक्ष्य	420	222	478	1120	
		उप०	116	30	46	192	17.14

1	2		3	4	5	6	7
20.	विजया बैंक	लक्ष्य	76	370	436	882	
		उप०	97	375	338	810	91.83
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर	लक्ष्य	3	17	3	57	
	एण्ड जयपुर	उप०	1	22	33	56	98.25

उप० : उपलब्धियां।

विवरण-III

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम वर्ष 1993-94

बिहार राज्य में 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के कार्य-निष्पादन को दर्शाने वाली रिपोर्ट

(रुपये लाख में)

सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक						
बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	1273	1063	758	4.00	656	399.02
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	16	39	12	11.65	11	9.00
इलाहाबाद बैंक	216	379	177	148.41	108	73.85
बैंक आफ बड़ौदा	84	127	33	26.55	33	25.05
बैंक आफ इंडिया	323	478	282	262.75	106	65.00
केनरा बैंक	55	148	46	30.87	46	30.76
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	403	611	288	229.22	208	146.12
कारपोरेशन बैंक	10	15	4	2.05	4	2.05
इंडियन बैंक	31	47	11	8.20	—	—
इंडियन ओवरसीज बैंक	—	13	8	5.72	5	3.58
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4	8	—	—	—	—
पंजाब नेशनल बैंक	291	519	212	185.10	143	106.68
पंजाब एंड सिंध बैंक	3	3	3	3.01	5	3.75
सिंडिकेट बैंक	34	38	11	5.90	8	5.01
यूनियन बैंक आफ इंडिया	77	142	59	51.56	50	38.27
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	123	194	51	41.70	14	9.00
यूको बैंक	—	183	31	27.60	—	—
विजया बैंक	18	33	14	5.84	12	5.56
जोड़ :	2961	4040	2000	1050.13	1409	922.75

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम वर्ष 1994-95

बिहार राज्य में 31 मार्च, 1994 को समाप्त तिमाही के कार्य-निष्पादन को दर्शाने वाली रिपोर्ट

(रुपये लाख में)

सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक						
बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	6746	8230	4114	3023.00	781	415.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	59	86	25	19.49	24	15.59
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3	4	2	0.91	1	0.21
इलाहाबाद बैंक	1608	2267	683	512.44	648	445.01
आन्ध्रा बैंक	18	28	8	7.25	8	6.50
बैंक आफ बड़ौदा	691	641	245	177.67	193	130.79
बैंक आफ इंडिया	2683	3091	1576	1399.00	572	303.00
केनरा बैंक	732	1154	640	392.00	161	103.00
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2724	3967	1379	1037.76	1240	882.12
कारपोरेशन बैंक	22	40	15	10.50	14	8.76
देना बैंक	10	112	32	24.85	11	10.65
इंडियन बैंक	156	189	53	34.16	47	28.22
इंडियन ओवरसीज बैंक	106	177	47	35.39	17	9.98
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	13	17	4	2.32	2	1.14
पंजाब नेशनल बैंक	3505	4701	1521	1103.19	1163	824.78
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	73	89	35	25.17	11	5.63
सिंडिकेट बैंक	169	235	68	37.37	55	31.99
यूनियन बैंक आफ इंडिया	578	1010	440	334.81	371	252.42
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	425	893	300	115.43	18	15.09
यूको बैंक	1346	1540	134	85.12	29	15.65
विजया बैंक	71	120	43	29.97	38	25.79
जोड़	21738	28591	11364	8407.80	5404	3531.32

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना कार्यक्रम वर्ष 1995-96

बिहार राज्य में 31 मार्च, 1996 को समाप्त तिमाही के कार्य-निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक

बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	6746	13114	5749	4163.00	5169	3312.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	63	84	28	21.00	18	10.85
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3	3	3	2.30	3	2.30
इलाहाबाद बैंक	1608	2416	934	720.98	483	353.05
आन्ध्रा बैंक	29	45	23	21.30	18	16.30
बैंक आफ बड़ौदा	691	1261	706	484.56	466	302.47
बैंक आफ इंडिया	2723	1812	625	425.00	116	45.36
केनरा बैंक	805	1370	887	573.17	699	449.21
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2724	4763	1909	1443.50	1350	896.37
कारपोरेशन बैंक	28	60	24	15.87	14	8.65
देना बैंक	28	109	31	25.58	20	13.67
इंडियन बैंक	156	267	61	43.64	48	31.27
इंडियन ओवरसीज बैंक	106	231	112	64.34	84	40.27
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	28	29	10	7.71	6	4.69
पंजाब नेशनल बैंक	3454	6328	2561	2032.18	1820	1338.33
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	35	91	20	13.40	6	2.76
सिंडिकेट बैंक	169	363	118	87.55	93	64.50
यूनियन बैंक आफ इंडिया	587	978	617	471.47	388	268.50
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	650	1568	202	173.55	175	120.69
यूको बैंक	1346	1875	555	482.97	232	209.46
विजया बैंक	69	187	67	50.39	56	41.31
कुल :	22048	36954	15242	11287.46	11264	7532.01

विवरण-IV

शहरी व्यष्टि उद्यम योजना

(राशि लाख रु. में)

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन

बैंक का नाम	1993-94				1994-95				1995-96			
	स्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण		स्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण		स्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
भारतीय स्टेट बैंक	1365	84.00	1191	65.00	1632	87.93	1368	71.66	495	52.15	458	40.98
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	11	1.04	14	0.14	1	0.10	1	0.12	4	0.23	3	0.49
इलाहाबाद बैंक	268	20.10	96	7.23	258	21.03	223	16.09	56	2.30	56	2.30
बैंक आफ बड़ौदा	80	3.92	62	3.24	131	7.14	125	6.75	81	7.79	75	7.40
बैंक आफ इंडिया	177	9.97	—	9.97	135	8.75	92	5.55	313	15.16	255	11.58
केनरा बैंक	187	9.72	168	7.04	409	21.27	297	12.58	56	4.70	48	3.90
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	648	49.66	577	37.46	259	15.98	246	15.01	254	20.58	115	9.57
देना बैंक	4	0.16	4	0.16	12	0.48	12	0.48	11	1.00	11	1.00
इंडियन बैंक	70	5.41	70	3.65	63	6.10	63	6.10	24	2.15	19	1.49
इंडियन ओवरसीज बैंक	9	0.93	9	0.92	16	1.47	16	1.40	62	1.54	43	1.44
पंजाब नेशनल बैंक	533	50.75	367	33.75	379	37.33	289	33.92	238	23.12	222	20.41
सिंडिकेट बैंक	15	1.00	15	1.00	18	1.68	18	1.68	5	0.38	5	0.38
यूनियन बैंक आफ इंडिया	90	5.66	13	0.92	110	11.09	74	6.68	111	9.97	106	8.55
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	187	6.87	50	4.84	171	18.94	168	17.64	181	13.94	181	13.81
यूको बैंक	178	9.56	158	8.37	209	15.00	209	15.00	110	0.06	110	0.06
विजया बैंक	31	3.16	31	2.61	—	—	—	—	12	1.85	12	1.85

राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। (लक्ष्य 8900) (लक्ष्य 9283)

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद् को केन्द्रीय सहायता

4250. श्री बाजू बन रियान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद् को कुल कितनी धनराशि केन्द्रीय (विशेष) सहायता के रूप में आबंटित की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1996-97 के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता से संबंधित त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद् से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) वार्षिक योजना 1994-95 1995-96 और 1996-97 के दौरान त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद् (टी. टी. ए. ए. डी. सी.) को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। इस मंत्रालय द्वारा राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए एकमुश्त ऋणों और एकमुश्त अनुदानों के रूप में सामान्य केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा विभिन्न सैक्टरों/स्कीमों क्षेत्रों के लिए अलग से कोई केन्द्रीय सहायता आबंटित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राज्य योजना परिव्यय में से विभिन्न सैक्टरों/स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए निधियां आबंटित की हैं।

तीन वर्षों के लिए त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद् को विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत योजना परिव्यय के आबंटन को नीचे दिया जा रहा है।

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये में)
1994-95	19.80
1995-96	21.34
1996-97	21.34

(ख) त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टी.टी.ए.ए.डी.सी.) के संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चावल तथा गेहूं का निर्यात

4251. श्री अनंत कुमार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान कितने चावल तथा गेहूं का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) गत तीन महीनों के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के इन दोनों खाद्यों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1996 की अवधि के दौरान निर्यात किए गए चावल और गेहूं की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

मात्रा : लाख एम.टी. में
मूल्य : करोड़ रु. में

मद	मात्रा	मूल्य
चावल (बासमती)	3.42	794.11
चावल (गैर-बासमती)	16.17	1563.73
गेहूं	10.92	679.00

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता)

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान चावल का आयात नहीं किया गया। दिनांक 25.2.1997 तक करीब-करीब औसतन 6227/- प्रति मी. टन की सी. एण्ड एफ. लागत पर 4.61 लाख मी. टन गेहूं का आयात किया गया।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना

4252. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने महिलाओं के लिए किसी विशेष योजना की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना साधारण महिलाओं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार लाभदायक है; और

(घ) उपर्युक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि उसने केवल महिलाओं के लिए एक नई योजना 'जीवन स्नेह', शुरू की है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(i) आवधिक अंतरकों पर उत्तरजीविता लाभ हेतु प्रावधान, पहले अदा किए गए उत्तरजीविता लाभ (लाभों) को ध्यान में रखे बिना मृत्यु पर पूरी बीमित राशि के देय का प्रावधान।

(ii) बीमित राशि पर 70 रुपये प्रति हजार की दर से अतिरिक्त गारंटी जो मृत्यु अथवा परिपक्वता पर देय होगी।

(iii) पालिसी के 5 वर्ष के लिए लागू होने पर अतिरिक्त निष्ठा के लिए प्रावधान।

(iv) यदि दो वर्षों के लिए प्रीमियम अदा कर दिया गया है, प्रथम तीन वर्षों में अदायगी न करने पर पालिसी का समपहरण न करना।

(v) तीन किस्तों में प्रीमियम की अग्रिम अदायगी के लिए विकल्प देना जिस पर रियायत की अनुमति दी गई है।

(vi) गर्भावस्था तथा बच्चों के जन्म संबंधी जोखिमों को शामिल करना।

(vii) दुर्घटना लाभों को सम्मिलित करना।

(viii) परिपक्वता पर पेंशन (वार्षिक) के लिए विकल्प का प्रावधान करना।

(ix) उत्तरजीविता लाभों के दावों में लचीलापन। यदि दावा नहीं किया गया हो अथवा देय तारीख को लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया है तो बढ़ा हुआ उत्तरजीविता लाभ देय होगा।

यह योजना सामान्य मृत्यु कवर के अतिरिक्त बच्चे के जन्म और गर्भावस्था के कारण मृत्यु के मामले में बीमा कवच प्रदान करके महिलाओं को लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा, योजना के अन्तर्गत विशेष अंतरकों पर उत्तरजीविता लाभ का तात्पर्य शिक्षा, विवाह, बीमारी आदि जैसी जरूरतों के समय पर सहायता प्रदान करना है। इस योजना में यदि देय तारीख (तारीखों) को दावा नहीं किया गया है, उत्तरजीविता लाभ की राशि पर ब्याज की अदायगी का भी प्रावधान है।

जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित अन्य सभी बीमा योजनाओं की तरह इस योजना के तहत प्राप्त प्रीमियम आय का निवेश सांविधिक निर्धारित निवेश प्रणाली, जोकि बहुत अधिक समाजोन्मुख क्षेत्र के पक्ष में है, के सम्बन्ध में किया जाएगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों और समाचार-पत्रों, दूरदर्शन और अन्य प्रचार माध्यमों में विज्ञापन देकर इस योजना का विस्तृत रूप से प्रचार किया जा रहा है। जीवन बीमा निगम के अनुसार इन उपायों की योजना की विशेषताएं तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध रियायत तथा छूट के साथ संयुक्त होने से इस योजना के लोकप्रिय होने की आशा है।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

4253. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से मध्य प्रदेश की कुछ कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) उन राज्यों तथा वित्तीय संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान की है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनके द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश में किसी भी वस्त्र मिल को विदेशी सहायता से आधुनिकीकृत नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयला खान दुर्घटना

4254. श्री सुशील चन्द्र : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर की कोयला खान में कोई दुर्घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दुर्घटना के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस दुर्घटना में मारे गए/घायल हुए कोयला खान मजदूरों की संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दुर्घटना की जांच करने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 3.3.1997 को 1.15 (अपराह्न) को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राजौरी जिले में जे. एण्ड के. मिनरल्स लि. की न्यू मोघला कोयला खान में अग्नि डैम्प में ज्वलन होने के कारण दुर्घटना हुई थी।

दुर्घटना के परिणामस्वरूप 10 श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा 12 श्रमिक घायल हुए।

(स्रोत : जे. एण्ड के. मिनरल्स लि.)

(घ) जे. एण्ड के. मिनरल्स लि. तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी. जी. एम. एस.) द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं।

श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत अदा किए जाने वाले मुआवजे तथा कोयला खान भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत परिवार पेंशन का भुगतान किए जाने के अतिरिक्त जे. एण्ड के. मिनरल्स द्वारा प्रत्येक मृतक श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी को 25,000/- रु. तथा घायल श्रमिक को 5000/- रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक के कानूनी रूप में उत्तराधिकारियों में से किसी एक को रोजगार दिए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।

जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्येक मृतक श्रमिक के कानूनी रूप में उत्तराधिकारी को एक लाख रु. तथा प्रत्येक घायल श्रमिक के कानूनी रूप में उत्तराधिकारी को 5000/- रु. की अनुग्रह की राशि का भुगतान करने की घोषणा की है।

(स्रोत : जे. एण्ड के. मिनरल्स लि.)

निर्यात से अधिक आयात किए जाने के संबंध में निगरानी तथा नियंत्रण

4255. श्री येल्लैया नंदी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात किए जाने के संबंध में निगरानी तथा नियंत्रण रखने तथा निर्यात तथा आयात में संतुलन बनाए रखने हेतु लगातार सतर्क रहने हेतु कोई कार्यकारी मशीनरी गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही निगरानी का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात की तुलना में अधिक आयात किए जाने के सामान्य रूप से मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन आयातों के स्थान पर राष्ट्रीय संसाधनों से जुटाई गई वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, सरकार समग्र बृहत् आर्थिक प्रबन्धों के भाग के रूप में व्यापार निष्पादन पर नजर रखती है।

(ग) निर्यात अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार परिस्थितियों, घरेलू उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धा, सहायक अवस्थापना, नीति संरचना इत्यादि पर निर्भर करता है जबकि आयात, मांग के अनुसार किया जाता है जिसमें निर्यात क्षेत्र की मांग भी शामिल होती है।

(घ) समय-समय पर उठाए गए कदमों में अन्य कदमों के साथ-साथ शामिल हैं—निर्यात के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने तथा कुशल आयात प्रतिस्थापन के लिए नीतियों और क्रियाविधियों में परिवर्तन करना, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन देना, निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करना, व्यापार तथा उद्योग के साथ विचार-विमर्श करना, इत्यादि।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग का विकास

4256. श्री जयसिंह चौहान : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्त्र उद्योग में गुजरात की क्या स्थिति है;

(घ) राज्य में वस्त्र का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) राज्य में निर्मित वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने देश में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जोकि गुजरात सहित सभी राज्यों पर बराबर लागू होते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं नामतः मिल क्षेत्र, विद्युत करघा, हथकरघा आदि। उद्योग के प्रत्येक खंड की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं का निर्धारण करने संबंधी नीतिपरक हस्तक्षेप करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में निर्धारित व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं—लाइसेंस की व्यवस्था का उदारीकरण, वित्तीय पुनर्निर्माण, ओ जी एल के अन्तर्गत वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति तथा ऐसे आयात पर सीमा शुल्क की कटौती, अनुसंधान और विकास कार्यकलाप, प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना, कोटा प्रणाली का सरलीकरण, रुग्ण औद्योगिक एककों के कार्यचालन की जांच करने तथा मिलों के पुनरुद्धार के लिए यथोचित योजना बनाने तथा उसकी स्वीकृति देने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना, विद्युत करघा सेवा केन्द्रों को चलाकर केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा ही विनिर्माण किए जाने के लिए कुछ पदों का आरक्षण, कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा उनके मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाना, केवल स्थान संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन क्षमता के सृजन तथा विस्तार पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना, वस्त्र मंत्रालय के अधीन विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात के संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम का प्रचालन तथा निर्यातकों को त्वरित वहन योग्य तथा विश्वनीय परीक्षण करने के लिए अन्य सरकारी वस्त्र प्रयोगशालाएं तथा विदेशों में भारतीय माल की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए निर्यातकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

(ग) गुजरात राज्य की देश में महत्वपूर्ण स्थिति है जहां तक वस्त्र उद्योग का संबंध है, इसे वस्त्र उद्योग में समग्र कारोबार के रूप में तीसरे स्थान पर रखा जा सकता है।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात राज्य में स्पन यार्न और कपड़े के उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है—

मद	गुजरात में उत्पादन
स्पन यार्न (मि. कि. ग्रा.)	183.7
मिल कपड़ा (मि. वर्ग मी.)	451.6

गुजरात राज्य में निर्मित कुल कपड़े की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) निर्यात के संवर्धन के लिए कदम प्रत्येक राज्य के लिए अलग से नहीं उठाए जाते हैं। तथापि, वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठाती रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों में सहभागिता करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, प्रमुख बाजारों में मेलों तथा प्रदर्शिनियों में सहभागिता करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

पांचवां वेतन आयोग

4257. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए सचिवों की उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी के साथ उपर्युक्त रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु उनके विचार जानने के लिए 3 मार्च, 1997 को एक बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक के क्या परिणाम निकले;

(ङ) सरकार द्वारा सचिवों की समिति द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है;

(च) क्या सेवानिवृत्ति आयु संबंधी लाभ हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और इसमें किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सुव्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए गठित की गई समिति में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. सचिव, व्यय विभाग	अध्यक्ष
2. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	सदस्य
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
4. सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
5. सचिव, डाक विभाग	सदस्य
6. सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
7. सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
8. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
9. सदस्य (स्टाफ) रेलवे बोर्ड	सदस्य
10. उप-निदेशक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार	सदस्य
11. सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य

(ग) और (घ) जी, हां। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् ने आयोग की कुछ सिफारिशों के संबंध में संशोधनों का सुझाव दिया है।

(ङ) निर्णय यथासंभव शीघ्र लिये जाएंगे।

(च) और (छ) अन्य बातों के साथ-साथ आयोग ने केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा सशस्त्र सेना कार्मिकों और बढ़ाई गई सेवा अवधि पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर निर्णय अन्य सिफारिशों के ही साथ लिया जाएगा।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को सहायता

4258. श्री केशव महन्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असम में पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों को वित्तीय तथा निवेश संस्थाओं द्वारा कितनी धनराशि की सहायता स्वीकृत तथा जारी की गई;

(ख) प्रत्येक वर्ष इन ऋणों के लिए कितनी इकाइयों ने आवेदन किया है; और

(ग) आवेदनों पर विचार करने हेतु अपनाए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान असम में औद्योगिक एककों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं/ निवेश संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	मंजूरियां	संवितरण
1993-94	69.9	82.9
1994-95	127.3	78.1
1995-96	643.4 -	125.7

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आई डी बी आई ने सूचित किया है कि किसी राज्य क्षेत्र विशेष में किसी परियोजना का स्थान निर्धारित करने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार प्रवर्तकों को है और इसके विपरीत वे आधारभूत संरचना, कच्चे माल की आपूर्ति, कुशल मजदूरों की उपलब्धता, अपने उत्पादों के लिए उस स्थान से बाजार तक पहुंच की सुविधा और राज्य सरकार से प्रोत्साहन जैसे तथ्यों से निर्देशित होते हैं। वित्तीय संस्थाएं परियोजना की अवस्थिति का मूल्यांकन परियोजना की उपयुक्तता की दृष्टि से करती हैं।

इसके अतिरिक्त, आई डी बी आई ने सूचित किया है कि वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम और तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी परियोजनाओं को इन संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है चाहे उनकी अवस्थिति कहीं भी हो।

स्वास्थ्य बीमा योजना

4259. श्री विजय पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा योजना का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा की है :

"... साधारण बीमा निगम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी 'मेडिक्लेम' पालिसी सफल नहीं हो रही है और यह इस प्रकार के व्यापार में संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहन देना चाहेगा। साधारण बीमा निगम को भी विश्वास है कि वह स्वास्थ्य बीमा व्यापार में, प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर सकेगा इस संबंध में, मैं आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव रखता हूं ताकि साधारण बीमा निगम संयुक्त उद्यमों की शुरूआत कर सके तथा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में चुनिन्दा भारतीय कम्पनियों को भी प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जा सके।"

इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने से पूर्व साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की सम्बद्ध धाराओं में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता आवश्यक विधायी परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के पश्चात् ही पड़ेगी।

[हिन्दी]

भारतीय मुद्रा का विदेशों में मुद्रण

4260. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय मुद्रा का विदेशों में मुद्रण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न प्रेसों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) सरकार ने एकबारगी उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से 3600 मिलियन अदद नोटों—100 रुपये मूल्यवर्ग के, 2000 मिलियन अदद तथा 500 रुपये मूल्यवर्ग के 1600 मिलियन अदद—का आयात करने के लिए कहा है।

(ख) से (ग) इससे विभिन्न मुद्रणालयों में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एकबारगी उपाय के रूप में वर्तमान आयात का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इन मुद्रणालयों की छपाई क्षमता और भारतीय रिजर्व बैंक की नए नोटों की मांग के बीच बहुत ज्यादा अन्तर है।

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन

4261. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघीय न्यायपालिका से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन करने के अपने प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक पार्टियों से परामर्श करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुच्छेद में संशोधन करना उच्चतम न्यायालय जिसमें इसके न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार निहित हैं के हाल के निर्णय के संदर्भ में आवश्यक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कानून को लाने में सभी पार्टियों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कानून लाए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (घ) सरकार का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की विद्यमान पद्धति में परिवर्तन करने के लिए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्राचीन वस्तुओं की तस्करी

4262. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत से प्राचीन वस्तुओं की बड़े पैमाने पर की जा रही तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी अमूल्य प्राचीन वस्तुएं तस्करी करके विदेश ले जाई गई और उनका मूल्य क्या है; और

(घ) इस प्रकार की तस्करी को रोकने तथा तस्करी से विदेशों में ले जाई गई प्राचीन वस्तुओं की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 से 1996-97 (31.12.96 तक) के दौरान केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों और स्थलों से कुछेक प्राचीन वस्तुएं चोरी हुई हैं। जिन स्थानों से ये प्राचीन वस्तुएं चोरी हुई हैं उन स्थानों के नाम दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ मिलकर सीमा शुल्क निकासी के स्थलों पर निगरानी बढ़ाकर और जांच कार्य में तेजी लाकर तथा प्राचीन वस्तु एवं कलात्मक वस्तु संग्रह अधिनियम, 1972 को कड़ाई से लागू करके प्राचीन वस्तुओं की चोरी और उनकी तस्करी को रोकने के लिए उपाय किए हैं। केन्द्रीय रूप से सुरक्षित चुनिन्दा स्मारकों और मूर्ति कला शैडों पर सशस्त्र पुलिस गार्डों को तैनात किया गया है। तस्करी की हुई इन प्राचीन मूर्तिकलाओं को बरबाद करने के लिए की गई कार्यवाही के ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

विवरण

उन संग्रहालयों (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत)/मंदिरों/ऐतिहासिक स्थानों के नाम दर्शाने वाला विवरण जहां से प्राचीन वस्तुओं की चोरी की गई है

राज्य का नाम	मंदिर/स्मारकों तथा संग्रहालयों (भा. पु. स.) के अन्तर्गत और जिले का नाम	वस्तु का विवरण
1	2	3
बिहार	महादेव मंदिर राजगीर, जिला नालंदा	एक पत्थर की वस्तु (प्रस्तर पाद)।
कर्नाटक	किले के अन्दर सोलह खम्बा मस्जिद, बीडार	मुद्रित तांबे का कलश।
मध्य प्रदेश	1. विष्णु वाराह मंदिर, कारीतालाई, जिला—जबलपुर	तीन मूर्तियां।
	2. वीराटेश्वर मंदिर सोहागपुर, जिला—शाहडोल	अप्सरा की एक मूर्ति।
	3. वही	एक शिवलिंग।
	4. वही	खुला पाषाण कलश।
राजस्थान	1. कल्याण राय जी का मंदिर, जिला—टोंक	गणेश जी की पत्थर की प्रतिमा।
	2. दिओ सोमनाथ, जिला—डूंगरपूर में सोमनाथ मंदिर	दो पत्थर की मूर्तियां : (i) अप्सरा। (ii) कोष्ठक की एक आकृति।
	3. हसरत माता का मंदिर, अनानेरी जिला दौसा	काले पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा (एक देवता का पैर)।
तमिलनाडु	1. शिव मंदिर इरूम्बानाडु, जिला—पुडुकोट्टाई	दो शेर की मूर्तियां।
	2. धर्मेश्वर मंदिर, मणिमंगलम, जिला—चेंगलपट्टू, एम. जी. आर.	स्कंद।
	3. राजगिरी किला गिंगी, जिला—विल्लूपुरम-रामास्वामी-पड़याचियार	गणेश की पत्थर की मूर्ति।

1	2	3
	4. मदरापट्टी जिला, पुड्डुक्कोट्टाई में गांव के टैंक का बांध	तीन पत्थर की मूर्तियां।
	5. धर्मेश्वर मंदिर, मणिमंगलम जिला, चेंगलपट्टू	नटराज शिव कामी तथा गणेश।
उत्तर प्रदेश	1. वराह मंदिर, देवगढ़ जिला, ललितपुर	एक पत्थर की वराह मूर्ति।
	2. माडल रूम रेजीडेन्सी, लखनऊ	एक अश्मलेख।
	3. कलिंगेर किला कलिंगेर, जिला—बांदा	दो पत्थर की मूर्तियां (देवियों का अर्धभाग)।
उड़ीसा	उदयगिरी, जिला—कटक	बुद्ध का सिर।
आंध्र प्रदेश	पुरातात्विक संग्रहालय नागार्जुन, कोंडो	सात शिल्पकला पूर्ण पत्थर के अवशेष भाग।
गोवा	पुरातात्विक संग्रहालय, गोवा	एक चांदी का पुर्तगाली सिक्का।
मध्य प्रदेश	पुरातात्विक संग्रहालय, सांची	एक तांबे की घंटी जिसके ऊपर एक रिंग लगा हुआ है।
पश्चिमी बंगाल	हजरदुआरी पैलेस संग्रहालय, मुर्शिदाबाद	दो चांदी की प्लेटें।

भगवती समिति

4263. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित कम्पनियों के अधिग्रहण संबंधी विनियमों की पुनरीक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई पी. एन. भगवती, समिति ने कम्पनियों के 'नियंत्रण' को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट में दी गई अन्य मुख्य सिफारिशों और सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। न्यायमूर्ति भगवती समिति की सिफारिशों के आधार पर सेबी द्वारा 20 फरवरी, 1997 को अधिसूचित नए अधिग्रहण के विनियमों में नियंत्रण शब्द की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है :

" 'नियंत्रण' के अन्तर्गत निदेशकों के बहुमत की नियुक्ति का अधिकार या व्यष्टितः या सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोक्तव्य प्रबंध या नीति विनिश्चयों को नियंत्रित करना, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः होंगे, जिनमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंध अधिकारों या शेयरधारकों के करारों या मतदान करारों या किसी अन्य रीति में के फलस्वरूप हैं, सम्मिलित हैं।"

(ग) अधिग्रहण विनियमों की समीक्षा के लिए सेबी द्वारा गठित भगवती समिति की सिफारिशें अन्य बातों के साथ इनसे संबंधित हैं :

(i) अर्जनकर्त्ता, समूह में कार्य करने वाले व्यक्ति, कम्पनी पर नियंत्रण, प्रवर्तक आदि जैसे शब्दों की परिभाषा;

(ii) विशिष्ट परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत ये विनियम लागू नहीं होंगे;

(iii) विद्यमान शेयरधारकों द्वारा धारताओं का समेकन;

(iv) श्रेणीकृत विलम्ब लेख खाते का सृजन;

(v) अधिग्रहणों के विभिन्न चरणों के लिए विशिष्ट समय-सीमा;

(vi) सेबी द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज की संवीक्षा की बजाए दर्ज करने की प्रणाली;

(vii) विस्तृत प्रकटीकरण अपेक्षाएं; और

(viii) अर्जनकर्त्ता द्वारा 100 प्रतिशत अर्जन की अनुमति देने के लिए पश्च-अधिग्रहण न्यूनतम शेयरधारिता में संशोधन।

[हिन्दी]

बैंक डकैती

4264. श्री दत्ता मेघे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक राज्यवार कितने बैंकों में लूटपाट तथा डकैती की घटनाएं हुई हैं;

(ख) इसमें कितने व्यक्ति मारे गए हैं तथा कितनी धनराशि की लूट की गई है तथा कितनी धनराशि बरामद की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों की सुरक्षा हेतु किए जा रहे प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक

(आर बी आई) को दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1.4.1996 से 15.3.1997 तक की अवधि के दौरान हुई बैंक डकैतियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया गया है। इनमें, शाखाओं को विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करना, जो कई कारकों पर आधारित होता है, सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में केन्द्रीय सुरक्षा कक्ष की स्थापना करना और बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था, राज्य स्तरीय सुरक्षा समितियां गठित करने आदि के संबंध में मार्गनिर्देश प्रदान करना शामिल हैं। बैंकों द्वारा कार्यान्वित सुरक्षा उपायों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और यथा उपयुक्त आगे कार्रवाई की जाती है।

विवरण

1.4.96 से 15.3.97 के दौरान हुई बैंक डकैतियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	बैंकों की संख्या	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूली गई राशि	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	
						स्टाफ और बाहरी लोग	डकैत
1.	असम	6	8	151.62	20.00	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	1	11.60	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	5.00	—	—	—
4.	बिहार	9	32	55.29	—	5	1
5.	दिल्ली	1	1	1.00	—	—	—
6.	गुजरात	2	4	46.86	21.05	—	—
7.	हरियाणा	1	1	2.50	—	1	—
8.	मध्य प्रदेश	2	2	5.73	0.42	—	—
9.	महाराष्ट्र	3	3	16.50	—	—	—
10.	उड़ीसा	1	1	19.86	—	—	—
11.	उत्तर प्रदेश	6	13	33.59	3.68	2	2
12.	पश्चिम बंगाल	4	4	4.76	—	—	—

(आंकड़े अनन्तिम)

गेहूं और चावल के निर्यात संबंधी अधिकतम सीमा

4265. श्री के. परसुरामन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गेहूं और चावल के निर्यात की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्यात संबंधी अधिकतम सीमा प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी लागू होती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) तथा (ख) गेहूं और चावल के निर्यात के बारे में चालू निर्यात और आयात नीति के प्रावधान निम्नलिखित हैं—

(1) बासमती चावल के निर्यात की अनुमति एपीडा के ठेकों के पंजीकरण के अधीन है;

(2) गैर-बासमती चावल (उत्तम और अति उत्तम किस्म)—इसके निर्यात की अनुमति बिना किसी मात्रात्मक एवं मूल्य प्रतिबंधों के दी गई है; और

(3) गेहूं—इसके निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित मात्रात्मक सीमा एवं न्यूनतम निर्यात

मूल्य के आधार पर और एपीडा द्वारा जारी किए गए पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्रों (आर सी ए सी) के आधार पर दी जाती है।

सरकार को नीति यह है कि जन-साधारण के उपभोग की वस्तुओं के निर्यात की अनुमति इस प्रकार से दी जाए जिससे कि खाद्य सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करना पड़े। चालू वर्ष के लिए निर्यात हेतु गैर-दुडुम गेहूं की 10 लाख टन की सीमा तथा दुडुम गेहूं के लिए 5 लाख टन की मात्रा रिलीज की गई है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को 1995-96 में की गई वचनबद्धताओं को आगे पूरा किए जाने के आधार पर सरकारी स्टाक से 5 लाख टन उत्तम और अति-उत्तम किस्म के चावल और 5 लाख टन गैर-दुडुम गेहूं का निर्यात करने/बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तथापि, गेहूं के मामले में एफ सी आई द्वारा निर्यात/बिक्री की जाने वाली मात्रा गेहूं के निर्यात की समग्र सीमा के भीतर होगी।

(ग) तथा (घ) प्रसंस्कृत खाद्य मदों और अन्य कृषिजन्य उत्पादों के बारे में, जिनके लिए सीमा अधिसूचित की गई है, मौजूदा निर्यात एवं आयात नीति के प्रावधान नीचे दिए गए हैं—

(1) गेहूं उत्पाद—इसके निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित मात्रात्मक सीमा एवं न्यूनतम निर्यात मूल्य के आधार पर तथा एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाप-पत्रों (आर सी ए सी) के आधार पर दी जाती है।

(2) मोटे अनाज (जौ, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार का अनाज एवं आटा) खरीफ के रूप में उगाई जाने वाले शंकर जाति की ज्वार को छोड़कर इसके निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा यथा अधिसूचित मात्रात्मक सीमा एवं एपीडा द्वारा जारी किए गए पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्रों के आधार पर दी जाती है।

(3) प्रसंस्कृत दालों समेत दालों का निर्यात लाइसेंस के अधीन किया जाता है।

(4) दूध एवं दूध उत्पाद (पाउडर दूध (स्किम्ड अथवा फुल क्रीम) पूर्ण एवं शिशु दुग्ध खाद्य, शुद्ध दूध, घी एवं मक्खन, केवल उपभोक्ता पैकों में ब्राडेड उत्पादों के रूप में निर्यात करने पर, 5 कि. ग्रा. वजन से अधिक न हो जिसके लिए ये शर्तें लागू नहीं होंगी।) के निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित मात्रात्मक सीमा एवं एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्रों के आधार पर दी जाती है।

(5) चीनी—(1) 13.2.97 से पूर्व इसका निर्यात चीनी निर्यात संर्वधन अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अधीन किया जाता था इसका निर्यात खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी मात्रात्मक सीमा के तहत किया जाता था।

(2) 13.2.97 के अथवा इसके बाद इसके निर्यात की अनुमति डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित मात्रात्मक सीमाओं एवं एपीडा द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्रों के आधार पर दी जाती है।

(6) अरण्ड के बीज—इसके निर्यात की अनुमति लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है। वर्ष 1996-97 के लिए—

(1) 1.10.1996 से 31.3.97 की अवधि के लिए निर्यात हेतु गेहूं उत्पाद की 1.50 लाख टन की मात्रा जारी की गई है।

(2) 1 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की मात्रा निर्यात के लिए जारी की गई है।

(3) 10,000 मीट्रिक टन दाल की मात्रा निर्यात के लिए जारी की गई है।

(4) 10,000 मीट्रिक टन दुग्ध पाउडर की मात्रा (स्किम्ड अथवा फुल क्रीम)/पूर्ण अथवा शिशु दुग्ध खाद्य के लिए जारी की गई है। 2000 मीट्रिक टन दुग्ध घी एवं मक्खन की मात्रा जारी की गई है।

(5) 6.50 लाख मीट्रिक टन चीनी की मात्रा निर्यात के लिए जारी की गई है।

(6) 75,000 लाख मीट्रिक एरेंट अरण्ड के बीज की मात्रा निर्यात के लिए जारी की गई है।

[हिन्दी]

सिगरेटों का विनिर्माण

4266. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिगरेट का विनिर्माण करने वाली सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ख) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा देश में उनके लोकप्रिय ब्रांडों की सिगरेट विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) देश में संगठित क्षेत्र में सिगरेट विनिर्माणकारी इकाइयों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सिगरेट विनिर्माण के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से अब तक सिगरेट विनिर्माण के लिए निम्नलिखित फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं—

(1) मै. लक्ष्मी डिस्ट्रीब्यूटर्स लि., भिलाई, मध्य प्रदेश।

(2) मै. मोदी आर जे आर लिमिटेड, नई दिल्ली (आर जे रेनाल्ड टोबैको इन्टरनेशनल एस ए, स्वीटजरलैण्ड तथा मै. मोदीपॉन

लि., उ.प्र. के बीच एक संयुक्त उद्यम कम्पनी)। *हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में स्थित इकाई से अभी उत्पादन आरम्भ होने की रिपोर्ट आनी है।*

क्र.सं.	इकाई का नाम
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
1.	मै. वजीर सुल्तान टोबैको कं. लिमिटेड
2.	मै. नेशनल टोबैको कं. लिमिटेड
3.	मै. यूनिवर्सल टोबैको कं. लिमिटेड
4.	मै. नवभारत टोबैको कं. लिमिटेड
बिहार	
1.	मै. आई. टी. सी. लिमिटेड
गुजरात	
1.	मै. गोल्डन टोबैको कं. लिमिटेड
जम्मू और कश्मीर	
1.	मै. जे. एंड के. सिगरेट्स लिमिटेड
कर्नाटक	
1.	में आई. टी. सी. लिमिटेड
महाराष्ट्र	
1.	मै. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
2.	मै. गोल्डेन टोबैको कं. लिमिटेड
3.	मै. आई. टी. सी. लिमिटेड
4.	मै. क्राउन टोबैको कं. लिमिटेड
5.	मै. मास्टर्स टोबैको कं. लिमिटेड
तमिलनाडु	
1.	मै. एशिया टोबैको कं. लिमिटेड
2.	मै. एशिया टोबैको कं. लिमिटेड
उत्तर प्रदेश	
1.	मै. आई. टी. सी. लिमिटेड
2.	मै. इन्टरनेशनल टोबैको कं. लिमिटेड
पश्चिम बंगाल	
1.	मै. आई. टी. सी. लिमिटेड
2.	*मै. नेशनल टोबैको कं. लिमिटेड*
मध्य प्रदेश	
1.	मै. लक्ष्मी डिस्ट्रिब्यूटर्स लिमिटेड

[अनुवाद]

रूस तथा स्वतंत्र राष्ट्रकुल देश को तम्बाकू का निर्यात

4267. डॉ० एम० जगन्नाथ :
श्री अनंत कुमार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र और कर्नाटक तम्बाकू किसान संघ ने केन्द्र सरकार से स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों को ऋण पुनर्भुगतान तंत्र में अड़चनों को हटाने और इस वर्ष इन देशों को तम्बाकू निर्यात को बढ़ाकर न्यूनतम 30 बिलियन किलोग्राम करने का आग्रह किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान रूस तथा स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों को तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने का है;

(ग) क्या प्रारम्भिक बातचीत पूरी कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रूस तथा स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों को तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक तम्बाकू कृषक परिसंघ ने अपने अभ्यावेदन में सुझाव दिए हैं (i) ऋण पुनर्भुगतान के तहत रूस को होने वाले निर्यात के कोटे को 20,000 टन से बढ़ाकर 30,000 टन करना और (ii) ऋण पुनर्भुगतान माध्यम के तहत निर्यात में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना।

(ख) से (ङ) एक द्विपक्षीय महत्वाकांक्षी योजना करार के तहत रूसी सरकार प्रति वर्ष भारत से होने वाले 20,000 मी. टन तक के तम्बाकू के आयात को सुकर बनाने के लिए रुपया भुगतान निधि आबंटित करेगी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 1995-97 अवधि के लिए फिलहाल प्रचालन में है।

कृषकों की मदद करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछेक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, उनमें शामिल हैं :

(1) रूस में तम्बाकू प्रसंस्करण संयंत्रों में दीर्घकालिक आपूर्ति ठेके प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाना।

(2) भारत से तम्बाकू को खरीद करने के लिए रुपया पुनर्भुगतान के तहत आबंटित निधि का पूर्ण इस्तेमाल करने के लिए

द्विपक्षीय विचार-विमर्श के जरिए रूसी प्राधिकारियों को राजी करना।

(3) व्यापार शिष्टमंडलों के दौरों के जरिए भारतीय तम्बाकू विनिर्माता एवं निर्यातकों के साथ रूसी और अन्य सी आई एस देशों के आयातकों के बीच संविदाओं को सुकर बनाना।

(4) सी. आई. एस. देशों में तम्बाकू का स्टॉक रखने एवं इसकी बिक्री करने तथा पूर्ण रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भुगतान पर खेप आधार पर निर्यात करने की अनुमति देना।

(5) सी. आई. एस. देशों में कार्यालय खोलने के लिए भारतीय निर्यातकों को प्रोत्साहित करना।

(6) उद्यमकर्ताओं को अपना उत्पाद शीघ्र बेचने को सुकर बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में 3 अतिरिक्त नीलामी प्लेटफार्म खोलना।

(7) उत्पादित तम्बाकू की फसल की खपत करने के लिए नीलामियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भारतीय तम्बाकू संघ, निर्यातकों, विनिर्माताओं एवं अन्य व्यापारियों को राजी करना।

(8) तम्बाकू की खरीद के लिए न्यूनतम गारन्टी मूल्य घोषित करने के लिए तम्बाकू व्यापारियों के साथ वार्ता करना जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) से अधिक है।

(9) तम्बाकू की खरीद करने के लिए वित्तीय संस्थानों से अधिक ऋण की राशि प्राप्त करने में तम्बाकू व्यापारियों को मदद करना।

(10) विदेशों में व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना और तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्रेता-विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करना।

[हिन्दी]

राजस्थान में प्रधानमंत्री रोजगार योजना

4268. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1997 के "दि स्टेट्समैन" में "प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना राजस्थान टू डिशकन्टीन्यू स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के क्रम में बड़ी खामियों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान दिनांक 11.12.97 के "दि स्टेट्समैन" में छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने बताया है कि उन्होंने उक्त योजना को बंद करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।

(ख) से (ङ) योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर जिला राज्य और केंद्र स्तर पर योजना की समीक्षा की जाती है। हाल ही में केंद्रीय उद्योग मंत्री ने 11.2.97 को राज्य सरकारों, बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ योजना की समीक्षा की है। अन्य उपायों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि आवेदनों को प्रायोजित करने, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मंजूरी और वितरण के कार्य में तेजी लायी जानी चाहिए।

अखबारी कागज की मांग

4269. जस्टिस गुमानमल लोढ़ा :
श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अखबारी कागज के वार्षिक मांग का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 1997-98 के दौरान अखबारी कागज की कुल अनुमानित मांग क्या है; और

(ग) देश में अखबारी कागज के भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पिछले दिन वर्षों के दौरान तथा 1997-98 के लिए मानक अखबारी कागज की कुल मांग निम्नानुसार होने का अनुमान है :

वर्ष	मांग (लाख मी. टन)
1994-95	6.00
1995-96	6.30
1996-97	6.62
1997-98	6.95

(ग) देश में अखबारी कागज की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. अखबारी कागज को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

2. नयी औद्योगिक नीति के तहत, खोई, कृषि अपशिष्ट तथा अन्य गैर-परंपरागत कच्चे माल से प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत लुग्दी पर आधारित अखबारी कागज, लेखन तथा छपाई कागज

से संबंधित एककों को स्थापना संबंधी नीति के अध्यधीन अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है।

3. अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए लकड़ी की लुग्दी के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

4. यदि अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाले मिलों को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया जाता है तो अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट होगी।

निर्यात नीति का सरलीकरण

4270. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री पंकज चौधरी :
श्री तारीक अनवर :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी सरलीकृत आयात-निर्यात नीति (1997-2002) तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने नीति तैयार करते समय व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो चर्चा किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) आयात-निर्यात नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) जी, हां।

नई निर्यात और आयात नीति का निर्माण करने के कार्य के एक भाग के रूप में निर्यात संवर्धन परिषदों और शीर्ष निकायों यथा फिओ, फिक्की, सी. आई. आई., एसोचेम इत्यादि के जरिए व्यापार और उद्योग के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं और निर्यात संवर्धन योजनाओं के बारे में उनके विभिन्न सुझावों की जांच की गयी है। उनमें से जिन्हें स्वीकार्य पाया गया है वे अप्रैल, 1997 से लागू होने वाली नयी निर्यात और आयात नीति 1997-2002 में प्रदर्शित होंगे।

[अनुवाद]

टाकलाई टी रिसर्च सैंटर

4271. श्री उधव बर्मन : क्या **वाणिज्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाकलाई टी रिसर्च सैंटर, जोरहाट को इस समय गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सैंटर में अनुसंधान कार्य करने और इसके सुचारू कार्यकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) चाय अनुसंधान संस्था के तहत टोकलई चाय अनुसंधान केन्द्र, जोरहाट आजकल मुख्यतः चाय उद्योग से संबंधित सदस्यों से नियमित अंशदान नहीं मिलने की वजह से वित्तीय समस्याओं का सामना करता रहा है।

(ग) सरकार चाय अनुसंधान संस्था को चाय बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर धन उपलब्ध कराती रही है ताकि अपने व्यय का हिस्सा पूरा कर सके।

शेयरों में निवेश

4272. श्री सनत मेहता :
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल :
श्री विजय पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक कंपनियां निवेशकों अपने उन शेयरों से वंचित हो रही हैं जिनके लिए आंशिक रूप से भुगतान किया गया है क्योंकि कंपनियों द्वारा प्रस्तावित निर्गम मूल्य सदैव बट्टे पर उद्धृत किए जाने के कारण निवेशक अपनी-अपनी कंपनियों की अन्तिम मांग मुद्रा का भुगतान करने में विफल हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों द्वारा की गयी गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कंपनी द्वारा ऐसा किए जाने से काफी अधिक संख्या में लघु निवेशक प्रभावित होंगे;

(ङ) यदि हां, तो कंपनी द्वारा आम निवेशक के हितों के विरुद्ध इस प्रकार के भेदभावपूर्ण निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(च) कंपनियों द्वारा इस तरह की गतिविधियां किए जाने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (च) ऐसे मामलों की कभी-कभी प्रेस में रिपोर्ट कराई जाती है। लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार कंपनियों को कतिपय परिस्थितियों में अंशतः अदा किए गए शेयरों को जब्त करने का विकल्प प्राप्त है। कंपनी अधिनियम की धारा 22(1)(क) निदेशक मंडल को शेयरधारकों को उनके शेयरों पर अदत्त धनराशि के संबंध में आह्वान करने की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 36 के आधार पर कंपनी के सदस्य संगम अनुच्छेद के उपबन्धों द्वारा बाध्य हैं। जिन कंपनियों ने अधिनियम की धारा 28 के अनुसार कंपनी अधिनियम की **अनुसूची-1** की सारणी क (शेयरों द्वारा सीमित

कंपनियों के प्रबन्ध के लिए विनियम) के अनुच्छेद 29 से 35 के सदृश अपने अनुच्छेद उपबन्धों में निगमित किया है, ऐसी कंपनियों को सदस्य द्वारा धारित शेयरों को जब्त करने की शक्ति प्राप्त है यदि वह किसी आह्वान (कॉल) या किस्त की अदायगी नहीं कर पाता जब कभी ऐसा आह्वान कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात तथा बिहार में निर्यातोन्मुखी इकाइयां

4273. श्री एन० जे० राठवा :
श्री आर० एल० पी० वर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गुजरात तथा बिहार में विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थितिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां राज्यवार तथा स्थितिवार निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित की गयी हैं;

(ङ) उन इकाइयों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने अपनी निर्यात प्रतिबद्धताएं पूरी कीं तथा उन्हें निर्यात से कितनी आय प्राप्त हुई;

(च) उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन निर्यातोन्मुखी इकाइयों के निष्पादन की निगरानी करने तथा उनकी निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सोने के बिस्कुट का जब्त किया जाना

4274. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 26 दिसम्बर, 1996 को दिल्ली में 3.21 करोड़ रुपये के 62 किलो सोने के बिस्कुट जब्त किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस जब्ती का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996 के दौरान देश में राजस्व आसूचना निदेशालय, अन्य प्रवर्तन, जांच, आसूचना अथवा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कितने मामलों में सोने की जब्ती की गयी है तथा इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सोने की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) विशेष आसूचना पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय ने 26.12.1996 को एक मारुति जिप्सी से 312.00 लाख रुपये मूल्य के 61.935 कि.ग्रा. वजन के 531 सोने के बिस्कुट पकड़े। इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय ने वर्ष 1996 के दौरान 20 मामलों में 936 लाख रुपये मूल्य के 182 कि.ग्रा. वजन का सोना पकड़ा है। इसी अवधि में अन्य तस्करी-रोधी एजेन्सियों द्वारा 4616 लाख रुपये मूल्य का 890 कि.ग्रा. सोना पकड़ा गया है (आकड़े अनन्तिम हैं)। सोने की तस्करी रोकने के लिए किए गए उपायों में तस्करी-रोधी एजेन्सियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर, विशेष आसूचना एकत्र करके और धातु खोजियों, रंगीन असबाब एक्सरे मशीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का उपयोग करके देश में सोने की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए भारी सतर्कता बरतने के अलावा यात्री असबाब योजना के अन्तर्गत सोने के आयातों को और अधिक उदार बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

चेलैया तथा रेखी समिति की सिफारिश

4275. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचेम ने सरकार को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में यह कहा है कि चेलैया तथा रेखी समिति की सिफारिशों के आधार पर तुरन्त उत्पाद शुल्क निर्धारण संबंधी आयोग गठित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विधि मंत्रालय के साथ परामर्श से इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

4276. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने हस्तशिल्प केन्द्रों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् ने हस्तशिल्प केन्द्रों के समक्ष आने वाली ढांचागत समस्याओं का पता लगा लिया है जो मुख्यतः निरंतर विद्युत आपूर्ति कटौती, दूरसंचार सुविधाओं का अभाव, सड़कों की खराब दशा, पासपोर्ट कार्यालयों तथा विदेशी डाकघरों का दूरस्थ स्थित होना, रेल एवं वायु यातायात सुविधाओं की कमी तथा लकड़ी पकाने के संयन्त्रों की उपलब्धता आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं।

इसके लिए उपचारी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। तथापि सरकार ने इसके साथ-साथ जो कार्रवाई की है उसमें मुरादाबाद में 4000 लाइनों वाले दूरसंचार केन्द्र की स्थापना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद के चौधरपुर गांव में विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि नियत करना, विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मुरादाबाद में एक पृथक विद्युत ग्रिड की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

तिरुपति, जोधपुर, त्रिवेन्द्रम, मैसूर एवं चेन्नापटना में लकड़ी पकाने का संयंत्र एवं सामान्य सुविधा सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु भी कार्रवाई की गयी है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर में तीन लकड़ी पकाने के संयंत्र लगाए गए हैं।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

4277. श्री दिलीप संघानी :
श्री विजय पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात के प्रत्येक जिले और गांव में इन बैंकों की शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, मार्च, 1994, मार्च, 1995 तथा मार्च, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, गुजरात में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या निम्नलिखित है :

अवधि	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं
मार्च, 1994	2229	428
मार्च, 1995	2231	429
मार्च, 1996	2245	424

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1985-90 के अंत तक 60,000 से अधिक शाखा नेटवर्क सहित पर्याप्त बैंकिंग बुनियादी संरचना प्रदान करने के लक्ष्य काफी सीमा तक प्राप्त कर लिए जाने के बाद, यह निर्णय लिया गया था कि विगत की तरह जनसंख्या कवरेज जैसे विशिष्ट लक्ष्य वाले कोई भी शाखा विस्तार कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्ष 1990-95 में शाखा विस्तार कार्यक्रम तथा उसके बाद अपनी पसंद के केन्द्रों में शाखाएं खोलने का निर्णय अलग-अलग बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1.4.95 से 28.2.97 की अवधि के दौरान बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, गुजरात में शाखाएं खोलने के लिए 37 केन्द्र राष्ट्रीयकृत बैंकों को और 5 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

हिंदी का प्रयोग

4278. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने रोमन लिपिक वाले कंप्यूटर, टेलेक्स, टेलीप्रिंटिंग आदि जैसे आधुनिक गैजेट स्थापित किए हैं तथा इन्हें दोनों भाषाओं में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इन द्विभाषी गैजेट का किस प्रकार उपयोग करने की संभावना है;

(ग) हिन्दी के प्रयोग को किस प्रकार प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या मंत्रालय ने क्षेत्र "क" में स्थित अपने कार्यालयों को हिन्दी के प्रयोग के लिए छूट दे रखी है जहां शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाना होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की छूट दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) कंप्यूटर तथा टेलेक्स मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों को वस्त्र मंत्रालय में स्थापित किया गया है तथा ये द्विभाषी रूप में कार्य कर रहे हैं। इन द्विभाषी उपकरणों के प्रयोग से कार्यालय के काम में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में सहजता रहती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करना

4279. डॉ० वी० एम० रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध प्रमुख जांच एजेंसियों द्वारा कार्यवाही शुरू करने से पूर्व इसकी अनुमति प्राप्त किए जाने को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन वित्तीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध जांच एजेंसियों द्वारा कार्यवाही किए जाने की अनुमति मांगी गयी है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने मामलों में अनुमति प्रदान की गयी है/अनुमति प्रदान नहीं की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो निर्णय लेने के स्तर का अधिकारी है या रह चुका है (केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष या इससे उच्च स्तर के अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हैं या रह चुके हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के अधिकारी, केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव के समकक्ष या इससे उच्च स्तर के भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यपालक निदेशक और उच्च स्तर के अधिकारी तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक तथा ऐसे बैंक अधिकारी, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड से एक स्तर नीचे हैं (समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए एकल मार्गनिर्देश (सिंगल डायरेक्टिव) के अनुसार, उनके संबंध में तलाशी का आदेश देने सहित विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) द्वारा कोई जांच (पी ई या आर सी) किए जाने से पूर्व संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सी. बी. आई. ने सूचित किया है कि 1995 और 1996 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अधिकारियों की अन्तर्ग्रस्तता संबंधी केवल एक संदर्भ वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें मामला दर्ज करने की सहमति मांगी गयी है। इस मामले की जांच वित्त मंत्रालय में की गयी थी और इस मामले के संबंध में मंत्रालय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमित मामला पंजीकृत करना वांछनीय प्रतीत नहीं होता। तदनुसार, मंत्रालय ने संबंधित दस्तावेज सी. बी. आई. को अग्रेषित कर दिए हैं और उनसे उन दस्तावेजों की जांच करने और यदि आवश्यक हो, तो सहमति हेतु मंत्रालय के पास वापस भेजने का अनुरोध किया है।

सिरेमिक उद्योग

4280. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरेमिक परिसर के विकास के लिए राजस्थान को प्राकृतिक गैस प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राजस्थान में एक सिरेमिक परिसर के विकास के लिए प्राकृतिक गैस प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान में सिरेमिक परिसर के विकास के लिए प्राकृतिक गैस प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हार्ड कोक भट्टियां और संयंत्र

4281. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982-83 में हार्ड कोक भट्टियों और संयंत्रों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें से कितनी भट्टियां और संयंत्र इस समय कार्य कर रहे हैं;

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान इन भट्टियों और संयंत्रों में हार्ड कोक के निर्माण के लिए कितने कोयले की खपत हुई;

(घ) उक्त कार्य में इस समय कोयले की कितनी खपत होती है;

(ङ) वर्ष 1982-83 में इन भट्टियों और संयंत्रों में कितने लोग कार्य कर रहे थे और इस समय कितने लोग कार्य कर रहे हैं;

(च) क्या इन संयंत्रों में कार्य कर रहे अधिकांश लोगों को अब अन्य कार्यों में लगा दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) कोयला कंपनियों द्वारा रखी जा रही प्रबंधन सूचना पद्धति वर्ष 1982-83 में, देश में हार्ड कोक ओवनों तथा संयंत्रों के अथवा उक्त वर्ष के दौरान उनके द्वारा उपभोग किए गए कोयले/अपेक्षित कोयले की मात्रा के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करती है।

कोल इंडिया लि. (को. इ. लि.) द्वारा उपलब्ध की गयी सूचना के अनुसार, वर्तमान में 180 ऐसे संयंत्र हैं जोकि को. इं. लि. के स्रोतों से कोयले की निकासी कर रहे हैं। इन संयंत्रों की मासिक आवश्यकताएं लगभग 4.20 लाख टन की है।

(ङ) से (छ) कोयला कंपनियों के पास वर्ष 1982-83 की अवधि में अथवा न ही वर्तमान में, देश में विभिन्न हार्ड कोक ओवनों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में, देश में छोटे तथा मध्यम क्षेत्रों में 180 से अधिक कोक ओवन यूनिटें कार्यचालन में हैं। कोयला कंपनियों के पास इन कोक ओवन संयंत्रों के बारे में कोई सूचना नहीं रखती हैं।

[अनुवाद]

कंपनियों पर बिक्री कर

4282. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार उन कंपनियों पर जिनके पास देशव्यापी कार्य नहीं हैं बिक्री कर लेवी को लेकर अन्तर्राज्य विवाद पर निर्णय देने के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजमहल कोयला परियोजना

4283. श्री शिबु सोरेन : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राजमहल कोयला परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि और आवासों के लिए मुआवजा निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या राजमहल कोयला परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गयी भूमि और आवासों के लिए निर्धारित मुआवजा राशि की दर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए निर्धारित मुआवजा राशि दर की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस कोयला परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) बिहार सरकार के भूमि अधिग्रहण विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भूमि के मुआवजे की अदायगी की जाती है। आवासों के संबंध में मुआवजे की बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार चालू निर्धारित दरों के आधार पर की जाती है।

(ख) और (ग) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमि संबंधी आवासों की मुआवजे की दरें प्रत्येक स्थान पर भिन्न-भिन्न होती हैं। चूंकि कोयले का उत्खनन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं किया जाता है, अतः उक्त क्षेत्र की मुआवजे की दरों के साथ तुलना किया जाना व्यवहार्य नहीं हैं।

(घ) इस संबंध में परिवारों का पुनर्वास भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोल इंडिया लि. की पुनर्वास नीति के अनुसार किया जाता है। भूमि तथा विद्यमान विनिर्मित आवासों के लिए मुआवजे की अदायगी किए जाने के अलावा, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास स्थलों पर मुफ्त के आवासीय भू-खंड दिए जाते हैं, जिन्हें प्रभावित व्यक्तियों तथा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा विचार-विमर्श किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। इन पुनर्वास स्थलों पर कोयला कंपनियों द्वारा अवसंरचनात्मक ढांचे जैसे कि पेयजल, सड़क, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, बिक्री केन्द्र, तालाब, क्रीड़ा-स्थल, पूजा स्थल, जल-निकासी आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

उद्योगों को बंद करना

4284. प्रो० जितेन्द्र नाथ दास : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सैक्टर-वार कितने उद्योग बंद किए गए;

(ख) इन उद्योगों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इन बंद पड़े उद्योगों की पुनरुद्धार संबंधी कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय अनियमितताएं

4285. श्री रामसागर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसम्बर, 1996 के "दैनिक जागरण" में "अरबों के घोटाले को 'इम्बैलेंस' कहकर दबाने की तैयारी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाए गए मुद्दों के संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार का इन वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और इस स्थिति को टालने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात वृद्धि

4286. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और बैंकिंग पर हाल ही में हैदराबाद में एक दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन से वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर बल दिया था कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1997 के दौरान निर्यात वृद्धि में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या वर्ष 1996 के दौरान निर्यात वृद्धि लक्ष्य से कम रही; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान निर्यात में कितनी वृद्धि करने के लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) हैदराबाद में 4.1.97 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें निर्यात से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) निर्यात संवर्धन उपाय निरन्तर किए जा रहे हैं जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ शामिल हैं—निर्यातोनुकूल वातावरण के लिए नीतियों एवं क्रियाविधियों में परिवर्तन करना, निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल करना एवं व्यापार एवं उद्योग इत्यादि से परामर्श करना।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात वृद्धि लक्ष्य से नीचे नहीं थी। डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल, 96—जनवरी 97 के दौरान डालर के रूप में निर्यात वृद्धि 6.19 प्रतिशत रही।

(ङ) वर्ष 1997-2002 के लिए एग्जिम नीति में और अधिक निर्यातोनुकूल नीति प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा जो 1997-98 से आगे के लिए लागू होगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को "सिडबी" द्वारा सहायता

4287. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लघु उद्योग बैंक द्वारा 28 फरवरी, 1997 तक महाराष्ट्र को योजनावार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र को किया गया आबंटन अन्य राज्यों को किए गए आबंटन की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी राज्यों को समान आबंटन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वह राज्य-वार संसाधन आबंटन करने की प्रणाली का अनुपालन नहीं करता है क्योंकि सिडबी देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों को आवश्यकता पर आधारित वित्तीय सहायता देने के सिद्धान्त का पालन करता है। सिडबी यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी उपयुक्त प्रस्ताव की निधियों के अभाव के कारण मना न किया जाए। तथापि, अप्रैल, 1990--फरवरी, 1997 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में मंजूर की गयी योजना-वार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठाते।

विवरण

महाराष्ट्र में सिडबी द्वारा मंजूर की गयी योजना-वार वित्तीय सहायता (अनन्तिम)

(रु. करोड़)

1	2
पुनर्वित्त	1680.36
ऋण की पुनर्वित्त शृंखला	8.10
बिल पुनर्भुनाई योजना	272.42
प्रत्यक्ष भुनाई योजना (डी.डी.एस.) (उपकरण)	508.11
डीडीएस (संघटक)	949.11
परियोजना वित्तीय सहायता योजना	39.11
उपस्कर वित्त योजना	5.17
प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिकीकरण निधि योजना	7.13
विपणन	3.87
अनुषंगी	6.02
प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता	0.22
आधारभूत विकास योजना	0.23
समन्वित आधारभूत विकास योजना	3.00
संबंधित उद्योगों को अल्पकालीन ऋण	15.15
आई.एस.ओ. 9000	0.29
विदेशी मुद्रा (पीसीएफसी) में लदानपूर्व ऋण	2.52
जोखिम पूंजी	5.37
राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एसएसआईडीसी)	15.00
एसएफसी/एसआईडीसी/बैंक/अन्य औद्योगिक घराने को एलओसी	85.00

1	2
बैंकों को पीसीएफसी के लिए एलओसी	12.52
पट्टा	515.00
बीज पूंजी	15.12
अन्य	6.53
योग	4155.36

एल्यूमिनियम के बर्तनों का निर्यात

4288. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटिल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम का निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा एल्यूमिनियम के बर्तनों के निर्यात के लिए किन-किन देशों की पहचान की गयी है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको एल्यूमिनियम के बर्तनों का निर्यात किया जाएगा; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान एल्यूमिनियम के बर्तनों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम के बर्तनों की कुल निर्यातित मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गयी हैं :

(मात्रा : कि.ग्रा. में)

(करोड़ रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा)

वर्ष	मात्रा	कीमत
1993-94	2218428	35.81
1994-95	2504016	42.13
1995-96	2892323	46.31
1996-97 (अप्रैल-अगस्त, 96)	1735970	18.17

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. ने जिन देशों को निर्यात किया है, वे हैं—यू.के., आस्ट्रेलिया, हालैण्ड एवं पुर्तगाल।

(ग) जिन देशों को राष्ट्रीय लघु उद्योग नि.लि. द्वारा एल्यूमिनियम का निर्यात किए जाने की संभावना है, वे हैं—जर्मनी एवं मध्य पूर्व।

(घ) निर्यात बढ़ाना सरकार का सतत प्रयास रहा है। एल्यूमिनियम के बर्तनों समेत इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें शामिल हैं—निर्यात एवं आयात नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहन जैसे शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच. एस. सी. के अन्तर्गत छूट एवं बाजार विकास निधि से सहायता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बैंकों की शाखाएं

4289. डॉ० बलिराम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर आजमगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंकों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा और अधिक बैंक शाखाएं खोलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) बैंकों की नई शाखाएं कब तक खोल दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, शाखाएं खोलने का निर्णय विभिन्न बैंकों पर छोड़ दिया गया है। आवेदक बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में ग्रामीण शाखाएं खोलने के बारे में अपने आवेदनों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत सिफारिश करवा कर भेजना होता है जिन पर आरबीआई द्वारा विचार किया जाता है।

मार्च, 1996 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की 8670 शाखाएं थीं। आरबीआई ने सूचित किया है कि गत दो वर्षों अर्थात् 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिए निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं :

ग्रामीण	—	10
अर्द्ध-शहरी	—	37
शहरी	—	35
महानगरीय	—	8

इसमें आजमगढ़ जिले के लिए आबंटित एक अर्द्ध-शहरी शाखा शामिल है।

(ग) आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि शाखाएं खोलने के लिए आबंटन के बाद, बैंकों को सभी आधारभूत संरचनाएं पूरी करने का लाइसेंस प्राप्त करना होता है। नई शाखाएं सामान्यतः दो से तीन वर्षों में खोली जा सकती हैं।

[अनुवाद]

समझौता करने के लिए प्रतिमान संहिता

4290. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद के लिए कोई प्रतिमान संहिता तैयार की गयी है जो समझौता करते वक्त तथा आपूर्ति की व्यवस्था करते समय सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए लागू/मान्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पदासीन अफसरों की आपूर्ति तथा वितरण के महानिदेशालय के विकेन्द्रीकरण के बाद उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए खरीद नीति का अनुसरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) सरकारी खरीद कार्यो को विनियमित करने वाले मूलभूत सिद्धान्त, सामान्य वित्तीय नियमों में दिए जाते हैं। खरीद के लिए कोई प्रतिमान संहिता तैयार नहीं की गई है जो सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए लागू/मान्य हो।

(ग) से (ङ) सामान्य वित्तीय नियमों की उपर्युक्त व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग, अपनी खुद की खरीद संबंधी प्रक्रिया विकसित कर चुके होंगे। खरीद संबंधी कार्यों के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से इन मंत्रालयों/विभागों को स्थानान्तरित किए गए अधिकारियों को इस प्रकार, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनायी जा रही खरीद प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा।

आयकर न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित अपीलें

4291. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार देश में आयकर न्यायाधिकरणों में कितनी अपीलें लंबित थीं;

(ख) क्या सरकार और अधिक न्यायाधिकरण गठित कर रही है और अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) 31 दिसम्बर, 1996 को आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित अपीलों की संख्या 2,99,334 थी।

(ख) और (ग) सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित स्थानों पर अधिकरण की 15 नई न्यायपीठें स्थापित करने का विनिश्चय किया है :

आस्थान का नाम	न्यायपीठों की संख्या
1. राजकोट	1
2. आगरा	1
3. बंगलौर	2
4. मुम्बई	5
5. चंडीगढ़	1
6. नई दिल्ली	2
7. जोधपुर	1
8. पणजी	1
9. विशाखापत्तनम	1

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अनेक सदस्यों को अपीलों की सुनवायी के लिए एकल सदस्य की शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं। सदस्यों को उन आस्थानों के दौरों पर भेजा जाता है, जहां या तो लंबित मामलों की संख्या अधिक है या नियमित न्यायपीठें कार्य नहीं कर रही हैं। ऐसी अपीलों को समूहबद्ध करना, जिनमें सुनवायी के सामान्य मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं, शीघ्र निपटान के लिए पूर्व निर्णयों के अन्तर्गत आने वाले मामलों की समीक्षा करना और विभिन्न स्थानों पर शिविर न्यायालयों की व्यवस्था करने जैसे ऐसे कुछ अन्य प्रयास हैं जो लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए जा रहे हैं।

अगरबत्ती का निर्यात

4292. श्री के० सी० कोंडय्या : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कुल कितने मूल्य की अगरबत्ती का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अगरबत्ती उद्योग को बांस की लकड़ी न मिलने के कारण कर्नाटक से अगरबत्ती के अनुमानित निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो अगरबत्ती निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) डी जी सी आई एंड एस के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान निर्यात की गयी अगरबत्ती का कुल मूल्य 56.36 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख रखा गया था और माननीय न्यायालय ने दिनांक 4.3.97 के अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पेड़ों को गिराने पर प्रतिबंध लगाने के उनके 12.12.96 के निर्देश बांस सहित छोटे वन उत्पादों पर लागू नहीं हैं। इससे अगरबत्ती उद्योग के लिए बांस की उपलब्धता में सुधार होने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में घाटा

4293. श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री वी० वी० राघवन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के कितनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाएं घाटे में चल रही हैं और ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की तुलना में इन बैंकों की स्थिति कैसी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पिछले दो वर्ष, अर्थात् 1994-95 और 1995-96 के दौरान घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं की संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	घाटा देने वाली शाखाओं की संख्या			
	सरकारी क्षेत्र के बैंक		गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	
	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी
1994-95	6993	1756	320	142
1995-96	4601*	1120*	347	171

*भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर।

"सेबी" द्वारा दलालों के विरुद्ध कार्यवाही

4294. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वर्ष-वार कितने दलालों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) सेबी ने गत 3 वर्षों के दौरान 66 स्टाक-ब्रोकरों के विरुद्ध कार्रवाई की है। वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	स्टाक ब्रोकरों की संख्या
1994-95	19
1995-96	10
1996-97 (फरवरी 97 तक)	37

इसके अलावा, सेबी ने वर्ष 1996-97 के दौरान 58 स्टाक-ब्रोकरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और इनमें से कुछ मामलों में जांच-कार्यवाहियां भी शुरू की गयी हैं।

(ख) सेबी ने सूचित किया है कि इसने निम्नलिखित कारणों के लिए, ऊपर उल्लेख किए अनुसार स्टाक-ब्रोकरों के विरुद्ध कार्रवाई की है :

(i) उन शर्तों का पालन न किए जाने के कारण जिनके अध्यधीन स्टाक-ब्रोकरों को पंजीकरण प्रदान किया गया था; और

(ii) सेबी अधिनियम, 1992, सेबी (स्टाक-ब्रोकर और सब-ब्रोकर) नियम और विनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के उपबंधों और संबंधित स्टाक-एक्सचेंजों की उप-विधियों और विनियमों के उल्लंघन के कारण।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

4295. श्री हरिन पाठक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सुविधा लागू करने सम्बन्धी सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में आरक्षण नीति लागू न किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की अनुशंसाओं तथा उस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति के क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सरकारी उद्यमों—दोनों के विभागाध्यक्षों पर है। यदि कोई शिकायत हो तो समय-समय पर समुचित स्तर पर उसकी जांच की जाती है ताकि उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

चंदन और चमेली का निर्यात

4296. श्री अय्यन्ना पटरुयु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंदन के तेल और चमेली के सत के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) चंदन के तेल के निर्यात की अनुमति है बशर्ते कि :

(1) संबंधित राज्य के प्रधान/मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी स्रोत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए;

(2) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए; और

(3) ऐसी कोई अन्य शर्त भी पूरी की जाए जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिकतम मात्रा के संबंध में लगाई जा सकती है। कानूनी स्रोतों से चंदन की उपलब्धता तथा विभिन्न घरेलू उद्योगों की मांग को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान अधिकतम 5000 कि.ग्रा. की मात्रा में चंदन के तेल की निर्यात करने की अनुमति दी गयी है।

उपर्युक्त शर्तों के अधीन चंदन के तेल के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय इस आधार पर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की सिफारिश पर लिया गया था कि चंदन का तेल वन उत्पाद है न कि मशीन से तैयार उत्पाद, इसलिए इसका मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जहां तक चमेली सांद्रण का संबंध है, यह निर्यातों की निषेधात्मक सूची में शामिल नहीं है, अतः इसके निर्यात की अनुमति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन मुक्त रूप से सभी स्वीकार्य गंतव्य देशों को की जा सकती है।

जूट मिलें

4297. डॉ० प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की जूट मिलें लंबे समय से बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य की जूट मिलों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) जी नहीं, मिल (ए. सी. जे. एम.) 1986 से लगातार चालू हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी बीमा

4298. डॉ० असीम बाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उद्योगों के हित में "प्रौद्योगिकी बीमा" योजना तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं। भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बुनियादी क्षेत्र में "बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर" योजना

4299. श्री प्रमोद महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क, रेल, विद्युत, डाक ओर दूरसंचार जैसे बुनियादी सैक्टरों में "बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर (बोल्ट)" के इच्छुक निजी निवेशकों के लिए मौजूदा योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के संबंध में निजी निवेशकों के अब तक प्राप्त हुए विकल्पों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत निजी निवेशकों को प्राप्त रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए निजी निवेशकों को और अधिक सुविधाओं की पेशकश करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो नए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) "बिल्ड ऑपरेट लीज एण्ड ट्रांसफर (बोल्ट)" योजना मुख्यतः भारतीय रेलवे में लागू है। बोल्ट योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और योजना को सफल बनाने के लिए इसमें आवश्यक परिवर्तन, जोकि स्वीकार्य समझे जाते हैं, किए जाते हैं।

(ख) यह योजना गेज परिवर्तन, लाईनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने जैसी आधारभूत परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिक सफल नहीं रही है। अब तक, इस योजना के अन्तर्गत केवल चार परियोजनाओं (2 गेज परिवर्तन की तथा 2 रोलिंग स्टाक की) का कार्य दिया गया है। इन 4 परियोजनाओं में भी, गेज परिवर्तन की एक संविदा समाप्त कर दी गई है क्योंकि ठेकेदार ने कार्य छोड़ दिया है।

(ग) से (ङ) बोल्ट योजना के अन्तर्गत आधारभूत परियोजना को

निष्पादित करने वाले अभिकरणों की आय पर 5 वर्ष के करावकाश की अनुमति दी गई है। यह वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध सामान्य अवमूल्यन लाभों के अतिरिक्त है।

ऋण पुनर्भुगतान योजना के अन्तर्गत रूस को निर्यात

4300. श्री अनंत गुढे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों 'स्वीच ट्रेड' में निर्यात को रोकने हेतु तथा रूस के बाजार में समय पर भारतीय माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऋण पुनर्भुगतान योजना के अन्तर्गत रूस को माल निर्यात की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक अन्तिम रूप दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से संबंधित भारत-रूस कार्यदल की 23-27 जनवरी, 1997 को मास्को में हुई तीसरी बैठक में दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति व्यक्त की कि रूस में भारतीय वस्तुओं की त्वरित तथा नियमित उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऋण वापसी व्यवस्था के तहत रूस को की जाने वाली खेप-निर्यात के संबंध में स्कीम तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक वनेशकोनोम बैंक को पत्र लिख चुका है। यह रूसी बैंक देश के ऋण संबंधी कार्य करता है। इस बीच ऋण वापसी व्यवस्था के तहत रूस को चाय की खेपों के निर्यात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सिद्धान्तः मंजूरी दे चुका है।

वस्त्र उत्पादन

4301. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में वस्त्र का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसे और अधिक प्रति-स्पर्धात्मक बनाने के लिए वस्त्रों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) देश में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वस्त्रों (यार्न तथा कपड़े) का उत्पादन निम्न प्रकार है :

उत्पादन

वित्तीय वर्ष	कुल यार्न (स्पन–फिलामेंट) मि.लि.	कुल कपड़ा (मि. वर्ग मी.)
1993-94	2530	27898
1994-95	2608	28606
1995-96	2978	31891

(ख) भारतीय वस्त्र उद्योग में विभिन्न क्षेत्र नामतः मिल क्षेत्र, विद्युतकरघा आदि शामिल हैं। उद्योग के प्रत्येक खण्ड की आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं का निर्धारण करने संबंधी नीतिपरक हस्तक्षेप करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में निर्धारित व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं—लाइसेंस की व्यवस्था का उदारीकरण, वित्तीय पुनर्निर्माण ओ जी एल के अन्तर्गत वस्त्र मशीनों के आयात पर सीमा शुल्क की कटौती अनुसंधान और विकास कार्यकलाप प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना, कोटा प्रणाली का सरलीकरण, रुग्ण औद्योगिक एककों के कार्यचालन की जांच करने तथा मिलों के पुनरुद्धार के लिए यथोचित योजना बनाने तथा उसकी स्वीकृति देने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को चलाकर केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा ही विनिर्माण किए जाने के लिए कुछ मदों का आरक्षण, कम्प्यूटरसहायित डिजाइन केन्द्र, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा उनके मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाना केवल स्थान संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्याधीन क्षमता के सृजन तथा विस्तार पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना, वस्त्र मंत्रालय के अधीन विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात के संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम का प्रचालन तथा निर्यातकों को त्वरित, वहन योग्य तथा विश्वसनीय परीक्षण करने के लिए अन्य सरकारी वस्त्र प्रयोगशालाएं तथा विदेशों में भारतीय माल की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए निर्यातकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

क्षेत्रीय व्यापार ग्रुप का बनाया जाना

4302. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि जहां विश्व व्यापार संगठन ने विश्व स्तर पर मुक्त व्यापार के उद्देश्य की ओर बढ़ने का प्रयास किया, वहीं विभिन्न क्षेत्रीय शक्ति ग्रुपों द्वारा एन. ए. एफ. टी. ए., यूरोपियन यूनियन, ए. पी. आई. सी., ए. एस. ई. ए. एन. तथा अन्य जैसे क्षेत्रीय व्यापार ब्लाक जैसी विरोधी प्रक्रिया शुरू हो गई है;

(ख) क्या इन ब्लाकों का उद्देश्य मुक्त विश्व व्यापार के विपरीत क्षेत्रीय संरक्षण तथा व्यापार सहयोग है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है तथा इन क्षेत्रीय व्यापार ग्रुपों के समक्ष भारत के आर्थिक तथा व्यापार हितों को संरक्षण प्रदान करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के तहत स्थापित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में परममित्र राष्ट्र (एम एफ एन) की संकल्पना का महत्वपूर्ण अपवाद व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता (गाट) अनुच्छेद XXII है, सीमाशुल्क संघों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों के लिए

अपवाद है। इसमें निहित क्षेत्रीय एकीकरण की ओर जो प्रवृत्ति है, उसके बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए परिणाम अनिश्चित हैं, क्योंकि इन परिणामों से व्यापार संतुलन की स्थिति पैदा होगी और अधिमानी व्यापार प्रबंधों के व्यापार में परिवर्तनकारी प्रभाव होंगे।

क्षेत्रीय व्यापार करारों पर एक समिति, जो डब्ल्यू टी ओ में 6 फरवरी 1996 को स्थापित की गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यापार से संबंधित करारों की जांच करेगी और ऐसे करारों के क्रमिक प्रभावों तथा बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली के लिए क्षेत्रीय पहल तथा उनके बीच संबंधों पर विचार करेगी। इस समिति की सदस्यता विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के लिए खुली है।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

4303. श्री वी० प्रदीप देव :
श्री दत्ता मेघे :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से किन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट किया तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि ली गई तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों के धनादेश को अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी मात्रा में अग्रिम राशि जारी की गई; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट की परिस्थिति से बचने के लिए राज्यों को क्या कदम सुझाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) राज्य सरकारों की नकद बकाया और निकासी की स्थिति, यदि कोई है तो वह दिन पर दिन और हर राज्य के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती है। राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच लेन-देन उन दोनों की पारस्परिक सहमति के अनुसार होता है। चूंकि यह बैंकर और ग्राहक के बीच (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच) संबंध का मामला है। अतः भारत सरकार द्वारा ऐसी सूचना प्रकाशित नहीं की जाती है।

(घ) फरवरी, 1997 तक के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राज्य सरकारों को अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय करने, राजस्व संग्रहण में सुधार करने और ओवरड्राफ्ट से बचने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति सही रखने हेतु समय-समय पर सलाह दी जाती है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	जारी होने की तारीख	जारी राशि (करोड़ रुपयों में)	जारी राशि की किस्म
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	28 जून, 1996	200.00	अर्थोपाय अग्रिम
		24 अक्तूबर, 1996	26.72	वही
		11 नवम्बर, 1996	50.00	वही
2.	असम	19 जून, 1996	2.00	वही
		30 अगस्त, 1996	20.82	केन्दीय सहायता की अग्रिम देयता
		27 सितम्बर, 1996	30.64	वही
		25 अक्तूबर, 1996	38.25	वही
		28 नवम्बर, 1996	26.72	वही
		30 अप्रैल, 1996	66.60	वही
		16 मई, 1996	95.84	वही
		19 जून, 1996	95.82	वही
		31 जून, 1996	45.00	वही
		30 अप्रैल, 1996	95.83	वही

1	2	3	4	5
		27 सितम्बर, 1996	95.83	केन्द्रीय सहायता की अग्रिम देयता
		28 अक्तूबर, 1996	95.83	वही
		28 नवम्बर, 1996	96.81	वही
		30 दिसम्बर, 1996	96.81	वही
		29 जनवरी, 1997	96.81	वही
		27 फरवरी, 1997	155.00	वही
3.	हिमाचल प्रदेश	11 अप्रैल, 1996	53.10	अर्थोपाय अग्रिम
4.	जम्मू और कश्मीर	24 अप्रैल, 1996	58.24	एन सी ए की अग्रिम देयता
		27 मई, 1996	116.87	वही
		28 जून, 1996	97.57	वही
		26 जुलाई, 1996	116.87	वही
		29 अगस्त, 1996	116.87	वही
		27 सितम्बर, 1996	116.87	वही
		28 अक्तूबर, 1996	116.87	वही
		28 नवम्बर, 1996	116.87	वही
		28 दिसम्बर, 1996	108.12	वही
		29 जनवरी, 1997	122.30	वही
		26 फरवरी, 1997	50.00	वही
		24 अप्रैल, 1996	56.76	केन्द्रीय करों में शेयर की अग्रिम देयता
		29 नवम्बर, 1996	68.67	वही
		29 जनवरी, 1996	68.67	वही
		26 फरवरी, 1996	126.00	वही
5.	मणिपुर	11 अप्रैल, 1996	22.80	अर्थोपाय अग्रिम
		30 अप्रैल, 1996	16.00	केन्द्रीय करों में शेयर की अग्रिम देयता
		20 दिसम्बर, 1996	19.13	वही
6.	मिज़ोरम	8 अप्रैल, 1996	25.50	अर्थोपाय अग्रिम
		25 जुलाई, 1996	0.75	वही
7.	पंजाब	11 अप्रैल, 1996	51.10	वही
		11 अप्रैल, 1996	170.70	वही
8.	राजस्थान	11 अप्रैल, 1996	127.70	वही
		17 दिसम्बर, 1996	33.00	वही

1	2	3	4	5
		20 जनवरी, 1997	143.64	एन सी ए की अग्रिम देयता
		15 अप्रैल, 1996	9.00	वही
		5 जून, 1996	37.30	वही
		1 अक्तूबर, 1996	37.30	वही
9.	सिक्किम	19 जून, 1996	15.00	अर्थोपाय अग्रिम

[हिन्दी]

नई ऋण नीति

4304. श्री शिव राज सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किसी नई ऋण नीति की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं और पहली नीति की तुलना में इस नई नीति में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण में कितनी ढील दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1996-97 के उत्तरार्द्ध की मौद्रिक नीति की घोषणा 19 अक्तूबर, 1996 को की गई थी। मौद्रिक और ऋण नीति पैकेज का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं को कम करके पूर्व-क्रय अधिकारों में और कमी करना, ब्याज दर के लचीलेपन में वृद्धि करना, कृषि, लघु उद्योग एवं निर्यात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण सहायता सुनिश्चित करना, बैंकिंग प्रणाली को अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा ऋण पदान करने के लिए स्वतन्त्रता प्रदान करना, बैंकों को कंसार्शियम उधार व्यवस्थाओं के लिए स्वयं अपने आधारभूत नियम बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान करना और बैंकों को गौण बाजार से शेयर/डिबेंचर खरीदने की स्वतन्त्रता प्रदान करना है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार थीं :

(i) नकदी निधि अनुपात को 0.5 प्रतिशतता बिन्दु के समान चरणों में अक्तूबर, 1996 और जनवरी, 1997 के बीच 2 प्रतिशतता बिन्दु तक कम करना। ये क्रमशः 26 अक्तूबर, 1996, 9 नवम्बर, 1996, 4 जनवरी, 1997 और 18 जनवरी, 1997 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होंगे।

(ii) बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं को 9 नवम्बर, 1996 से प्रारम्भ हो रहे पखवाड़े से कम करना।

(iii) निर्यात ऋण के लिए लक्ष्यों को मार्च, 1997 के अन्त तक प्राप्त किए जाने हेतु 2 प्रतिशतता बिन्दु तक बढ़ाकर निवल बैंक ऋण के 12 प्रतिशत करना।

(iv) 30 दिन से एक वर्ष तक की सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में 1 प्रतिशतता बिन्दु तक कमी करके 21 अक्तूबर, 1996 से "10.0 प्रतिशत वार्षिक से अनधिक" करना।

(v) 21 अक्तूबर, 1996 से प्रभावी लदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज दर निर्धारणों को युक्तियुक्त बनाना जिनसे निर्यात ऋण का एक बड़ा हिस्सा निम्न ब्याज दर पर दिए जाने की अपेक्षा होगी।

(vi) बैंकों को यह परामर्श देना कि वे उच्चतर ब्याज दर (पीएलआर) के अधिकतम प्रसार की घोषणा करे जो वे उस श्रेणी (2 लाख रु. से अधिक की ऋण सीमा वाली) के उधारकर्ताओं से लेंगे, जिन पर उच्चतर ब्याज दर निर्धारण लागू होते हैं। (पीएलआर 2 लाख रु. से अधिक की ऋण सीमा वाले बड़े उधारकर्ताओं पर लागू न्यूनतम दर हैं।)

(vii) सुरक्षित स्टाक और चीनी मिलों को जारी न किए गए चीनी के स्टाक को छोड़कर 21.10.96 से उन वस्तुओं के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट, जो इन नियंत्रणों के अध्यधीन थे। चीनी के जारी न किए गए भंडार पर न्यूनतम मार्जिनों को 5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया जो 21 अक्तूबर, 1996 से प्रभावी है। चीनी के सुरक्षित भंडार के मामले में, शून्य प्रतिशत मार्जिन का निर्धारण जारी रहेगा।

(viii) बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफ सी एन आर (बी) जमा योजना के अन्तर्गत अपने संसाधनों से अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग में ऋण देने की अनुमति प्रदान करना।

(ix) बैंकों परिसंघीय ऋण व्यवस्थाओं के लिए अपने आधारभूत नियम बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

(x) ऋण के वितरण के लिए ऋण प्रणाली के कवरेज को बढ़ाना और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए योजना में संशोधन।

(xi) बैंकों को पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत तक की विद्यमान अधिकतम सीमा के भीतर म्युचुअल निधियों से हामीदारी तथा निवेशों के जरिए अंतरण और प्राथमिक बाजार से शेयरों और

डिबेंचरों की खरीद सहित गौण (अनुषंगी) बाजार में शेयरों और डिबेंचरों के खरीद की अनुमति प्रदान करना।

इसके अलावा, उधारकर्ताओं को ऋण संवितरण (क्रेडिट डिलिवरी) की ऋण प्रणाली अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को फरवरी 1997 में यह परामर्श दिया गया था कि वे अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से ऋण संवितरण प्रणाली में ऋण-घटक और नकदी ऋण-घटक के लिए मूल उधार दरें (पीएलआर) एवं मूल उधार दरों के अधिकतम प्रसार को अलग-अलग निर्धारित कर सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वित्तीय संकट

4305. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ एककों के पास कार्यकारी पूंजी नहीं है और यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उन्हें वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बनाया जा सके ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धनराशि की आवश्यकता तथा इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन समय-समय पर बदलते रहते हैं और मुद्रा बाजार में सामान्य स्थिति तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के पास राशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। सरकार द्वारा योजनागत तथा गैर-योजनागत बजटीय सहायता के माध्यम से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं सहित संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ

4306. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :**
श्री काशीराम राणा :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री बी० एल० शंकर :
श्री ए० सम्पथ :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों में उच्च न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (ग) किसी भी राज्य सरकार से, उच्च न्यायालय के मूल स्थान से दूर कोई पीठ स्थापित किए जाने की बाबत, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करके, कोई विनिर्दिष्ट और पूर्ण प्रस्ताव, प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

भूमि का अधिग्रहण

4307. **श्री एल० रमना** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोयले के खनन हेतु कोयला क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) इनमें से कितनी कोयला खानों में खनन कार्य शुरू हो चुका है; और

(ग) अन्य खानों में खनन कार्य शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कोयला खनन किए जाने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान 5,188.47 हैक्टर भूमि के सभी भू-स्वामित्व अधिकारों तथा 12,178.46 हैक्टर भूमि के खनन के भू-स्वामित्व संबंधी अधिकारों के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है।

(ख) 29 खानों में से 24 खानों में खनन कार्य चल रहा है।

(ग) अन्य 5 खानों में खनन कार्य न शुरू किए जाने के कारण नीचे दिए गए हैं :

(i) परियोजना 4 खानों में प्रक्रिया/स्वीकृति के अधीन है।

(ii) एक खान में परियोजना निष्पादन अधीन है और खनन संबंधी क्रियाकलाप 10वीं योजना में शुरू किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को अनुदान

4308. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** पश्चिम बंगाल में अनधिकृत चाय बागान के बारे में 16 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 1603 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चाय बागानों को किसी प्रकार का अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बागानों को अनुदान देने के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी प्रकार का अनुदान पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और बागान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसी प्रकार का अनुदान अनधिकृत चाय बागानों को भी दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) चाय बोर्ड, अपनी विकास योजनाओं के माध्यम से चाय उद्योग के सभी खण्डों को दीर्घ अवधि ऋण, इमदाद, सहायता अनुदान और बैंक ऋणों पर ब्याज सहायता के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) चूंकि उद्योग विभिन्न आकार के एककों और भिन्न-भिन्न आर्थिक शक्तियों से बना है। इसलिए चाय बोर्ड की विकासात्मक योजनाएं विभिन्न खण्डों की जरूरतों और आवश्यकताओं को उनके आकार और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने के लिए तैयार की जाती हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

4309. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के स्वीकृत पद की तुलना में कुल कितने कार्मिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कार्मिकों के रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) एस टी सी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कार्मिकों की कुल संख्या इस प्रकार है :

अनु. जा.	—	325
अनु. जनजा.	—	62
अन्य पिछड़ी जातियां	—	89

जबकि अनु. जाति के वर्ग में कोई पुरानी रिक्ति नहीं है, एस टी सी के पास अनु. जनजाति के वर्ग में पांच पदों की पुरानी रिक्ति हैं और अन्य पिछड़ी जातियों के वर्ग में एक पद रिक्त है, जोकि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने की वजह से नहीं भरे जा सके। तथापि, आरक्षित पदों की पुरानी रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती कार्रवाई की जा रही है और एस टी सी का यह प्रयास है कि इन्हें चालू कैलेन्डर वर्ष के दौरान भर लिया जाए।

अप्रयुक्त विदेशी ऋण

4310. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश-वार/विदेशी संस्था-वार स्वीकृत ऐसे ऋणों का ब्यौरा क्या है जो 30 मार्च, 1996 तक अप्रयुक्त पड़े थे; और

(ख) ऐसे अप्रयुक्त ऋणों का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ख) संलग्न विवरण-II और III के अनुसार।

विवरण-I

31.3.96 की स्थिति के अनुसार दातावार अनुपयोगित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण (अनन्तिम)

(दाता मुद्रा मिलियन में)

क्र.सं.	देश/संस्था	मुद्रा	31.3.96 की स्थिति के अनुसार न निकाला गया शेष
1	2	3	4
1.	एडीबी	अमरीकी डालर	2252.531
2.	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	4029.645
3.	आईडीए	अमरीकी डालर	4936.944
4.	आईएफएडी	अमरीकी डालर	98.283
5.	ओपीईसी	अमरीकी डालर	34.721
6.	पी.पी.एफ.	अमरीकी डालर	15.792
7.	आस्ट्रेलिया	अमरीकी डालर	1.957
8.	अस्ट्रिया	अस्ट्रियन शिलिंग	8,062
9.	बेल्जियम	बेल्जियम फ्रैंक	297.068
10.	डेनमार्क	अमरीकी डालर	15.000

1	2	3	4
11.	फ्रांस	ड्यूश मार्क	0.319
12.	फ्रांस	फ्रैंच फ्रैंक	1625.673
13.	जर्मनी	ड्यूश मार्क	691.154
14.	जापान	जापानी येन	407432.900
15.	कुवैत निधि	कुवैती दीनार	9.868
16.	साऊदी निधि	साऊदी रियाल	183.768
17.	स्वीडन	स्वीडिश क्रोनर	214.358
18.	स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रैंक	23.655

विवरण-II

31.3.96 की स्थिति के अनुसार राज्यवार अनुपयोगित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण (अनन्तिम)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	31.3.96 की स्थिति के अनुसार न निकाला गया शेष
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2466.21
2.	बिहार	379.34
3.	गुजरात	65.42
4.	हरियाणा	943.92
5.	कर्नाटक	1161.01
6.	केरल	201.13
7.	मध्य प्रदेश	544.64
8.	महाराष्ट्र	5102.09
9.	उड़ीसा	1181.37
10.	पंजाब	264.23
11.	राजस्थान	824.05
12.	तमिलनाडु	2699.65
13.	उत्तर प्रदेश	2001.38
14.	पश्चिम बंगाल	2065.34
15.	बहुराज्य	5243.65
	जोड़	25143.65

विवरण-III

31.3.96 की स्थिति के अनुसार परियोजनावार अनुपयोगित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण (अनन्तिम)

(दाता मुद्रा मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मुद्रा	31.3.96 की स्थिति के अनुसार न निकाला गया शेष
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	अमरीकी डालर	79.258
2.	आईडीपी-43 श्रीसेलम लेफ्ट बैंक विद्युत-I	जापानी येन	7485.300
3.	आईडीपी-85 श्रीसेलम विद्युत संप्रेषण	जापानी येन	3804.000
4.	आईडीपी-94 श्रीसेलम बायातट विद्युत	जापानी येन	14708.100
5.	आईडीपी-95 श्रीसेलम बायातट विद्युत	जापानी येन	9546.000
6.	कोथागुडम "क" तापीय विद्युत	जापानी येन	4769.800
7.	रॉयलसीमा तापीय विद्युत	अमरीकी डालर	38.303
8.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	अमरीकी डालर	1.646
9.	हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	अमरीकी डालर	46.560
10.	आंध्र प्रदेश परामर्शी स्वास्थ्य पद्धति	अमरीकी डालर	140.951
11.	आंध्र प्रदेश जनजातीय विकास	अमरीकी डालर	13.007
12.	आंध्र प्रदेश सहभागिता जनजातीय विकास	अमरीकी डालर	24.910
बिहार			
1.	बिहार पठार विकास	अमरीकी डालर	109.735
2.	पूर्वी गंडक नहर	जापानी येन	11.300
3.	बिहार विद्युत क्षेत्र पुनर्निमाण	अमरीकी डालर	1.500

1	2	3	4
गुजरात			
1.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	अमरीकी डालर	17.720
2.	गुजरात शहरी विकास	अमरीकी डालर	1.481
हरियाणा			
1.	मेवात क्षेत्र विकास परियोजना	अमरीकी डालर	13.880
2.	हरियाणा विद्युत पुनर्निर्माण	अमरीकी डालर	0.298
3.	राजमार्ग उन्नयन	अमरीकी डालर	0.848
4.	जल संसाधन समेकन	अमरीकी डालर	262.026
कर्नाटक			
1.	रायचूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार परि.	जापानी येन	4013.800
2.	काली नदी पनबिजली केंद्र-II	कुवैती दीनार	2.984
3.	मैसूर कागज मिल आधुनिकीकरण और नवीकरण परियोजना	जापानी येन	2315.100
4.	ऊपरी कृष्णा सिंचाई चरण-II	अमरीकी डालर	18.396
5.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	अमरीकी डालर	93.054
6.	रायचूर अस्पताल	अमरीकी डालर	9.000
7.	कर्नाटक राज्य विस्तृत भूमि प्रबंधन	जापानी येन	16050.000
केरल			
1.	केरल मत्स्य उद्योग झींगा पालन	कुवैती दीनार	6.884
2.	केरल वर्षापोषित कृषि	अमरीकी डालर	10.000
3.	केरल विद्युत	अमरीकी डालर	26.425
मध्य प्रदेश			
1.	मध्य प्रदेश वानिकी	अमरीकी डालर	54.915
2.	मध्य प्रदेश वानिकी 2700-आईएन	अमरीकी डालर	0.187
3.	भोपाल झील संरक्षण	जापानी येन	6997.000
4.	रीवा अस्पताल	अमरीकी डालर	9.891
5.	मध्य प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति	ड्यूश मार्क	42.913
महाराष्ट्र			
1.	महाराष्ट्र वानिकी	अमरीकी डालर	105.938
2.	महाराष्ट्र विद्युत	अमरीकी डालर	183.155
3.	दूसरी महाराष्ट्र विद्युत	अमरीकी डालर	270.444
4.	घटघर पंप संग्रहण परियोजना	जापानी येन	11378.000
5.	उरां मिश्रित चक्र विद्युत स्टेशन	डीएम	12.329
6.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	डीएम	29.740
7.	दूसरी मुम्बई शहरी परिवहन	अमरीकी डालर	3.000
8.	महाराष्ट्र सिंचाई	अमरीकी डालर	-7.518
9.	तीसरी मुम्बई जलापूर्ति	अमरीकी डालर	23.281
10.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	अमरीकी डालर	79.374
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	अमरीकी डालर	27.102
12.	महाराष्ट्र आपातकालीन भूकंप	अमरीकी डालर	198.674
13.	मुम्बई मलजल व्यवस्था 2763-आईएन	अमरीकी डालर	20.000
14.	मुम्बई मलजल व्यवस्था 3923-आईएन	अमरीकी डालर	167.000
15.	उज्जैनी एचई परियोजना	जापानी येन	187.900
16.	तीसरी मुम्बई जलापूर्ति 2769-आईएन	अमरीकी डालर	20.000
उड़ीसा			
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	अमरीकी डालर	276.693
2.	ऊपरी कोलाब सिंचाई	जापानी येन	1590.400
3.	ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई	जापानी येन	1791.700
4.	लिफ्ट सिंचाई, उड़ीसा	डीएम	46.259
5.	भू-जल ट्रांस द्वितीय की खोज और प्रबंध	ए डालर	1.957
6.	उड़ीसा जनजातीय विकास	अमरीकी डालर	4.973
पंजाब			
1.	पंजाब सिंचाई 2076-आईएन	अमरीकी डालर	77.554
राजस्थान			
1.	एडीपी राजस्थान कृषि विकास	अमरीकी डालर	72.900
2.	इंदिरा गांधी वनरोपण	जापानी येन	6137.500
3.	वनरोपण अरावली पर्वतमाला	जापानी येन	4424.900

1	2	3	4
4.	राजस्थान वानिकी विकास आई.डी.पी. 104	जापानी येन	4033.100
5.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	अमरीकी डालर	1.925
6.	राजस्थान कमांड क्षेत्र	अमरीकी डालर	6.783
7.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना-I	डीएम	1.426
8.	ग्रामीण जलापूर्ति चरण-I	डीएम	85.083
	तमिलनाडु		
1.	तमिलनाडु कृषि विकास	अमरीकी डालर	40.408
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	अमरीकी डालर	20.000
3.	वेसिन बांध गैस टर्बाइन-II	जापानी येन	1888.900
4.	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	अमरीकी डालर	31.019
5.	द्वितीय उत्तरी मद्रास तापीय	अमरीकी डालर	83.669
6.	तमिलनाडु लघु उद्योग विकास	जापानी येन	3153.200
7.	तमिलनाडु जलसंसाधन समेकन	अमरीकी डालर	270.462
8.	मद्रास जलापूर्ति और सफाई	अमरीकी डालर	17.296
9.	द्वितीय तमिलनाडु पोषाहार	अमरीकी डालर	24.084
10.	तमिलनाडु महिला विकास	अमरीकी डालर	5.045
11.	तमिलनाडु शहरी विकास	अमरीकी डालर	73.734
12.	मद्रास मलव्ययन नवीकरण और कार्यान्वयन	जापानी येन	17098.000
13.	तमिलनाडु जलापूर्ति 1454 आईएन	अमरीकी डालर	-11.567
14.	तमिलनाडु जलापूर्ति	अमरीकी डालर	29.958
15.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति	अमरीकी डालर	269.806
	उत्तर प्रदेश		
1.	उत्तर प्रदेश लवणीय भूमि पुनर्सुधार	अमरीकी डालर	51.384
2.	अंपाडा विद्युत परेशन	जापानी येन	14711.700
3.	अनपाडा "ख" तापीय विद्युत	जापानी येन	94.700
4.	अनपाडा "ख" तापीय विद्युत आईडीपी-88	जापानी येन	14330.300
5.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र	अमरीकी डालर	0.361
6.	द्वितीय उत्तर प्रदेश ट्यूबैल	अमरीकी डालर	0.753
7.	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा	अमरीकी डालर	128.106
8.	बस्ती जिला अस्पताल	अमरीकी डालर	4.897
9.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	अमरीकी डालर	33.419
10.	नदी यमुना पार पुल	जापानी येन	10036.900
	पश्चिमी बंगाल		
1.	सुन्दरवन विकास	अमरीकी डालर	1.830
2.	पश्चिम बंगाल वानिकी	अमरीकी डालर	14.799
3.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	जापानी येन	1524.600
4.	किस्ता नहर एचएफपी आईडीपी-40	जापानी येन	1439.700
5.	किस्ता नहर एचई आईडीपी-72	जापानी येन	3747.500
6.	आईडीपी-89 बकरेश्वर तापीय विद्युत	जापानी येन	26862.900
7.	बकरेश्वर आईडीपी-97 तापीय विद्युत यूनिट-3	जापानी येन	8613.400
8.	पुर्लीया पम्प स्टोरेज	जापानी येन	20479.700
9.	कोलाघाट तापीय विद्युत	जापानी येन	5.700
	बहुराज्य		
1.	समेकित जलसंभर विकास मैदान गुजरात, राजस्थान उड़ीसा	अमरीकी डालर	38.740
2.	समेकित जलसंभर विकास पहाड़ी हिमाचल प्रदेश जे एंड के, पंजाब, हरियाणा	अमरीकी डालर	46.780
3.	झींगा और मछली पालन, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पं.बंगाल	अमरीकी डालर	89.340
4.	राष्ट्रीय रेशम कीटपालन आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पं. बंगाल	अमरीकी डालर	44.840
5.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु	अमरीकी डालर	125.370
6.	राष्ट्रीय सड़क परियोजना, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान	अमरीकी डालर	31.670
7.	सड़क सुधार परियोजना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु	अमरीकी डालर	54.980

1	2	3	4
8.	द्वितीय सड़क परियोजना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, प. बंगाल	अमरीकी डालर	105.470
9.	द्वितीय पत्तन परियोजना आंध्र प्रदेश	अमरीकी डालर	38.430
10.	पर्यटन आधारभूत विकास बिहार, उत्तर प्रदेश	जापानी येन	5838.130
11.	बांध सुरक्षा परियोजना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु	अमरीकी डालर	125.060
12.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, आ.प्र. कर्नाटक महाराष्ट्र, म.प्र., उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात	अमरीकी डालर	142.000
13.	बांध सुरक्षा परियोजना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, त.न.	अमरीकी डालर	23.000
14.	तकनीकी शिक्षा-II, आ.प्र. असम, हरियाणा, हि.प्र., महाराष्ट्र, पं.बं,. त.न., पंजाब	अमरीकी डालर	193..490
15.	पांचवी जनसंख्या परियोजना तमिलनाडु, महाराष्ट्र	अमरीकी डालर	15.000
16.	तकनीकी शिक्षा-I, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उ.प्र., उड़ीसा, गोआ, म.प्र.	अमरीकी डालर	115.190
17.	आईसीडीएस, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश	अमरीकी डालर	38.370
18.	अजन्ता और अलौरा संरक्षण महाराष्ट्र	जापानी येन	3206.350.

*बहुराज्य परियोजना के लिए अनाहरित शेष का राज्यवार आबंटन उपलब्ध नहीं है।

अखबारी कागज को खुला सामान्य लाइसेंस का दर्जा दिया जाना

4311. श्री वी० वी० राघवन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखबारी कागज को खुला सामान्य लाइसेंस का दर्जा दिए जाने, उत्पाद शुल्क से छूट देने और स्वेदशी तथा आयातित अखबारी कागज के उपयोग के लिए निर्धारित 2:1 के अनुपात को समाप्त करने से अखबारी कागज उद्योग को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वदेशी उद्योग को बचाने के लिए अखबारी कागज संबंधी वर्तमान नीति की समीक्षा करने और पूर्व की तरह उत्पाद शुल्क और अखबारी कागज के अनुपात को पुनः शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) अखबारी कागज के आयात संबंधी नीति की हाल ही में समीक्षा की गयी है और वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 5.3.97 की अधिसूचना सं. 24/92-94 के अनुसार अखबारी कागज के आयात की अनुमति अब उन वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा बिना किसी आयात लाइसेंस के दी जाती है जिसके पास भारतीय समाचार-पत्र के पंजीकरण (आरएनआई) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र है और जो सामान की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को आर एन आई द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। आयात पर यह प्रतिबंध घरेलू अखबारी कागज के विनिर्माताओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर लगाया गया है। अखबारी कागज पर उत्पादन शुल्क से कई वर्षों से छूट दी जा रही है इस छूट से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखाई देता। अखबारी कागज के आयात के लिए अखबारी कागज उपभोग अनुपात फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीन के साथ निर्यात में स्पर्धा

4312. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात में चीन के साथ कड़ी स्पर्धा का सामना कर रहा है तथा क्या चीन ने गैर-साम्यवादी देशों के निर्यात बाजार में लगभग अपना आधिपत्य जमा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप भारत निर्यात में किस हद तक कमी आयी है;

(ग) इसके लिए क्या मुख्य कारण जिम्मेवार हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्पर्धा का मुकाबला करने तथा निर्यात बाजार में पुनः आधिपत्य जमाने हेतु उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारत और चीन द्वारा निर्यात की जाने वाली परंपरागत और गैर-परंपरागत वस्तुओं में भिन्नता है। इसलिए चीन ने गैर-कम्यूनिस्ट देशों में भारत के बाजार नहीं हथियाए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नारियल और इससे बने उत्पादों का निर्यात

4313. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नारियल और इससे बने उत्पादों का कुल कितना निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) सरकार द्वारा इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए नारियल और नारियल जटा के उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :

मात्रा मी. टन में
मूल्य करोड़ रुपये में

वर्ष	नारियल (ताजा, डेसिकेटेड और सुखाया हुआ)		नारियल जटा उत्पाद	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1993-94	29	4.83	37951	12936.75
1994-95	160	13.26	48086	17165.25
1995-96	174	44.49	48276	20684.65

(ख) निर्यात मुख्यतः नारियल जटा उत्पाद के क्षेत्र में हुए हैं जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान धनात्मक रुख परिलक्षित हुआ है। नारियल के उत्पादन और उत्पादकता एवं नारियल जटा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाए गए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

(i) गुणवत्ता वाले पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण;

(ii) नारियल के उपज वाले क्षेत्रों में एकीकृत कृषि को बढ़ावा देना;

(iii) क्षेत्र विस्तार;

(iv) पत्ता खाने वाली सूंड़ी के एकीकृत नियंत्रण को लागू करना;

(v) क्वायर बोर्ड द्वारा भारतीय क्वायर की खपत को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और जर्मन क्वायर संघों के साथ संयुक्त प्रचार कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व लेना;

(vi) महत्वपूर्ण मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी;

(vii) क्वायर जियो-टैक्सटाइल्स के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सेमिनारों का आयोजन करना।

साधारण बीमा निगम द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण

4314. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम द्वारा देश भर में +2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था;

(ख) क्या उन सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है जिन्हें उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो बाह्य अभ्यार्थियों को रोजगार देने के लिए विज्ञापन दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें यह प्रशिक्षण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 के स्तर पर वर्ष 1988 में एक द्विवर्षीय "रोजगार से सम्बद्ध" बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत "अग्रगामी परियोजना" के आधार पर साधारण बीमा निगम के सहयोग से चुनिंदा शहरों के कुछ विद्यालयों में की गयी थी, वर्ष 1994 तक इस कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को इस उद्योग में सहायकों के रूप में समाहित कर लिया गया है। साधारण बीमा उद्योग द्वारा निरंतर रूप से इतनी बड़ी संख्या को समाहित करना कठिन हो रहा था। और इसलिए वर्ष 1994 के पश्चात् रोजगार-गारंटी को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि, वर्ष 1994 से कोई रोजगार-गारंटी नहीं है, तथापि, साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियां सहायक के पद के लिए अनिवार्य अर्हताओं को पूरा न करने पर भी व्यावसायिक वर्ग से आने वाले सफल विद्यार्थियों को साधारण उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में बैठने की समय-समय पर अनुमति प्रदान करती है।

[हिन्दी]

मादक द्रव्यों की तस्करी

4315. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मादक द्रव्यों की तस्करी के कितने मामलों का राज्यवार पता चला है;

(ख) कितने दोषी व्यक्तियों को सजा दी गयी है;

(ग) क्या इन मामलों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाए जाने हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान स्वापक औषधों की तस्करी के मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान क्रमशः 2456 तथा 2727 व्यक्तियों को सजा दी गयी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्वापक औषधों की तस्करी के राज्यवार मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995	1996 (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	531	163
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	1
3.	असम	73	60
4.	बिहार	54	31
5.	गोवा	20	53
6.	गुजरात	251	164
7.	हरियाणा	94	21
8.	हिमाचल प्रदेश	52	38
9.	जम्मू व काश्मीर	55	55
10.	कर्नाटक	2	—
11.	केरल	178	201
12.	मध्य प्रदेश	125	337
13.	महाराष्ट्र	414	548
14.	मणिपुर	149	170
15.	मेघालय	76	125
16.	मिजोरम	250	12
17.	नागालैंड	49	55
18.	उड़ीसा	5	73
19.	पंजाब	377	285
20.	राजस्थान	171	312
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडू	2368	2693
23.	त्रिपुरा	38	21
24.	उत्तर प्रदेश	6359	5417
25.	पश्चिम बंगाल	241	97
26.	दिल्ली	828	620
27.	दमन व दीव	—	—
28.	पांडिचेरी	5	—
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	1
30.	लक्षद्वीप	—	—
31.	दादर व नागर हवेली	—	—
32.	चंडीगढ़	19	12
	कुल	12799	11565

[अनुवाद]

बांग्लादेश के साथ व्यापार

4316. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बांग्लादेश के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापार हेतु किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) सरकार की नीति यह है कि बांग्लादेश जैसे पड़ौसी देशों समेत सभी देशों के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार किया जाए।

(ख) भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से आपसी हित की अनेक मदों पर टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया है। तथापि, नौवीं योजना में इस बारे में कोई क्षेत्र अभिज्ञात नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में विश्व बैंक की सहायताप्राप्त परियोजनाएं

4317. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं की स्थान-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को बिहार राज्य सरकार की ओर से विश्व बैंक की सहायता से कुछ और परियोजनाएं आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी परियोजनाओं की स्थान-वार संख्या क्या है; और

(घ) इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब संबंधी क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) बिहार राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चार परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के स्थान-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

परियोजना का नाम	बिहार में जहां परियोजना स्थित है
1. बिहार पठार विकास	रांची चेबरा, जमशेदपुर और दुमका।
2. तकनीकी शिक्षा-I (बहु-राज्य)	बोकारो, पटना, रांची, धनबाद, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, शिवान, मनोहरपुर, साहरशा और दुमका।
3. राज्य सड़क (बहु-राज्य)	भागलपुर में गंगा पर पुल तथा पुल की ओर जाने वाली सड़कों का निर्माण।
4. झींगा मछली तथा मछली (बहु-राज्य)	पूर्वीय चंपारन, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय।

इन परियोजनाओं के अलावा, बिहार राज्य को एक परियोजना तैयार करने की सुविधा प्रदान की गयी ताकि राज्य विद्युत क्षेत्र के सुधार तथा पुनःसंरचना के साथ-साथ विश्व बैंक की सहायता से चल रही अन्य केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना, जिनमें बिहार राज्य भी लाभ प्राप्त कर्ताओं में से एक है, के संबंध में नैदानिक अध्ययन किए जा सकें।

(क) से (घ) बिहार राज्य के संबंध में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु कुछ परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें से कुछ बिहार वानिकी, स्वर्ण रेखा सिंचाई और बिहार प्राथमिक शिक्षा परियोजना शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों पर हैं और इन परियोजनाओं के संबंध में राशि सहित ब्यौरों का पता विश्व बैंक के साथ सहायता संबंधी बातचीत को अंतिम रूप देने के बाद ही लगेगा।

[अनुवाद]

सार्वजनिक ऋणों पर सांविधिक सीमा

4318. श्री आई० डी० स्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक ऋणों पर सांविधिक सीमा निर्धारित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि वह घरेलू बचतों को पूरा करने के लिए और अधिक मात्रा में विदेशी बचतों को देश में लाए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1995-96 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक ऋण पर सांविधिक सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है। इस विषय पर चर्चा संबंधी कागजात तैयार करने के लिए बैंक से अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः वर्ष 1995-96 की अपनी रिपोर्ट में घरेलू बचतों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक विदेशी पूंजी की जरूरत पर बल देते समय यह भी निर्दिष्ट किया है कि चालू खाते के घाटे का स्तर वहनीय और वृहत आर्थिक संतुलन के अनुरूप होना चाहिए। पूंजी प्रवाहों का पुनर्गठन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप हाल ही के वर्षों में कुल पूंजी प्रवाहों में प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियों निवेश के रूप में गैर-ऋण सुजनकारी प्रवाहों के शेयर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास

4319. श्री अरुण कुमार शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिजोरम और मणिपुर सरकारों से सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु प्राप्त हुए अनेक प्रस्ताव उनके मंत्रालय में लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय परिव्ययों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में म्यांमार, भूटान, बंगलादेश और चीन के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किसी पैकेज की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसका वित्तीय परिव्यय क्या है; और

(ङ) सरकार ने उपरोक्त भाग (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1997-98 के दौरान इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय को मणिपुर सरकार के कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य सुझावों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। चूंकि ये सुझाव सामान्य स्वरूप के थे इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस मंत्रालय के विचारार्थ निश्चित प्रस्ताव भेजे। चम्पाई में बार्डर टाउनशिप बनाने के लिए मिजोरम सरकार से एक प्रस्ताव मिला है जिसे गृह मंत्रालय के पास विचार के लिए भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किसी पृथक पैकेज की घोषणा नहीं की गयी है फिर भी, यह मंत्रालय पर्याप्त बैंकिंग, सीमा शुल्क, आव्रजन एवं

व्यापार संबंधी अन्य व्यवस्था प्रदान कर इन सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुकर बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

4320. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "नेशनल को-आपरेटिव बैंक आफ इंडिया" नामक एक सहकारी समिति ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस मांगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इस प्रकार का लाइसेंस जारी करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित होगा।

वस्त्र निर्यात कोटा

4321. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उत्पाद के लिए निर्यात कोटे का आवंटन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के कुल निर्यात का प्रतिशत क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) भारत से निश्चित वस्त्र तथा क्लोदिंग मदों के निर्यातों पर संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय समुदाय के देशों, कनाडा तथा नार्वे द्वारा लागू मात्रात्मक प्रतिबंध (कोटा) हैं। ये कोटे निर्यात में सरकार द्वारा अधिसूचित परिधान तथा वस्त्र निर्यात हकदारी नीतियों के प्रावधानों के अन्तर्गत आबंटित किए जाते हैं।

इस समय मूल्य के रूप में कोटा मदों के निर्यात हमारे वस्त्र तथा क्लोदिंग मदों के कुल निर्यातों में लगभग 41 प्रतिशत योगदान देते हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) का बैंकिंग डिवीजन

4322. श्री राम नाईक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के अन्तर्गत बैंकिंग डिविजन कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब बना है;

(ग) उक्त बैंकिंग डिवीजन की स्थापना के बाद इसके कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ता, अन्य सुविधाएं आदि पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसके गठन पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी; और

(घ) उक्त बैंकिंग प्रभाग द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को अपने कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु किस तरह सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1995 में आयोग ने मूल्यांकन कक्ष प्रबोधन तथा वसूली कक्ष के कार्य को देखने के लिए एक पूर्णरूपेण बैंकिंग प्रभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कुछ कर्मचारियों सहित भारतीय स्टेट बैंक के पांच अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में नवसृजित बैंकिंग प्रभाग में कार्यरत हैं।

(ग) कथित बैंकिंग प्रभाग में इसके गठन से अबतक कार्यरत कर्मचारियों पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वेतन, यात्रा भत्ता, विविध भत्ते आदि पर कुल व्यय नीचे दिया गया है :

पद	पदों की संख्या	लाख रुपये
महाप्रबन्धक	1	9.58
उप महाप्रबन्धक	1	4.71
प्रबन्धक	3	7.79
	जोड़	22.08

(घ) उक्त बैंकिंग प्रभाग द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मुहैया की जा रही सहायता, परियोजना मूल्यनिर्धारण प्रणाली बनाने, प्रशिक्षण, प्रणाली के प्रचालन, प्रबोधन तथा वसूली पद्धति बनाने इत्यादि जैसे क्षेत्रों में है। बैंकिंग प्रभाग, सहायता संघ प्रमुख नामतः भारतीय स्टेट बैंक के साथ विचार-विमर्श करके सतत आधार पर संघ से निधि उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न मामलों को निपटाने में भी सहायता देता है।

बुनियादी ढांचा विकास

4323. श्री के० पी० सिंह देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बुनियादी ढांचा विकास के लिए इंगलैंड के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंगलैंड ने इस कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो इंगलैंड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क)

हालांकि, देश में आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, कार्यान्वित की जा रही कुछ परियोजनाएं आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्ताक्षरित इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	निम्नलिखित तारीख को हस्ताक्षर किए गए	राशि (मिलियन पौंड में)
1.	हीट ट्रीटिड रेलों का आयात (रेलवे क्षेत्र अनुदान 1990)	26.9.94	15.2
2.	आंध्र प्रदेश ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना	22.12.94	42.7
3.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	20.8.96	75.0
4.	झांजरा कोयला परियोजना	28.10.96	3.4

भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य-मंडल परिसंघ द्वारा दिए गए सुझाव

4324. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य मंडल के परिसंघ ने एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गांरटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्तमान समय में नब्बे प्रतिशत बीमा सुविधा को बढ़ाकर निर्यात के कुल मूल्य का शत-प्रतिशत करने हेतु मंत्रालय को कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो परिसंघ द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक भारतीय निर्यात ऋण गांरटी निगम लिमि. द्वारा 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बीमा राशि को बढ़ाने के लिए फिक्की के सुझाव का संबंध है, विश्वभर में ऋण के बीमाकर्त्ता 100 प्रतिशत सुरक्षा नहीं देते। अतः 100 प्रतिशत सुरक्षा के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

भारतीय निर्यात ऋण गांरटी निगम लि. के संबंध में फिक्की द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का संबंध विशेष रूप से इनसे है–6 सप्ताह के भीतर दावों के संविवरण करना, यू.एस. डालर में दावों का भुगतान करना तथा विदेशी बीमा कंपनी से बीमा सुरक्षा की मांग करने के लिए निर्यातकों को विकल्प देना।

स्थापित क्रियाविधि के अनुसार ई.सी.जी.सी. द्वारा दावों का भुगतान किया जाता है। हानि का सही-सही पता लगाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। छह सप्ताह का समय बहुत कम है और इस समय ई.सी.जी.सी. द्वारा माना नहीं जा सकता। तथापि अल्पावधि पालिसियों के संदर्भ में दावों का निपटान करने के लिए, लिया जाने वाला औसत समय 1992-93 के 156 के दिन की तुलना में 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार कम होकर 134 दिन हो गया है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा दृष्टिकोण से अमरीकी डालर में भुगतान करना संभव नहीं है। जहां तक विदेशी बीमा कंपनियों से सुरक्षा लेने की अनुमति देने का प्रश्न है, भारत में ऋण बीमा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। निर्यातक आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यदि वे चाहें तो विदेशी कंपनी से बीमा प्राप्त कर सकते हैं।

फिल्म उद्योग पर बकाया कर

4325. डॉ० कृपासिंधु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 में प्रत्येक फिल्म स्टार, निर्देशक और निर्माता पर आयकर और धनकर की कुल कितनी धनराशि भुगतान करने हेतु देय थी और इस वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा आयकर और धनकर की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या उनके आयकर और धनकर वसूल करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार उन फिल्मी सितारों, निर्देशकों एवं निर्माताओं आदि के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिनकी तरफ दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर की मांग बकाया पड़ी हुई थी।

वर्ष 1996-97 के दौरान फिल्मी कलाकारों की तरफ भुगतान के लिए बकाया धनकर की मांग और उनके द्वारा अदा की गयी आयकर और धनकर की धनराशि के बारे में सूचना केन्द्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं है तथा इस सूचना को समूचे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करना होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना को एकत्र और संकलित करने में काफी अधिक समय लगेगा तथा इसमें लगने वाला समय और श्रम प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं हो सकेगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी खास फ़िल्मी कलाकार के बारे में सूचना चाहते हैं तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) और (ग) जी, हां। बकाया मांग की वसूली/उसमें कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और उसे कम करने के लिए उचित प्रशासनिक, विधिक और अन्य उपाय किए जाते हैं। बड़े-बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां-कहीं वसूली संबंधी कार्यवाहियां को न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दिया जाता है, वहां पर

उक्त स्थगन को रद्द करवाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली करने के लिए उचित मामलों में संपत्ति की कुर्की और बिक्री, अर्थ-दंड लगाने आदि जैसे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	फिल्मी सितारों, निर्देशकों और निर्माताओं आदि के नाम	31.12.96 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया मांग (लाख रुपये में)
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	स्व. किशोर कुमार गांगुली	41.92
2.	शाहरुख खान	16.68
3.	डीलक्स पिक्चर	12.58
4.	पंकज उधास	22.45
5.	सावन कुमार प्रोड.प्रा. लि.	10.57
6.	अमरीश शाह	34.68
7.	जैकी श्राफ	27.64
8.	न्यू एक्सेलसियर थियेटर लि.	34.32
9.	जयराम रेड्डी	21.83
10.	दादा कोंडके	15.52
11.	सविता बेन डी. शाह	35.50
12.	सुशीला बेन पी. शाह	32.38
13.	नजहतखान	18.04
14.	नडियाडवाला ग्रांड संस	43.52
15.	नासिर हुसैन फिल्म्स प्रा. लि.	46.81
16.	आयशा श्राफ	93.23
17.	बी.आर. टी.वी.	11.83
18.	कपिलेश्वर फिल्म प्रा. लि.	14.28
19.	एन.के. तुलशन	17.27
20.	परवेज अहमद	11.00
21.	राजबब्बर	14.08
22.	राजा रे	12.41
23.	राजन सिप्पी	51.14
24.	रतन खत्री	243.06
25.	रामनार्ड रिसर्च लैब प्रा. लि.	38.20
26.	राजेश खन्ना	42.81
27.	सावन कुमार टाक	32.37
28.	गुरुदत्त फिल्म्स प्रा. लि.	10.18
29.	जी. माधवी	29.87
30.	जी.एम. गुलबानी	43.07
31.	मुकेश दुग्गल	20.16
32.	एफ.ए. फारुक	13.88
33.	एल.आर. मीरचन्दानी	14.15
34.	एस. मुखर्जी	11.83
35.	आर.एन. शंकर	26.02
36.	पी.एम. प्रोडक्शन	11.88
37.	नवरंग सिने सेन्टर प्रा.लि.	83.30
38.	ओ.पी. रल्हन	74.08
39.	सतराम रोहड़ा	42.39
40.	ए.के. मूवीज	34.39
41.	एस.सी. भगवान	21.30
42.	लहरी एन्टरप्राइजेज	17.50
43.	एम.बी. पवार	16.41
44.	जाफो फिल्म्स प्रा.लि.	14.33
45.	त्रिखा सुदेश	12.48
46.	जी.बार.एन. एन्टरप्राइजेज	10.44
47.	बरखा राय	10.32
48.	सुमीत फिल्म	10.14
49.	बी. सरसम्मा	20.76
50.	एस. मलिका	10.06
51.	राधा एन्टरप्राइजेज	26.40

1	2	3
52.	आर.डी. भास्कर	37.84
53.	आर.के. फिल्म एसोसिएट्स	27.20
54.	एडलैब्स फिल्म्स प्रा. लि.	57.64
55.	मुक्ता आर्टस प्रा. लि.	24.39
56.	सुभाष घई	34.98
57.	अशोक घई	11.28
58.	दीप्ति पिक्चर्स	16.67
59.	टी. गौतमी	10.54
60.	प्रभाकर	20.05
61.	के. चन्द्रलेखा	10.68
62.	किशोर सरजा	11.08
63.	रेणुकाम्बा डिस्ट्रीब्यूटर्स	12.15
64.	गोपाल फिल्म्स	10.83
65.	मिश्रीलाल पिक्चर्स प्रा. लि.	69.42
66.	मोशन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स	57.63
67.	जनता सिनेमा प्रोपर्टीज एंड फाइनेंस लि.	36.12
68.	शान्ति फिल्म कारपो.	10.78
69.	अन्जन चौधरी	28.09
70.	सन्तोश दास गुप्ता	15.40
71.	एम. मोनी	20.47
72.	आर. के. फिल्म्स एंड स्टूडियोज प्रा. लि.	10.11
73.	पूजा भट्ट	10.29
74.	महेश भट्ट	11.35
75.	अरुण इन्टरनेशनल लि.	508.78
76.	ए. अर्जुन	19.63
77.	के.सी. बोकाड़िया	242.81
78.	फ्रांसिस जोसफ	28.31
79.	जी. गोपाल राव	30.63
80.	जी. हनुमन्त राव	27.30
81.	खुशबू उर्फ नखातखान	12.13
82.	ए. कोतंडरमैया	26.25
83.	के.टी. कुंजूमन	31.50
84.	मुरलीकान्तन	24.31
85.	पदमालय फिल्म्स	24.19
86.	आर. राजबाबू	15.45
87.	एस. रामानाथन	40.47
88.	के. एस. रामाराव	19.50
89.	शान्ति थियेटर	27.03
90.	सुजाता फिल्म्स प्रा. लि.	650.42
91.	स्व. स्मिता	10.26
92.	पी. सौन्दर्य	14.93
93.	ए. श्रीदेवी	79.61
94.	श्रीविद्या	12.13
95.	सुशित्रा मोहनलाल	17.90
96.	के. सुब्रह्मणियम	213.75
97.	पी. वासु	32.52
98.	एस. पी. वैकन्नाबाबू	14.39
99.	जी. वेंकटेश्वरन	82.09
100.	आर. विजयचन्द्रन	34.29

प्राथमिक बाजारों में विदेशी कंपनियों की पहुंच

4326. श्री विजय पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1997 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फारेन कंपनीज मस्ट हैव एक्सेस टू प्राइमरी मार्किट" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अवसंरचनात्मक क्षेत्र में अत्यावश्यकता तथा उपरोक्त समाचार में उठाए गए अन्य मुद्दों का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बात पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने आधारिक ढांचे की परियोजनाओं की प्राथमिक बाजार में पहुंच में मदद करने और आधारिक ढांचे में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कोई कंपनी जो भारत में निगमित है और सभी आवश्यक वैधानिक अपेक्षाएं पूरी करती है, प्राथमिक बाजार से निधियां उगाह सकती है। अन्य उपायों में शामिल हैं–किसी आधारिक ढांचे की सुविधा के विकास, अनुरक्षण अथवा प्रचालन हेतु किए गए निवेशों से मिलने वाले किसी लाभांश, ब्याज या दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों के लिए आयकर में छूट; सड़क, पुल, विमानपत्तन, बन्दरगाह, रेलवे परियोजना, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता और मल-निकासी जैसे आधारिक ढांचे का विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने वाली कंपनियों हेतु पांच वर्ष की कर छूट; और सार्वजनिक कंपनियों की अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के लिए धारा 88 के अन्तर्गत कर छूट, बशर्ते कि प्राप्तियों का उपयोग नयी आधारिक ढांचे की सुविधा के सृजन या बिजली के उत्पादन/वितरण के लिए किया जाए।

आधारिक ढांचे के क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए 1996-97 के बजट में 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ आधारिक ढांचा विकास वित्त कंपनी (आई. डी. एफ. सी.) की स्थापना की घोषणा की गयी थी। आई. डी. एफ. सी. को 31 जनवरी 1997 को कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित भी किया जा चुका है।

वर्ष 1997-98 के बजट में तेल की खोज और औद्योगिक पार्कों को पांच वर्ष का करावकाश दिया गया है। बजट में दूरसंचार, तेल, गैस और विद्युत परियोजनाओं, सड़कों तथा राजमार्गों के लिए अन्य उपायों की भी घोषणा की गयी है ताकि इन क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ

4327. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राज्य के अन्य स्थानों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ स्थापित करने के बारे में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये खंडपीठ कब तक स्थापित कर लिए जाएंगे ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

सैन्यकर्मियों के मताधिकार

4328. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद और विधान सभा चुनावों में बड़ी संख्या में सैन्यकर्मियों को अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक मतपत्र प्रणाली को सुव्यवस्थित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा खनन कार्य

4329. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने निर्धारित मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन करके चांदीपुर में आयुध कारखाने के निकट खनन कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार, एक ओपनकास्ट खान के चारों ओर 500 मीटर तक विस्फोटन सुरक्षा क्षेत्र की आवश्यकता होती है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की सबसे नजदीक की खानें, नामतः घारगांव, ओ.का. (जिसका प्रचालन 1992-93 में शुरू किया गया था), तेलवासा ओ.का. तथा धोरवास ओ.का. (प्रचालन अभी शुरू किया जाना है), आर्डिनेंस फैक्टरी, चंद्रपुर के चाहरदीवारी से लगभग 7 कि.मी. दूर है। अन्य खान, नामतः भाटाडीह ओ.का. (जिसका 1995-96 में प्रचालन शुरू हुआ था) उक्त आर्डिनेंस फैक्टरी से लगभग 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयले की उत्पादन दर

4330. श्री सुरेन्द्र यादव :
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति श्रमिक प्रति शिफ्ट कोयला औसत उत्पादन की लागत कितनी रही;

(ख) क्या भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन और खुली खान से कोयला उत्पादन दर में बहुत अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो पृथक रूप से तत्संबंधी औसत उत्पादन दरें क्या हैं; और

(घ) आस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे अन्य कोयला उत्पादक देशों की उत्पादन दर कितनी है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सि.को.कं.लि.) में भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों से कोयले के उत्पादन की औसत दर के बीच अंतराल है। पिछले 3 वर्षों हेतु को.इं.लि. तथा सि.को.कं.लि. की भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों की प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादकता के औसत आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(टन में)

वर्ष	को. इं. लि.			सि. को. कं. लि.		
	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र (ओ.एम.एस.)	भूमिगत	ओपनकास्ट	समग्र (ओ.एम.एस.)
1993-94	0.56	4.00	1.52	0.71	4.38	1.05
1994-95	0.57	4.36	1.54	0.69	3.63	1.08
1995-96	0.56	4.73	1.77	0.74	3.66	1.23

(घ) वर्ष 1992 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, संयुक्त राज्य अमरीका तथा आस्ट्रेलिया की भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों की प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादकता नीचे दी गयी है :

(टन में)

देश	भूमिगत	ओपनकास्ट
आस्ट्रेलिया	15.60	34.68
संयुक्त राज्य अमेरिका	18.00	40.20

विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए लाइसेंस

4331. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास को विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस दिलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डेयरी संबंधी वस्तुओं का निर्यात

4332. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश से डेयरी संबंधी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात की जा रही डेयरी संबंधी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान किन-किन देशों को ये वस्तुएं निर्यात की जाती हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) क्या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे निर्यात में शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान मलाईरहित दूध, क्रीमयुक्त दूध, बच्चों

के लिए दूध-आहार तथा अन्य प्रकार के दूध तथा क्रीम जिसमें वजन में 6 प्रतिशत से अधिक वसा हो; मलाई उतारा हुआ दूध; क्रीमयुक्त दूध, बच्चों के लिए पाउडर दूध, दानेदार/अन्य ठोस रूपों में, मक्खन, पिघला हुआ मक्खन (घी), ताजा पनीर तथा अन्य प्रकार के पनीर भारत से बहरीन, बंगलादेश, कनाडा, फ्रांस, घाना, हांगकांग, इटली, कुवैत, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, यू.ए.ई, यू.के. तथा यू.एस.ए. को निर्यात किया जाता है।

(ग) 1996-97 (अप्रैल-अगस्त) के दौरान भारत से निर्यात किए जाने वाले दुग्ध पदार्थों का मूल्य 530.00 लाख रु. था।

(घ) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने दुग्ध पाउडर, मक्खन तथा घी के निर्यात के लिए, जिसके निर्यात के लिए सरकार द्वारा अधिकतम मात्रा निर्धारित की गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कोई पंजीकरण-सह-नियतन प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

4333. श्री हंसराज अहीर : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के संबंध में कोई प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) यदि हां, तो किस तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे है; और

(घ) क्या सरकार देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा देश के बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में योजना तैयार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि आधारित उद्योग ग्रामोद्योगों में से ही एक है जिन्हें कि के वी आई सी द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। के वी आई सी ने देश में कृषि-आधारित उद्योगों के विकास हेतु अनेक कदम उठाए हैं जैसे कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों--पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, राज्य के वी आई सी बोर्डों और व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं के आधार पर अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने और ग्रामीण कारीगरों को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु के वी आई सी ने कुछ उद्योगों के संबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है। ऐसा ही एक उद्योग मधुमक्खी पालन है जो एक कृषि आधारित उद्योग है।

के वी आई सी ने उत्तर-पूर्वी परिषद से सहयोग कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में व्यावसायिक लाभ उठाने हेतु एग्रिकल्चर विकास पर एक क्षेत्रीय परियोजना को मंजूरी दी है। के वी आई सी ने पिछड़े क्षेत्रों में 125 खंड विकास कार्यक्रम और जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम जैसी कुछ विशेष योजनाएं हाथ में ली हैं जिनके तहत भी कृषि आधारित उद्योगों को क्रियान्वित किया जा रहा है। के वी आई सी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत यह कृषि-आधारित कार्यकलापों सहित अनेक ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण देता है। परियोजना विधि के तहत 10.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं आरम्भ में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 25 प्रतिशत सीमांत धन की पात्र हैं और सी ई ऋण को ब्याज सहित लौटाने के पश्चात् उसे अनुदान में बदल दिया जाएगा। 10.00 लाख रुपये से अधिक और 25.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाएं, प्रथम 10.00 लाख रुपये के लिए 25 प्रतिशत की दर से और शेष राशि पर उसके 10 प्रतिशत की दर से, सीमांत धन की पात्र हैं। पहाड़ी सीमाओं, जनजातीय और कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों, सैम्फैक्स-III और महिला लाभभोगियों के मामले में 10.00 लाख रु. तक की परियोजनाओं को सीमांत धन के रूप में 30 प्रतिशत मिलेगा। के वी आई सी की वित्तीय सहायता के अलावा संस्थागत वित्तीय अभिकरणों के माध्यम से भी ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके तहत कार्यान्वयन अभिकरण 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भार उठाती है और बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के अंत पर के वी आई सी द्वारा राजसहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) से (ङ) कृषि आधारित उद्योग उन सभी उद्यमियों के लिए होते हैं जो लाइसेंस प्रक्रिया के तहत शर्तों को पूरा करते हों।

भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम द्वारा सामाजिक आवासीय योजनाएं

4334. श्री सोहन वीर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश में कतिपय सामाजिक आवासीय योजनाएं शुरू की हैं/शुरू किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को विभिन्न सामाजिक आवासन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए योजना आयोग और शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किए गए आबंटन के अनुसार रियायती ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत करता है।

[अनुवाद]

ऊनी मिलें

4335. डा० अमृत लाल भारती :
श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्था :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऊनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र में और अधिक ऊनी मिलें स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार के सामने देश में सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र में और अधिक ऊनी मिलों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में ऊनी मिलों की कुल संख्या दिसम्बर, 1996 के अनुसार, राज्यवार नीचे दी गई है

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	17
5.	हरियाणा	117
6.	जम्मू और कश्मीर	11
7.	कर्नाटक	3
8.	मध्य प्रदेश	5
9.	महाराष्ट्र	27
10.	पंजाब	264
11.	राजस्थान	69
12.	तमिलनाडु	2
13.	उत्तर प्रदेश	44
14.	पश्चिम बंगाल	5
15.	दिल्ली	12
16.	हिमाचल प्रदेश	12
17.	चण्डीगढ़	1
	कुल	658

बकाया कर

4336. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन :
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र द्वारा सरकार को अब तक कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) क्या निगमित क्षेत्र से बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कर भुगतान से बचने वाले उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध वर्ष 1996 और 1997 में अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन ओवरसीज बैंक

4337. श्री वीरेन्द्र कुमार पांडेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की तिथि के अनुसार कुल कितनी इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाएं, विस्तार फलक, केन्द्रीय मंजूरी देने वाली कार्यालय, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, क्षेत्रीय कार्यालय, जोनल कार्यालय आदि कार्यरत हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 की तिथि के अनुसार उक्त शाखाओं/कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य जातियों के कितने व्यक्ति उपप्रबंधक, वरिष्ठ उपप्रबंधक, प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक उपमुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबधक, सहायक महाप्रबंधक आदि के पदों पर कार्यरत हैं;

(ग) उक्त में ये रीजनवार कुल कितनी शाखाएं घाटे में चल रही हैं;

(घ) गत पांच पदोन्नतियों के दौरान घाटे में चलने वाली शाखाओं से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जातियों के कुल कितने व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है;

(ङ) उक्त पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के अनुचित प्रतिनिधित्व के क्या कारण हैं; और

(च) स्थिति के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) इंडियन ओवरसीज बैंक (आई ओ बी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार इसके शाखाओं/कार्यालयों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

शाखाएं	1364
विस्तार पटल	164
केन्द्रीय समाशोधन कार्यालय	10
कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र	11
क्षेत्रीय कार्यालय :	37
अंचल कार्यालय	शून्य

(ख) इंडियन ओवरसीज बैंक की उपर्युक्त शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति (एस सी)/अनुसूचित जनजातियों (एस टी) और अन्यों (सभी संवर्गों में) की कुल संख्या नीचे दी गई है :

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य
शाखाएं	5683	860	17168
विस्तार पटल	130	23	385
केन्द्रीय समाशोधन कार्यालय	77	15	210
कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र	6	1	50
क्षेत्रीय कार्यालय	290	35	1776

के रूप में पदासीन	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य
उपप्रबंधक	128	58	837
वरिष्ठ उपप्रबंधक	–	–	–
प्रबंधक	167	35	1044
वरिष्ठ प्रबंधक	86	16	691
मुख्य प्रबंधक	4	1	88
उप मुख्य अधिकारी	2	1	189
मुख्य अधिकारी	1	–	68
क्षेत्रीय प्रबंधक	1	–	18
सहायक महा प्रबंधक	–	–	42

(ग) इस बैंक की घाटा देने वाली शाखाओं की क्षेत्रवार कुल संख्या नीचे दी गई है :

1.	अहमदाबाद	5
2.	बेंगलूर	13
3.	बेहरामपुर	26
4.	भुवनेश्वर	24
5.	कलकत्ता (म.न.)	4
6.	कलकत्ता (गैर-म.न.)	17
7.	चंडीगढ़	3
8.	कोयम्बटूर	12
9.	एरनाकुलम	3
10.	हैदराबाद	6
11.	जयपुर	8
12.	कांशीपुरम	22
13.	करईकुड़ी	17
14.	लखनऊ	8
15.	मद्रास (म.न.)	2
16.	मद्रास (गैर-म.न.)	4
17.	मदुरै	23
18.	मेरठ	9
19.	मुम्बई (गैर-म.न.)	5
20.	नागापट्टनम	1
21.	नगर क्वायल	6
22.	गोवा	14
23.	पांडिचेरी	15
24.	सलेम	5
25.	तंजावूर	14
26.	त्रिची-I	6
27.	त्रिची-II	11
28.	तिरूनेलवेली	19
29.	तिरूअनंतपुरम	4

30.	तुतीकोरीन	17
31.	वेलौर	22
32.	विजयवाड़ा	18
33.	विशाखापट्टनम	21

(घ) इंडियन ओवरसीज बैंक ने लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में किए गए पिछले पांच पदोन्नतियों के संबंध में आंकड़े दिए हैं जो निम्नलिखित हैं :

वर्ष	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य
1989	65	39	326
1991	76	58	361
1993	88	58	304
1994	99	49	360
1996	74	14	374

अधिकारी संवर्ग के भीतर जेएमजी स्केल-I से एमएमजी स्केल-II और एमएमजी स्केल-II से एमएमजी स्केल-III में पदोन्नति :

वर्ष	जेएमजी स्केल-I से एमएमजी स्केल-II			एमएमजी स्केल-II से एमएमजी स्केल-III		
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य
1991	52	14	234	13	1	111
1992	49	2	299	22	—	153
1993	67	18	815	15	6	279
1994	54	13	410	47	8	220
1996	52	14	292	19	6	153

उपर्युक्त आंकड़े में घाटा उठाने वाली और लाभ कमाने वाली दोनों तरह की शाखाओं की पदोन्नतियां शामिल हैं। केवल घाटा उठाने वाली शाखाओं द्वारा की गई पदोन्नतियों के बारे में आंकड़े बैंक के पास नहीं हैं। तथापि, बैंक ने सूचित किया है कि पदोन्नतियां बैंक की पदोन्नति नीति पर आधारित हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वस्त्र मिलें

4338. श्री वेंकटारामी रेड्डी अनन्था :
श्री अमृत लाल भारती :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कितनी वस्त्र मिलें हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इन मिलों में कितने कामगार कार्यरत हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र मिलों के बंद होने के कारण कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य की रुग्ण वस्त्र मिलों को पुनः चालू करने तथा उन कामगारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो इन मिलों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए थे ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या तथा उनकी स्थापित क्षमता 31.12.96 तक की स्थिति अनुसार निम्नानुसार है :

राज्य	सूती/मानव निर्मित फाइबर (मिलों की संख्या)	स्थापित क्षमता		
		तकुए (संख्या हजार में)	रोटर्स (संख्या)	करघे (संख्या)
आंध्र प्रदेश	91	1883	7374	845
उत्तर प्रदेश	53	1868	6072	11567

(ख) 31.12.96 तक की स्थितिनुसार आंध्र प्रदेश में उक्त 91 मिलों की नामावलियों में 39613 कामगार तथा उत्तर प्रदेश में उक्त 63 मिलों की नामावलियों में 85468 कामगार थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में 3 सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलें तथा उत्तर प्रदेश में ऐसी 4 मिलें बंद थीं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसी बंद पड़ी मिलों की प्रभावित कामगारों सहित वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है :

कलैंडर वर्ष	वर्ष के दौरान बंद पड़ी सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों की संख्या		ऐसी मिलों की नामावलियों में कामगारों की संख्या	
	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश	आंध्र प्रदेश	उत्तर प्रदेश
1994	1	2	719	4917
1995	—	2	—	3941
1996	2	—	819	—

(ग) भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध अधिनियम एसआईसीए) 1985 बनाया था तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य रुग्ण तथा संभाव्य रूप से रुग्ण कम्पनियों का समय पर पता लगाना तथा ऐसी मिलों के संबंध में किए जाने के लिए जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक, उपचारी तथा अन्य उपायों का विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा तेजी से निर्धारण करना था।

31.1.1997 तक की स्थिति अनुसार बीआईएफआर के पास पंजीकृत आंध्र प्रदेश राज्य तथा उत्तर प्रदेश की वस्त्र मिलों की संख्या क्रमशः 17 (11 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों सहित) तथा 33 (19 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों सहित) है। बीआईएफआर के पास पंजीकृत इन मिलों के मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं तथा इन मिलों के संबंध में आगे की कार्रवाई बीआईएफआर के निष्कर्षों को ध्यान में रख कर की जाएगी।

भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में अभी तक 34 एककों को अभिज्ञात किया है जोकि वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अन्तर्गत राहत पाने के हकदार हैं। इस योजना की स्थापना बंद पड़ी पात्र वस्त्र मिलों के पात्र कामगारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तथापि, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसी किसी भी मिल को अब तक अभिज्ञात नहीं किया गया है जोकि उक्त योजना के अन्तर्गत राहत पाने के हकदार हैं।

ई०पी०सी०जी०एस० के अन्तर्गत कच्चे माल के आयात की अनुमति

4339. श्री भक्त चरण दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार से "निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना" के अन्तर्गत रियायती शुल्क पर कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आयात-निर्यात नीति (1992-97) के अन्तर्गत पूंजीगत सामान के रियायती दर पर किए गए आयात की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) जी, हां।

ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत रियायती शुल्कों पर कच्ची सामग्री/उपभोज्य वस्तुओं के आयात की अनुमति देने के उद्योग परिसंघ के प्रस्ताव पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

निर्यात एवं आयात नीति (1992-97) के तहत वर्तमान स्थिति यह है कि पूंजीगत सामानों एवं संघटकों के आयात की अनुमति विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निर्यात दायित्वों को पूरा करने के अधीन रियायती शुल्क के अथवा शून्य शुल्क के तहत दी जाती है। इसका विस्तृत ब्यौरा निर्यात एवं आयात नीति तथा क्रिया-विधियां 1992-97 के अध्याय VI में दिया गया है।

न्यायालय प्रबंधन परियोजना

4340. श्री टी० गोपाल कृष्ण : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय लम्बे समय से न्यायालयों में लम्बित सिविल मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक "न्यायालय प्रबंधन परियोजना" पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल मामलों के शीघ्र निपटान हेतु इस परियोजना को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपास की कमी

4341. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या राज्य में कपड़ा मिलें कपास प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं;

(ग) क्या कपास की दर बहुत ज्यादा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) दिनांक 31.12.96 तक की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 63 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें कार्य कर रही थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के शुरू में कीमतें कम थीं जबकि अब ये मामूली अधिक हैं।

रबड़ का उत्पादन

4342. श्री एन० एस० वी० चित्तन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में रबड़ और कच्चे रबड़ की कुल आवश्यकता कितनी थी और इसका कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का रबड़ उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रबड़ उत्पादों की कुल मात्रा कितनी है और 1997-98 के दौरान इसका कितना निर्यात किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़/कच्चा रबड़ और सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन और खपत का विवरण निम्नानुसार है :

(हजार मी. टन में)

वर्ष	प्राकृतिक/कच्चा रबड़		सिंथेटिक रबड़	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
1994-95	472	486	64	123
1995-96	507	525	68	134
1996-97 (ई)	549	570	64	143

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा रबड़ उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—बाजार विकास सहायता का विस्तार, नीति और क्रियाविधि का उदारीकरण, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान और विदेशों में व्यापार मेलों में भागीदारी जैसे संवर्धनात्मक उपाय तथा निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल) के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान और प्रसार करना।

(घ) 1997-98 के दौरान किए जाने वाले रबड़ उत्पादों का अनुमानित मूल्य 1390 करोड़ रु. है।

खुले मुहाने की खान परियोजना

4343. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्राधिकारियों के नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले मुहाने की खान परियोजना के लिए इस्पात ग्रुप को खान क्षेत्र आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भाटाडीह खुले मुहाने की खान परियोजना के लिए भूमि आबंटन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भाटाडीह ओपनकास्ट परियोजना को किसी निजी संगठन को आबंटित नहीं किया गया है तथा इसमें वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उत्खनन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

विनिवेश निधि

4344. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बजट से वित्तीय सहायता प्रदान करने की बजाए विनिवेश निधि स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के बजाय विनिवेश कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विनिवेश से प्राप्त धनराशि में से बार-बार निवेश करने हेतु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि, इस समय प्रदान की जा रही बजटगत सहायता की प्रतिपूर्ति की जा सके।

[अनुवाद]

इंडिया ब्रांड इक्विटी फण्ड

4345. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इंडिया ब्रांड इक्विटी फण्ड के लिए 500 करोड़ रुपये जुटाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विशेष कोष से धनराशि प्राप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ग) भारतीय सामान्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा;

(घ) इस धनराशि का किस-किस खर्च के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इंडिया ब्रांड इक्विटी फण्ड द्वारा कुछ चुनिंदा बाजारों और उत्पादों तथा निर्यात को बढ़ाने में अपनी भूमिका के बारे में किस प्रकार ध्यान केन्द्रित किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) इंडिया ब्रांड इक्विटी फण्ड (आई बी ई एफ) 11.7.1996 को पंजीकृत किया गया था। अध्यक्ष सहित 12 न्यास सदस्यों को नियुक्त किया जा चुका है जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। न्यास की पहली बैठक 5.12.1996 को हुई थी। न्यास का उद्देश्य 500 करोड़ रुपये की राशि जुटाना है। न्यास के कोष के प्रस्तावित

स्रोत में शामिल हैं–सरकार की बजटीय सहायता, व्यापार तथा उद्योग द्वारा अंशदान और कोष की आय। 1996-97 के दौरान सरकार कोष को 50 करोड़ रु. की बजटीय सहायता दे चुकी है। जहां तक आई बी एफ की राशि को जुटाने के लिए विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय कोषों से सहायता लेने से सहायता का संबंध है, आई बी ई एफ न्यास द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, 5.12.1996 को हुई न्यास की पहली बैठक में, न्यास के एक सदस्य द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि कोष के स्रोतों को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करने के प्रयास किए जाएं। न्यास के पास इस समय लगभग 63 करोड़ रु. की कुल राशि है।

(क) से (ङ) न्यास द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि न्यास के कार्यक्रम की विषय-वस्तु प्रचालन, प्राथमिकताओं इत्यादि के संबंध में दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जाएगा तथा शीर्ष चैम्बरों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों आदि से परामर्श करने के बाद न्यास द्वारा इस मामले में अन्तिम राय बनाई जाएगी। जहां तक कोष के प्रबंधन का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि कार्य संस्थागत विभाग प्रबंधकों को सौंप दिया जाए, जिसके संबंध में चयन प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है।

डीजल कार

4346. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एम. एन. सी.) सहित नई कार विनिर्माताओं ने डीजल कार के विनिर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का निर्णय क्या है और डीजल कार को बढ़ावा देने के मामले में सरकार की क्या नीति है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) यात्री कारों का विनिर्माण लाइसेंसमुक्त है और पेट्रोल अथवा डीजल कारों के विनिर्माण के लिए सरकार की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, सरकार ने वर्ष 1992 से विदेशी सहयोग के कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव पेट्रोल कारों, कुछ डीजल कारों और कुछ पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार की कारों के विनिर्माण के लिए है। इन स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार पेट्रोल कारों अथवा डीजल कारों में कोई अन्तर नहीं करती है, अतः विकल्प, विनिर्माताओं और विपणन क्षमताओं पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

	विदेशी इक्विटी भागीदारी (प्रतिशत)	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	वार्षिक क्षमता (कम्पनी द्वारा उल्लिखित ईंधन)	क्रियान्वयन सूची
1	2	3	4	5
1. बिरला ग्रुप आफ कम्पनी (हिन्दुस्तान मोटर्स) का जर्नल मोटर्स आफ यू. एस. ए. के साथ	50	300.00	25,000 (पेट्रोल)	उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है (ओपन अस्ट्रा)
2. प्रीमियर ऑटोमोबाईल लि. का फ्रांस की प्यूजोट के साथ	50	318.00	60,000 (पेट्रोल/डीजल)	-वही- (प्यूजोट-309)
3. टेल्को का जर्मनी की मर्सिडीज बैंज के साथ	51	75.16	20,000 (पेट्रोल)	-वही- (मर्सिडीज ई-220)
4. डी सी एम का कोरियां की डेबू मोटर कंपनी के साथ	74	653.00	1,60,000 (पेट्रोल)	-वही- (सीलो)
5. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा का यू एस ए की फोर्ड मोटर कंपनी के साथ	50 यू एस ए	2500.00	1,25,000 (पेट्रोल/डीजल)	-वही- (एसकोर्ट)
6. श्री राम इंडस्ट्रीयल इंटरप्राईसस लि. का जापान के होन्डा मोटर कंपनी के साथ	90	855.00	30,000 (पेट्रोल)	1997-98

1	2	3	4	5
7. हिन्दुस्तान मोटर्स का जापान की मितुसुभांषी मोटर कार्पोरेशन के साथ	10	250.00 (प्रथम चरण) 350.00 (द्वितीय चरण)	30,000 (पेट्रोल)	1997-98
8. सीपानी ऑटोमोबाइल्स का यू. के. के मैसर्स रोवर्स ग्रुप लि. के साथ	2.59	104.00	15,000 (पेट्रोल)	कंपनी ने 1995-96 में उत्पादन शुरू करना था लेकिन ऐसा कर नहीं पाई है
9. हयूडई मोटर कंपनी, कोरिया	100	2450.00 (प्रथम चरण) 1400.00 (द्वितीय चरण)	1,00,000 (पेट्रोल)	1997-98
10. हीरो साईकिल लि. लुधियाना का जर्मनी की बी एम डब्ल्यू के साथ	51	270.00	10,000 (पेट्रोल)	1997-98
11. कमल सावरे मोटर्स लि. का जे डी ऑटोमोटिव डिजाइन ऑफ साऊथ अफ्रीकन और सावरे इंटरनेशनल कार्पोरेशन ऑफ यू डी ए (स्पोर्टस कार) के साथ	100 निर्यातोन्मुख एकक	4.50	720 (पेट्रोल)	उल्लेख नहीं किया गया
12. मारूति उद्योग लि. का जापान की सुजुकी मोटर कंपनी के साथ	50	–	2,50,000 (पेट्रोल)	ऐस्टीम, जैन जिप्सी

निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति योजना (सी. सी. एस.) को पुनः शुरू करना

4347. श्री रमेश चेन्निताला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारे देश के निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए (सी. सी. एस.) नकद प्रतिपूर्ति योजना पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) जी नहीं। नकद मुआवजा सहायता योजना को पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जोकि व्यापार प्रणाली के पर्याप्त उदारीकरण तथा व्यापार में पूर्ण परिवर्तनीयता के संदर्भ में अनावश्यक हो गयी है। तथापि, मौजूदा निर्यात संवर्धन योजनाएं, जो निर्यात और आयात नीति 1992-97 में दी गयी है। उन्हें और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा रहा है ताकि उनसे निर्यात को बढ़ाने में मदद मिल सके।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों को बंद किया जाना

4348. श्री विजय गोयल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज तक दिल्ली में कितनी बड़ी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं; और

(ख) सरकार द्वारा कपड़ा कामगार पुनर्वास निधि योजना के अन्तर्गत इन उद्योगों के हजारों कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) दिनांक 31.12.96 की स्थिति अनुसार दो सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की दिल्ली में बंद होने की रिपोर्ट की गयी थी।

(ख) ये मिलें वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना के अन्तर्गत राहत के लिए पात्र नहीं हैं।

वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग

4349. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा - क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

हिन्दी का प्रयोग

4350. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास कम्प्यूटर, टैलेक्स, टेलीप्रिंटिंग आदि जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं जो रोमन लिपि में हैं और इन्हें द्विभाषिक बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इन द्विभाषिक उपकरणों को किस तरह से उपयोग किया जाएगा;

(ग) हिन्दी के प्रयोग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने "क" क्षेत्र में स्थित उन कार्यालयों में जहां शत-प्रतिशत हिन्दी में कार्य किए जाने हैं; हिन्दी में कार्य करने में छूट प्रदान की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी छूट दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) मंत्रालय में लगाए गए कम्प्यूटरों तथा इलैक्ट्रानिक्स टाइपराइटरों सहित अधिकांश आधुनिक उपकरणों में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है।

(ख) द्विभाषी उपकरणों पर दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाकर उनका उपयोग किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हिन्दी में काम करने के लिए विभिन्न आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं चलायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी हिन्दी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों और हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति को आवधिक बैठकों के जरिए रखी जाती है।

(घ) जी, नहीं। क्षेत्र "क" में स्थित कार्यालयों को बल्कि हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"सेबी" विनियम

4351. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सेबी" के विनियमों में दी गयी परिभाषा के अनुसार "मर्चेंट बैंकिंग" में लगे हुए हर एक व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "इनसाइडर ट्रेडिंग" संभावनाओं की गहन जांच से "मर्चेंट बैंकिंग" के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरते जाने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सामने आए बड़े मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है या किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) मर्चेंट बैंकिंग कार्यों में संलग्न कार्मिकों की गतिविधियों का अनुवीक्षण करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मर्चेंट बैंकिंग कार्यों से जैसा कि सेबी (मर्चेंट बैंकर्स) विनियमन, 1992 के विनियम 3(2) में परिभाषित है, जुड़े कर्मचारियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए श्रेणी-I के मर्चेंट बैंकरों को लिखा है। किसी कर्मचारी के त्यागपत्र और/या सेवाओं की समाप्ति के समय मर्चेंट बैंक सेबी को इसकी सूचना देगा ताकि वह अपना डाटा बेस अद्यतन कर सके। इसी प्रकार, अगर वही व्यक्ति दूसरे मर्चेंट बैंक में सेवारंभ करता है तो नए नियोक्ता के लिए नए कर्मचारी के संबंध में सूचना प्रदान करना आवश्यक होगा।

(ग) सेबी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटना इसकी जानकारी में नहीं आयी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आवास योजना

4352. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विचार हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन की सहायता से कोई आवास योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कथित योजना पर अनुमानित खर्च कितना होगा;

(घ) ये आवास किन राज्यों में प्रस्तावित है तथा उनकी संख्या और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के लिए पात्रता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) आवास विकास वित्त निगम की सहायता से आवास संबंधी कोई स्कीम शुरू करने की भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अमरीका द्वारा भारतीय बासमती चावल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना

4353. जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारतीय बासमती चावल के निर्यात पर हाल ही में कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे यूरोपीय देशों को भारतीय बासमती चावल के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रतिबन्धों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन से अपना विरोध जताया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर विश्व व्यापार संगठन की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में मादक द्रव्यों की जब्ती

4354. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में कितने मादक द्रव्यों की जब्ती की गयी;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार और सजा दी गयी और उनके मामलों को निपटाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनमें कुछ विदेशी भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में जब्त किए गए स्वापक औषधों का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वापक औषध	स्वापक औषधों की मात्रा कि.ग्रा. में		
	1994	1995	1996
1	2	3	4
अफीम	5.000	73.000	665.000
हेरोइन	194.000	116.000	115.000
गांजा	8487.000	5770.000	1876.000
हशीश	168.000	127.000	421.000
मैथाक्वालॉन	721.000	3592.000	490.000

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्वापक औषधों के लिए गिरफ्तार किए गए तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1994	1995	1996
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	694	622	766
सजा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	42	39	86

मामलों के निपटाने में विलंब का प्रमुख कारण आपराधिक न्यायालय के सामने विशाल विचाराधीनता है जो एन. डी. पी. एस. एक्ट के अधीन दर्ज मामलों के परीक्षण के लिए सक्षम हैं।

(ग) तथा (घ) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य में स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के लिए गिरफ्तार नागरिकता-वार विदेशियों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राष्ट्रीयता	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		
		1994	1995	1996
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलियाई	1	1	—
2.	बैल्जियम	—	1	—
3.	ब्रिटिश	1	—	—
4.	बलजारियाई	1	—	—
5.	बुरून्दी	2	2	—
6.	केनेडीयन	1	3	—
7.	फ्रैंच	2	—	—
8.	जर्मन	—	1	1
9.	घानियाई	2	2	3
10.	ईरानी	4	4	1

1	2	3	4	5
11.	इटली	—	—	1
12.	केन्या	6	5	1
13.	मारीशियस	3	3	1
14.	नेपाली	3	—	—
15.	नाइजेरियाई	5	4	15
16.	पाकिस्तानी	—	—	2
17.	पौलेंड	1	1	—
18.	साऊदी अरब	—	1	—
19.	सोमालियाई	1	1	—
20.	सूडानी	—	1	6
21.	श्रीलंका	1	1	3
22.	स्वीश	4	1	—
23.	दक्षिण अफ्रीका	1	2	1
24.	तनजानियाई	9	14	16
25.	यूगांडियन	1	—	—
26.	अमरीकी	1	—	—
27.	यमण	—	1	—
28.	जैरे	1	1	—
29.	अन्य	4	2	1
	योग	55	52	52

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

4355. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटिल :
डॉ० बलिराम :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री लक्ष्मण सिंह

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1996-97 के दौरान राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान धोखाधड़ी के किसी मामले का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि के उपयोग पर समुचित निगरानी रखने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1996-97 में विभिन्न खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों को आबंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) पिछले 2 वर्षों के दौरान केवीआईसी की निधियों के धोखाधड़ी का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। सरकार केवीआईसी निधियों की उपयोगिता की सामयिक समीक्षा करती है।

विवरण

1996-97 के दौरान राज्यवार आबंटित निधियों के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य तथा संघशासित प्रदेश	खादी		ग्रामोद्योग	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	0.95	126.08	0.20	1122.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	10.78
3.	असम	24.06	184.27	0.19	176.88
4.	बिहार	1.92	209.92	0.55	89.36
5.	गोवा	—	—	—	91.51
6.	गुजरात	23.43	45.49	—	566.73
7.	हरियाणा	—	60.64	0.97	1036.99
8.	हिमाचल प्रदेश	0.05	16.15	0.20	608.58
9.	जम्मू और कश्मीर	—	9.91	—	341.42
10.	कर्नाटक	1.17	82.70	—	746.15
11.	केरल	7.33	126.19	—	781.79
12.	मध्य प्रदेश	2.21	137.94	0.27	134.39
13.	मणिपुर	—	7.25	0.48	108.11
14.	महाराष्ट्र	3.23	79.76	1.19	1245.40

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	8.74	20.27	0.34	29.83
16.	मिजोरम	3.24	—	0.28	163.32
17.	नागालैंड	10.23	3.37	0.05	131.56
18.	उड़ीसा	1.32	103.83	1.51	539.92
19.	पंजाब	—	62.04	1.60	852.39
20.	राजस्थान	45.68	80.21	0.75	306.62
21.	सिक्किम	8.84	—	0.79	10.24
22.	तमिलनाडु	—	114.08	—	2002.07
23.	त्रिपुरा	35.38	—	0.38	11.37
24.	उत्तर प्रदेश	17.25	2847.57	0.46	1949.86
25.	पश्चिम बंगाल	6.48	186.34	2.46	814.68
	संघशासित प्रदेश				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	1.48	—
2.	चंडीगढ़	—	—	—	9.15
3.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—
4.	दमन व दीव	—	—	—	—
5.	दिल्ली	—	3.96	—	57.06
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	40.31
7.	पांडिचेरी	1.76	—	—	32.27
	योग	203.28	4508.03	14.15	14011.21

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरें

4356. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरें देश में मृत्यु दर से जुड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में मृत्यु दर में हो रही कमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय जीवन बीमा क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरें सबसे अधिक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की ऊंची दरों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह रिपोर्ट दी है कि उसकी प्रीमियम की दरें उनके पालिसी-धारकों की मृत्यु दरों से संबंधित हैं। जीवन बीमा निगम ने यह भी सूचित किया है कि उसकी प्रीमियम दरें अन्तर्राष्ट्रीय जीवन बीमा क्षेत्र में सबसे अधिक नहीं हैं।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि वह अपने पालिसी-धारकों के मृत्यु दर की निरंतर मानीटरिंग करता है और यदि मृत्यु दर में सुधार होने से कोई लाभ होता है तो उस लाभ को "बिना लाभवाली" पालिसियों से मामले में प्रीमियम की दरों में कमी करके और "लाभवाली" पालिसियों में बोनस की दर को बढ़ाकर पालिसी-धारकों को दे दिया जाता है। जीवन बीमा ने यह सूचित किया है कि मृत्यु दरों में सुधार के आधार पर उसने वर्ष 1970, 1980 और 1986 में "बिना लाभवाली" की पालिसियों के अन्तर्गत प्रीमियम दरों में कमी की तथा वह अपने पालिसी-धारकों को समय-समय पर बोनस बढ़ाने की घोषणा करता रहा है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

4357. श्री के० सी० कोडंय्या : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की शाखा स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित संस्थान पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित केन्द्र प्रारम्भ में दो कोर्स चलाएगा अर्थात डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अपैरल मर्चेन्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। प्रत्येक कोर्स में प्रति वर्ष 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित निफट केन्द्र पर अनुमान्तिम व्यय निम्न प्रकार है :

(1) 265 लाख रु. का गैर-आवर्ती व्यय 3 वर्षों की अवधि में किया जाना है जोकि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाना है तथा 235 लाख रु. के 5 वर्षों के लिए आवर्ती व्यय से निफट केन्द्र को पांच वर्षों के लिए 102 लाख रु. की आय होने का अनुमान है जो 5 वर्षों में राज्य सरकार से अनुदान सहायता द्वारा पूरे किए जाने वाले 133 लाख रु. के शेष राजस्व घाटे सहित है।

अभ्रक का आयात

4358. श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कीमत सहित कुल कितनी अभ्रक का आयात किया गया;

(ख) अभ्रक के आयात का घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके आयात के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अभ्रक के विशेष रूप से अभ्रक का उत्पादन न करने वाले देशों से आयात पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान किया गया अभ्रक का कुल आयात इस प्रकार है :

मात्रा मी. टन में
मूल्य हजार रुपयों में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1994-95	124	74,817
1995-96	214	87,734
1996-97	उपलब्ध नहीं हैं	

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो।

(ख) और (ग) भारत अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है, लेकिन अभ्रक के अनिवार्य विशिष्ट उपयोग के कारण घरेलू उद्योग द्वारा अभ्रक की थोड़ी मात्रा आयात भी की जाती है। इस आयात का घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए इसके आयात को रोकने के लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

निर्यात संबंधी शुल्क वापसी योजना

4359. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातक निर्यात संबंधी शुल्क वापसी योजना से बड़े उत्साहित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यातकों ने उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 1995 और 1996 के दौरान अब तक वास्तविक रूप से कितनी राशि के दावे प्रस्तुत किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि योजना निर्यातकों द्वारा निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर अदा किए गए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में उनकी प्रतिपूर्ति करती है, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करती है। 1995 और 1996 के दौरान अदा की गयी वास्तविक राशि क्रमशः लगभग 2315 करोड़ रु. और 3035 करोड़ रु. है।

एक्रेलिक फाइबर पर "एंटी डंपिंग" ड्यूटी

4360. डा० एम० जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कोरिया तथा ताइवान द्वारा देश में एक्रेलिक फाइबर के देश में आवश्यकता से अधिक आयात पर कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू उपयोग को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) मेसर्स इंडियन एक्रोलिक लिमि. और मेसर्स पशुपति एक्रोलिन लिमि. ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (क्षति के निर्धारण के लिए पाटित वस्तुओं पर प्रति-पाटन की पहचान, आकलन और वर्गीकरण) नियम, 1995 के अन्तर्गत, नामित प्राधिकारी के पास याचिका दायर की है जिसमें यू. एस. ए., थाईलैंड और कोरियाई गणराज्य से एक्रोलिक फाइबर के पाटन का आरोप लगाया गया है। नामित प्राधिकारी ने इन देशों से होने वाले आयातों के विरुद्ध दिनांक 13.9.96 को जांच शुरू कर दी है। अभी तक प्रारंभिक तथा/या अंतिम जांच परिणामों की घोषणा नहीं की गयी है। किन्तु ताइवान के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी है। अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया अपनाने के बाद नामित प्राधिकारी द्वारा सरकारी राजपत्र में जांच परिणामों को अधिसूचित किया जाता है एवं प्राधिकृत प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण के पास अपील की जा सकती है।

विपणन विस्तार केन्द्र

4361. डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम के नलबाड़ी में हस्तशिल्प के लिए विपणन सेवा विस्तार केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) जी नहीं। इस समय असम में गौरीपुर तथा जोरहट में स्थित दो केन्द्रों सहित देश के विभिन्न भागों में 47 विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। नलबाड़ी के शिल्पी इन केन्द्रों से विपणन सहायता तथा विस्तार सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

रेलवे में कलपुर्जों का निर्यात

4362. डा० असीम बाला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विशेषकर बड़ी लाइनों पर चलने वाले इंजनों के कलपुर्जों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किए गए कलपुर्जों और इंजनों तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मदों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) बड़ी लाइन के इंजनों सहित रेलवे के फालतू पुर्जों के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :

(विदेशी मुद्रा के बराबर करोड़ रु. में)

वर्ष		मूल्य
1993-94	—	20.29
1994-95	—	46.06
1995-96	—	10.62
1996-97 (अप्रैल-अगस्त, 96)	—	17.[illegible]

बड़ी लाइन के इंजनों के निर्यात राइट्स द्वारा श्रीलंका को केवल 1995-96 के दौरान 6.53 करोड़ रु., 0.23 मिलियन यू. एस. डालर की राशि का किया गया।

भारतीय रेलवे के फालतू पुर्जों के मुख्य आयातक कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, यू.एस.ए., यू.के., म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, बंगलादेश, सऊदी अरब हैं। देशवार विस्तृत विवरण संसद पुस्तकालय में डी.जी.सी.आई एंड एस. प्रकाशन "भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े" में उपलब्ध हैं।

(ग) निर्यातों को बढ़ावा देने का सरकार का सतत प्रयास रहा है। रेलवे के फालतू पुर्जों सहित इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रोत्साहन शामिल हैं जिनमें शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के अन्तर्गत छूट बाजार विकास निधि से सहायता शामिल हैं। रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा (राइट्स) एवं इरकान (भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी) को भारत सरकार, रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेलवे की फैक्टरियों में विनिर्मित लोकोमोटिव और रोलिंग स्टाक का निर्यात करने के लिए नामित किया गया है, जो रेलवे के फालतू पुर्जों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आक्रामक विपणन कार्य कर रहे हैं।

वस्त्र निर्यात

4363. श्री प्रमोद महाजन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र निर्यात का उदारीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) सूती यार्न के निर्यातों पर वार्षिक मात्रात्मक निर्धारित सीमा, जोकि कपास के संबंध में उत्पादन तथा घरेलू मांग, सूती यार्न के उत्पादन तथा कीमतों, विकेन्द्रीकरण हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की आवश्यकता आदि जैसे प्रासंगिक कारकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात की जाती है, को छोड़कर भारत के वस्त्र उत्पादों के निर्यातों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

तथापि संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय समुदाय देशों, कनाडा तथा नार्वे भारत तथा अन्य देशों से निश्चित वस्त्र तथा कलोदिंग के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध (कोटे) लगाते हैं। इन आयातक देशों को डब्ल्यू. टी. ओ. के वस्त्र तथा कलोदिंग पर करार (ए. टी. सी.) के प्रावधानों के अनुसार 1.1.2005 तक, चरणबद्ध तरीके से सभी वस्त्र उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने होंगे।

रबर उत्पादन के लिए विश्व बैंक से सहायता

4364. श्री बादल चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रबर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि मांगी गयी है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने भी विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) तथा (ख) जी, हां। वर्ष 1993-94 से विश्व बैंक की सहायता से एक रबड़ परियोजना चल रही है। इस परियोजना की कुल लागत 445.20 करोड़ रु. है जिसमें से आई डी ए ऋण 92.0 मिलियन अमरीकी डालर (290.08 करोड़ रु.) है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात

4365. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात किया गया तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गयी हैं; और

(ख) किस देश से इन सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात किया गया ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के आयात पर खर्च की गयी धनराशि निम्न प्रकार हैं :

वर्ष		करोड़ रु. में
1993-94	—	5.31
1994-95	—	5.28
1995-96	—	5.99

(ख) फिलीपीन्स, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिण कोरिया, इटली, चीन तथा यू. के. कुछ प्रमुख देश हैं जहां सिले-सिलाए परिधानों के आयात किए जाते हैं।

कॉफी का उत्पादन और निर्यात

4366. श्री वी० प्रदीप देव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान 31 दिसम्बर, 1996 तक कितनी कॉफी का उत्पादन और निर्यात हुआ तथा उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कॉफी उगाने वाले अपरंपरागत राज्यों में और अधिक भू-क्षेत्र पर कॉफी उगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) कॉफी बोर्ड ने उक्त अवधि के दौरान किन-किन प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लिया; और

(घ) कॉफी बोर्ड ने देश-विदेश में प्रचार पर कितनी राशि व्यय की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) कॉफी वर्ष 1996-97 (जुलाई से जून तक) में कॉफी का अनुमानित उत्पादन और 1.4.96 से 31.12.96 तक कॉफी का निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े इस प्रकार हैं :

उत्पादन	2,05,000 टन
निर्यात	1,38,994 टन
कॉफी के निर्यात से प्राप्त किया गया मूल्य	325.76 मिलियन अमरीकी डालर (1066.64 करोड़ रु.)

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, कॉफी बोर्ड ने अनेक अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-परंपरागत ढंग से कॉफी उपजाने वाले राज्यों में काफी की खेती करने में सहयोग देना जारी रखा।

(ग) 1996-97 के दौरान (दिसम्बर, 1996 तक) कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित पांच व्यापार मेलों में भाग लिया :

1. स्पैफी-96, सेन्ट पीटर्सबर्ग, रूस	27–31 मई, 96
2. यूनीट्रैक्स-96, रोटरडम, हालैंड	5–8 जून, 96
3. इन्टरनेशनल ट्रेड फेयर, टिस्ट्री, इटली	21–30 जून, 96
4. एस.आई.ए.एल. फुड फेयर, पेरिस, फ्रांस	20–24 अक्टूबर 96
5. फुडापेस्ट-96, हंगएक्सपो, बुडापोस्ट, हंगरी	20–23 नवंबर, 96

(घ) कॉफी बोर्ड द्वारा भारत और विदेशों में प्रचार के लिए खर्च की गयी राशि के आंकड़े इस प्रकार हैं :

विदेश संवर्धन के लिए	23.40 लाख रुपये
आंतरिक संवध्रन के लिए	11.13 लाख रुपये
कुल	34.53 लाख रुपये

अवसंरचनात्मक विकास

4367. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकेश मोहन समिति ने देश के अवसंरचनात्मक विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय बाजारों में अत्यधिक परिवर्तन किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार और लागू की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लम्बित पड़ी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) राकेश मोहन समिति ने नीतिगत सुधारों के लिए मार्गनिर्देशी सिद्धांत प्रदान किए हैं, जो सरकारी-निजी भागीदारी के संवर्धन के साथ-साथ आधारभूत संरचना के अधिक वाणिज्यीकरण में सहायता कर सकते हैं। समिति ने बताया है कि भारत को परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से ऋण वृद्धि प्रदान करने और कर्ज बाजार को सक्रिय बनाने के लिए एक संस्था की आवश्यकता है। समिति ने सिफारिश की है कि अगर आधारभूत संरचना को पूंजी बाजारों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है तो संविदात्मक बचत संस्थाओं (जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भविष्य निधियां, कर्मचारी भविष्य निधियां) जिनकी दीर्घावधिक देयताएं हैं, के क्षेत्र में बड़े सुधार प्रारंभ करने और निजी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में स्वाभाविक निवेश करने की आवश्यकता है।

आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक वित्त प्रदान करने के लिए 1996-97 के बजट ने आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी (आई.डी.एफ.सी.) की स्थापना करने की घोषणा की। आई.डी.एफ.सी.

को कंपनी अधिनियम के अधीन दिनांक 30.1.1997 को 5,000 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी के साथ समामेलित किया गया। दीर्घावधिक कर्ज बाजार के विकास के माध्यम से निजी क्षेत्र की आधारभूत संरचना परियोजनाओं की सहायता करने के लिए निजी क्षेत्र आधारभूत संरचना सुविधा (पी.एस.आई.एफ.) के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 300 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए समझौता किया गया है। वर्ष 1997-98 का बजट विशेष जमा योजना (एस.डी.एस.) में वृद्धिकारी भविष्य निधि के 20 प्रतिशत तक की राशि रखने की अपेक्षा को पहली अप्रैल, 1997 से वापस लेने की व्यवस्था करता है।

[हिन्दी]

कृत्रिम सिल्क

4368. श्री दत्ता मेघे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन राज्यों में कृत्रिम सिल्क का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) 1996-97 के दौरान आज तक राज्य-वार कितनी कृत्रिम सिल्क का उत्पादन किया गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी कृत्रिम सिल्क का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(घ) सरकार द्वारा कृत्रिम सिल्क के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) विस्कोस स्टेपल फाइबर (वी.एस.एफ.) तथा विस्कोस फिलामेन्ट यार्न (वी.एफ.वाई.) का उत्पादन :

(मात्रा टन में)

राज्य	1996-97		1995-96	
	वी.एफ.वाई. (जनवरी, 97 तक अनन्तिम)	वी.एस.एफ. (फरवरी, 97 तक अनन्तिम)	वी.एफ.वाई.	वी.एस.एफ.
गुजरात	14824	–	18133	–
महाराष्ट्र	22440	–	27311	46
मध्य प्रदेश	–	97944	–	116498
कर्नाटका	–	32001	–	31116
केरला	1224	11366	2310	14856
तमिलनाडु	4792	24440	20532	31824
वेस्ट बंगाल	5387	–	6375	–

(ग) कृत्रिम रेशम तथा अर्जित विदेशी आय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(मात्रा : टन)
मूल्य : लाख रुपये

	1996-97 अप्रैल-जनवरी	1995-96
1. फाइबर और यार्न		
मात्रा	3747	7069
मूल्य	5545	10764

वर्ष 1996-97 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 16.64 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 2075.50 टन रेयन फिलामेन्ट फैब्रिक्स निर्यात किए गए थे।

(घ) सरकार ने कृत्रिम रेशम सहित वस्त्र मदों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के उदारीकरण, वित्तीय शुल्क ढांचे के सुव्यवस्थीकरण, एक्जिम नीति में परिवर्तनों आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

कागज मिलें

4369. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की नयी मिलें स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) देश में कम्प्यूटर पेपर का विनिर्माण करने वाली मिलों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) देश में कागज की नयी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) देश में कम्प्यूटर पेपर का विनिर्माण करने वाली मिलों के ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

चाय तथा काफी का निर्यात तथा उत्पादन

4370. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कॉफी तथा चाय का कितना-कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या 1996-97 के दौरान कॉफी तथा चाय के निर्यात में कमी आयी है;

(ग) क्या कॉफी तथा चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कुछ नए उपाए किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन नए उपायों को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) 1996-97 मौसम (जुलाई-जून) के दौरान कॉफी का अनुमानित उत्पादन 2.05 लाख टन है तथा अप्रैल 1996-मार्च 1997 की अवधि के दौरान चाय का अनुमानित उत्पादन 780.31 मिलियन कि.ग्रा. है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) संबंधित बोर्डों द्वारा निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं—विदेशों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचार अभियान चलाना, बाजार सर्वेक्षण करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, ब्रांडों का संवर्धन करना आदि। ऋण वापसी व्यवस्था के तहत रूस को चाय के निर्यातों के संबंध में खेप आधार पर निर्यातों से संबंधित एक प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके हाल ही में तैयार किया गया है।

निर्यातकों द्वारा आयात-निर्यात नीति का दुरुपयोग

4371. श्री येल्लैया नन्दी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाले निर्यातकों के विरुद्ध इस नीति की शर्तों का उल्लघंन करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने निर्यातकों को दोषी पाया गया;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने निर्यातकों ने अपने झूठे दावों में सुधार किया है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात-आयात नीति और लाइसेंस की शर्त तथा निर्धारित क्रियाविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है। अधिनियम के उपबंधों के तहत लगाए गए वित्तीय दंड, वित्तीय दंड लाइसेंस को समाप्त करने/रद्द करने या आयातक-निर्यातक कोड संख्या को रद्द करने के रूप में होते हैं।

(ग) जिन उल्लंघनों के लिए निर्यातक दोषी पाए गए हैं वे छोटे मामलों से लेकर बड़े मामले तक हैं तथा अनेक स्कीमों जैसे अग्रिम लाइसेंस, ई.पी.सी.जी. लाइसेंस, ई.पी.जेड., ई.ओ.यू. स्कीमें तथा पासबुक स्कीमें आदि के उल्लघंन से संबंधित हैं। कुल निर्यातकों से संबंधित सूचना जो पिछले तीन वर्षों के दौरान दोषी पाए गए हैं पत्तन कार्यालयों के सभी संगत रिकार्डों की छानबीन करने और जानकारी संकलित करने के बाद बतायी जा सकती है।

(घ) झूठे दावों को संशोधित करने के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तथापि, निर्यात दायित्व में चूक को प्रक्रिया पुस्तिका 1992-97 (खंड-1) के पैरा 128 के उपबंधों के तरह निर्यात किया जा सकता है।

जहां तक मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों का संबंध है, वित्त मंत्रालय ने हाल में एक स्कीम की घोषणा की है जिसमें वाबाल योजना के उल्लंघन में विनिर्माता, निर्यातकों तथा व्यापारी निर्यातकों के सहायक विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त मोडवैट को बदलने की व्यवस्था की गयी है और मोडवैट राशि 31.1.97 जितनी अवधि के लिए रखी गयी उस पर प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा।

(ङ) अग्रिम लाइसेंस/डी. ई. ई. सी. प्राप्त करते समय समर्थनकारी विनिर्माताओं के लाभों को घोषित करने पर विनिर्माता निर्यातक तथा मर्चेंट निर्यातकों के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम तथा अन्य संगत कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी जो 31.1.97 तक मोडवैट की राशि और ब्याज लौटाने में असफल होंगे, जैसा कि योजना में निर्धारित किया गया है।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

4372. श्री हाराधन राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जैसे सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं द्वारा पश्चिम बंगाल को वर्षवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ख) क्या राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में आनुपातिक रूप से कम वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में वित्तीय वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 204.45 करोड़ रुपये, 208.42 करोड़ रुपये और 244.89 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया। जीवन बीमा निगम ने वित्तीय वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान 5 राज्यों में और 1995-96 के दौरान 7 राज्यों

में पश्चिम बंगाल से अधिक की राशि का निवेश किया। निवेश की राशि किसी विशेष राज्य में उपलब्ध निवेश के अवसरों के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती है और बीमा अधिनियम 1938 की संशोधित धारा 27क के उपबंध द्वारा भी निर्देशित होती है, जिसमें निगम के लिए निवेश की विधि दी गयी है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सूचना समेकित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंकिंग क्रेडिट कार्ड

4373. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या क्या है;

(ख) इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी हिस्सेदारी है;

(ग) क्या इस बढ़ते बाजार में सरकारी क्षेत्र के बैंक पिछड़ते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा देश में स्थित विदेशी बैंकों द्वारा कुल 13,54,084 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) कुल क्रेडिट कार्डों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 7,68,713 कार्ड जारी किए हैं। देश में जारी किए गए कुल कार्डों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी लगभग 57 प्रतिशत बैठती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रत्येक बैंक को व्यावसायिक स्थिति पर विचार करने के बाद क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेना होता है।

[अनुवाद]

फटे-पुराने नोटों का प्रचलन

4374. श्री छीतुभाई गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आम लोगों को फटे-पुराने नोटों के प्रचलन के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भारतीय बैंक द्वारा फटे-पुराने नोटों को बदलने के लिए खोले गए काउन्टर जनता की मांग के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण, देश में नोट प्रिंटिंग प्रेसें भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) की नए नोटों की हमेशा बढ़ती हुई मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इस अंतर को नोटों को पुनः चलन में लाकर पूरा किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, नोटों की गुणवत्ता बिगड़ गयी है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के 17 निर्गम केन्द्रों पर काउन्टरों की व्यवस्था की गयी है जो आम जनता को कटे-फटे और मैले नोटों को बदलने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, करेंसी तिजोरियां रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसी विनिमय सुविधाएं प्रदान करने के लिए संपूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं। इसी प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को भी मैले और कम कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए प्राधिकृत किया गया है। करेंसी नोटों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाए शुरू किए गए हैं :

(1) नासिक और देवास स्थित दो प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण करना।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन एक सालबोनी (पश्चिम बंगाल) और दूसरी मैसूर (कर्नाटक) में दो नयी नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना करना।

(3) एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के कम मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण करना तथा इस प्रकार निर्मुक्त हुई क्षमता का इस्तेमाल उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई में करना।

(4) एक बारगी उपाय के रूप में, विदेशों से 3,600 मिलियन अदद मुद्रित नोटों का आयात।

महाराष्ट्र में कोयले के संभावित भंडार

4375. श्री अनंत गुढ़े : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी कोयला परियोजनाएं चल रही हैं तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कितनी प्रमुख परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में कोयला उद्योग के विकास के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने सास्ती में एक कोयला धोवनशाला स्थापित करने की योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) 1.3.97 की स्थिति के अनुसार 9 कोयला खनन परियोजनाएं, जिनकी प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की है, उक्त परियोजना को 496.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वे. को. लि.) के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) वर्तमान में, वे.को.लि. के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित उद्यान ओपनकास्ट परियोजना अनुमोदन दिए जाने हेतु सरकारी स्तर पर मूल्यांकनाधीन है।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वे.को.लि. के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कोयला उद्योग को विकसित किए जाने हेतु निष्पादित की गयी कार्रवाई योजना के अनुसार लगभग 1576.07 करोड़ रुपये के निवेश पर 9वीं योजना के अंतिम वर्ष तक 26.34 मि. टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता को प्राप्त किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान 294.44 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) और (ङ) "स्व-निर्मित-स्व-चालित" (बी.ओ.ओ.) स्कीम के अन्तर्गत सास्ती खान स्थल पर 1.5 मि. टन प्रति वर्ष कच्चे कोयले का परिष्करण किए जाने हेतु एक कोयला वाशरी के स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। वाशरी को स्थापित किए जाने वाली पार्टी के साथ तथा धुले कोयले से प्राप्त किए जाने हेतु भावी उपभोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किए जाने संबंधी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में मुक्त पत्तन

4376. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृष्णापटनम पत्तन को "मुक्त पत्तन" घोषित किए जाने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से कृष्णापटनम बंदरगाह को "मुक्त बंदरगाह" घोषित करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है। तथापि, भारत में मुक्त बंदरगाह स्थापित करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक सलाहकार समिति ने मुक्त बंदरगाह स्थापित करने के लिए उपयुक्त अवस्थिति के रूप में गोआ की सिफारिश की है। पूर्वी तट पर एक दूसरे मुक्त बंदरगाह के लिए उपयुक्त अवस्थिति के रूप में तुतीकोरिन का सुझाव दिया गया है।

उत्पाद शुल्क का अपवंचन

4377. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में औद्योगिक एकक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से अनुमति लिए बिना अच्छी किस्म की वस्तुओं के हिस्से पुर्जों का विनिर्माण कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वे काफी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से बच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने विनिर्माण एककों का पता लगाया है और लंबे समय से कितने एककों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है;

(ग) इन विनिर्माण एककों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकारी कर अपवंचन को रोकने तथा ऐसे एककों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन एककों का पर्दाफाश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मादक पदार्थों की तस्करी

4378. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दंड की अवधि बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) सरकार ने स्वापक औषध अवैध व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित सहित आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय किए हैं :

(1) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम में अन्तर्विष्ट कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं तथा अत्यधिक सतर्कता बरतें।

(2) सीमावर्ती राज्यों में पुलिस तथा सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समर्पित स्वापक कक्ष प्रचलनाधीन हैं।

(3) भारत-पाक सीमा के दो तिहाई भाग में बाड़ लगा दी गयी है तथा परिप्रदीप्ति प्रदान कर दी गयी हैं।

(4) एन. डी. पी. एस. एक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक जो भूमि तथा तटवर्ती सीमाओं पर लगाए गए हैं, को सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की गयी हैं, ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

(5) अधिकारियों को उनके प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान कर दिए गए हैं।

(6) मुखबिरों तथा प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना उत्साहपूर्वक कार्यान्वित की जा रही है।

(7) महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अध्यक्षता में तिमाही समन्वय बैठकें नियमित रूप से नयी दिल्ली में आयोजित की जाती हैं जिसमें उच्च स्तर पर स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के विरुद्ध लड़ रही सभी प्रवर्तन एजेंसियां भाग लेती हैं।

(8) पाकिस्तान में प्राधिकरण के साथ एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें सचिव स्तर तथा महानिदेशक स्तर पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, भारत तथा पाकिस्तान के प्रति स्वापक एजेंसी के प्रतिनिधि सीमा सुरक्षा बल तथा पाकिस्तान रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों में शामिल होते हैं। सीधे प्रचालन संचार के लिए दोनों देशों द्वारा संपर्क सूत्र गठित किए गए हैं।

(9) मांग में कमी तथा स्वापक औषधों के अवैध व्यापार को दूर करने के लिए भारत सरकार तथा म्यांमार सरकार के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय समझौता हुआ है।

(10) भारत सरकार ने म्यांमार सरकार को स्वापक औषधों की पहचान करने के लिए दो स्वापक औषध सूंघने वाले कुत्ते तथा प्रशिक्षित कुत्तों के संचालक प्रदान किए हैं।

(ख) और (ग) दंड संरचना के साथ-साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कैनाबिस (गांजा) से संबंधित अपराधों के लिए भी कठोर दंड देने के लिए अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। चुनिंदा अपराधों में पूर्व अपराधों के लिए बढ़ाए गए दंड को अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी अपराधों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कोर श्रम मानक के अनुरूप व्यापार

4379. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1996 में सिंगापुर में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में मुक्त व्यापार को कोर श्रम मानकों से जोड़ने के बारे में कोई निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त संदर्भ में क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) सिंगापुर के मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में व्यापार को श्रम मानकों के साथ जोड़ने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। लिया गया निर्णय निम्नानुसार था :

"अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त कोर श्रम मानकों का पालन करने की अपनी वचनबद्धता को हम दोहराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) इन मानकों को स्थापित करने और उन पर विचार करने के लिए सक्षम निकाय है और उनको बढ़ावा देने के इसके कार्य में हम अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। हमारा विश्वास है कि आर्थिक वृद्धि और पोषित विकास को व्यापार से बढ़ाया जाना चाहिए और व्यापार उदारीकरण से इन मानकों के संवर्धन में योगदान मिलेगा। हम संरक्षणवादी उद्देश्यों के लिए श्रम मानकों के उपयोग को अस्वीकार करते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि देशों के, विशेषकर कम परिश्रमिक वाले विकासशील देशों के तुलनात्मक लाभों पर किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में, हम नोट करते हैं कि डबल्यू. टी. ओ. और आई. एल. ओ. सचिवालय अपने चालू सहयोग को जारी रखेंगे"।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत पेटेन्ट का पंजीकरण

4380. श्री अनंत कुमार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विश्व व्यापार संगठन समझौता के अन्तर्गत कितने पेटेन्टों का पंजीकरण हुआ है या पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है;

(ख) किन-किन कंपनियों ने किन-किन उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है; और

(ग) किन-किन देशों ने उन्हीं उत्पादों के पेटेन्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जिनके लिए भारत ने किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करना

4381. श्री हरिन पाठक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात राज्य में स्थापित की गयी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थानवार कितनी हैं; और

(ख) उक्त में से ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान गुजरात राज्य में स्थानवार वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) 1993-94 से 1995-96 के वर्षों के दौरान, गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, खेड़ा, भावनगर, कच्छ, भड़ूच, सूरत, बलसाड, मेहसाना, गांधीनगर, पंचमहल, साबरकांठा तथा अमरेली जिलों में 70 इकाइयों की स्थापना की गयी।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य में 35 इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। ये इकाइयां बलसाड, गांधीनगर, अंकलेश्वर, भड़ूच, महुआ, भावनगर, साबरकांठा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, पंचमहल, सूरत तथा मेहसाना के जिलों में अवस्थित हैं।

आयातित माल को स्वीकृति मिलने में विलम्ब

4382. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित माल की स्वीकृति मिलने में सीमा शुल्क विभाग द्वारा विलम्ब की शिकायतें लगातार मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त की गयी और निपटायी गयी शिकायतों की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ग) शिकायतों के समाधान करने हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है तथा इसमें आमतौर पर औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या सीमा शुल्क से स्वीकृति हेतु स्वतः निपटान प्रणाली विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सीमा शुल्क गृहों में आयातकों और निर्यातकों से निकासी में विलंब होने के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) वरिष्ठ अधिकारी इन अभ्यावेदनों पर कार्यवाही करते हैं और उनका शीघ्र समाधान कर लिया जाता है। प्रत्येक सीमा शुल्क गृह में लोक शिकायत समिति और निगरानी पैनल के रूप में एक शिकायत समाधान तंत्र होता है जहां वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि तथा सीमा शुल्क एजेंट ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए समय-समय पर बैठक करते हैं।

(घ) से (च) विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर स्वनिर्धारण की सुविधा सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उन अन्य आयातकों को उपलब्ध है जिनका रिकार्ड साफ-सुथरा हो। सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसिज, स्टार ट्रेडिंग हाउसिज, ट्रेडिंग हाउसिज आदि जैसे विनिर्दिष्ट श्रेणी के बड़े आयातकों को ग्रीन चैनल और फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा, अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों के आयातकों को एक ही स्थान पर निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

विभाग आयात और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करता रहता है। सीमा शुल्क आयुक्तों के टैरिफ और सामान्य सम्मेलनों में सुधारों के बारे में नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। ऐसे कार्यों के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जाती है।

कपास का निर्यात

4383. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के निर्यात में वृद्धि से वस्त्र उद्योग को भारी धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो वस्त्र उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में कपास की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) और (ख) चालू कपास मौसम 1996-97 के दौरान विगत वर्ष के समान एक दूसरी अच्छी कपास फसल की संभावनाओं को देखते हुए कपास की कोई कमी नहीं है। कपास के निर्यात की अनुमति देने के पूर्व, सरकार ने उत्पादन के प्राक्कलन सहित, उपलब्धता, मिलों द्वारा संभावित उपभोग, लघु कताईकर्ताओं तथा गैर-मिल क्षेत्र, संभावित अधिशेष, मूल्य प्रवृतियां आदि जैसे सभी संबद्ध कारकों पर विचार किया था।

सोने का आयात

4384. श्री आई० डी० स्वामी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने सोने के आयात में अत्यधिक अनियमितताएं पायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छूट योजना के अन्तर्गत आयात किया गया सोना आभूषण निर्यातकों को दे दिया गया जिन पर स्वर्ण आयात योजना के उल्लंघन का आरोप है; और

(घ) यदि हां, तो स्वर्ण आयात योजना का उल्लंघन करने वाले आभूषण निर्यातकों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) एक्जिम नीति की योजनाओं के तहत स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों को सोने की आपूर्ति के लिए नामित एजेंसियों द्वारा सोने के आयात में कोई अनियमितताएं नहीं की गयी हैं। तथापि, प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न जांच एजेंसियों ने कुछ निर्यातकों द्वारा स्वर्ण आभूषणों के निर्यातक में की गयी अनियमितताओं का पता लगाया है। इन अनियमितताओं में शामिल हैं :

(1) एम.एम.टी.सी. द्वारा उधार दिए गए/बेचे गए सोने के बदले स्वर्ण आभूषणों का निर्यात नहीं करना;

(2) विदेश में पकड़ी गयी निर्यात-खेपों में स्वर्ण आभूषणों का वजन कम पाया जाना;

(3) स्वर्ण आभूषणों की क्वालिटी सही न होना;

(4) वायुमार्गीय बिलों में हेरफेर करना;

(5) विदेश में निर्यात पार्सलों/इसके भुगतानों की वसूली एम.एम.टी.सी., के.ई.ओ.यू./डी.टी.ए. ऐसासिएट्स द्वारा किया जाना;

(6) निर्यात आय की वसूली निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं करना।

(घ) कथित अनियमितताओं के 23 मामले एम.एम.टी.सी. द्वारा विभिन्न जांच एजेंसियों को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे गए हैं जिनमें सी.बी.आई., डी.आर.आई. प्रवर्तन निदेशालय व डी.जी.एफ.टी. सम्मिलित हैं। प्रवर्तन निदेशालय ऐसे 15 मामलों की जांच कर रहा है।

बोरझार विमानपत्तन गुवाहाटी

4385. डा० अरुण कुमार शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी स्थित/बोरझार विमानपत्तन को सीमाशुल्क विमानपत्तन घोषित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे के समय उनके द्वारा इस क्षेत्र के लिए किसी विशेष पैकेज कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामले की समीक्षा की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। गुवाहाटी स्थित बोरझार विमानपत्तन को एक सीमाशुल्क विमानपत्तन के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव की विगत में जांच की गयी थी और उसे असामयिक पाया गया था क्योंकि विमानपत्तन पर आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव था। इसके अतिरिक्त, योजना संबंधी कार्यों के पैमाने को भी वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज कार्यक्रम में गुवाहाटी विमानपत्तन को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उन्नत करने और उसे एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करना शामिल है। इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

बासमती तथा गैर-बासमी चावल का निर्यात

4386. श्री राम नाईक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक कितनी मात्रा में बासमती तथा गैर-बासमती चावल का निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान घरेलू बाजार में गैर-बासमती चावल के भाव बढ़ने के बावजूद इसके निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए बासमती तथा गैर-बासमती चावल की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है :

मात्रा : लाख मी. टन में
मूल्य : करोड़ रुपये में

वर्ष	बासमती चावल		गैर-बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1993-94	5.27	1061.27	2.40	225.44
1994-95	4.69	857.76	4.23	323.45
1995-96	3.92	851.16	51.20	3701.85
1996-97 (अप्रैल-दिसंबर, 96)	3.42	794.11	16.17	679.00

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एंड एस., कलकत्ता।

(ख) सरकार की नीति यह है कि आम खपत की मदों का निर्यात करने की अनुमति इस तरह से दी जाए कि इससे खाद्य सुरक्षा प्रणाली से कोई समझौता न करना पड़े। व्यापार की गयी विभिन्न किस्मों, गुणवत्ता में अंतर तथा निर्यातों के लिए ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग में व्यय किए गए अतिरिक्त खर्च में अन्तर के कारण अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों की सही-सही तुलना करना संभव नहीं है।

कॉयर का निर्यात

4387. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कितनी मात्रा में कॉयर उत्पादों का निर्यात किया गया और इनका मूल्य क्या था;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कॉयर-जियो-टैक्सटाइल को निर्यात संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान निर्यात किए गए कॉयर उत्पादों की मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
1995-96	48276	206.84
1996-97*	41204	187.65

*अनंतिम—अप्रैल, 1996 से फरवरी, 1997 तक।

(ख) और (ग) जी, हां। 1995-96 और 1996-97 के दौरान निर्यात किए गए कॉयर-जियो-टैक्सटाइल्स की मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं:

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
1995-96	474	1.68
1996-97*	406	1.61

*अनंतिम—अप्रैल, 1996 से फरवरी, 1997 तक।

(ख) कॉयर बोर्ड ने, जोकि एक सांवधिक निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉयर और कॉयर उत्पादों के निर्यात को तीव्र करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। बोर्ड ने इंग्लैण्ड और जर्मनी में भारतीय कॉयर की खपत बढ़ाने हेतु इन देशों की कॉयर एसोसियेशनों के साथ संयुक्त प्रचार कार्यक्रम आरंभ किए हैं। कॉयर उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए बोर्ड विदेशों में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में भाग लेता है, बाजार विकास अभियानों में अधिकारी नियुक्त करता है और प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ करता है।

चाय का निर्यात

4388. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से चाय का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है;

(ख) क्या पोलैंड और कुछ अन्य देश चाय के आयात को बढ़ाना चाहते हैं;

(ग) यदि हां, तो भारत से चाय का आयात करने के लिए भिन्न-भिन्न देशों द्वारा दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नौवीं योजना के दौरान इन देशों को अनुमानित कितनी चाय का निर्यात किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारतीय चाय का निर्यात विश्व के 80 से अधिक देशों को किया जाता है। भारतीय चाय के प्रमुख आयातकों में ये हैं—रूस और सी. आई. एस. देश, यू. के., जर्मनी, पोलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र का अरब गणराज्य, जापान, सऊदी अरब आदि।

(ख) से (घ) विभिन्न आयातक देशों द्वारा किया जाने वला चाय का समग्र आयात उनकी मांग पर निर्भर करता है तथा आयात के लिए संविदाएं भिन्न-भिन्न देशों की आयातक कंपनियां/संगठन भारतीय निर्यातक कंपनियों के साथ करती हैं, जिनके ब्यौरे अलग-अलग क्रेताओं/विक्रेताओं से ही उपलब्ध होंगे। तथापि, चाय बोर्ड पोलैंड सहित विभिन्न आयातक देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि वहां भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाया जा सके।

(ङ) नौवीं योजना अर्थात् 2001-2002 के अन्तिम वर्ष में चाय बोर्ड ने चाय के निर्यात के लिए 265 मिलि. कि.ग्रा. का लक्ष्य रखा है।

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

4389. श्री विजय पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रुचि/देश के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ बनाने की अपेक्षा यहां अपने बाजार बनाने में अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो देश के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार का प्रयास आधारभूत संरचनात्मक और निर्यातोन्मुख परियोजनाओं सहित विशेष रूप से प्राथमिक/केन्द्रीय क्षेत्रों में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आमंत्रित करना रहा है। नीतिगत पहलों का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि लाने और निर्यातों को बढ़ाने के लिए उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उत्पादकता, कार्यकुशलता को बढ़ावा देना और लागत में कमी लाना है।

[हिन्दी]

कोयला मूल्यों पर से नियंत्रण हटाना

4390. श्री सुरेन्द्र यादव :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोयला उद्योग में मूल्य निर्धारण से नियंत्रण हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की किन-किन श्रेणियों से मूल्य नियंत्रण हटाने का विचार है;

(ग) क्या कोयले की कुछ श्रेणियां गैर-नियंत्रित मूल्य के अन्तर्गत आती हैं जबकि कोयले की कुछ श्रेणियों के मूल्य निर्धारण से नियंत्रण हटाने के लिए भविष्य की कोई तारीख निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में "डी", "ई", "एफ" और "जी" ग्रेड के कोयले का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;

(च) क्या कोयला मूल्यों से नियंत्रण हटाने के पश्चात् सभी प्रकार के कोयले के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सीमेंट, विद्युत और इस्पात के मूल्यों पर ऐसे निर्णय का क्या प्रभाव होगा ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) फरवरी, 1997 में, सरकार द्वारा "डी" ग्रेड के अकोककर कोयले, हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक की कीमतों को विनियंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। पहले फरवरी, 1996 में, सरकार द्वारा कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया था।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा फरवरी, 1997 में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(i) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) को औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की वर्ष 1987 की रिपोर्ट में दिए गए वृद्धयात्मक फार्मूले के अनुसार लागत सूचकांक को अद्यतन करके प्रत्येक 6 महीने की अवधि में 1.1.2000 तक "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों की समीक्षा किया जाना।

(ii) को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. को "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को इन ग्रेड के कोयलों की बाजार कीमतों की तुलना में निर्धारण तथा उनकी 1 जनवरी, 2000 के बाद वितरण किए जाने की अनुमति दिया जाना।

फरवरी, 1997 में लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के कारण निम्नलिखित हैं :

(i) हाल के वर्षों में को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. को दी जाने वाली सरकारी बजटीय सहायता में तेजी से गिरावट आयी है। कोयले की कीमतों का चरण-वार रूप से विनियंत्रण किए जाने से उनकी लाभकारिता में सुधार होगा तथा वे अतिरिक्त आंतरिक संसाधनों, जोकि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं, को जुटा सकें तथा इसके साथ-साथ नई कोयला परियोजनाओं, जोकि वर्तमान में अलाभकारी हैं, में सुधार किया जा सके।

(ii) फरवरी, 1997 में सरकार द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के आधार पर भारतीय कंपनियों को नए कोयले की ब्लाकों की पेशकश किए जाने का निर्णय लिया गया। कोयले की कीमतों को चरण-वार रूप में विनियंत्रित किए जाने से बाजार शक्तियों को सुदृढ़ीकृत किए जाने के लिए काफी समयावधि मिल जाएगी, प्रतिस्पर्द्धा हो सकेगी तथा कोयला उद्योग में एकाधिकार में कमी आएगी और इसके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता तथा उपभोक्ताओं की उन्मुखता में वृद्धि होगी।

(ङ) को.इं.लि. और सिं.को.कं.लि. में पिछले तीन वर्षों के दौरान "डी", "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड अकोककर कोयले का औसतन वार्षिक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :

अकोककर कोयले का ग्रेड	1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान औसतन वार्षिक उत्पादन (मिलियन टन में)	
	को.इं.लि.	सिं.को.कं.लि.
"डी"	27.18	6.14
"ई"	30.03	9.76
"एफ"	62.47	3.64
"जी"	शून्य	0.17

"ए" से "एफ" तक का ग्रेडीकरण केवल अकोककर कोयले के संबंध में लागू है।

(च) से (ज) फरवरी, 1997 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सिं.को.कं.लि. ने दिनांक 15.3.1997 से "बी" से "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को संशोधित किया है। सीमेंट तथा विद्युत की कीमतों पर सिं.को.कं.लि. द्वारा किए गए ऐसे संशोधन के कारण पड़ने वाली संभावित प्रभावकारिता को नीचे दर्शाया गया है :

वस्तु	प्रभावकारिता
सीमेंट	50 कि.ग्रा. के प्रत्येक बैग पर 2.06 रु.
विद्युत	0.17 रु. प्रति कि. वाट घंटा

सिं.को.कं.लि. की खानों से किसी कोककर कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता है, अतः सिं.को.कं.लि. खानों से इस्पात क्षेत्र को कोई आपूर्ति नहीं की जा रही है।

को.इं.लि., जोकि देश में कोयले का उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनी है, उक्त के द्वारा सरकार के फरवरी, 1997 में लिए गए निर्णय के बाद अभी तक कोयले की कीमतों को संशोधित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः फरवरी, 1997 के बाद सीमेंट, विद्युत

तथा इस्पात की कीमतों पर को.इ.लि. की कीमतों के संशोधन की संभावित प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

कम्पनियों का पंजीकरण

4391. श्री नीतिश भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी लिमिटेड कम्पनियां पंजीकृत की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी कितनी कम्पनियां बंद हो गई;

(ग) क्या इन कम्पनियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों को उन्हें कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निवेश संबंधी सुरक्षा पर्याप्त है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ङ) सामान्य निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत और बन्द की गई कम्पनियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	शेयर द्वारा सीमित पंजीकृत कम्पनियों की संख्या	परिसमापन में गई/बन्द कम्पनियों की संख्या
1993-94	30291	263
1994-95	47928	224
1995-96	56326	418

(ग) से (ङ) कम्पनी कार्य विभाग (डी सी ए) में एक निवेशक संरक्षण सैल है जो निवेशकों की शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करता है और ऐसी शिकायतें स्वीकार कर ली जाती हैं और उन्हें शीघ्र दूर करने हेतु पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत पद्धति के जरिए सम्बन्धित कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। कम्पनी रजिस्ट्रार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यालयों में भी ऐसी ही शिकायतें प्राप्त होती हैं और वे उन पर उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी कार्य विभाग द्वारा निवेशकों की प्राप्त शिकायतों और दूर की गई शिकायतों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	दूर की गई शिकायतों संख्या
1994	35,782	23,821
1995	34,031	28,085
1996	16,070	13,612

इसके अतिरिक्त, विभाग व्यतिक्रमी/चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध अभियोजन चलाकर कार्रवाई भी करता है। विभाग द्वारा 1993-94 में कपटपूर्ण धन निवेश करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करने के वास्ते चलाए गए अभियोजनों की संख्या 3 थी और 1995-96 में विवरणिका में गलत विवरण देने की संख्या 4 थीं। 1994-95 में ऐसा कोई अभियोजम शुरू नहीं किया गया।

इंडियन ओवरसीज बैंक के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

4392. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक में अनेक अधिकारी जिन्हें आरोप पत्र जारी किए गए थे, सी.बी.आई. जांच आदि का सामना कर रहे हैं; विभिन्न शाखाओं/प्रशासनिक अधिकारी आदि, के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं;

(ख) यदि हां, तो संवर्ग-वार, वेतनमान-वार और क्षेत्र-वार ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्र उद्योग में प्रसंस्करण गतिविधियां

4393. श्री भक्त चरण दास :
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसंस्करण उद्योग को "टेक्सटाइल (डेवलपमेंट रेगुलेशन) आर्डर, 1993" के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से उक्त आर्डर में संशोधन किए जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके द्वारा वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण तथा गुणवत्ता उन्नयन के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में निर्मित वस्त्रों की भागीदारी बढ़ाने में कहां तक मदद मिलेगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) से (ग) जी, हां। गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी प्राचलों को पूरा करने तथा भारतीय वस्त्र मदों को और प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने आदि के लिए, वस्त्र प्रसंस्करण क्रियाकलाप को वस्त्र (विकास व विनियमन) आदेश, 1993 के अन्तर्गत वस्त्र (विकास व विनियमन) (संशोधन) आदेश, 1997 के क्षेत्र में लाया गया है।

भारतीय निवेश

4394. श्री एन० एस० वी० चित्तन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) यह निवेश किन-किन मुख्य क्षेत्रों तथा देशों में किया गया है;

(ग) इस निवेश से कितना वार्षिक लाभ प्राप्त हो रहा है; और

(घ) एशियाई देशों द्वारा अन्य देशों में किए गए निवेश की तुलना में भारत की कितनी भागीदारी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल, 1996 से जनवरी 1997) के दौरान विदेशों में लगभग 195.50 मिलि. अमरीकी डालर का निवेश किया गया।

(ख) इस वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत निवेशों को क्रियाकलापों के रूप में विविधीकृत किया गया। समुद्री उत्पादों, चर्म तथा बिजली का सामान के अतिरिक्त वस्त्रों तथा परिधानों के क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए नियत बड़ी संख्या में व्यापारिक संस्थानों को स्वीकृतियां दी गई हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में भेषजीय, यार्न तथा वस्त्र, परिधानों, सीमेंट और चीनी के लिए स्वीकृतियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक स्वीकृतियां सॉफ्टवेयर विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में भी दी गई हैं।

जिन मुख्य देशों में निवेश किए जाने का प्रस्ताव है, वे हैं : यू. के., यू. एस. ए., जर्मनी, सिंगापुर, मारिशस, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, श्रीलंका, रूस तथा मलेशिया।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 30.11.95 तक प्रवर्तित प्रस्तावों से लाभांशों तथा अन्य हकदारियों के रूप में 316.48 करोड़ रु. निर्यातों से 2004.89 रु. की आय हुई थी।

(घ) विश्व निवेश रिपोर्ट 1996 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1995 में एशिया से एफ. डी. आई. में भारत का शेयर 0.089 प्रतिशत था।

कोयले की कमी

4395. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में वर्ष 1991 के दौरान कोयले के भण्डार में वास्तविक रूप से कमी पाई गई;

(ख) यदि हां, तो कोयले की कुल कितनी कमी पाई गई और इसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या कोयले के भण्डार में दर्शाई गई कमी को माफ कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण हैं और उक्त कमी को माफ करने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान कम्पनी में, स्टॉक पुस्तिका में 5 प्रतिशत की निर्धारित अनुमत्त सीमा से अधिक की कोयले के स्टाक में कमी नहीं पाई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

कार का विनिर्माण

4396. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1997 के "द इकानामिक टाइम्स" में "कार मार्केट सीन हेडिंग फार शेक आउट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भारत में विनिर्मित कारों की यहां भरमार न हो ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) कारों के उत्पादन में वर्ष 1994-95 में 264,368 से 1995-96 में 348,242 तक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार की वृद्धि चालू वर्ष में भी होने की संभावना है। बाजार में भरमार के तत्काल कोई आसार नहीं हैं।

(ग) और (घ) यात्री कार उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार कारों का उत्पादन खुले बाजार तंत्रों के तहत होगा।

एन.टी.सी. मिल कर्मचारियों को वेतन

4397. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री गोरेधनभाई जावीया :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्री के० परसुरामन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक एन.टी.सी. मिल की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इस समय, राज्य-वार कितनी एन.टी.सी. मिल बन्द पड़ी हैं;

(ग) गत तीन माह से, राज्य-वार कितने एन.टी.सी. मिल कर्मचारियों को उनके वेतन और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करने और इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) एन.टी.सी. के अधीन प्रत्येक मिल की संस्थापित क्षमता को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) एन.टी.सी. के अधीन कोई भी मिल औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बंद पड़ी हुई नहीं है। तथापि, कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण एन.टी.सी. के अधीन 41 मिलों में कार्यकलाप बन्द हैं। ऐसी मिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(ग) एन.टी.सी. के कामगारों/कर्मचारियों को दिसम्बर, 1996 के माह तक के उनकी मजदूरियां/वेतन प्राप्त हो गए हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों की मजदूरियों तथा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके यथाशीघ्र संवितरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) सरकार ने मई, 1995 में संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन कर दिया था जिसमें 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय से 79 मिलों का आधुनिकीकरण निहित था। चूंकि 9 सहायक निगमों में से 8 को रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा उनके मामले बीआईएफआर को भेजे गए हैं इसलिए सर्वांगीण सुधार योजना भी पीठ के विचारार्थ भेज दी गई है। योजनाओं के लिए निधियों की पूर्ति एन.टी.सी. मिलों की बेशी भूमि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय से की जानी थी। लोक सभा में 3 मार्च, 1997 को दिए गए मेरे वक्तव्य में यह बताया गया है कि बिक्री से प्राप्त होने वाली 80 प्रतिशत राशि मुंबई स्थित मिलों की भूमि से आनी है, महाराष्ट्र सरकार से अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बीआईएफआर ने भी निवल पूंजी के सकारात्मक बनने के प्रश्न पर बीआईएफआर द्वारा दिए गए विवेचन के कारण एन.टी.सी. के 8 सहायक निगमों के लिए संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन नहीं किया है। निधियां उपलब्ध न होने की तथा साथ ही बीआईएफआर का अनुमोदन न होने की स्थिति में संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना को क्रियान्वित करना व्यावहारिक नहीं है। इस पृष्ठभूमि में एन.टी.सी. ने वर्ष 1995 में सरकार द्वारा सहमत रियायतों तथा निवल पूंजी के सकारात्मक बनने की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए एककवार अर्थक्षमता की पुनरीक्षा की है। इस समय एन.टी.सी. की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। फिलहाल सरकार एन.टी.सी. के सामने एन.टी.सी. के कामगारों/कर्मचारियों को मजदूरियों, वेतन तथा बोनस का भुगतान करने में आ रही कमी को, एन.टी.सी. मिलों का पुनरुद्धार तथा पुनर्वासन संबंधी अंतिम निर्णय लेने तक पूरा कर रही है।

विवरण-I

क्र.सं.	मिलों का नाम	स्थापित क्षमता 31.12.96 तक की स्थिति के अनुसार	
		तकुए	करघे
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	अडोनी कॉटन मिलें	20800	0
2.	अनंतपुर मिलें	29596	0
3.	अजमजाही मिलें	34688	0
4.	नटराज मिलें	17520	0
5.	नेथा स्पि. वीव.	16112	0
6.	तिरूपति कॉटन	27860	0
		146576	0
	असम		
7.	एसोसिएटेड इंडस.	20984	0
	बिहार		
8.	बिहार को-ऑपरेटिव	15200	0
9.	गया काटन	17600	0
		32800	0
	दिल्ली		
10.	अजुध्या टेक्सटाइल	27684	260
	गुजरात		
11.	अहमद जुपिटर	41664	696
12.	अहमद न्यू टेक्सटाइल	33616	792
13.	हिमाद्रि टेक्सटाइल	18400	384
14.	जहांगीर टेक्सटाइल	33160	650
15.	महालक्ष्मी	28616	624
16.	न्यू मनचौक	32552	550
17.	पेटलेड टेक्सटाइल	19240	441
18.	राजकोट टेक्सटाइल	16160	268
19.	राजनगर मिल-1	50268	1096

1	2	3	4
20.	राजनगर मिल-2	0	0
21.	विरंगम टेक्सटाइल	22980	512
		296656	6019
	कर्नाटक		
22.	मिनर्वा मिलें	32486	373
23.	मस्क मिलें	18280	96
24.	मैसूर मिलें	0	0
25.	श्री याल्लाम्मा	29264	0
		80030	469
	केरल		
26.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	49532	0
27.	कन्नौर स्पि. मिल्स	24800	0
28.	केरल लक्ष्मी	41328	0
29.	पार्वती मिल्स	25400	180
30.	विजयमोहनी	28796	0
		169856	180
	महाराष्ट्र		
31.	अपोलो	37852	230
32.	औरंगाबाद	21656	0
33.	बरसी	19520	0
34.	भारत	41584	456
35.	चालीसगांव	25664	302
36.	धुले	40708	491
37.	दिग्विजय	31576	524
38.	एलिफिंस्टोन	54648	935
39.	फिनले	72668	958
40.	गोल्ड मोहर	66652	1142
41.	इंडिया यूनाइटेड नं. 1	38604	546
42.	इंडिया यूनाइटेड नं. 3	33232	523
43.	इंडिया यूनाइटेड नं. 5	25364	288
44.	इंडिया यूनाइटेड नं. 6	0	0
45.	इंदू यूनाइटेड-2	24336	512
46.	इंदू यूनाइटेड-4	0	0
47.	जाम	27880	0
48.	जूपीटर	59644	824
49.	कोहिनूर-2	0	0
50.	कोहिनूर-3	0	0
51.	कोहिनूर मिल्स 1	28216	192
52.	मधुसूदन	95412	1534
53.	माडल मिल	30128	446
54.	मुंबई	39152	649
55.	नंदेड़	40712	192
56.	न्यू सिटी	56260	623
57.	न्यू हिंद	33496	441
58.	पोद्दार मिल्स	45116	249
59.	पोद्दार प्रोसेस	0	0
60.	आर.बी.बी.ए. मिल्स	23184	145
61.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	13120	260
62.	सावत्रम मिल्स	14464	164
63.	श्री सीताराम	28360	0
64.	टाटा मिल्स	28600	348
65.	विदर्भा	19000	168
		1116808	13133
	मध्य प्रदेश		
66.	बंगाल नागपुर	28232	568
67.	बुरहानपुर ताप्ती	7040	244
68.	हीरा	18000	0
69.	इंदौर मालवा	17432	336
70.	कल्याणमल	19888	340
71.	न्यू भोपाल टेक्स.	18600	108
72.	स्वदेशी इंदौर	15600	108
		124792	1704

1	2	3	4
	उड़ीसा		
73.	उड़ीसा काटन	24668	0
	पांडिचेरी		
74.	माहे मिल्स	30240	0
75.	श्री भारती	17600	96
76.	स्वदेशी काटन	23328	0
		71168	96
	पंजाब		
77.	दयालबाग स्पि. एंड विव.	18360	0
78.	खरड़ टेक्सटाइल	25220	0
79.	पानीपत वूलन	5600	48
80.	सूरज टेक्सटाइल	19696	0
		68876	48
	राजस्थान		
81.	एडवर्ड	19080	370
82.	महालक्ष्मी	15640	300
83.	श्री विजय काटन	22172	0
84.	उदयपुर काटन	25180	0
		82072	670
	तमिलनाडु		
85.	बालारामावर्मा	25376	8
86.	सी.एस. एंड डब्ल्यू.	74656	0
87.	कंबोडिया	40704	0
88.	कोयम्बटूर मुर्गन	22800	96
89.	कालेश्वर-क	31472	0
90.	कालेश्वर-ख	37664	0
91.	किसनावेनी	25148	0
92.	ओमपराशक्ति	25448	0
93.	पंकज	29800	0
94.	पायोनीर	24624	0
95.	सोमासुंदरम	25744	0

1	2	3	4
96.	श्री रंगविलास	42968 (रोटर्स)	0
97.	श्री शारदा	29960	144
		436364	336
	उत्तर प्रदेश		
98.	एथर्टन	31528	697
99.	बिजली	24800	0
100.	लक्ष्मीरतन	40616	819
101.	लार्ड कृष्णा	44592	307
102.	मुइर	37136	1106
103.	विक्टोरिया	30272	756
104.	रायबरेली टेक्स.	10472	0
105.	श्री विक्रम	13648	0
106.	स्वदेशी कानपुर	34580	864
107.	स्वदेशी मऊ	19992	0
108.	स्वदेशी नैनी	51384	0
		338820	4549
	पं. बंगाल		
109.	आरती काटन	21320	0
110.	बनारसी	14704	298
111.	बंगाल फाइन-1	27720	0
112.	बंगाल फाइन-2	12960	0
113.	बंगाल लक्ष्मी	30516	0
114.	सेंट्रल काटन	35464	534
115.	ज्योति वीविंग	0	160
116.	लक्ष्मीनारायण	29132	0
117.	मनिन्द्रा बी.टी.	19076	180
118.	रामपुरिया	24952	298
119.	श्री महालक्ष्मी	15640	300
120.	सोदेपोर काटन	11508	0
		242992	1770
	कुल :	3281148	29234

विवरण-II

उन मिलों की संख्या जिनमें काम बन्द है

राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1. दिल्ली	1
2. उत्तर प्रदेश	7
3. मध्य प्रदेश	4
4. महाराष्ट्र	2
5. गुजरात	9
6. आंध्र प्रदेश	5
7. असम	1
8. बिहार	1
9. उड़ीसा	1
10. प. बंगाल	10

कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990

4398. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से राज्यवार कितने किसानों और कारीगरों को लाभ पहुंचा है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु अब तक कितनी राशि मंजूर और जारी की गई है; और

(ग) बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत, सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों ने 82,92,057 किसानों और 13,00,543 ग्रामीण शिल्पियों को ऋण राहत दी थी। संघ शासित क्षेत्र/राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

राज्य सहकारी बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने क्रमशः 1,85,90,622 तथा 36,75,061 लाभग्राहियों को ऋण सहायता दी थी। संघ शासित क्षेत्र/राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) की आंकड़ा प्रणाली से किसानों और ग्रामीण शिल्पियों के रूप में इन लाभग्राहियों के अलग-अलग ब्यौरे प्राप्त नहीं होते हैं।

योजना के तहत पात्र लाभग्राहियों को दी गई राहत की राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना एक बारगी उपाय के रूप में किया गया उपाय था। भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने सूचित किया है कि योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी दावे निपटा दिए गए हैं।

विवरण-I

एआरडीआर योजना, 1990 के तहत, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिन हिताधिकारियों को ऋण राहत उपलब्ध करवाया गया है उनकी राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिताधिकारियों की संख्या	
		किसान	ग्रामीण कारीगर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1052227	125724
2.	असम	227472	35138
3.	अरुणाचल प्रदेश	3256	254
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2606	384
5.	बिहार	686341	1141153
6.	चंडीगढ़	1584	94
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10679	464
8.	दमन और दीव	175	66
9.	गुजरात	378027	81198
10.	गोवा	8331	956
11.	हरियाणा	216012	9011
12.	जम्मू एवं कश्मीर	14783	692
13.	कर्नाटक	780758	79594
14.	केरल	291776	73506
15.	लक्षद्वीप	34	22
16.	मिजोरम	1695	426
17.	दादरा एवं नगर हवेली	709	548
18.	मेघालय	13242	1328
19.	मणिपुर	16619	4362
20.	महाराष्ट्र	600888	68017
21.	मध्य प्रदेश	410867	66287

1	2	3	4
22.	नागालैण्ड	10054	4854
23.	उड़ीसा	411851	104892
24.	पांडिचेरी	26127	1951
25.	पंजाब	178591	11302
26.	राजस्थान	459517	43254
27.	सिक्किम	78649	734
28.	हिमाचल प्रदेश	74564	16083
29.	तमिलनाडु	689216	84829
30.	त्रिपुरा	59578	11371
31.	उत्तर प्रदेश	877723	82790
32.	पश्चिम बंगाल	818106	276259
	योग :	8292057	1300543

विवरण-II

एआरडीआर योजना के अन्तर्गत सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत के हिताधिकारियों को राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिताधिकारियों की संख्या		
		राज्य सहकारी बैंक	राज्य भूमि बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2086	—*	—*
2.	आन्ध्र प्रदेश	1008710	386229	414491
3.	अरुणाचल प्रदेश	7509	—*	1223
4.	असम	171105	3975	126534
5.	बिहार	2162894	382757	528556
6.	चण्डीगढ़	1696	—*	—*
7.	गोवा	9124	—*	—*
8.	गुजरात	720423	118053	45821
9.	हरियाणा	231484	74070	67317
10.	हिमाचल प्रदेश	165204	6670	21255
11.	जम्मू एवं कश्मीर	165354	7814	17080
12.	कर्नाटक	366783	115090	246951
13.	केरल	391295	53972	66963
14.	मध्य प्रदेश	1170905	128342	215895
15.	महाराष्ट्र	1711238	268270	59824
16.	मणिपुर	60502	—*	2878
17.	मेघालय	54686	—*	2164

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	—*	—*	4143
19.	नागालैण्ड	8432	—*	1223
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—*	—*	—*
21.	उड़ीसा	1091251	158916	376105
22.	पांडिचेरी	18431	563	—*
23.	पंजाब	226626	22524	6231
24.	राजस्थान	1168283	94464	290028
25.	तमिलनाडु	919735	164021	63842
26.	त्रिपुरा	81841	3354	98439
27.	उत्तर प्रदेश	3363256	290476	519583
28.	पश्चिम बंगाल	946712	73247	497957
	योग	16229915	2360707	3675061

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई बैंक नहीं।

विवरण-III

एआरडीआर योजना, 1990 के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई राहत राशि का राज्य/संघ राज्यवार विवरण

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.85	—	0.09	0.94
2.	आन्ध्र प्रदेश	415.62	100.15	334.43	850.20
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.63	0.22	1.30	2.15
4.	असम	71.53	24.16	34.43	130.12
5.	बिहार	207.14	95.53	521.62	824.29
6.	चण्डीगढ़	0.69	—	0.31	1.00
7.	दादरा एवं नगर हवेली	0.13	—	—	0.13
8.	दमन एवं दीव	0.10	—	—	0.10
9.	गोवा	2.84	—	1.29	4.13
10.	गुजरात	136.84	7.72	334.08	478.64
11.	हरियाणा	80.60	18.14	126.08	224.82

1	2	3	4	5	6
12.	हिमाचल प्रदेश	20.92	3.44	30.32	54.68
13.	जम्मू एवं कश्मीर	4.26	5.07	31.45	40.78
14.	कर्नाटक	283.14	70.30	126.21	479.65
15.	केरल	84.19	9.44	75.65	169.28
16.	लक्षद्वीप	0.03	—	—	0.03
17.	मध्य प्रदेश	159.28	38.08	229.22	426.58
18.	महाराष्ट्र	252.62	17.06	464.50	734.18
19.	मणिपुर	6.08	0.47	7.64	14.19
20.	मेघालय	6.40	0.47	9.81	16.68
21.	मिजोरम	0.96	1.46	0.09	2.51
22.	नागालैण्ड	6.94	0.30	3.82	11.06
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4.80	—	0.10	4.90
24.	उड़ीसा	123.01	68.64	150.76	342.41
25.	पांडिचेरी	8.25	—	1.80	10.05
26.	पंजाब	72.96	1.04	108.79	182.79
27.	राजस्थान	153.00	74.33	311.45	538.78
28.	सिक्किम	2.68	—	—	2.68
29.	तमिलनाडु	217.20	11.56	272.15	500.91
30.	त्रिपुरा	12.91	13.14	12.41	38.46
31.	उत्तर प्रदेश	283.91	100.13	638.01	1022.05
32.	पश्चिम बंगाल	212.51	58.98	133.73	405.22
	योग	2833.02	719.83	3961.54	7514.39

यू.टी.आई. में बैंकों द्वारा निवेश

4399. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को यू.टी.आई. की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से 5 प्रतिशत निवेश सीमा को समाप्त करने को भी कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन बैंकों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने तथा उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त राशि का निवेश किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश हेतु 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सीमा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष रूप से अनुरोध किया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

कृषि मदों का निर्यात

4400. श्री सत्य देव सिंह :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री अनंत गुढ़े :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई विशेष ऋण पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु पैकेज योजना के कार्यान्वयन के उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने लदान-पूर्व और लदान-पश्चात ऋणों की ब्याज दरों में अक्टूबर, 1992 में समुचित संशोधन किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दरों को समीक्षाधीन रखा हुआ है ताकि निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी दरों पर पर्याप्त ऋण मिल सके।

निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आर बी आई की निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सुविधाएं दी जाती हैं :

(i) विदेशी मुद्रा में लदान-पूर्व निर्यात ऋण।

(ii) रुपयों में लदान-पूर्व निर्यात ऋण।

(iii) रुपयों में अथवा विदेशी मुद्रा में लदान-पश्चात निर्यात ऋण।

(iv) निर्यात बिल पर पुनः डिस्काउंट देना।

भारतीय रिजर्व बैंक के स्थाई निर्देशों में बैंकों से अपेक्षा की गई है कि निर्यात क्षेत्र को शुद्ध बैंक ऋण का कम से कम 12 प्रतिशत ऋण का लक्ष्य प्राप्त करे।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बागवानी (सब्जियों, मसालों और पुष्पोत्पादन सहित), पशुपालन और रेशम उत्पादन के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिकता देता है। आगे, 10 लाख रु. तक की सीमा तक स्वतः पुनर्वित्त सुविधा और योजनागत आधार पर एस.एस.आई. सीमाओं तक पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) निर्यातकों के लिए उपलब्ध ऋण सुविधाओं का विस्तृत प्रचार किया जाता है और संबंधित एजेंसियों द्वारा इसके बारे में राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थाओं को सूचना दी जाती है।

[हिन्दी]

हिन्दी का उपयोग

4401. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में जो आधुनिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर, टेलेक्स, टेलीप्रिंटिंग आदि जो रोमन लिपि में हैं, उन्हें द्विभाषीय बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन द्विभाषीय उपकरणों को उनके मंत्रालय में किस प्रकार उपयोग किया जाएगा;

(ग) हिन्दी के उपयोग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाएगा;

(घ) क्या मंत्रालय ने क्षेत्र "क" में स्थित कार्यालयों जहां शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में होना चाहिए, को हिन्दी के उपयोग से छूट दी है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी छूट देने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से स्थापित किए गए द्विभाषी कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है। मंत्रालय में, वर्तमान में किसी टेलेक्स/टेलीप्रिंटर को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

(ख) और (ग) आशुलिपिकों तथा टंककों को, जिन्हें हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया है, उन्हें द्विभाषी कम्प्यूटरों को प्रचालन किए जाने और हिन्दी तथा अंग्रेजी में मुद्रण-सामग्री निकालने के लिए अपेक्षित रूप में नियोजित किया गया है। इन द्विभाषी उपकरणों की उपलब्धता से हिन्दी में शीघ्र सामग्री प्राप्त की जा सकती है तथा इनका प्रयोग समय के अनुसार तथा उपयुक्त रूप में तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लाया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष "क" क्षेत्रों में स्थित सभी कार्यालयों को राजभाषा विभाग के "वार्षिक कार्यक्रम" को परिचालित किया जाता है तथा उनसे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी अनुरोध किया जाता है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक के ऋण के उपयोग पर नियंत्रण

4402. श्री नामदेव दिवाथे :
श्री कृष्णलाल शर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने यह पता लगाने के लिए कि भारत

ऋण की राशि को किस प्रकार उपयोग कर रहा है, एक बड़े पैमाने पर लेखा परीक्षा जिसे "एक्रोस दि बोर्ड रिव्यू" के नाम से जाना जाता है, शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्य स्तर पर चालू लेखा परीक्षा का ब्यौरा क्या है तथा की गई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की लेखा परीक्षा नियमित है या चालू वर्ष के दौरान शुरू किए जाने का कारण विश्व बैंक के ऋण के सदुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण लगाने का है;

(घ) विकास परियोजनाओं के लिए भारत में विश्व बैंक की ऋण के उपयोग पर उभरती प्रवृत्ति का क्षेत्रवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व बैंक ऋण के उपयोग पर विगत में पाई गई सामान्य खामियों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वर्ष 1994-95 की तुलना में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कृषि, जलापूर्ति और सफाई, विद्युत, परिवहन और दूरसंचार तथा शहरी विकास क्षेत्रों में किए गए उपयोग में वर्ष 1995-96 में सुधार दिखाया है। जहां तक राज्यों का संबंध है, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने इसी अवधि के दौरान बेहतर कार्यनिष्पादन दिखाया है।

(ङ) सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन में और अधिक सुधार लाने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। इनमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान सुनिश्चित करना, शत-प्रतिशत संयोज्य रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना, राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अग्रिम भुगतान करना, बोली दस्तावेजों का मानकीकरण एवं प्राप्ति प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाना, केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली विदेशी सहायता में से मध्यस्थों को हटाना, निवेश सूची का यौक्तिकीकरण और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन एकक की स्थापना करना शामिल हैं।

भविष्य निधि में अनियमितताएं

4403. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक के मद्रास स्थित केन्द्रीय कार्यालय में कर्मचारियों के केन्द्र में रखे गए भविष्य निधि खाते में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1996 को अनेक कर्मचारियों की भविष्य निधि से संबंधित विविध देनदारों के ऋण न लिए गए/मिलान न किए गए कुल खातों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कारण क्या हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई है और कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि विविध लेनदार खातों में नहीं पड़ी हुई है। तथापि, कर्मचारियों से संबंधित सितम्बर, 1996 से दिसम्बर, 1996 के महीनों का अधिकांश भविष्य निधि का विप्रेषित धन जो लगभग 10.94 करोड़ रुपये बैठता है, दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार मिलान और तत्पश्चात उसे जमा करने की प्रक्रिया में था। इसमें से 6.03 करोड़ रुपये की राशि का पहले ही मिलान कर लिया गया है और जमा कर दिया गया है। बैंक ने आगे बताया है कि मिलान में देरी इसलिए हुई क्योंकि पूरे देश की 1450 शाखाओं से जमा राशियों की आवती में लगा समय सामान्य समय से अधिक लगा और सही खातों में जमा करने से पहले 26000 जमा राशियों (लगभग) की जांच की जानी थी। बैंक ने आगे बताया है कि वे ऐसे विलम्बों को कम करने का पूरा प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

वस्त्रों का निर्यात

4404. जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कपास के कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत कपास का निर्यात किया गया;

(ख) क्या केवल कपास का निर्यात न करके यार्न क्लोथ और सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमान क्या हैं और क्या सरकार ने कपास के निर्यात को हतोत्साहित करने और कपास उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के कुल उत्पादन में से निर्यात की गई कपास का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रतिशत
1993-94	3.20
1994-95	0.78
1995-96	7.36

(ख) से (घ) जबकि यार्न, कपड़े, मेड अप्स तथा परिधानों जैसी मूल्यवर्धित वस्तुओं का निर्यात करना सामान्यतः लाभप्रद हैं, कपास के निर्यात की अनुमति केवल उत्पादन के अनुमान, उपलब्धता, घरेलू खपत की आवश्यकताओं, कपास की कीमत प्रवृत्ति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात बेशी कपास की सम्भावित उपलब्धता होने पर ही दी जाती है। सरकार कपास उपजकर्ताओं तथा साथ ही उपभोक्ता क्षेत्रों के हितों का सन्तुलन करने का प्रयास करती है। 41 काउण्ट से कम के सूती यार्न के निर्यातों की उच्चतम सीमा को 1996 में 80 मिलियन कि.ग्रा. से बढ़ाकर 120 मिलियन कि.ग्रा. किया गया था।

[अनुवाद]

सोने की तस्करी

4405. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटिल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सोने के आयात के संबंध में नीति की समीक्षा की है और सोने की तस्करी को रोकने के लिए उपाए किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानित कितने सोने की तस्करी की गई;

(घ) अगले पांच वर्षों के लिए सोने की मांग के अनुमान के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 1.1.97 की अधिसूचना सं. 1/97-सी.शु. जारी करके सोने के आयात के बारे में हाल ही में नीति की समीक्षा की है और इस अधिसूचना के तहत स्वदेश लौट रहे अनिवासी भारतीयों की सोना लाने की पात्रता को 5 कि.ग्रा. से बढ़ाकर 10 कि.ग्रा. कर दिया गया है। इसके कारण तस्करी में कमी आई है जैसे कि तस्करी किए गए सोने के अभिग्रहण की प्रवृत्ति से भी पता चलता है। जहां वर्ष 1992 में अभिग्रहण की मात्रा 5 टन थी, वहां गत तीन वर्षों में किए गए अभिग्रहण की मात्रा एक वर्ष में लगभग 1 टन है।

(ग) कुछेक निजी एजेंसियों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में तस्करी किए गए सोने की मात्रा इस प्रकार है :

1994	—	118 टन
1995	—	130 टन
1996	—	105 टन

(घ) और (ङ) देश में सोने की मांग में सामान्यतया 20 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि होने की सम्भावना है और आशा की जाती है कि अनिवासी भारतीयों और विशेष आयात लाइसेंस के जरिए अधिक आयात की अनुमति देने के लिए किए गए उपायों से इस बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा।

जीवन बीमा निगम में जाली व्यवसाय

4406. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं और जाली व्यवसाय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संसद सदस्यों और आम जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इस संबंध में की गई जांचों का ब्यौरा क्या है और इनके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) भारत सरकार को समय-समय पर जीवन बीमा निगम द्वारा किए जाने वाले कारोबार में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं और इन शिकायतों में जाली कारोबार से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं। यह मामला संसद में भी समय-समय पर उठाया जाता रहा है। राज्य सभा में दिनांक 26.8.95 जीवन बीमा निगम में उच्च व्यपगत तथा जाली पालिसियों के विषय में हुई अल्पकालिक चर्चा के फलस्वरूप सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य सचिव श्री ए. बी. गणेशन की अध्यक्षता में जीवन बीमा निगम में कथित अनाचार तथा जाली कारोबार की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति के निष्कर्षों से पता चलता है कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण कारण अथवा अभिप्रेरणा प्रतीत नहीं होती कि जाली पालिसियों की बिक्री में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की बड़ी संख्या लिप्त थी। उपलब्ध आंकड़े तथा व्यापक निर्णय के आधार पर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जीवन बीमा निगम द्वारा वर्तमान में वर्ष भर में जारी की जा रही कुल लगभग एक करोड़ पालिसियों में से लगभग 3 प्रतिशत पालिसियों में किसी न किसी रूप में संभावित अनाचार शामिल है।

सरकार को समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को जीवन बीमा निगम के समक्ष लाया जाता है। जीवन बीमा निगम ने यह भी सूचित किया है कि उसे प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान, जनता से प्राप्त ऐसे 22 मामले दर्ज किए गए जो जाली बीमा की शिकायतों से संबद्ध थे और जिनमें 9 एजेंट, 13 विकास अधिकारी तथा 7 प्रथम श्रेणी के अधिकारी शामिल थे। उक्त मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप अब तक एजेंसी के एक एजेंट

की सेवा समाप्त की गयी, एक एजेंट को चेतावनी जारी की गयी तथा 6 विकास अधिकारियों को सावधानी बरतने को कहा गया है।

सड़कों और पुलों की स्थिति में सुधार करने के लिए नाबार्ड द्वारा ऋण दिया जाना

4407. श्री के० सी० कोंडय्या : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सड़कों और पुलों की स्थिति में सुधार करने के लिए परियोजना शुरू करने के लिए नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण की शेष राशि कर्नाटक को दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों से संबंधित परियोजनाओं के लिए ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)-II के अन्तर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। नाबार्ड द्वारा दी गयी मंजूरियों का विवरण निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गयी राशि
ग्रामीण सड़कें	119	70.54
ग्रामीण पुल	126	51.32

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि आर.आई.डी.एफ. ऋण प्रतिपूर्ति के आधार पर उस समय दिए जाते हैं जब राज्य सरकारों से उनके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में दावे प्राप्त होते हैं। मंजूरी के समय दर्शाए गए चरणों में नीचे दर्शाए गए अनुसार तीन वर्षों की अवधि के भीतर निधियां जारी की जानी हैं :

(करोड़ रुपये)

वर्ष		राशि
1996-97	—	10.50
1997-98	—	90.30
1998-99	—	21.08

नाबार्ड ने आगे बताया है कि राज्य सरकार को अभी चालू वर्ष के दौरान राशि आहरित करनी है।

उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क में कटौती का लाभ

4408. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आकलन किया है कि विनिर्माता उत्पाद और सीमा शुल्क में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाएंगे;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विनिर्माताओं द्वारा ऐसे लाभ उपभोक्ताओं को न दिए जाने की बात ध्यान में आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) वस्तुओं के मूल्य सामान्यतया बाजार शक्तियों के आधार पर निर्धारित होते हैं और बहुत से कारकों पर निर्भर करते हैं जिनमें से उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क भी एक कारक है। सरकार ने इस बात का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है कि बजट में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में की गयी कमी का किस सीमा तक लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है।

जहां मूल्य नियंत्रण नहीं होता है वहां उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क में की गयी कमी के बराबर मूल्य में कमी सुनिश्चित करने के लिए कोई विधिक तंत्र नहीं है। तथापि, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :

(i) उद्योग संघों को यह कहा गया है कि वे शुल्क रियायतों के लाभ स्वैच्छिक रूप से उपभोक्ताओं को दें।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि शुल्क रियायतों के लाभ उपभोक्ताओ को मिलें।

जैव संपदा

4409. डा० प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी 1997 को "द असम ट्रिब्यून" में "लार्ज स्केल बायोपिरेसी गोइंग ऑन इन नार्थ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की अन्य जैव संपदा सहित फूलों के त्राग से यूरोपीय पुष्प उत्पादक कंपनियां भारतीय कंपनियों की तुलना में अधिक आय अर्जित कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जैव संपदा की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में यह कहा गया था कि भारत के वनों और खेतों की संपदा तथा इसकी प्रचुर जैव विविधता को विदेशी कंपनियों और उसके एजेंटों द्वारा लूटा जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है किन्तु खतरनाक मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभि समय (साइट्स) के परिशिष्ट I और परिशिष्ट II में शामिल पौधों की सभी मदों, जंगली आर्चिड और कुछ अन्य पौधों, पौधों के मांगों और उनके निस्सारणों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(ङ) जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय कानून तैयार किया जाता है जिसमें देश के जैविक पदार्थ तक पहुंच तथा उसके स्थानान्तरण का नियमन शामिल है।

जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक

4410. डा० असीम बाला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जेनेवा में हाल ही में हुई विश्व व्यापार संगठन की पैनल बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों तथा उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : अनुमान है कि यह प्रश्न जेनेवा में 20 और 21 जनवरी 97 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति की भारत के साथ हुए परामर्श से संबंधित है।

इन परामर्शों के दौरान, समिति ने सन् 1995 से भारत की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक विकास होने की बात नोट की। समिति ने आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण के प्रति भारतीय प्राधिकारियों की सतत वचनबद्धता का स्वागत करते हुए टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्द करार (गैट) 1994 के अनुच्छेद 18(ख) के तहत अधिसूचित मात्रात्मक प्रतिबंधों को भारत द्वारा धीरे-धीरे समाप्त किए जाने की बात नोट की। समिति 2 जून 1997 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में पुनः परामर्श करने पर सहमत हुए। परामर्श करने का प्रयोजन एक योजना पर विचार करना है। समिति ने जिस पर अनुच्छेद 18(ख) के तहत अधिसूचित उपायों को हटाने के लिए भारत को प्रतिनिधित्व करने हेतु आमंत्रित किया है और सभी भुगतान संतुलन के संगत प्रावधानों के अनुरूप परामर्श करने के लिए कहा है। समिति ने यह नोट किया कि भारत अपनी योजना तैयार करते समय डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के हितों पर संतुलित ढंग से विचार करेगा।

[हिन्दी]

सहकारी कताई मिलों हेतु ऋण

4411. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी सहकारी कताई मिलों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्रीय वित्त संस्थानों द्वारा दीर्घावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) वित्तीय संस्थानों द्वारा सहकारी कताई मिलों को दीर्घावधि के ऋण स्वीकृत करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि सहकारी कताई मिलों द्वारा वित्तीय संस्थाओं के प्रति की गयी चूकों की बड़ी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय संस्थाओं ने यह निर्णय लिया है कि नए सहकारी कताई मिलों के लिए वित्तीय सहायता संबंधी आवेदन पर तभी विचार किया जा सकता है जब विद्यमान सहकारी कताई मिलों के संबंध में देय राशियों का निपटान एककों द्वारा कर दिया जाए या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जिन्होंने गारंटी दी थी।

आईडीबीआई ने आगे सूचित किया है कि महाराष्ट्र को छोड़कर किसी अन्य राज्य ने सहकारी कताई मिलें स्थापित करने हेतु सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं से संपर्क नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आईडीबीआई से कहा है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 50 सहकारी कताई मिलें स्थापित की जाएंगी। इनमें से 14 ने सहायता के लिए आईडीबीआई से और 20 ने भारतीय इंडस्ट्रियल फाइनांस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (आईएफसीआई) से संपर्क किया है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभी तक कोई सहायता मंजूर नहीं की गयी है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इतनी बड़ी क्षमता की गुंजाइश नहीं थी। निर्यात पर अपेक्षाकृत अधिक जोर को देखते हुए वित्तीय संस्थाएं उप-निर्यातोन्मुख एककों को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं जिनका प्रवर्तन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जो इस क्षेत्र में अनुभवी हों और अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले धागे (यार्न) का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपस्कर लगाने का विचार रखते हों। आमतौर पर विद्यमान सहकारी कताई मिलों का कार्यकरण असंतोषजनक रहा है और उनके पास वित्तीय संस्थाओं की बड़ी अतिदेय राशियां हैं। आईडीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार से विद्यमान सहकारी कताई मिलों की अतिदेय राशियों को निपटाने और उनके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

काजू का निर्यात तथा उत्पादन

4412. श्री के० पी० सिंह देव :
डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष काजू का कितना उत्पादन तथा निर्यात हुआ है;

(ख) क्या काजू उत्पादक तथा निर्यातक काजू के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को काजू निर्यातकों को भी खुला सामान्य लाइसेंस की सुविधा प्रदान करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) वर्ष 1997-98 के दौरान काजू के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू के उत्पादन तथा निर्यात निम्नानुसार रहे हैं :

वर्ष	कच्चे काजू का उत्पादन (मी. टन अनुमान)*	काजू की गिरी का निर्यात** मात्रा मी. टन में	मूल्य करोड़ में
1994-95	3,48,150	69832	1045.31
1994-95	3,21,640	76900	1241.97
1995-96	4,17,830	97792	1231.07

स्रोत :

*काजू विकास निदेशालय, कोचीन।

**डी. जी. सी. आई. एंड एस., कलकत्ता।

(ख) से (च) काजू प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे काजू का घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उद्योग मांग को देखते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार की विकासात्मक योजनाएं प्रायोजित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे काजू के आयात के मुक्त आयात की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी गयी है। पांचवर्षीय आठवीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित किए गए नए बागानों के विकास तथा अधिक उपज देने वाले क्लोनों से पुराने तथा जीर्ण पौधे के स्थान पर पुनर्रोपण संबंधी कार्यक्रमों को 1997-98 में भी जारी रखा जाएगा तथा इसके साथ-साथ प्रशिक्षण, प्रदर्शन तथा सहायता साहित्य आदि के माध्यम से किसानों को तकनोलोजी के अंतरण के लिए पर्याप्त संसाधनों की भी व्यवस्था की जाएगी।

बिना किसी प्रतिबंधों के काजू के निर्यातों की अनुमति दी जाती है। काजू के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं : विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विदेश के बाजारों में प्रचार अभियान चलाना तथा भारतीय निर्यातकों को विदेश के क्रेताओं की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

दक्षिण अफ्रीका देशों के साथ व्यापार समझौते

4413. श्री वी० प्रदीप देव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 से दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बाद से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज तक इन दो देशों के बीच कितने मूल्य का व्यापार हुआ है;

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीका के डिप्टी प्रेजीडेंट की यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (दिसंबर 1996 तक) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार का वर्ष-वार विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़)

	1994-95	1995-96	1996-97 (दिसंबर 1996 तक)
निर्यात	500.08	1113.71	892.18
आयात	494.81	811.79	765.65

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता)

(ग) और (घ) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 22 अगस्त, 1994 को जोहान्सबर्ग में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में इनमें से प्रत्येक देश द्वारा दूसरे को आयात और निर्यात लाइसेंसों, सीमा शुल्कों के सभी मामलों तथा आयात और निर्यात तथा वस्तुओं के पारगमन पर लागू अन्य सभी शुल्कों एवं टैक्सों के मामले निरापदताएं प्रदान करने के मामले में परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देने की व्यवस्था है।

चीन और रूस के साथ व्यापार समझौते

4414. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारतीय आयोग महासंघ" ने यह सुझाव दिया है कि भारत, रूस और चीन के बीच प्रयासों से एक मजबूत आर्थिक धुरी बनायी जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग महासंघ ने सहयोग की संभावनाओं और तौर-तरीके का पता लगाने के लिए सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों के एक उच्च शक्ति प्राप्त दल की स्थापना करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योग महासंघ द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार चीन, रूस और भारत के बीच व्यापार समझौता करने के संबंध में किस हद तक सहमत है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय को इस मामले में भारतीय उद्योग परिसंघ से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेशम कीट पालन

4415. श्री दत्ता मेघे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन-किन जिलों में रेशम कीट पालन परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान आज तक राज्यवार रेशम का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) सरकार ने रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना जोकि 31.12.1996 को बन्द हुई महाराष्ट्र के अकोला तथा बुल्डाना जिलों में क्रियान्वित की गयी थी।

(ख) वर्ष 1996-97 (सितम्बर 1996 तक) के दौरान अपरिष्कृत रेशम के राज्य-वार उत्पादन के नवीनतम आंकड़े दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रेशम उत्पादन के विकास के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने रेशम की उत्पादकता तथा गुणवत्ता सुधारने के लिए बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित/प्रस्तुत उन्नत प्रजातियों, प्रौद्योगिकियों तथा रेशम उत्पादन प्रणालियों के प्रचार के लिए अनुसंधान एवं विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण एककों के एक देशव्यापी नेटवर्क की स्थापना की है। सी.एस.बी. राज्यों को रेशम उत्पादन के विस्तार के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण, शहतूती कलमों की आपूर्ति, रेशम कीट बीज आदि के रूप में सहायता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्यों के एसोसिएशन, सहयोग से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों के लिए कार्य योजना आदि जैसी रेशम उत्पादन परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान (सितंबर, 1996 तक) अपरिष्कृत कपास के राज्य-वार उत्पादन के अद्यतन आंकड़े

(टन में)

राज्य	अपरिष्कृत कपास का उत्पादन
आंध्र प्रदेश	880.000
असम	265.670
अरुणाचल प्रदेश	5.373
बिहार	94.700
गुजरात	0.067
हिमाचल प्रदेश	1.610
हरियाणा	0.202
जम्मू व कश्मीर	3.502
कर्नाटक	3441.000
केरल	शून्य
मध्य प्रदेश	14.510
महाराष्ट्र	0.350
मणिपुर	103.900
मिजोरम	0.067
मेघालय	99.000
नागालैंड	19.285
उड़ीसा	7.750
पंजाब	शून्य
राजस्थान	0.110
सिक्किम	शून्य
तमिलनाडु	370.420
त्रिपुरा	1.200
उत्तर प्रदेश	4.490
पश्चिम बंगाल	500.000
कुल	5813.206

लघु उद्योगों का निर्यात में योगदान

4416. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा अब तक किए गए कुल निर्यात में संगठित क्षेत्र की तुलना में लघु औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : महोदय, डी.जी.सी.आई. एंड एस. द्वारा संकलित व्यापार आंकड़ों से लघु उद्योग के निर्यात का अलग से पता नहीं चलता है किन्तु, विकास आयुक्त लघु उद्योग के कार्यालय ने संकेत दिया है कि लघु उद्योग क्षेत्र से कुल निर्यात 1993-94 में 25307.09 करोड़ रुपये, 1994-95 में 29068.15 करोड़ रुपये और 1995-96 में 36470.22 करोड़ रुपये का हुआ। डी.जी.सी.आई. एंड एस. के आंकड़ों के आधार पर यह देश के कुल निर्यात का क्रमशः 36.28 प्रतिशत, 35.16 प्रतिशत और 34.26 प्रतिशत होता है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद

4417. श्री छीतु भाई गामीत : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राज्य की जनसंख्या तथा उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के बीच अनुपात बनाए रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में जनसंख्या का वर्तमान अनुपात क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में विधि आयोग द्वारा कोई सुझाव दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) और (ख) जी, नहीं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या नियत करने में, मामलों को संस्थित किए जाने और लंबित होने को उस क्षेत्र की जनसंख्या, जिसमें वह न्यायालय कार्य करता है, की अपेक्षा अधिक सुसंगत मानदंड मानी जाती है।

(ग) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जनसंख्या के मुकाबले में सभी काडरों में न्यायाधीशों की अपेक्षा पर विचार करते हुए, 1987 में, 11वें विधि आयोग ने, अपनी 120वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि तत्कालीन प्रतिमिलियन जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर प्रतिमिलियन जनसंख्या पर पचास न्यायाधीश कर दी जाए।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	अधिकारिता	न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या	सेवित कुल जनसंख्या (1991 की जनगणना)	न्यायाधीश के प्रत्येक पद द्वारा सेवित जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	77	13,91,12,287	18,06,653
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	39	06,65,08,008	17,05,334
3.	मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, दमण तथा दीव, दादरा और नागर हवेली	60	08,03,47,043	13,39,117
4.	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50	06,83,58,626	13,67,172
5.	दिल्ली	दिल्ली	33	94,20,644	2,85,474
6.	गोहाटी	असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	19	31,57,314	16,60,385
7.	गुजरात	गुजरात	42	04,13,09,532	9,83,561

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	8	51,70,877	6,46,359
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	11	77,18,700	7,01,700
10.	कर्नाटक	कर्नाटक	40	04,49,77,201	11,24,430
11.	केरल	केरल, लक्षद्वीप	29	02,91,50,225	10,05,180
12.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	35	06,61,81,170	18,90,890
13.	मद्रास	तमिलनाडु, पांडिचेरी	42	05,66,66,731	13,49,208
14.	उड़ीसा	उड़ीसा	16	03,16,59,736	19,78,733
15.	पटना	बिहार	39	08,63,74,465	22,14,729
16.	पंजाब और हरियाणा	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़	40	03,73,87,632	9,34,690
17.	राजस्थान	राजस्थान	32	110,40,06,000	13,75,188
18.	सिक्किम	सिक्किम	3	04,06,457	1,35,485

सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०

4418. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. को भारी घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इसे लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) पहले से ही एक सरकारी कंपनी है। यह एक संयुक्त उद्यम है जिसकी 51 प्रतिशत शेयर-पूंजी आंध्र प्रदेश सरकार के पास तथा 49 प्रतिशत शेयर-पूंजी भारत सरकार के पास है।

(ग) से (घ) सिं.को.कं.लि. द्वारा 1993-94 तथा 1994-95 में क्रमशः 16.26 करोड़ रु. तथा 25 करोड़ रु. की राशि का लाभ अर्जित किया गया है। किन्तु कंपनी को 1995-96 में 191 करोड़ रु. का घाटा निम्नलिखित कारणों से उठाना पड़ा है :

(i) अप्रैल से मई, 1995 तथा अक्तूबर से नवम्बर, 1995 के दौरान कामगारों द्वारा 40 दिन की अवधि की दो मुख्य हड़तालें की गयीं, जिसमें राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता (एन.सी.डब्ल्यू.ए.-5) के अन्तर्गत मजदूरी संबंधी मामले का शीघ्र निपटारा किए जाने की मांग की गयी थी। हड़ताल के कारण 1995-96 में 3.30 मि. टन उत्पादन में घाटा हुआ।

(ii) सिं.को.कं.लि. द्वारा किए जाने वाले अधिकांशतः सभी अकोककर कोयले का उत्पादन "डी", "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड का किया जाता है। इन ग्रेडों में से, केवल "डी" ग्रेड के अकोककर कोयले को मार्च, 1997 में विनियंत्रित किया गया है। कोयले के प्रशासकीय कीमतों में जून, 1994 में अंतिम बार संशोधन किया गया था। जून, 1995 तथा जून, 1996 में प्रशासकीय कीमतों में देय संशोधन न किए जाने के कारण कंपनी द्वारा आगत लागतों में वृद्धि तथा संशोधित महंगाई भत्ते की पद्धति सहित राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 (एन.सी.डब्ल्यू.ए.-5) के समझौते की प्रभावकारिता को संराशिकृत नहीं किया जा सका। 1995-96 के दौरान एन.सी.डब्लू.ए.-5 की प्रभावकारिता का ही 82 करोड़ रु. की राशि का प्रभाव पड़ा।

(ङ) सरकार द्वारा मार्च, 1997 में "डी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को विनियंत्रित किया गया है तथा औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की 1987 की रिपोर्ट में निहित वृद्ध्यात्मक फार्मूले के अनुसार लागत सूचकांक को अद्यतन किए जाने के द्वारा सिं.को.कं.लि. को जनवरी, 2000 तक प्रत्येक 6 महीने की अवधि में एक बार "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों का निर्धारण किए जाने की अनुमति दे दी गयी है। सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2000 के बाद "ई", "एफ" तथा "जी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को भी विनियंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त निर्णयों को क्रियान्वित किए जाने के बाद कंपनी द्वारा लाभ अर्जित किया जाएगा।

अपट्रोन की बिक्री

4419. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपट्रोन कंपनी को बेचने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक तथा वित्तीय निगम को निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने तथा 31 मार्च, 1997 तक इसे अंतिम रूप देने को कहा है;

(घ) क्या अपट्रोन कंपनी की बिक्री से संबंधित विज्ञापन से समुचित प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं;

(ङ) अपट्रोन को अब तक कुल कितनी हानि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अपट्रोन कंपनी में नियोजित 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा;

(छ) क्या इन कर्मचारियों ने कंपनी के बंद किए जाने का विरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग), (च) से (ज) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि बाइफर में पंजीकरण के समय कंपनी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) के प्रयोजन के लिए कामगारों की संख्या 1235 है। कर्मचारियों के जिन प्रतिनिधियों ने मामले की सुनवाइयों में भाग लिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे कंपनी को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए अपना समर्थन एवं सहयोग देंगे। बाइफर ने 29 जनवरी, 1997 को की गयी अपनी सुनवाई में संचालक अभिकरण (ओए)–दि इंडस्ट्रियल फाइनैंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (आईएफसीआई) को निदेश दिया था कि वे कंपनी के लिए अधिग्रहण-सह-पुनः अर्थक्षम प्रस्तावों को आमंत्रित करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करें। इस संबंध में प्राप्त होने वाले संभावित प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर संचालक अभिकरण को 10 हफ्तों के अंदर पुनर्वास रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। बाइफर द्वारा संचालक अभिकरण की रिपोर्ट के आधार पर सिका के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार कंपनी के मामले में निर्णय लिया जाएगा।

(घ) आईएफसीआई ने सूचित किया है कि उसने बाइफर के निदेशों के अनुसार कंपनी के लिए अधिग्रहण-सह-पुनः अर्थक्षम प्रस्तावों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 28.2.1997 और 4.3.1997 को समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया है, जिसमें प्रस्ताव भेजने के लिए चार हफ्तों की अवधि निर्धारित की है। आईएफसीआई ने सूचित किया है कि उसे अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) आईएफसीआई ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार कंपनी के अनन्तिम लेखाओं के अनुसार कुल 197 करोड़ रु. का संचयी घाटा होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां कुल 56.42 करोड़ रु. थीं। आईएफसीआई ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी की लाभप्रदता में जिन कारकों के कारण गिरावट आई वे हैं : गैर योजनाबद्ध विस्तार/विविधिकरण, अत्यधिक श्रम शक्ति और ऊंचे उपरिव्यय, बाजार शेयरों में गिरावट और ऊंची वित्त लागत/ब्याज का बोझ, जिसके फलस्वरूप लगातार नकदी संबंधी घाटा हुआ।

कर्नाटक में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4420. श्री अनंत कुमार :

श्री विजय संकेश्वर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से कर्नाटक में स्थानवार कौन-कौन-सी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या समयावधि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में कुछ विकास परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायतार्थ कोई और प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(घ) से (च) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

विवरण-I

कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	दाता	परियोजना का नाम	स्थान	समापन की तारीख
1	2	3	4	5
1.	ओपीईसी	रायचूर जिला अस्पताल	रायचूर जिला	31.12.98
2.	कुवैत फंड	कालिन्दी पनबिजली परि.-II	कादरा जिला	31.03.97
3.	विश्व बैंक	ऊपरी कृष्णा चरण-II	कृष्णा के बाएं पट पर लगभग 1,50,000 हैक्टेयर, भीमा नदी के संगम के पास	31.12.96
4.	विश्व बैंक	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति	बंगलौर (ग्रामीण), मध्या, मैसूर, शिमोगा, द. कन्नड़, बीदर, बेलगांव, गुलबर्गा, रायचूर, बेलारी	31.12.99
5.	विश्व बैंक	जल विज्ञान परियोजना	लगभग पूरा राज्य	31.3.02
6.	विश्व बैंक	राज्य स्वास्थ्य चरण-II	कर्नाटक के सभी जिले	30.9.01
7.	डेनमार्क	महिला और युवक प्रशिक्षण चरण-2	बिदर के अतिरिक्त सभी जिले	30.6.97
8.	डेनमार्क	जल संभर विकास चरण-1	धारवाड़	31.3.97
9.	डेनमार्क	समेकित ग्रामीण सफाई और जलापूर्ति चरण-2	चित्रदुर्ग, कोलार, बीजापुर	30.9.00
10.	स्विट्जरलैंड	इंडो-स्विश सहभागी जल संभर विकास	बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर, चित्रदुर्ग	31.3.98
11.	जापान	रायचूर तापीय विद्युत केन्द्र विस्तार	रायचूर शहर	30.6.97
12.	जापान	मैसूर कागज मिल आधुनिकीकरण	भद्रावती	31.1.99
13.	जापान	बंगलौर जलापूर्ति और मलव्ययन	बंगलौर	26.3.04
14.	यू. के.	पश्चिमी घाट वानिकी	उत्तरी कन्नड़ और शिमोगा सर्कल	31.3.99
15.	ए.वि. बैंक	कर्नाटक शहरी आधारभूत संरचना	चन्नान पटान, मैसूर, तुमकुर, रामनगरम	30.6.02
16.	ए.वि. बैंक	सड़क सुधार	अंकोला-हुबली रोड	31.3.97
17.	ए.वि. बैंक	द्वितीय सड़क सुधार एनएच-7	बंगलौर, कर्नाटक/तमिलनाडु, सीमा विभाग	31.12.98
18.	जर्मनी	उच्चतर स्तर के अस्पतालों का विकास	गुलबर्गा विभाग	31.12.02
19.	जर्मनी	जल संभर विकास	कोलार, मंध्या, हासन, जिला	31.12.02
20.	नीदरलैंड	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति	धारवाड़ और बीजापुर जिलों में 71 गांव	31.3.99
21.	नीदरलैंड	तुंगभद्रा सिंचाई अग्रगामी परि.-2	सिंधनूर	28.2.98
22.	नीदरलैंड	बंगलौर शहरी गरीबी-1	बंगलौर	31.10.97
23.	विश्व बैंक	तकनीकी शिक्षा-1	बंगलौर, धारवाड़, मंगलौर, बेलगांव, मैसूर, हासन, भद्रावती, गुलबर्गा शहर	31.12.97

विवरण-II

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों/देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कर्नाटक से प्राप्त प्रस्तावों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिसे प्रस्तुत किया गया है
1.	वराही भूमिगत बिजलीघर की अतिरिक्त यूनिटें 3 और 4	कुवैत फंड
2.	ग्रामीण महिला विकास और उन्हें शक्ति प्रदान	विश्व बैंक
3.	जल संभर विकास	विश्व बैंक
4.	राज्य सड़कों उन्नयन	विश्व बैंक
5.	जल संभर परियोजना विकास-2	डेनमार्क
6.	वराही पनबिजली परि.-2	जापान
7.	नेलमगला-तुमकूर सड़क की चार लेन करना	जापान
8.	कर्नाटक में सड़क सुधार	जापान
9.	19 कस्बों के लिए जलापूर्ति योजना	जापान
10.	हम्पी का समेकित विकास	जापान
11.	कर्नाटक जल संभर विकास	यू.के.
12.	कर्नाटक पश्चिमी तट पर्यावरण संरक्षण	ए.वि. बैंक
13.	शहरी विकास परियोजना	ए.वि. बैंक
14.	विद्युत/परिवहन क्षेत्र में सुधार हेतु कार्यक्रम ऋण	ए.वि. बैंक
15.	खतरनाक उपशिष्ट, कर्नाटक	जर्मनी
16.	उत्तरी कन्नड़ में जल संभर विकास और मृदासंरक्षण	जर्मनी
17.	मैसूर कागज मिल-3	नीदरलैंड

(च) इन प्रस्तावों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

वित्तीय संस्थाओं का विलय

4421. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विलय से क्या लाभ प्राप्त हाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई) और एससीआईसीआई लि. कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित सरकारी लिमिटेड कंपनियां हैं। आईसीआईसीआई ने सूचित किया है कि कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, विलय को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होती है। चूंकि आईसीआईसीआई या एससीआईसीआई में भारत सरकार की कोई शेयर पूंजी नहीं है इसलिए एससीआईसीआई का आईसीआईसीआई के साथ विलय का सरकार के प्रस्ताव करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आईसीआईसीआई ने सूचित किया है कि प्रस्तावित विलय से होने वाले प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं :

(i) विलय के परिणामस्वरूप तुलन-पत्र का आकार बड़ा और पूंजी आधार व्यापक हो जाएगा जिससे आईसीआईसीआई परियोजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक निवेश (एक्सपोजर कर) सकेगा;

(ii) इससे आईसीआईसीआई की स्थिति मजबूत होगी और वह पूंजी आधार को नियंत्रित करके प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर संसाधन जुटा सकेगा; और

(iii) परिचालनों के समेकन और मानव श्रम के बेहतर उपयोग से परिचालन लागत में कमी आएगी और शेयर धारकों के मूल्य में वृद्धि होगी।

पटकाय कोयला क्षेत्र

4422. डा० अरुण कुमार शर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के पटकाय क्षेत्र में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है और देश के कुल कोयला भंडार में इसका कितना योगदान है;

(ख) जहां तक सल्फर और ताप संबंधी घटकों का संबंध है, अन्य कोयला क्षेत्रों की तुलना में उनका क्षेत्र के उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता क्या है;

(ग) पटकाय क्षेत्र में कोयला भंडार की कुल गहराई कितनी है तथा खुले मुहाने के खनन द्वारा इसका कितना प्रतिशत निकाला जा सकता है; और

(घ) पटकाय क्षेत्र में भूमिगत खनन और खुले मुहाने के खनन द्वारा वर्तमान में कितनी मात्रा में कोयला निकाला जा रहा है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्व की पटकाय रेंज में अनुमानित कोयला भंडार 0.4 बिलियन टन है। दिनांक 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार ये भंडार

देश के कुल 204.66 बिलियन टन कोयला भंडारों का 0.2 प्रतिशत हैं तथा इसमें 1.3 प्रतिशत से 9.8 प्रतिशत तक रेंज में सल्फर तत्व शामिल है और इनका कैलोरीफिक क्षमता 4680-8500 कि.कै./कि.ग्राम है।

(ग) पटकाय रेंज में अब तक किए गए अन्वेषण के अनुसार, माकुम कोलफील्ड्स के मामले को छोड़कर, जहां भंडारों की गहराई 600 मीटर तक है, शेष पटकाय रेंज में कोयले के भंडारों की गहराई 300 मीटर है। कोयला सीमों की सीधी ढलान तथा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, कुल पटकाय रेंज के भंडारों के ओपनकास्ट खान द्वारा उत्खनित किए जाने वाले कोयले की प्रतिशतता लगभग 6 प्रतिशत है।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान, पटकाय रेंज के माकुम तथा दिल्ली-जेयपोर कोलफील्ड्स में भूमिगत उत्पादन 3,00,155 टन हुआ है। उक्त अवधि के दौरान माकुम कोलफील्ड्स में ओपनकास्ट उत्पादन 5,21,418 टन हुआ है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनी

4423. श्री राम नाईक : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बुनियादी सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानदंडों के बुरी तरह उल्लंघन के कारण कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियां उपर्युक्त प्रथाओं का सहारा न लें, के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि खानों से कोयले की ढुलाई में मुख्य बाधा रेल सेवा अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मुकदमेबाजी से संबंधित भूमि अधिग्रहण से गैर-सरकारी कंपनियों को उन्मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां। यह भी वास्तव में एक मुद्दा था।

(ख) सरकार द्वारा वैधानिक परिवर्तनों के अधीन, सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों की भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के आधार पर नए कोयला ब्लाकों की पेशकश किए जाने का निर्णय लिया गया है। निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनियां उन्हीं सुरक्षा तथा पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन किए जाने के लिए बाध्य होंगी, जो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों पर लागू है।

(ग) और (घ) यह एक तथ्य है कि कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन तथा परिवहन क्षमता के बीच सामंजस्य न होने के कारण, राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों को कुल उत्पादित कोयले का परिवहन किए जाने के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किन्तु कोयला मंत्रालय तथा कोयला कंपनियां, रेलवे के साथ संयोजन से रेल द्वारा प्रेषणों को सुधारे जाने हेतु कदम उठा रही हैं। कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले को निकाले जाने हेतु संरचनात्मक ढांचे में सुधार किए जाने तथा उसे प्रोन्नत किए जाने हेतु निरन्तर रूप में कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) निजी कोयला कंपनियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण, संविधान की राज्य सूची की 18वीं इन्दराज द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों के अनुसार किया जाएगा, जोकि राज्य सरकारों के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय वस्तुओं पर भेदभावपूर्ण नीति

4424. श्री सुरेन्द्र यादव :
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
डा० मुरली मनोहर जोशी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एक्सपोर्ट पेस डिस्क्रिमिनेशन इन 69 नेशन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं/उत्पादों के ब्यौरे सहित उन देशों का ब्यौरा क्या है जो भारतीय सामान के निर्यात पर भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोलने हेतु विश्व व्यापार संगठन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फियो) के अनुसार 21 विकसित देशों सहित 69 देश भारतीय निर्यातों के साथ भेदभाव बरतते हैं। फियो द्वारा उल्लिखित निर्यात के उत्पादों में शामिल हैं वस्त्र तथा चमड़े की वस्तुएं, पैकेजिंग, भेषजीय, कारें, श्रिम्प मांस तथा फूल। फियो के अनुसार यह भेदभाव कुछेक देशों द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफों, क्षेत्रीय व्यापारिक प्रबंधों के तहत अधिमान्य प्रबंध, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का संरक्षण तथा आयात के देश में लागू मानक तथा तकनीकी विनियमों के जरिए होता है। इनमें से अधिकांश गाट/डब्ल्यू टी ओ करारों के अनुरूप पाए गए हैं। यदि कोई असंमति होती है तो हमारे पास सुधार के लिए विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के पास पहुंचने का अधिकार है जिसका प्रयोग हम कुछेक मामलों में पहले ही कर चुके हैं।

(ग) और (घ) टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद-XVIII के तहत जनवरी, 1997 में भारत के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति के साथ हुई परामर्श बैठक के दौरान प्रमुख विकसित देशों की राय थी कि वर्तमान भुगतान संतुलन की स्थिति अनुच्छेद-XVIII के भुगतान संतुलन संबंधी उपबंधों के तहत आयात प्रतिबंधों को जारी रखने का औचित्य नहीं है। उनका विचार था कि भारत उपर्युक्त टैरिफों के माध्यम से अपने घरेलू उद्योग को संरक्षित कर सकता है। भारतीय शिष्टमंडल ने इस तर्क पर बल दिया कि जहां मौद्रिक संसाधनों की स्थिति संतोषजनक लग सकती है फिर भी सावधानी की आवश्यकता है और चिन्ता के कुछेक क्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा। भुगतान संतुलन संबंधी समिति ने 2 जून से शुरू होने वाले सप्ताह तक विचार-विमर्शों को मुल्तकी कर दिया है और भारत को फिर से होने वाली वार्ताओं में अपनी बन्द करने की योजना को प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

औद्योगिक नगरों की स्थापना

4425. श्री नीतिश भारद्वाज : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समस्त देश में छोटे औद्योगिक नगर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में ऐसे कितने औद्योगिक नगर हैं; और

(घ) निकट भविष्य में राज्यवार ऐसे कितने औद्योगिक नगर स्थापित किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

निषिद्ध वस्तुओं का जब्त किया जाना

4426. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के कालीकट तथा तिरुअनंतपुरम विमानपत्तनों पर वर्ष 1995-96 के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कितने मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं जब्त की गयीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : वर्ष 1995-96 के दौरान केरल के कालीकट और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य इस प्रकार है :

हवाई अड्डे का नाम	पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रुपये में)
त्रिवेन्द्रम	981.30
कालीकट	742.86

इस अवधि के दौरान नशीले पदार्थों के अभिग्रहण का कोई मामला नहीं पकड़ा गया।

जापानी बैंक

4427. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पांच जापानी बैंकों ने भारत में बैंक स्थापित करने के लिए भारत सरकार को अपना आवेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आयात शुल्क

4428. श्री एन० एस० वी० चित्थन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत पर आयात शुल्क को कम करने के लिए दबाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयात शुल्क को कम करने से राजस्व संग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) आयात शुल्क कम करने से कम हुए राजस्व को पूरा करने के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) नीति निर्माण करना भारत सरकार का सार्वभौम अधिकार है और विश्व बैंक अथवा किसी विदेशी एजेंसी का उसके सुझावों को स्वीकार करवाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, विश्व बैंक ने अपने देशीय आर्थिक ज्ञापन 1996 में यह संकेत दिया है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह पूर्वी एशिया लातीन अमरीकी की अपेक्षाकृत अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं और भूतपूर्व समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं से उद्भूत यूरोपीय देशों के साथ प्रतियोगिता करने हेतु शुल्कों को निम्न दर पर बनाए रखना जारी रखे और साथ ही उससे भारत की विकास प्रक्रिया को अपेक्षाकृत मजबूत आधार उपलब्ध हो।

गुजरात में आर्थिक सुधारों हेतु एडीबी ऋण

4429. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री सत्यजीत सिंह दिलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **वित्त मंत्री** गुजरात को एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण के बारे में फरवरी, 28, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1173 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त कार्यक्रम देश के कतिपय अन्य राज्यों में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक द्वारा सुधार पर आधारित ऋण प्रदान करके कुछ अन्य राज्यों को सहायता देने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक द्वारा इनकी पुष्टि करने के बाद ही राज्यों और कार्यक्रम अन्तर्वस्तु के विषय में पता चल पाएगा।

उत्तर प्रदेश में महिला अदालतें

4430. श्री भगवान शंकर रावत : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों से निपटने हेतु कहां-कहां कितनी महिला अदालतों की स्थापना की गयी है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांविधिक लेखापरीक्षक

4431. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की भूमिका की व्यापक जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या विभिन्न बैंकों को इस संबंध में अनेक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक शर्तें लगायी गयी हैं कि वर्तमान लेखापरीक्षकों को बैंकों द्वारा शर्तों का अनुपालन न किए जाने संबंधी कमियों के बारे में सीधे सेन्ट्रल बैंक की रिपोर्ट करनी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा इस निदेश का कार्यान्वयन किस हद तक किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों को यह हिदायत दी गयी है कि वे लेखा-परीक्षकों से यह कहें कि वे बैंकों की सांविधिक लेखा-परीक्षा के एक भाग के रूप में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अन्तर्गत, पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न महीनों में 12 विषम तारीखों को, जो शुक्रवार न हों, सांविधिक चलनिधि अनुपात की अपेक्षाओं के अनुपालन की भी जांच करें और उसके संबंध में बैंक के शीर्ष प्रबंधन तथा भारतीय रिजर्व बैंक को अलग-अलग सूचित करें। बैंकों को लेखा-परीक्षकों को यह हिदायत भी देने के लिए कहा गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने हेतु इस आशय के प्रमाणपत्र में कि (i) बैंकों के राजकोषीय परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किए गए हैं और (ii) आय की पहचान, परिसम्पत्ति का वर्गीकरण तथा प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय बैंक ने सूचित किया है कि सांविधिक लेखा-परीक्षकों को, लेखा-परीक्षा का कार्य पूरा होते ही बैंक के कार्यकरण में पायी गयी गंभीर अनियमितताओं, जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, सूचना बैंक के प्रबंधन और भारतीय रिजर्व बैंक को भी देनी होती है। बैंकों द्वारा इस संबंध में सभी शर्तों का उल्लेख सांविधिक लेखा-परीक्षकों को जारी किए गए नियुक्ति पत्र में शामिल कर दिया जाता है और बैंकों के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

जालसाजी के मामलों की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुमति

4432. श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी, 1997 के "द आब्जरबर" में "बैंक फ्राड प्रोब्स सी.बी.आई. अनहैप्पी विथ लेटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं/जालसाजी के मामलों का ब्यौरा क्या है जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वित्त मंत्रालय में नए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मांगी है तथा इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रस्तावित नयी व्यवस्था के प्रति केन्द्रीय जांच ब्यूरो की क्या प्रतिक्रिया है और सरकारी एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सरकार ने उक्त प्रश्न में उल्लिखित समाचार देख लिया है। सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) की शक्तियों में कोई कमी नहीं की है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विचारों को मद्देनजर रखते हुए समय-समय पर संशोधित एकल निदेश (सिंगल डायरेक्टिव) जारी किए गए हैं। एकल निदेश में यह प्रावधान है कि निर्णय लेने वाले स्तर (संयुक्त सचिव या समकक्ष या उससे बड़े पद वाले) के अधिकारियों के बारे में और ऐसे अधिकारियों की तलाशी लेने सहित कोई जांच कार्य (प्राथमिक जांच अथवा नियमित जांच) सी. बी. आई. द्वारा हाथ में लेने से पूर्व संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव की पूर्वानुमति ली जानी चाहिए। यह प्रणाली निर्णायक स्तर के केन्द्रीय सरकार के

अधिकारियों के लिए लागू होती है या ऐसे अधिकारियों पर लागू होती है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं या रह चुके हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के अधिकारी हों, भारतीय रिजर्व बैंक में केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारियों के समकक्ष हों, भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड के कार्यपालक निदेशक और उनसे बड़े पद पर हों और अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक (सी. एम. डी.) और कार्यपालक निदेशकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड से एक स्तर कम के बैंक के पदाधिकारी हों। एकल निदेश में यह प्रावधान इसलिए किया गया है कि ताकि निर्णायक स्तर पर कार्य करने वाले ईमानदार अधिकारियों को अनावश्यक जांच से न गुजरना पड़े जबकि भ्रष्ट और कसूरवार अधिकारियों को सजा दी जा सके।

उस समाचार में, सी. बी. आई द्वारा इंडियन बैंक के भूतपूर्व सी. एम. डी. के विरुद्ध मैसर्स अरुण बिल्डर्स को ओवर ड्राफ्ट स्वीकृत करने के बारे में मामला पंजीकृत करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस मामले में सी. बी. आई. ने सितम्बर, 1995 में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वे इंडियन बैंक के भूतपूर्व सी. एम. डी. के विरुद्ध प्राथमिक जांच का मामला पंजीकृत करने के प्रश्न पर अपनी सहमति दें। इस अनुरोध पर आर. बी. आई. से विचार-विमर्श करके 20.12.1995 को सरकार ने प्राथमिक जांच का मामला पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान की थी। तदनुसार, सी.बी.आई. ने 30.1.1996 को प्राथमिक जांच के बारे में मामला दर्ज किया था।

एकल निदेश में, हाल में दिसम्बर, 1996 में किए गए संशोधनों के बाद सी. बी. आई. की ओर से दो संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्षस्थ कार्यपालक के विरुद्ध दो नियमित मामले दर्ज करने के बारे में वित्त मंत्रालय की सहमति मांगी गयी हैं। इन मामलों में सी. बी. आई के अनुरोध पर विचार करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

रुपये का अवमूल्यन

4433. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रुपये का अवमूल्यन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस तारीख को रुपये का अवमूल्यन हुआ और प्रत्येक अवसर पर इसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋण की धनराशि कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या भावी योजना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) मार्च, 1993 से ही रुपये की विनिमय दर बाजार-निर्धारित है इसलिए "अवमूल्यन" शब्द अपनी उपयोगिता खो चुका है। तथापि, दिनांक 31.3.93 और 31.3.96 के बीच अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये का 9.07 प्रतिशत तक मूल्यह्रास हुआ है।

(ख) और (ग) विदेशी कर्ज विदेशी मुद्राओं के रूप में प्राप्त, मूल्यवर्गित और समाशोधित किये जाते हैं। इसलिए, विदेशी मुद्राओं के रूप में कर्ज की राशि विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में घट-बढ़ से अप्रभावित रहती है।

भारतीय आयात-निर्यात बैंक

4434. डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी में भारतीय आयात-निर्यात बैंक की शाखा खोलने के संबंध में लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सूचित किया है कि गुवाहाटी में एक्जिम बैंक की शाखा स्थापित करने के लिए उन्हें कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंसों में कमी

4435. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने तथा औद्योगिक उद्यम ज्ञापन को भरने की संख्या में वर्ष 1996 के दौरान कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पंजीकृत किए गए आशय पत्र तथा औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों की संख्या क्या है; और

(घ) वर्ष 1997 के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) निम्नलिखित तालिका में आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने हेतु जारी किए गए आशय पत्र और औद्योगिक उद्यम ज्ञापन की संख्या दर्शायी गयी है :

1994 से 1996 तक दायर :

	1994	1995	1996
आशय पत्र की औद्योगिक लाइसेंसों में बदलना	125	83	90
जारी किए गए आशय पत्र	546	355	522
दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	4664	6502	4825

(घ) आशय पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होते हैं जिसे

इन्हें औद्योगिक लाइसेंस में बदलने की आवश्यकता होती है। एक औद्योगिक परियोजना को फलप्रद बनने में सामान्यतया 4 से 5 वर्ष का समय लगता है। तथापि, प्रारंभिक अवधि प्रत्येक उद्योग के मामले में अलग-अलग होती है।

[हिन्दी]

सिन्थेटिक धागे का निर्यात

4436. श्री दत्ता मेघे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान. महाराष्ट्र से सिन्थेटिक धागे के निर्यात में कमी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और निर्यात में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सिन्थेटिक धागे के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : (क) राज्य-वार निर्यात आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारत के सिन्थेटिक तथा मिश्रित यार्न के संपूर्ण निर्यात वर्ष 1993-94 में 232 करोड़ रु. से बढ़कर 1995-96 में 678 करोड़ रु. के हुए।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार सिन्थेटिक यार्न सहित वस्त्र मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत सामग्रियों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्थाएं करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

4437. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. के अन्तर्गत कितनी कोयला खाने हैं;

(ख) आठवीं योजना के दौरान इन खानों में कोयले के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) कोल इंडिया लि. के अन्तर्गत विभिन्न कोयला खानों से कोयले की दुलाई में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) दिनांक 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) के अन्तर्गत कार्यरत कोयला खानों की संख्या 502 है।

(ख) से (घ) आठवीं योजनावधि के दौरान कोयले के वर्ष-वार लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1992-93	210.00	211.22
1993-94	216.00	216.10
1994-9!	223.00	223.07
1995-96	241.00	237.28
1996-97	252.00	222.43*

*(फरवरी, 1997 तक उत्पादन के अनंतिम आंकड़े)

(ङ) कंपनी की विभिन्न कोयला खानों से कोयले की उठान में वृद्धि किए जाने हेतु को.इं.लि. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) वैगनों में कोयले के लदान की तथा रेलवे वैगनों की आपूर्ति को अधिकतम किए जाने हेतु रेलवे के साथ निरन्तर रूप में समन्वय रखा जाना;

(2) कोयला रख-रखाव संयंत्रों की संख्या में वृद्धि किया जाना तथा तीव्र लदान व्यवस्था में सुधार किए जाने हेतु उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जाना;

(3) पे-लोडर्स की संख्या में वृद्धि किया जाना तथा उनकी कार्य क्षमता में सुधार किया जाना; और

(4) कोयले के उठान को अधिकतम किए जाने हेतु संयोजित उपभोक्ताओं के साथ निकटतम संपर्क बनाए रखा जाना।

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

4438. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो बजट प्राक्कलन में क्या लक्ष्य रखे गए थे और यह कितना कम रहा;

(ग) इसमें कमी के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) चालू वर्ष की शेष अवधि और वर्ष 1997 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उन उपकरों को छोड़कर जिन्हें राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाया जाता है) और सेवाकर के संशोधित बजट अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

सीमा शुल्क	—	44135
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	—	45917
सेवा कर	—	970

ये अनुमान पूरे वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए हैं। अधिक से अधिक राजस्व वसूली करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में होने वाली कमी की राशि, यदि कोई हो, 31.3.1997 के बाद ही निर्धारित की जा सकेगी।

(घ) निर्यात आयात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत ई.पी.सी.जी. योजना, शुल्क छूट योजना, निर्यातोन्मुखी यूनिट/निर्यात प्रसंस्करण जोन संबंधी योजना आदि जैसी अनेक निर्यात संवर्द्धन योजनाएं हैं। वर्ष 1997-98 में निर्यात कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए किए गए उपायों का नयी निर्यात-आयात नीति में उल्लेख किया जाएगा।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना (वी०ए०बी०ए०एल०)

4439. श्री के० पी० सिंह देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना (वी.ए.बी.ए.एल.) को समाप्त करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना (वी.ए.बी.ए.एल.) को समाप्त करने का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस मामले पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना (वी.ए.बी.ए.एल.) सहित सभी मुख्य निर्यात संवर्धन योजनाओं पर सरकार द्वारा 39वीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ शुरू होने वाली 1997-2002 की आगामी एक्जिम नीति में, जिसकी घोषणा शीघ्र की जानी है, पुनर्विचार किया जा रहा है।

अखबारी कागज को डम्प किया जाना

4440. श्री सनत मेहता : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और रूस से भारी मात्रा में भारत में अखबारी कागज डम्प किए जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान अखबारी कागज को डम्प किए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इन शिकायतों का कितने समय में निपटान किया गया;

(घ) अखबारी कागज को डम्प किए जाने से घरेलू एककों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा डम्पिंग कार्यों को रोकने हेतु कठोर उपाय किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) वाणिज्य मंत्रालय में नामित अधिकारी ने भारतीय अखबारी कागज उत्पादक संघ द्वारा जांच याचिका के आधार पर यू.एस.ए., कनाडा एवं रूस से अखबारी कागज के आयात के विरुद्ध प्रति पाटन जांचों की शुरूआत की है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें सिफारिश करने से पहले सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों को ध्यान में रखते हैं। प्राधिकारी, आरोपित पाटन उसकी मात्रा और प्रभाव और घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो की जांच करते हैं। अखबारी कागज के मामले में जांच चल रही है और अभी तक किसी अनन्तिम या अन्तिम जांच-निष्कर्ष की घोषणा नहीं की गयी है।

हिन्दुस्तान मशील टूल्स का पुनर्गठन

4441. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स गैर-प्रमुख क्षेत्र की व्यापारिक कार्यकलापों को बंद करने और नए उत्पादन क्षेत्रों का विविधीकरण करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो अब तक पता लगाए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विनिवेश पैकेज से हैदराबाद स्थित लैंप डिवीज़न सहित उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घाटे में चल रहे एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारत सरकार ने एच.एम.टी. को, अलग-अलग व्यवसाय समूहों को संयुक्त उद्यम कंपनियों में परिवर्तित करने हेतु सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दे दिया है, बशर्ते कि ऐसा करना एच.एम.टी. के हित में हो।

(ख) एच.एम.टी. ने (i) डेयरी, ब्रेवरीज़ तथा सम्बद्ध उद्योगों से संबंधित उत्पाद श्रेणियों के विपणन हेतु जर्मनी की मैसर्ज़ सुडमो शलीचर के साथ सुडमो–एच.एम.टी. प्रोसेस इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा (ii) धातु निर्माणी मशीनरी तथा उपकरण के लिए परियोजना इंजीनियरी एवं विपणन सेवाओं हेतु यू.एस.ए. की मैसर्ज क्लीयरिंग नियाग्रा इंक. के साथ क्लीयरिंग–एच.एम.टी. मैटल फोर्मिंग लिमिटेड नामक दो संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना पहले ही कर ली है।

(ग) से (च) एच.एम.टी. के ट्रैक्टर व्यवसाय समूह को एक संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित करने तथा लैम्प एकक को एच.एम.टी. की एक अलग सहायिका बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(छ) घाटे में चल रही इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय कर रही है :

– संयुक्त उद्यमों की स्थापना, विशेषरूप से घाटे में चल रहे लैम्प तथा घड़ी एककों के लिए।

– उच्च मूल्य-संवर्धन युक्त उत्पाद मिश्र।

– मालसूची तथा ऋणदाता कारोबार अनुपात में सुधार।

– नवीन उत्पादकता उपकरणों के माध्यम से जनशक्ति उत्पादकता में सुधार।

– पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्नैपुण्यता, विशेषकर लैम्प एकक के कर्मचारियों हेतु।

– निर्माणकारी तथा विपणन प्रक्रिया समय को कम करना।

– उपभोक्ता पहुंच में सुधार।

– उपभोक्ता सेवाओं में सुधार।

[हिन्दी]

दिल्ली में महिला न्यायालय

4442. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार्यरत महिला न्यायालयों में भारी संख्या में मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायालयों में अंतिम सुनवायी के लिए इस समय कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इन मामलों के लंबे समय तक लंबित रह जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है/करने का विचार किया गया है; और

(ङ) इन न्यायालयों की स्थापना के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की गयी है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग में राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि तारीख 1.3.97 को, दिल्ली के महिला न्यायालयों में 1667 मामले लंबित हैं, जिनमें से 94 मामले अंतिम सुनवाई के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली की जनसंख्या तथा अन्य सेशन न्यायालयों और महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए, यह बताया नहीं जा सकता कि महिला न्यायालयों में मामलों का कोई एकत्रीकरण है।

(घ) मासिक निपटान विवरणों का पुनर्विलोकन किया जाता है और मामलों को अतिशीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से न्यायालयों का निरीक्षण किया जाता है।

(ङ) इन महिला न्यायालयों को स्थापित किए जाने के संबंध में कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

एल०आई०सी० हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लि०

4443. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल.आई.सी. द्वारा अपनी हाउसिंग कंपनी लि. को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे कंपनी के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक शाखा के लिए 31 मार्च, 1996 तक ऋण की कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(ग) इसके लिए पात्रता शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उसने जीवन बीमा निगम आवासन वित्त लि. को उसके प्रारंभ होने से ही 2421.42 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जीवन बीमा निगम आवासन वित्त लि. की मध्य प्रदेश में चार शाखाएं हैं। उन्होंने अपने प्रारंभ से जिन कार्यालयों में ऋण दिया और उस ऋण के संवितरण का ब्यौरा इस प्रकार है :

कार्यालय	कार्यालय की स्थापना की तारीख	प्रारंभ से संवितरित राशि
भोपाल	15.10.90	44.32 करोड़
इन्दौर	01.11.90	68.22 करोड़
रायपुर	17.12.93	6.57 करोड़
जबलपुर	22.02.93	31.95 करोड़
	जोड़	151.06 करोड़

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि संवितरण के लिए निधियां जीवन बीमा निगम आवासन वित्त लि. के निगमित कार्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में आहरित संवितरण आयोजनाओं के आधार पर उपलब्ध करायी जाती हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

4444. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कम्प्यूटर, टेलेक्स और टेलीप्रिंटर जैसे आधुनिक उपकरण लगाए हैं जोकि रोमन में हैं और जिन्हें द्विभाषी बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनका मंत्रालय इन द्विभाषी उपकरणों का किस तरह से उपयोग करेगा;

(ग) हिन्दी के प्रयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने "क" क्षेत्र में स्थित अपने कार्यालयों को हिन्दी का प्रयोग न करने की छूट दे रखी है जबकि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में शत-प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी छूट दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में लगाए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर का प्रावधान है तथा अधिकांश टेलेक्स मशीनें और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर द्विभाषी हैं ताकि जब भी आवश्यक हो इनका हिन्दी में भी प्रयोग किया जा सके।

(ग) राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का पालन करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी का उत्पादन

4445. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खादी के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आई गिरावट की प्रतिशतता क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खादी उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अभी भी खादी का निर्यात किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो किन-किन देशों को खादी का निर्यात किया जा रहा है; और

(छ) इस प्रकार किए गए निर्यात से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) कीमत की दृष्टि से खादी उत्पादन में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, मात्रा की दृष्टि से उत्पादन 1993-94 में 98.72 मिलियन वर्ग मीटर से घट कर 1994-95 में 90.84 मि. वर्ग मीटर हो गया है।

(ख) 1993-94 से 1994-95 तक मात्रा के संदर्भ में खादी उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट थी। कपास की कीमत में वृद्धि जोकि खादी के लिए कच्ची सामग्री है, इकाइयों द्वारा घटिया किस्म की खादी की अपेक्षा अच्छी खादी का उत्पादन आरम्भ करना, बहुसंख्यक खादी संस्थानों द्वारा पॉली वस्त्र कार्यक्रम चलाना तथा निधि की कमी इस गिरावट के कारण थे।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के संबंध में नौवीं योजना पर एक कार्यदल का गठन किया। इसने खादी उत्पादन को 1996-97 में 125 मिलियन वर्ग मीटर के अनुमानित स्तर से बढ़ाकर नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 281.12 मिलियन वर्ग मीटर किए जाने की संस्तुति की है।

(ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग प्रत्यक्ष रूप में खादी का निर्यात नहीं करता है।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए परीक्षा

4446. श्री आर० एल० पी० वर्मा :
श्री ललित उरांव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड में प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए 8 दिसम्बर, 1996 को हुई लिखित परीक्षा में कम्प्यूटर के लिए दस अंकीय कोडिंग दिया गया था जबकि क्रमांक आठ अंकीय ही थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर पुस्तिका में सही नाम होने के बावजूद शुरू में अथवा

अन्त में कम्प्यूटर कोडिंग में ब्लैक बाक्स रखने से कितने परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या इस प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा से संबंधित कार्य किसी निजी कम्पनी को दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस मामले की जांच करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। उत्तर पुस्तिका में क्रमांक संख्या के लिए 10 बाक्स थे यद्यपि उम्मीदवारों के रोल नम्बर 8 अंकों में थे। पूर्व अनुभव के आधार पर, जिस अभिकरण ने परीक्षा आयोजित की थी, जानती थी कि रोल नम्बर के लिए अधिकतम 10 अंकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोल नम्बर में दिए गए अंकों में कई तरह की सूचना जैसे कि केन्द्र कोड, पद कोड, विषय कोड, श्रेणी कोड, लिंग-भेद कोड तथा अन्ततः क्रम संख्या दी जाती है। उक्त के सामान्यतः 4 या 5 अंक होते हैं, जोकि उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करती है। इस मामले में, 08 अंकों की क्रमांक संख्या ही पर्याप्त थी। किन्तु, कोई भी परीक्षार्थी, क्रमांक संख्या के आगे या पीछे खाली स्थान छोड़ने से, प्रभावित नहीं हुआ है। इस संबंध में केवल यही अपेक्षा थी कि उम्मीदवार, दो संख्याओं के बीच खाली स्थान छोड़े बिना सही तरीके से अपनी क्रमांक संख्या लिखें।

(घ) और (ङ) जी, हां। कम्पनी के पास ऐसा कोई संरचनात्मक ढांचा नहीं है, जो एक विशिष्ट तारीख को, जिसमें कि 11,321 उम्मीदवार अन्तर्ग्रस्त हैं, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न केन्द्रों में इस प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकें। अतः को.इं.लि. द्वारा कई ऐसी अभिकरणों से कोटेशन मांगी गईं तथा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया ताकि इस विषय में निर्णय लिया जा सके। सभी क्रियाविधिक औपचारिकताओं का अनुपालन करते हुए समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि भारतीय मनोमिति संस्थान, कलकत्ता को यह उपर्युक्त कार्य सौंपा जाए, जिसकी कि न्यूनतम निविदा दर है और इसके साथ-साथ उक्त अभिकरण को ऐसी परीक्षाओं का आयोजन किए जाने का व्यापक अनुभव है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बैंक आफ बड़ौदा में जमा राशि

4447. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार बैंक आफ बड़ौदा में कुल जमाराशि 28369 करोड़ और कुल राशि 16012 करोड़ रुपये है;

(ख) क्या बैंक आफ बड़ौदा की पूंजी पर्याप्तता भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित 11.2 प्रतिशत है; और

(ग) यदि हां, तो बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने के आधार पर शेयर जारी करने के कथित निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, बैंक आफ बड़ौदा की कुल जमाराशियां 28370 करोड़ रुपये थीं और कुल अग्रिम राशियां 16013 करोड़ रुपये थीं।

(ख) वर्ष 1995-96 की अवधि में बैंक आफ बड़ौदा की जोखिम भारित आस्ति अनुपात 11.2 प्रतिशत थी जबकि आर बी आई द्वारा न्यूनतम जोखिम भारित आस्ति अनुपात 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने यह भी सूचित किया है कि बैंक आफ बड़ौदा की पूंजी की आवश्यकता बढ़ गई है क्योंकि बैंक आगामी वर्ष के दौरान व्यवसाय में पर्याप्त वृद्धि की आशा करता है और इसके फलस्वरूप, जोखिम भारित आस्तियां 1999 तक 27600 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता के वर्तमान स्तर को व्यवस्थित कर पाने के लिए केवल लाभों का पुनः निवेश करके स्तर I (टियर I) पूंजी में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं है। गौण ऋण और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में कमी आने की वजह से स्तर II (टियर II) पूंजी में पर्याप्त कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैंक का विदेशी आस्तियों को जब भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाए तो उनमें विनिमय उतार-चढ़ाव आ जाते हैं। इस प्रकार बैंक की जोखिम भारित आस्ति अनुपात को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।

बैंक धोखाधड़ियां

4448. श्री जयप्रकाश (हरदोई) :
श्री रामसागर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1997 के "दैनिक जागरण" "बैंक घोटाले करने वाले गिरोह का भण्डाफोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि बैंक कर्मियों की मिली-भगत से कुछ शरारती तत्वों ने बैंक की दरौंधा शाखा और भोर शाखा से डिमांड ड्राफ्ट के 48 पन्ने (लिव्ज) चुरा लिये थे। तदन्तर, इन शरारती तत्वों द्वारा बैंक की चार शाखाओं से 20 डिमांड ड्राफ्ट धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से भुना लिए गए थे जिसमें 100 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी। शरारती तत्वों ने बैंक की लेखा शाखा, मुम्बई से 10 लाख रुपये की राशि वाले दो डिमांड ड्राफ्ट भी भुनाने का प्रयास किया था। तथापि, इस धोखाधड़ी को निष्फल कर दिया गया था।

बैंक ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) के पास शिकायत दर्ज की है और सी बी आई ने बैंक के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार

किया है। बैंक ने दो कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है। बैंक ने 22.30 लाख रुपये की राशि वसूल कर ली है।

विजया बैंक में धोखाधड़ी

4449. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सी बी आई के भ्रष्टाचार निरोधक विंग ने विजया बैंक में हुई 117 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त घोटाले के इस पूर्व प्रकाश में न आने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) विजया बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स पी. जे. पाइप्स एण्ड वेसल्स लि. को बैंक द्वारा मंजूर किए गए अग्रिमों से संबंधित खाते के संचालन में बैंक को कतिपय अनियमितताएं दिखाई दी थीं। बैंक द्वारा की गई आंतरिक जांच से बैंक के अधिकारियों की ओर से चूकों और उधारकर्ता कम्पनी द्वारा निधियों के अन्यत्र उपयोग का पता चला। यह मामला दिनांक 4.8.1995 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) को भेज दिया गया था तथा उनसे आगे जांच हेतु नियमित मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी खाते की विस्तृत संवीक्षा की थी और भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट सरकार द्वारा सी बी आई को भेज दी गई थी और उनसे मामला दर्ज करने तथा मामले की पूरी तरह जांच करने का अनुरोध किया गया था। सी बी आई ने बैंक के दो भूतपूर्व पूर्णकालिक निदेशकों तथा कम्पनी के भी तीन निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

[हिन्दी]

काला धन

4450. श्री विनय कटियार :
प्रो० ओम पाल सिंह "निडर" :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्विस बैंक में जमा किए गए काला धन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है तथा यह धनराशि किन-किन व्यक्तियों तथा संगठनों के नाम पर जमा की गई है;

(ग) क्या सरकार इस काले धन को भारत में लाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) कोई प्रामाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के वित्त विधेयक में एक स्वैच्छिक प्रकटन योजना की घोषणा की गई है, जिसके अन्तर्गत विदेशों में रखे गए काले धन की भी घोषणा की जा सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबन्ध

4451. श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पूंजी निवेश पर होने वाली लाभ तथा पूंजी के निवेशकों द्वारा अपने-अपने देशों में ले जाने पर क्या प्रतिबन्ध लगाए गए हैं;

(ख) क्या विदेशी निवेशकों को अपनी पूंजी स्वेच्छा से वापस ले जाने की अनुमति दी गई है अथवा उन्हें इस प्रयोजनार्थ निश्चित अवधि दर प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) अब तक अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश सहित विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) विदेशी निवेशकों को भारत में उनके निवेश पर अर्जित अपने लाभांशों को, 22 उपभोक्ता वस्तु उद्योगों जिनमें 7 वर्ष की अवधि के लिए लाभांश को जमा रखने की शर्त निर्धारित की गई है, के मामले को छोड़कर, स्वतंत्र रूप से प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जाती है। विदेशी निवेशकों को "फेरा" की धारा 19(5) के अन्तर्गत उनके विनिवेश की नियत बिक्री प्राप्तियों के ऐसे विनिवेशों के लिए, प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी करने के बाद प्रत्यावर्तन की अनुमति भी दी जाती है।

(ग) वर्ष 1991 से 1996 तक भारतीय कम्पनियों के शेयरों/डिबेंचरों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनिवासी भारतीय निवेश के संबंध में अन्तर्प्रवाह निम्नलिखित प्रकार से था :

वर्ष	(लाख रुपये) अन्तर्प्रवाह
1991	16229.63
1992	15299.72
1993	57941.45
1994	114525.95
1995	198783.84
1996	206206.30

[अनुवाद]

अनिवासी विदेशी खातों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्ड

4452. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक एन आर ई (अनिवासी विदेशी खाता) खाते से दूसरे खाते में धनराशि को अन्तरित करने संबंधी मानदण्डों को उदार बनाया है और बैंकों को विदेशी मुद्रा को चालू खाते में अन्तरण करने संबंधी स्वीकृति देने के लिए अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने एक एन. आर. ई. (अनिवासी बाह्य) खाते से दूसरे खाते में निधियों के अन्तरण को शासित करने वाले मापदण्डों को उदार बनाया है। जहां तक चालू लेखा लेन-देनों पर विदेशी मुद्रा में भेजी गई राशि का शोधन करने के लिए बैंकों को अनुमति दिए जाने का संबंध है, सिवाए उन लेन-देनों के जिनके लिए राशि भेजना स्पष्टतः प्रतिबंधित हां, सभी वास्तविक चालू लेखा लेन-देन, प्राधिकृत डीलरों को प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत अथवा भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद मुद्रा की निर्मुक्ति हेतु पात्र हैं। एक एन. आर. ई. खाते से दूसरे खाते में निधियों का अंतरण किए जाने की अनुमति प्राधिकृत डीलरों की प्रत्यायोजित की गई शक्तियों से प्रभावित नहीं है ताकि चालू लेखा लेन-देनों में राशि भेजी जा सके।

(ख) जहां तक दो एन.आर.ई. खातों के बीच अंतरणों का संबंध है, प्राधिकृत डीलरो को एक ही प्राधिकृत डीलर अथवा भिन्न-भिन्न प्राधिकृत डीलरों के पास धारित भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के एन.आर.ई. खातों में किसी भी प्रयोजन के लिए निधियों का अंतरण करने की अनुमति दी जाती है। यदि निधियों का अंतरण उपहारस्वरूप किया जाता है तो इसकी अनुमति अंतरिती/अंतरिती के बैंक से यह वचन लेने के बाद दी जा सकती है कि निधियों के अंतरण के संबंध में यदि कोई दान कर देय होगा तो वह भारत में आयकर प्राधिकरणों को अदा कर दिया जाएगा। विभिन्न प्राधिकृत डीलरों के पास धारित एन.आर.ई. खातों में निधियों के अंतरण के मामले में, निधियों का अंतरण करने वाले प्राधिकृत डीलर को अंतरणकर्ता के अनिवासी दर्जे को पुष्ट करने का प्रमाण-पत्र जारी करना चाहिए। एन.आर.ई. खातों में निधियों का मुक्त अंतरण किए जाने की अनुमति देने का निर्णय भारत में निवेश हेतु अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध योजनाओं और प्रोत्साहनों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों पर आधारित है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

[हिन्दी]

योजना राजस्व घाटा अनुदान

4453. डा० सत्यनारायण जटिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को योजना राजस्व घाटा अनुदान के आबंटन हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ख) वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक के लिए योजना राजस्व घाटा अनुमान का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना संसाधन बढ़ाने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) नौवें वित्त आयोग ने राज्यों की योजना राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की थी, जबकि दसवें वित्त आयोग ने इन अनुदानों की सिफारिश नहीं की है। इस संबंध में भारत सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1995-96 की वह अवधि जिसे दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत शामिल किया गया था, राज्यों को कोई घाटा अनुदान जारी नहीं किया गया है क्योंकि दसवें वित्त आयोग ने योजना राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है।

(ग) राज्य योजनाओं के निधीयन के लिए संसाधनों को अंतिम रूप राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके योजना आयोग द्वारा दिया जाता है। राज्य योजनाओं के निधीयन के लिए सहायता को राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार राज्यों को आबंटित किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	योजना राजस्व घाटा अनुदान					कुल
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	46.07	54.60	66.54	78.49	95.55	341.25
2.	असम	42.38	50.23	61.21	72.20	87.89	313.91

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	185.53	219.88	267.98	316.08	384.00	1374.27
4.	जम्मू और कश्मीर	1.80	2.13	2.59	3.06	3.72	13.30
5.	केरल	55.69	66.01	80.45	94.88	115.51	412.54
6.	मध्य प्रदेश	141.45	167.65	204.32	241.00	293.39	1047.81
7.	उड़ीसा	20.01	58.28	108.74	160.75	206.72	554.50
8.	पंजाब	7.28	8.63	10.51	12.40	15.09	53.91
9.	राजस्थान	79.90	128.37	191.22	254.18	306.73	960.40
10.	तमिलनाडु	5.91	7.01	8.54	10.07	12.26	43.79
11.	उत्तर प्रदेश	270.69	409.96	583.09	744.07	878.69	26896.50
12.	पश्चिम बंगाल	134.82	159.70	194.74	229.69	279.62	998.65
	कुल	991.53	1332.53	1779.93	2216.87	2679.97	9000.83

[अनुवाद]

ऋण जमा अनुपात

4454. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक का ऋण जमा अनुपात भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप है;

(ख) क्या कम ऋण जमा अनुपात के कारणों का पता लगाने और ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजस्थान के लिए कार्य बल का गठन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस राज्य में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्य बल की सिफारिशों का अनुपालन किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोषी बैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में निवेश को बढ़ाना है ताकि राज्य के ऋण जमा अनुपात में मानकों के अनुरूप सुधार लाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क), (ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अखिल भारतीय आधार पर अपनी शहरी और अर्द्ध-शहरी शाखाओं में 60 प्रतिशत अलग-अलग ऋण जमा अनुपात (सी डी आर) प्राप्त करे। बैंकों से यह भी कहा गया है कि हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात शाखा-वार, जिला-वार अथवा क्षेत्र-वार अलग-अलग प्राप्त किया जाए, तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण विस्तार में असंतुलन को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच दरों में अत्यधिक असमानता से बचा जाए। यद्यपि, किसी विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो इसके बदले में आधारभूत सुविधाओं जैसे सिंचाई, बिजली, रेल, रोड, परिवहन, मौलिक और तकनीकी शिक्षा, उद्यम-वृत्ति और अपेक्षित निवेश, की उपलब्धता और कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए विपणन केन्द्रों जैसे कारकों से निर्धारित और प्रभावित होता है।

मार्च, 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 46.6 प्रतिशत था।

(ख) से (घ) जी, हां। राजस्थान के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) के संयोजक बैंक बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि राज्य में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक ऋण जमा अनुपात के संबंध में कृतक बल की सिफारिशों का पालन कर रहे हैं और उनमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन मामलों/प्रगति की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों में चर्चा की जाती है।

इंडियन ओवरसीज बैंक

4455. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक के कुछ अधिकारियों को अभियोजित/निलंबित किया गया है क्योंकि उन्होंने ऐसे कई डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट एडवाइस/शेडयूल्ड इत्यादि का भुगतान किया है जिस पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे;

(ख) यदि हां, तो इसमें अंतर्ग्रस्त राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों को हस्ताक्षर की जांच हेतु कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तथा बैंक धोखाधड़ी में अपराधियों द्वारा नये-नये क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं तथा बैंक में ग्राहकों द्वारा जमा की गई उनकी सारी कमाई को इस धोखाधड़ी से किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि सूचना देने की तारीख तक उन नौ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने ऐसे मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरण आदि का भुगतान करते समय प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां की हैं, जिनमें उक्त लिखतों पर जारी करने वाली शाखाओं के अधिकारियों के हस्ताक्षर उनके नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं। मांग ड्राफ्टों के नकद भुगतान के ऐसे चार उदाहरण हैं, जिनमें कुल 20.25 लाख रुपये की धनराशि अंतर्ग्रस्त थी, जिनके लिए नौ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ये मामले जांच के लिए पुलिस को सौंप दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मांग ड्राफ्टों के भुगतान के क्षेत्रों में धोखाधड़ी से बचने और ग्राहकों का बैंक में जमा धन सुरक्षित रखने के लिए बैंक में अधिकारियों को "हस्ताक्षर-सत्यापन" का प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाने वाले सभी सामान्य बैंकिंग कार्यक्रमों में निवारक सतर्कता संबंधी सत्र शामिल किए जाते हैं।

प्रत्येक शाखा प्रबन्धक को दी गई "मैनेजर्स वर्क बुक" में धोखा-धड़ी रोकने संबंधी जांच-सूची दी गई है। धोखाधड़ी रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों की सलाह देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधकों और शाखा प्रबंधकों को आवधिक रूप से परिपत्र/पत्र भेजे जाते हैं।

बैंकों की जबावदेही

4456. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिसम्बर 1996 में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें बैंकों के कार्यकरण में पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही के संबंध में सुझाव दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने तुलन पत्र और चूककर्ताओं से संबंधित गोपनीय खण्ड के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं : (i) बैंकों का पुनर्गठन, (ii) बैंक ऋणों के संबंध में जानबूझकर की गई चूक को दाण्डिक अपराध बनाया जाना, (iii) सभी बैंक चूककर्ताओं की सूची का पूर्णतया प्रगटीकरण, (iv) बैंकों के तुलनपत्रों को पूरी तरह स्पष्ट बनाना, (v) स्वतंत्र लेखा परीक्षा आयोग की स्थापना, (vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, (vii) बैंकिंग सेवा आयोग के जरिए बैंकों के अध्यक्ष एवं कार्यपालकों की नियुक्ति, (viii) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन की जांच करने के लिए स्थायी संसदीय समिति की स्थापना की जानी चाहिए, (ix) कर्मचारियों और अधिकारियों के यूनियनों के साथ आवधिक रूप से विचार-विमर्श करना, और (x) स्थानीय क्षेत्र में गैर-सरकारी बैंकों की स्थापना न करना।

(ग) से (ङ) वर्ष 1991-92 से बैंक तुलनपत्र के लिए संशोधित प्रपत्र शुरू किया गया था। इस प्रपत्र में विशेषतः अपनाई गई लेखा नीतियों और किए गए आवश्यक प्रावधानों के संबंध में अधिक स्पष्टता का प्रावधान किया गया है। हालांकि और अधिक स्पष्टता की गुंजाइश थी। परन्तु अभ्यावेदन में इसके पैरामीटर नहीं बताए गए हैं। जहां तक चूककर्ताओं के नामों को प्रगट करने का संबंध है, देश के और साथ ही विश्व के अन्य देशों के विभिन्न कानूनों में उपलब्ध बैंकर ग्राहक संबंधों के बारे में गोपनीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता। दिनांक 31 मार्च, 1994 और 1995 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपये और इससे अधिक की चूक वाले ऐसे चूककर्ता ऋणियों के खातों के संबंध में, जिन पर मुकदमा दायर किया गया है, सूची प्रकाशित की गई है। तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि बैंकिंग उद्योग में प्रभावी सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

भुगतान सन्तुलन

4457. श्री आई० डी० स्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में वृद्धि होने के बावजूद घाटे में वृद्धि हुई है जैसाकि दिनांक 2 मार्च, 1997 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "डेफिसीट वाईडन्स डिस्पाईट राइज इन एक्सपर्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भुगतान संतुलन की तुलना में घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) अप्रैल-जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान निर्यात वृद्धि

दर 6.2 प्रतिशत थी, जो 6.1 प्रतिशत आयात वृद्धि दर की तुलना में थोड़ा अधिक है। पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान आयात अधिक होने के कारण, व्यापार घाटे में 232 मिलियन अमरीकी डालर की सीमांतिक वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार निर्यातोन्मुख व्यापारिक माहौल तैयार करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की निरन्तर समीक्षा करती है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम की आवास संबंधी योजना

4458. डा० राम विलास वेदान्ती : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में कई आवास योजनाओं के कार्य को पूरा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा चालू वर्ष के दौरान इस पर कितनी धनराशि के व्यय किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को विभिन्न सामाजिक आवासन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए योजना आयोग और शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किए गए आबंटन के अनुसार रियायती ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत करता है।

मजदूरी संबंधी विवाद

4459. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग में इसके कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के युनाइटेड कमर्शियल बैंक के बोर्ड के हाल के निर्णय के कारण मजदूरी संबंधी विवाद उठा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) यूको बैंक ने सूचित किया है कि उसके निदेशक मंडल ने 14 दिसम्बर, 1996 को हुई बैठक में 30.9.96 के तुलनपत्र की चर्चा करते समय बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति से निबटने के अपेक्षित पुनर्जीवन योजना तैयार करने के बारे में निदेश दिए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वेतन स्थिरीकरण भी शामिल था। यूको बैंक ने आगे यह भी बताया है कि 19 फरवरी 1997 को हुई निदेशक मंडल की एक अन्य बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् वेतन स्थिरीकरण के बारे में पहले लिया गया निर्णय वापस ले लिया गया है।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अभ्रक स्क्रैप का निर्यात

4460. श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम अभ्रक स्क्रैप के निर्यात में दलाल/बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम खनन उद्योग द्वारा की जाने वाली बिक्री पर 40 प्रतिशत कमीशन ले रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई अन्य एजेंसी है जो कमीशन के रूप में भारी राशि ले रही है जिसके परिणामस्वरूप अभ्रक खनन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो अभ्रक उद्योग को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने हेतु कमीशन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं। मिटको को 1.4.1995 से एम.एम.टी.सी. के साथ मिला दिया गया है। बी.आई.एफ.आर. समिलन विलय की पुनर्वास सह समामेलन योजना के अनुसार माइका स्क्रैप का निर्यात 1997-98 तक एम.एम.टी.सी. के माध्यम से सरणीकृत रहेगा। एम.एम.टी.सी. के अपने विश्वव्यापी नैट वर्क के माध्यम से सरणीकृत माइका स्क्रैप का कारगर रूप से निर्यात कर रहा है, जैसाकि 1991-92 में 4.5 करोड़ रुपये के निर्यातों की तुलना में 1995-96 में 11.80 करोड़ रुपये के निर्यात हुए।

(ख) से (घ) बी.आई.एफ.आर. स्कीम में माइका स्क्रैप की बिक्री पर 27 प्रतिशत के कुल अंशदान (मार्जिन) की परिकल्पना की गई है। एम.एम.टी.सी. औसतन 24-25 प्रतिशत के अंशदान (मार्जिन) पर काम कर रहा है। स्थानीय माइका आपूर्तिकर्त्ता माइका स्क्रैप की आपूर्ति मूल्यवर्द्धित उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए एम.एम.टी.सी. के संयंत्रों को जिस कीमत पर करते हैं उससे लगभग दुगनी कीमत पर उन्हें एम.एम.टी.सी. माइका स्क्रैप की उस आपूर्ति के लिए भुगतान करती है जोकि निर्यात प्रयोजनों के लिए की जाती है। माइका उद्योग को विकसित करने के लिए एम.एम.टी.सी. ने माइका स्क्रैप के मूल्यवर्द्धन के लिए संयंत्र स्थापित किए हैं।

इंडियन ओवरसीज बैंक

4461. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1997 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में "केस क्लोग्ड, आई.ओ.बी. टू लीस रूपीज 100 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि समाचार में दिए गए छ खातों में बकाया राशि के 245.37 करोड़ रुपये में से उन्होंने 1993 और 1994-95 के दौरान 152.90 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। शेष बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी है।

स्किपर कन्सट्रक्शन कम्पनी

4462. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा गठित समिति ने स्किपर कन्सट्रक्शन कम्पनी के मामले में न्यू बैंक आफ इंडिया और केनरा बैंक के अध्यक्षों द्वारा की गई जालसाजी की जांच शुरू कर दी है;

(ख) क्या जांच कार्य पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दो उप गवर्नरों की एक समिति ने जांच प्रारम्भ कर दी है। समिति ने 10 मई, 1997 तक अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करनी है।

डेरी उत्पाद के लिए निर्यात कोटा

4463. डा० एम० जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए दुग्ध पाउडर तथा शिशु आहार संबंधी निर्यात कोटा को आधा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोटे में कमी करने के क्या कारण हैं जबकि देश सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में उभर रहा है और इसके निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एस.एम.पी.) और शिशु दुग्ध पाउडर के निर्यात की उच्चतम सीमा तरल दूध की घरेलू उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखकर निश्चित की जानी है।

अनुपयोज्य आस्तियां

4464. श्री प्रमोद महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों (बैंकवार) के अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋण वसूली प्रकोष्ठ तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान (बैंकवार) वसूल किए गए ऋण और अशोध्य ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक बैंक के संबंध में वर्तमान में बकाया ऋण और अशोध्य ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छानबीन की है तथा उन व्यक्तियों पर जिनके कारण बैंकों को भारी नुकसान हुआ है, कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) वर्ष 1995-96 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से वसूली (बैंक-वार) विवरण-I में दी गई है।

(ग) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों का बैंक-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) कार्य निष्पादन संबंधी प्रतिबद्धताओं को अंतिम रूप देने के लिए बैंकों के शीर्ष कार्यकलापों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा बैंकों को उनकी आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने, आंतरिक नियंत्रण और अन्य उपायों जो बैंक की स्थिति (हेल्प) में सुधार लाते हैं, को सुदृढ़ बनाने संबंधी मामलों पर विशेष सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार इस बात के लिए बैंकों पर बल देता है कि वे अपनी अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर को कम करें। बैंकों से समझौता, बट्टे-खाते आदि संबंधी प्रस्तावों के मामले में कर्मचारी के उत्तरदायित्व के पहलू की जांच करने के लिए भी कहा गया है।

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	1995-96 की स्थिति के अनुसार ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से वसूली	31.3.96 की स्थिति के अनुसार अग्रिम	31.3.96 की स्थिति के अनुसार एनपीए की स्थिति
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	11.00	59825.65	10553.53
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	शून्य	2447.48	337.95

1	2	3	4
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	0.74	3876.16	644.23
स्टेट बैंक आफ इंदौर	शून्य	1470.48	218.84
स्टेट बैंक आफ मैसूर	0.72	2038.85	328.93
स्टेट बैंक आफ पटियाला	शून्य	3304.86	399.71
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	0.48	1813.08	206.49
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	शून्य	3349.16	430.22
इलाहाबाद बैंक	3.22	4815.60	1255.00
आन्ध्रा बैंक	शून्य	2580.33	332.23
बैंक आफ बड़ौदा	2.43	16012.55	2840.08
बैंक आफ इंडिया	40.54	15595.80	2434.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	0.04	2692.17	694.26
केनरा बैंक	8.54	13095.84	1533.47
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	शून्य	8902.57	2036.00
कारपोरेशन बैंक	0.76	2442.11	251.83
देना बैंक	शून्य	3401.68	508.00
इंडियन बैंक	शून्य	7873.46	3140.90
इंडियन ओवरसीज बैंक	शून्य	7504.25	1823.00
ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	1.44	4671.78	271.25
पंजाब एंड सिंध बैंक	0.66	12679.89	725.29
पंजाब नेशनल बैंक	0.51	2789.84	2518.00
सिंडिकेट बैंक	शून्य	5397.66	1311.75
यूको बैंक	13.38	4982.13	1840.00
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	0.58	2851.13	1503.00
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1.41	8681.08	900.63
विजया बैंक	0.06	2443.70	545.38
कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक	86.51	207539.29	39583.94

विवरण-II

एन. पी. ए. की वसूली—सरकारी क्षेत्र के बैंक

(राशि करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	वसूली		
	1993-94	1994-95	1995-96
भारतीय स्टेट बैंक	321.54	604.70	427.93
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	139.96	136.18	142.36
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	84.97	118.59	100.94
स्टेट बैंक आफ इंदौर	13.36	12.86	17.55
स्टेट बैंक आफ मैसूर	13.18	31.73	23.25
स्टेट बैंक आफ पटियाला	13.48	25.69	16.92
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	26.98	23.70	35.01
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	63.60	36.95	97.90
इलाहाबाद बैंक	92.30	51.00	102.00
आन्ध्रा बैंक	76.00	111.00	36.00
बैंक आफ बड़ौदा	95.01	350.73	345.96
बैंक आफ इंडिया	301.00	325.00	354.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	115.52	96.00	83.15
केनरा बैंक	204.00	255.00	238.00
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	296.00	550.00	541.00
कारपोरेशन बैंक	30.63	19.41	26.98
देना बैंक	65.91	12.00	69.80
इंडियन बैंक	205.00	283.00	283.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	122.52	167.18	179.85
ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	56.00	51.70	69.13
पंजाब एंड सिंध बैंक	41.55	101.74	56.08
पंजाब नेशनल बैंक	214.20	222.90	300.00
सिंडिकेट बैंक	189.35	147.65	188.37
यूको बैंक	141.14	157.64	95.44
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	128.00	159.00	161.00
यूनियन बैंक आफ इंडिया	74.00	142.00	102.00
विजया बैंक	86.00	69.00	27.00
कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक	3211.20	4262.30	4120.62

तस्करी

4465. श्री येल्लैया नंदी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तस्करी को नियंत्रित करने हेतु कोई आर्थिक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1996 के दौरान तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1997 के दौरान तस्करी की घटनाओं में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रतिभूति घोटाले के संबंध में अंतरविभागीय दल की रिपोर्ट

4466. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिभूति घोटाले से अन्ततः लाभांवित हुए व्यक्तियों के संबंध में अन्तरविभागीय दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भविष्य में ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई सुझाव दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (च) अन्तर अनुशासनिक समूह (आई. डी. जी.) का गठन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की समस्या एक्सपोजर में अन्तर्ग्रस्त निधियों के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए किया गया था जिनकी पहचान जानकीरामन समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में की थी। यह रिपोर्ट दिसम्बर, 1996 में संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी गई थी। जानकीरामन समिति द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की समस्या एक्सपोजर का अनुमान 4024.45 करोड़ रुपये लगाया गया था। तथापि, आई डी पी ने अधिसूचित व्यक्तियों के विरुद्ध एक्सपोजर का पुनर्मूल्यांकन किया और इसे 3,305,69 करोड़ रुपये पाया। इसमें कमी मुख्यतः दोहरी गणना, मूल्य निर्धारण में भिन्नता और बाद में कतिपय बैंकों द्वारा न्यायालय के बाहर किए गए समझौते के कारण था। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखापरीक्षकों को उन भिन्नताओं के दृष्टांतों की जांच करने के लिए नियुक्त किया है जहां कुर्क की गयी परिसम्पत्तियां समस्या एक्सपोजर से कम रही। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार, लेखापरीक्षक कुछ दलालों के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ हुए उनके लेन-देनों के संबंध में आस्ति बहियों में दर्ज किए गए प्रतिभूतियों की जांच कर रहे हैं। विशेष न्यायालय द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक भी दो अधसूचित पार्टियों के लेखों का विवरण रख रहे हैं।

चूंकि आई. डी. जी. का कार्य, निधियों के अंतिम उपयोग का पता लगाना था, अतः भविष्य में प्रतिभूति लेनदेनों में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जांच करने के लिए रिपोर्ट में कोई सिफारिश/सुझाव नहीं दिया गया है।

गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षण

4467. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों के व्यापक पर्यवेक्षण की आवश्यकता संबंधी खन्ना पैनल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य सरकारी एजेंसियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों के संचालन/कार्यनिष्पादन की प्रभावी निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) खन्ना समिति की मुख्य सिफारिशों को दो भागों में बांटा जा सकता है :

(i) विनियामक पहलू और (ii) पर्यवेक्षी पहलू।

विनियामक पहलू :

ग्रुप ने आर. बी. आई. की तत्कालीन सांविधिक शक्तियों को संवर्धित करने का सिफारिश की है ताकि (i) बैंक के वर्तमान और नए गैर-बैंकिग वित्तीय निगमों का अनिवार्य पंजीकरण किया जा सके, (ii) नयी कंपनी के लिए 100 लाख रुपये की न्यूनतम इक्विटी निर्धारित की जा सके, (iii) सभी एन. बी. एफ. सी. (आर. बी. आई. के पास पंजीकृत और गैर-पंजीकृत) पर आरक्षित निधि का सृजन निर्धारित करने और आर. बी. आई. के विनियामक अधिकार क्षेत्र को अंतरित करने के कार्य पर स्थलेतर छानबीन करने की प्रक्रिया के माध्यम से यह निगरानी रखी जाए कि प्रति वर्ष उनके शुद्ध लाभों में से 20

प्रतिशत से अनधिक राशि उक्त निधि में जमा हो, (iv) जिस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था की वित्तीय स्थिति कमजोर हो, उसके परिसमापन की कार्रवाई आरंभ करने के लिए बैंक को सक्षम करें, (v) एन. बी. एफ. सी. द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के लिए सीमा-निर्धारण करें, (vi) चूककर्ता कंपनियां जमाराशियों की वापसी अदायगी करें इसके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के समान नियम परवर्तित करें आदि।

पर्यवेक्षी पहलू :

समिति ने विभिन्न सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं :

(i) सभी एन. बी. एफ. सी. को चाहे उनका पूंजी आधार में कुछ भी हो, भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण तंत्र में लाना, (ii) केवल उन एन. बी. एफ. सी. पर विस्तृत और व्यापक ढंग से पर्यवेक्षण करना जिनकी स्व-धारित पूंजी 100 लाख रुपये और उससे अधिक है, (iii) भिन्न-भिन्न प्रकार से पर्यवेक्षण करने के लिए बैंक को कंपनी की परिसम्पत्ति के आकार के आधार पर रिपोर्टकर्ता कंपनियों का स्तरीकरण करना चाहिए, (iv) बैंक को एक आन लाइन कार्पोरेट मेमोरी प्रोफाइल निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, जो स्थलेत्तर निगरानी प्रणाली/बाजार आसूचना/शिकायतें/पर्यवेक्षी रेटिंग/जांच तथ्यों आदि से उत्पन्न हुए तथ्यों पर आधारित हो, (v) सी. ए. एम. ई. एल. माडल (अर्थात् पूंजी पर्याप्तता, परिसम्पत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन उपार्जन, चलनिधि और प्रणाली और नियंत्रण पर आधारित एन. बी. एफ. सी. के लिए पर्यवेक्षण दर-निर्धारण प्रणाली का प्रारंभ, (vi) एन. बी. एफ. सी. को नियत किए गए पर्यवेक्षण दर-निर्धारण पर आधारित, स्थल पर निरीक्षण आयोजित करने के लिए आवर्त को ठीक करना चाहिए, और (vii) विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के एक तंत्र के रूप में बाह्य लेखा-परीक्षा का उपयोग करने के लिए बैंक आवश्यक उपाय कर सकता है।

(ग) और (घ) एन. बी. एफ. सी. का स्थल पर निरीक्षण करने संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गनिदेश जारी किए हैं कि वे निरीक्षण अधिकारियों द्वारा एन. बी. एफ. सी. की स्थल पर निगरानी करने के लिए सी. ए. एम. ई. एल. दृष्टिकोण और साथ ही दस शीर्ष और समस्या वाली एन. बी. एफ. सी. पर गहन पर्यवेक्षण करने के लिए स्थलेत्तर निगरानी प्रणाली अपनाएं।

(ङ) इसके अलावा, एन. बी. एफ. सी. के पर्यवेक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्ति प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 9 जनवरी, 1997 को जमाराशियां स्वीकार करने को नियंत्रित करने हेतु, सरकार ने 9 जनवरी, 1997 को भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, (1997 की संख्या 2) प्रख्यापित किया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : श्रीमन्, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि हमने यह निर्णय लिया है कि हमारे जितने माननीय सदस्य हैं, वे अपने-अपने क्षेत्रों की टी.ए.सी. के मेम्बर होंगे।

अपराह्न 12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1997

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1997, जो 7 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 64 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1742/97]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड सेवा विनियम, 1996

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रमण्यन) : मैं श्री चतुरानन मिश्र की ओर से इन पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं–

(1) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 20 के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड सेवा विनियम, 1996, जो 18 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2-65/एनओवीओडी/96 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा दिनांक 28 फरवरी, 1997 का तत्संबंधी शुद्धि-पत्र।

(2) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड सेवा विनियम, 1996 के बारे में संक्षिप्त विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1743/97]

प्रारूप अधिसूचना सं० 10/6/97–आई०पी०

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : श्री मुरासोली मारन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या 10/6/97–आईपी जिसमें उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक उपक्रम को लघु उद्योग या आनुषंगिक उद्योग के आधार पर आवश्यकता विनिर्दिष्ट की गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1744/97]

(2) उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1745/97]

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केनरा बैंक अधिकारियों की सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 19 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1746/97]

(दो) ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 26 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3920 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1747/97]

(तीन) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 12 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर : अमेंडमेंट-2/96 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1748/97]

(चार) पंजाब और सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 9 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/स्टाफ/ओएसआर/1996 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1749/97]

(पांच) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 30 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3921 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1750/97]

(छः) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 7 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/12 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1751/97]

(सात) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 21 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2502 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1752/97]

(आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 21 दिसंबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/14 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1753/97]

(नौ) भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन (संशोधन) विनियम, 1996 जो 1 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1754/97]

(दस) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 1 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1755/97]

(ग्यारह) बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 28 दिसंबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्सटी/एसटी/डीएम/96 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1756/97]

(बारह) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 28 दिसंबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1757/97]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1758/97]

(2) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के वर्ष 1994-95 और 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1759/97]

(3)(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 1760/97]

(5)(एक) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवर्सिफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवरसिफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 1761/97]

(7)(एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल०टी० 1762/97]

महापत्तन न्याय संशोधन नियम, 1997

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत महापत्तन न्यास (न्यासियों को शुल्क और भत्तों का संदाय) संशोधन नियम, 1997 जो 11 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 70(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1763/97]

(2)(एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1764/97]

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1995-96 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1765/97]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की मांगें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : मैं श्री एस० आर० बोम्बई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1766/97]

रसायन और संबद्ध उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे इत्यादि।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1767/97]

(3)(एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1768/97]

(5) (क) शैलैक निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलैक निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) शैलैक निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1769/97]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारयण प्रसाद निषाद) : मैं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 1770/97]

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1771/97]

(3)(एक) भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद, नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1772/97]

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली का वर्ष 1995-96 आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1773/97]

(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (खंड I और II) के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1774/97]

(5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1775/97]

(7) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा शोध डिग्री कार्यक्रम पर अध्यादेश, की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 439, जो 12 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1776/97]

(8)(एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महाराष्ट्र के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महाराष्ट्र के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1777/97]

(10)(एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नयी दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नयी दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1778/97]

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कंपनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1997 जो 28 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 97(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 1 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126(ई) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1779/97]

(2) केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

सा.का.नि. 110(अ) से सा.का.नि. 125(अ) जो 1 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो 28 फरवरी, 1997 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1780/97]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 98(अ) से सा.का.नि. 109(अ) जो 1 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 फरवरी, 1997 को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संबंध में सीमा शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 138(अ) जो 6 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मई, 1995 के अधिसूचना संख्या 104/95-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1781/97]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1782/97]

(ख)(एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1783/97]

(ग)(एक) ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी नयी दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओरएिन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नयी दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1784/97]

(घ)(एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1785/97]

(ङ)(एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 1786/97]

मध्याह्न 12.03½ बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक— सभा पटल पर रखा गया

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 मार्च, 1997 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1997 को पारित किए गए **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1997** से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 20 मार्च, 1997 को हुई अपनी बैठक में पारित **जलकृषि प्राधिकरण विधेयक,** 1997 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं **जलकृषि प्राधिकरण विधेयक**, 1997, राज्य सभा द्वारा 20 मार्च, 1997 को यथापारित, सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

संचार संबंधी स्थायी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, मैं दूरसंचार विभाग से संबंधित मल्टी एक्सेस रिले रेडियो (एम. ए. आर. आर.) टेक्नोलॉजी के चयन के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति

तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में तीसरा प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी दूसरे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विमानों में हवाई टक्कर बचाव प्रणाली (एसीएएस) को अनिवार्य रूप से लगाये जाने के बारे में

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहिम) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जानते ही हैं कि देश में हवाई परिवहन प्रचालनों के उदारीकरण से, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अंतर्देशीय प्रचालनों में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अनेक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के भारत के ऊपर से अथवा भारत से होकर निकलने के कारण भारतीय हवाई क्षेत्र में भीड़ हो गई है। मैंने पहले विभिन्न अवसरों पर सदन को सूचित किया है कि सरकार भारतीय आकाश में विमान संरक्षा में वृद्धि के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी संभव उपाय कर रही है।

विमान संरक्षा तथा विमानन गतिविधियों पर दक्ष विनियामक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, मैंने सितम्बर, 1996 में नागर विमानन महानिदेशालय के मौजूदा गठन, वायुयान अधिनियम और नियमों, मौजूदा संरक्षा विनियमों, विमानन जनशक्ति के विकास के लिए सुविधाओं, विमानन कार्मिकों के अनुज्ञापन की वर्तमान प्रणाली, हवाई दिक्चालन संचार और निगरानी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एअर मार्शल जे.के. सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विमान यातायात सेवाओं और सम्बद्ध सुविधाओं का तो सतत् रूप से स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाता रहा है, परन्तु समूचे भारतीय हवाई क्षेत्र को कवर करने में पर्याप्त समय लग सकता है। अतः विशेषकर 12 नवम्बर, 1996 को दिल्ली के समीप आकाश मध्य टक्कर के बाद, यह आवश्यक समझा गया है कि आकाश मध्य टक्करों के खतरे को कम करने के लिए विमानों के उपस्कर को उन्नत किया जाय। हवाई टक्कर बचाव प्रणाली (एसीएएस) जोकि विमान पर लगा एक उपस्कर है और भूआधारित विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली से स्वतंत्र करते हुए काम करता है, का लगाना आकाशमध्य टक्कर होने से रोकने में मदद कर सकता है।

अपराह्न 12.07 बजे

[**श्री पी० एम० सईद** पीठासीन हुए]

यदि विमानों में यह प्रणाली लगी हो तो दो विमानों के खतरनाक ढंग से पास-पास आ जाने पर यह विमानचालकों को सावधान कर देगा। यह प्रणाली दृश्य और श्रव्य चेतावनी देती है और होने वाली टक्कर को रोकने के लिए उठाया जाने वाला सुधारात्मक कदम भी सुझाती है।

विमान सुरक्षा के लिए हमारे ये प्रस्ताव हैं :

(1) अन्तिम रूप से 31 दिसम्बर, 1998 के बाद 30 यात्रियों से अधिक की सीट क्षमता वाले अथवा कार्गो एयरक्राफ्ट के मामले में 3 टन से अधिक पे-लोड क्षमता वाले सभी विमानों पर ए सी ए एस प्रणाली लेकर चलना अनिवार्य करना। बिना ए सी ए एस प्रणाली लगे ऐसे किसी भी विमान को 31 दिसम्बर, 1997 के बाद आयात करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

(2) ए सी ए एस प्रणाली को अंतिम रूप से 31 दिसम्बर, 2003 के बाद 30 सीटों से कम क्षमता वाले परिवहन विमानों पर अनिवार्य रूप से लगाने का भी प्रस्ताव है। 31 दिसम्बर, 2001 के बाद किसी ऐसे विमान का आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिस पर एसीएएस प्रणाली न लगी हो।

इस प्रस्ताव के बारे में नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इकाओं ने यह मत व्यक्त किया है कि एसीएएस का अनिवार्य संस्थापन सम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव इकाओं मानकों की भावना के बहुत अनुरूप है। तथापि, उन्होंने सलाह दी है कि इस प्रणाली के अनिवार्य वहन की अपेक्षा क्षेत्रीय हवाई दिक्चालन करारों पर आधारित होनी चाहिए और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस पहल के लिए क्षेत्रीय सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों और प्रचालकों के साथ क्षेत्रीय मंचों पर इस पहलू पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से नागर विमानन महानिदेशक ने पड़ोसी देशों के नागर विमानन महानिदेशकों, सभी अंतरदेशीय अनुसूचित प्रचालकों तथा भारतीय हवाई क्षेत्र को/से होकर/के ऊपर से उड़ान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित प्रचालकों के साथ 16 अप्रैल, 1997 को एक बैठक बुलाई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रणाली के वहन को दिसम्बर, 1995 से पहले ही अनिवार्य बना दिया है। विश्व के अन्य देश भी इस प्रणाली को अनिवार्य बनाने की योजना बना रहे हैं। भारत चूंकि, उड़ान संरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए सजग है, इसलिए वह अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तथापि, प्रस्तावित अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की वास्तविक तारीखों को अंतिम रूप नागर विमानन महानिदेशक

डी जी सी ए द्वारा 16 अप्रैल, 97 को उक्त बैठक आयोजित कर लेने के बाद ही दिया जायेगा।

पूर्वोक्त उपायों से, यह आशा की जाती है कि भारतीय आकाश में संरक्षा पयाप्त रूप से बढ़ जायेगी। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से सहमत होंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे कुछ कहना है। कृपया बैठ जाइये। अन्यथा, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी० आर० दास मुंशी (हावड़ा) : क्या आज जीरो अवर हो रहा है ? हमने नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले आपको बैठना चाहिए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, आज इस सभा का अंतिम दिन होने के नाते, मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकाधिक सदस्यों को शून्यकाल में बोलने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन केवल एक बात यह है कि यह व्यवस्थित और संक्षिप्त होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलेगा। यदि कोई माननीय सदस्य बीच में उठ जाता है, तो उसे आज अवसर नहीं मिलेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं एक सूचना देना चाहता हूं। यह सहमति हुई थी कि कृषि विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

सभापति महोदय : शून्यकाल के बाद।

श्री राम नाईक : कम से कम उन्हें हमें बताने दें। अन्यथा सरकार कुछ नहीं कहेगी। यह कार्य सूची में नहीं दिखाया गया है। अनुपूरक कार्य सूची भी वितरण नहीं की गई है.

सभापति महोदय : हम सरकारी कार्य 3.30 बजे तक करेंगे। 3.30 बजे के बाद निजी सदस्यों के कार्य करेंगे। 6.00 बजे के बाद हम इसे दुबारा उठायेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकनाल) : महोदय, मैं यह अवसर दिए जाने के लिए आपका बहुत आभारी हूं।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधीनस्थ इंजीनियरों के संवर्ग हेतु पांचवें वेतन आयोग की अधोमुखी सिफारिशों का मामला उठाना चाहता हूं। आठ हजार इंजीनियरों ने अपील की थी। मैंने माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय से आज एक याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन यह आदेश में कहीं दिखाई नहीं दी।

हुआ यह था कि दूसरे, तीसरे और चौथे वेतन आयोग ने उसमें सुधार किया था। चौथे वेतन आयोग के बाद 1993 में केबिनेट ने इसमें सुधार किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के 1988 के निर्णय को 1978 से प्रभावी किया था। 1995 में दुबारा इसमें सुधार किया।

अब वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उससे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर प्रहार हुआ है और जिस ग्रेड की सिफारिश की है, वह चौथे वेतन आयोग द्वारा दिए गए ग्रेड की तुलना में बहुत कम है।

अतः मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनकी याचिका को याचिका समिति को नहीं भेजा गया तो इन 8000 लोगों पर मुसीबतें आ पड़ेंगी। एक माह को स्थगन हो रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करने जा रही है या नहीं। यदि एक बार ऐसा होता है तो यह तर्कहीन सम्पन्न कार्य होगा।

ये इंजीनियर संयुक्त सलाहकार तंत्र के पास जा चुके हैं। वे वेतन आयोग के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। किंतु किसी ने उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक नहीं सुनी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इनके मामले को समर्थन दे रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सतविन्दर कौर ढालीवाल (रोपड़) : सभापति महोदय, मंडी गोविन्दगढ़ पंजाब का एक व्यापारिक केन्द्र है वहां पर जितने माल का उत्पादन होता है उसका 80 प्रतिशत पंजाब से देश के दूसरे प्रदेशों में जाता है। दूसरे प्रदेशों से आने वाली फास्ट ट्रेन्स यहां पर नहीं रुकती हैं इसलिए व्यापारियों को ट्रेन्स के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। यह एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ-साथ धार्मिक महत्त्व का शहर भी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि दिल्ली से आने वाली फ्लाइंग मेल यहां पर रुकनी चाहिए ताकि व्यापार में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ रेलवे को भी किराये के रूप में वित्तीय लाभ हो सके।

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : सभापति महोदय, मैं इस सभा में पहली बार बोल रहा हूं, मुझे अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है और लोकायुक्त की तीसरी रिपोर्ट भी उसके खिलाफ आई है। लेकिन मैं इस सदन से जुड़ा हुआ एक सवाल उठाना चाहता हूं। जवाहर रोजगार योजना में भ्रष्टाचार का एक प्रमाण मेरे जिले में मिला है। जो मजदूर और गरीब नकद राशि के अलावा सरकारी कूपन से राशन प्राप्त करते हैं, पिछले सात-आठ महीनों से वह राशन उन्हें नहीं मिल रहा है। जब हम लोगों ने आंदोलन चलाया तो यह कहा गया कि राशन उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब मालूम हुआ है कि नकली कूपन छपवाकर कुछ सोसाइटियों ने वह राशन निकाल लिया, वहां पर आदिवासी ब्लाक में एक मामला पकड़ा भी गया है। परंतु मध्य प्रदेश सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है। मैं केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि उनके मंत्री जी इस पर विचार करेंगे, ताकि उन गरीबों का हित हो सके। मध्य प्रदेश

सरकार के ऐसे अनेक कारण हैं और लोकायुक्त की रिपोर्ट में भी इस पर आक्षेप किया गया है।

सभापति महोदय : भारत सरकार को क्या करना है आप केवल यह बताइये।

श्री प्रहलाद सिंह : मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं। जे.आर.वाई. केन्द्रीय सरकार की स्कीम है।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं, वह बताइये।

श्री प्रहलाद सिंह : मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार की कार्यवाही के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तिरुची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : महोदय, जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, वह न तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है और न ही उस राज्य से जिससे मैं संबद्ध हूं। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है और मैं आशा करता हूं कि इस सदन के सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे।

महोदय, अभी हाल ही में हमारे देश में जो फिल्में, भाषा पर विचार किए बिना बनाई और दिखाई जा रही हैं, उनका स्तर बहुत ही खराब है और यह आशंका है कि देश की समृद्ध संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हो रही है। यद्यपि फिल्म की गुणवत्ता को विनियमित करने हेतु नियमों और मापदंडों सहित सेंसर बोर्ड है, फिर भी हम नहीं जानते कि क्या सेंसर बोर्ड फिल्म निर्माताओं के प्रति उदार है या फिल्म निर्माता सेंसर बोर्ड को आश्वस्त करने में समर्थ रहते हैं। अब फिल्में लोगों को मनोरंजन देने के नाम पर अपने उद्देश्य से भटक रही हैं और तेजी से सम्पूर्ण पीढ़ी को विनाशकारी भविष्य की ओर धकेल रही हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री तिरुची शिवा : महोदय, जो मैं कह रहा हूं वह सबके लिए बहुत चिंता की बात है। क्या पुलिसकर्मियों के सिर कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर देना उचित है ? क्या पिता और पुत्र को एक साथ शराब पीते हुए दिखाना उचित है ? इन फिल्मों में औरतों का चित्रण विदेशी औरतों की तरह होता है। इन बातों को रोका जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सदन मेरे आग्रह से सहमत होगा कि शराब और मादक पदार्थों के विज्ञापनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसी फिल्मों के निर्माण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए।

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, आज देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की स्थिति भूखों मरने की हो रही है। वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उनकी आय जो 300 रुपये से 500 रुपये होती है, अपमानजनक है। देश में लगभग आठ लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता हैं। वे गांवों में कार्य करते हैं और वे वहां स्वास्थ्य केंद्रों और नर्सिंग सेवाओं में प्राथमिक चिकित्सा देने और इसी तरह के अनेक राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं।

महोदय, पांचवें वेतन आयोग ने उनके लिए कुछ भी सिफारिश नहीं की है। बजट में भी उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध करना चाहती हूं ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को कुछ लाभ मिल सके। वे इसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। वे पहले ही हड़ताल कर चुके हैं और वे इस अन्याय के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पारस राम मेघवाल (जालोर) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक तथा युनाइटिड इन्श्योरेंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पिछले 8-10 महीनों से खाली पड़े हैं। इस संबंध में मुझे जानकारी मिली है कि दो बार इन पदों को भरने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जिन व्यक्तियों को नामजद करने का प्रस्ताव किया गया, उनके खिलाफ सी. बी.आई. द्वारा जांच चल रही है। वित्त मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों के नाम इतने उच्च पदों के लिए नामजद नहीं कर सकता जिनके खिलाफ जांच चल रही है। मैं नहीं जानता कि बार-बार क्यों उन्हीं व्यक्तियों के नाम प्रेषित किये जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस मामले कि जांच कराई जाए और सही और बेदाग व्यक्तियों को इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कराने की कार्यवाही की जाए।

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति महोदय, पूरे देश में जमीनों का भारी संकट है और हमारे उत्तर प्रदेश की जलेसर कांस्टीटूएंसी में, जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, विशेष संकट है। इस काम को हमारे यहां दो विभाग करते हैं—ऊसर सुधार निगम और भूमि संरक्षण विभाग लेकिन पिछले 10-12 सालों में वहां कोई काम नहीं हुआ है जबकि लाखों रुपये खर्च हुए दिखाये गये हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे मामले कि जांच होनी चाहिए तथा इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाये जायें, उन्हें दंडित किया जाये। भूमि संरक्षण का काम वास्तव में होना चाहिए और सारी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार के संबंध में, मैं आपका ध्यान एक लेख की ओर दिलाना चाहता हूं। दिनांक 4.3.1997 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस सदन के एक बहुत ही अनुभवी एवं पुराने सदस्य, श्री श्याम नन्दन मिश्र का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने सदन के उत्तरदायित्वों के प्रति चिन्ता व्यक्त की थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में संसद ने बहुत उदासीनता दिखाई है। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का मामला, इस सदन के विशेषाधिकार का मामला बनता है। इसलिए इस सदन का कर्त्तव्य है कि इसकी उपेक्षा न की जाए और सदन इस संबंध में गंभीर रुख अख्तियार करे।

श्री चन्द्रभूषण सिंह (कन्नौज) : सभापति महोदय, यों तो पूरे देश में नहर की व्यवस्था देखरेख न होने के कारण बड़ी भंग है, लेकिन मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर

प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में होकर गंगा नहर शाखा कानपुर निकलती है। 7-8 मार्च की रात को वह नहर कट गई। नतीजा यह हुआ कि हमारे उमरदा क्षेत्र के 20 गांव डूब गये। सारी की सारी फसल डूब गई और गांव भी उसमें डूब गये। मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरंत वहां के अधिकारियों को निर्देशित करे और उनको सुविधा प्रदान करे।

[अनुवाद]

डा० बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर माननीय सदस्यों का एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश में विद्युत की भारी कमी है। विशेषकर, आंध्र प्रदेश में किसान भूखों मर रहे हैं, क्योंकि उनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। उनके पास पानी नहीं है और न ही बिजली है। जो कुछ मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं, वह यह है कि इस समय वहां जल, विद्युत और आश्रय की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : अपनी बात को लंबा नहीं करें। यह शून्यकाल है। जल्दी बात कहकर उसे समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा० बी० एन० रेड्डी : सुनिए, सर मैं पानी, बिजली और मकान के बारे में बोल रहा हूं, एक मिनट सुनिए साहब। मेरा कल भी जीरो आवर चला गया। जरा एक मिनट तो मुझे बोलने दीजिए। लोग तो 15-15 मिनट बात करते हैं।

[अनुवाद]

आज लोग खैरात नहीं मांगते हैं, वे नौकरी की मांग करते हैं। वह बिजली मांग रहे हैं। 17,800 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जा रही है और पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं कराई जायेगी तो यह बेकार जायेगी। देश में इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जायेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रधानमंत्री और अन्य संबंधितों से यह बताएं कि इस धनराशि में से कम से कम 50 प्रतिशत का बिजली बनाने, जल उपलब्ध कराने और लोगों को मकान मुहैया कराने के लिए उपयोग किया जाये, ताकि रोजगार का सृजन किया जा सके।

श्री शिवानंद एच० कौजलगी : सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आंध्र प्रदेश सरकार पांच सिंचाई जलाशयों का निर्माण कर रही है। इससे कर्नाटक सरकार को बहुत नुकसान होगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार को पांच सिंचाई जलाशय अर्थात् तेलगू गंगा परियोजना और अन्य का निर्माण रोकने हेतु निर्देश जारी किए जायें।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : चेयरमैन साहब, जनाब आप बखूबी जानते हैं और इस हाउस के आनरेबल मैम्बर्स भी बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसानों की बेशआराजी जो है उस पर आर्मी, बी.एस.एफ. और सी.आर.पी.एफ. वर्षों से काबिज है और बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. और आर्मी किसानों को जो रेंट देती है, उसकी जो शरा है उसमें 1993 से कोई इजाफा नहीं हुआ है। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब और केन्द्रीय सरकार से गुजारिश करता हूं कि 1993 से लेकर आज तक जो रेंट की शरा है उसमें इजाफा किया जाए और फौरी तौर पर किसानों को इसकी अदायगी की जाए ताकि वे किसान जिनकी जमीनें आर्मी के पास हैं और जिनके पास गुजर करने के लिए साधन नहीं हैं, उनकी गुजर हो सके। शुक्रिया।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश से लगातार प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। हमारे देश के डाक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक यहां तक कि फौज के अफसर भी डिमोरलाइज होकर सरकारी नौकरियां छोड़ रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों या दूसरी नौकरियों में जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम बिना किसी विकसित देश की मदद के चला रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो से लगातार वैज्ञानिकों ने नौकरियां छोड़ी हैं, पलायन किया है और औसतन 85 वैज्ञानिक हर साल इसरो को छोड़कर दूसरी नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले साल तो 135 वैज्ञानिकों ने एक साथ इसरो की नौकरी छोड़ दी। इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों द्वारा एक साथ नौकरी छोड़ने के कारण हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम बुरी तरह से गड़बड़ा गया है और एक तरह से ठप्प होने के कगार पर आ गया है। यदि यह स्थिति जारी रही, तो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम बुरी तरह गड़बड़ा जायेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृर्षित करके निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रतिभाओं का अगर इसी तरह से पलायन होता रहा तो हमारे देश में तो केवल छाछ रह जायेगा और सारा मलाईदार तबका बाहर चला जायेगा।

इसलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें जिससे प्रतिभाओं का पलायन रुके और हमारे देश की प्रतिभायें अपने देश के लिये काम कर पायें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन (केसरगोड़ा) : वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सुपारी के मूल्यों में अत्याधिक गिरावट आई है। भारत सरकार के हाल ही के कुछ निर्णयों से सुपारी के मूल्यों में और गिरावट आई है।

मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सुपारी के आयात को रोकने के कुछ उपाय करे। सुपारी के आयात के संबंध में दी गयी शुल्क संबंधी छूट को वापिस ले और पड़ोसी राज्यों से सुपारी की तस्करी रोकने के कठोर उपाय करे।

[हिन्दी]

श्री ब्रज मोहन राम (पलामू) : सभापति जी, बिहार का पलामू

जिला सबसे पिछड़ा जिला है एवं उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित है। अफला स्थित सोनवैली पोर्टलैन्ड सीमेन्ट का कारखाना बन्द होने से हजारों लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो गये हैं । इस जिले में मात्र यही उद्योग था। इसे भी कम्पनी ने बंद कर दिया है। यहां के रॉ मैटीरियल को बऊलिया रोहतास जिले में ले जा रही है। यहां के सीमेन्ट कारखाने को बन्द करने के लिए यह कम्पनी की साजिश है। इसमें कार्यरत मजदूर व उनके परिवार पैसे के अभाव में भूख व बीमारी से मर रहे हैं। इन पर आर्थिक एवं मानसिक दोनों तरह की मार पड़ रही है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सीमेन्ट फैक्ट्री को खुलवाया जाये जिससे वहां कार्यरत मजदूरों को पुनः रोजगार मिल सके तथा उन्हें बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० दासमुंशी : मैं हावड़ा की एक घटना की ओर आपका तथा महान सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मुस्लिम, हरिजन दलित, राष्ट्र तथा संविधान से विशेष सहयोग की अपेक्षा करते हैं। 6 दिसम्बर को अयोध्या में हुई घटना के बाद हर स्थान पर अशान्ति फैली। किन्तु हावड़ा शहर में कोई अशान्ति नहीं हुई। जी.टी. रोड के ओर हिन्दु और मुसलमान साथ-साथ रहते हैं, किन्तु कोई झगड़ा नहीं हुआ।

दुर्भाग्यवश, अंतिम एक सप्ताह में एक गम्भीर घटना घटी। हिन्दुओं के साथ गरीब से गरीब मुसलमान जो तिकियापाड़ा और तिल्खाला झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित हैं, ने कन्धे से कन्धा मिलाकर कठिनाई की इस घड़ी में देश की रक्षा की। उन्होंने सरकार के आदेश पर प्रवर्तकों द्वारा बेईमानी से बनाये गए आश्रय स्थलों पर कब्जा करने का प्रयास किया। उस समय सरकार ने उन्हें नहीं रोका। जब वे सब लोग वहां बस गये तब सरकार ने अंतिम सप्ताह में आश्रय स्थलों को गिराने का कार्य शुरू किया। गर्भवती महिलाएं, महिलाएं, कर्मकार, मुस्लिम लड़कियां, लड़के, बच्चे तथा दलित इन झुग्गी-झोपड़ियों की सड़कों पर आ गये।

आपको इस बात की जानकारी होगी ही कि तिल्खाला झुग्गी-झोपड़ियों में 'सिटी आफ जॉय' फिल्म बनायी गयी थी। मेरे हस्तक्षेप करने पर इस कार्य को रोक दिया गया। दोबारा होली के बाद यह शुरू हो जायेगा तथा इससे संकट पैदा हो जायेगा। उन्होने संसद के समक्ष इस मुद्दे को लाने हेतु मुझसे कहा है। क्या धर्मनिरपेक्षता शब्द तक ही सीमित है ? झुग्गी-झोपड़ियों में गरीब से गरीब लोगों के लिए कोई उचित सुरक्षा नहीं है। उनके साथ सड़कों पर कसाइयों जैसा व्यवहार किया जाता है।

मैंने सरकार से अपील की थी, मैंने पुलिस से अपील की थी, कुछ नहीं हो सका। चूंकि यह अंतिम मंच है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार से आश्रय स्थलों को गिराने से पूर्व वह उन गरीब मुसलमानों और दलितों को सुरक्षा प्रदान करे, जो राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करने के लिए 6 दिसम्बर जो सबसे काला दिन था, आगे आये थे, को उनके घरों को गिराकर उन्हें सड़कों पर न फैंके। यही मेरा आग्रह है।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति जी, मेरा क्षेत्र मुर्शिदाबाद इंडो बंगलादेश के बार्डर पर है। यहां जितने भी झंझट हैं उसमें से एक बी.एस.एफ. का ट्रबल सबसे बड़ा है। मेरे इस एरिया से हर हफ्ते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कम से कम 10 से 12 हजार तक मवेशी स्मग रहे हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको रोकना चाहता है लेकिन बी.एस.एफ. की मदद से यह काम हो रहा है। बहुत दिन पहले इसे बंद करने के लिए बी.एस.एफ. के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। लेकिन नतीजा यहा हुआ कि पिछले रविवार 16 तारीख को बी.एस.एफ. कारपाड़ा कैम्प छोड़कर, 20 किलोमीटर अंदर आकर कुमारपुर गांव में फायरिंग शुरू कर दी। · ·*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या करना है, वह बताइये, भाषण मत दीजिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : कुमारपुर गांव में आकर पांच लोगों को गोलियों से मारा जिनमें एक आठ साल की बच्ची भी है जिसका नाम परवीन खातून है। गांव का बार्डर छोड़कर आठ किलोमीटर अंदर आकर गोली चलायी गई।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाये और इसके बाद जब हाउस बैठेगा तो पूरी रिपोर्ट यहां पेश की जाये। जो बेकसूर लोग मारे गये हैं, उनको दो लाख रुपये कम्पैनसेशन दिया जाये।

श्री पी० आर० दासमुंशी : सरकार को बयान देना चाहिए। · · ·*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सरकार की ओर से इसे कोई नोट कर रहा है ?

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं श्री दासमुंशी के साथ हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं उठाना चाहता लेकिन मारे गये लोग मुसलमान हैं, यह सच बात है। इसमें हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। बी.एस.एफ. का यह अत्याचार बार्डर के हर जगह हुआ।

श्री पी० आर० दासमुंशी : इसमें सरकार को कोई स्टैप लेना चाहिए। आप कुछ नहीं करते हैं। · ·*(व्यवधान)* श्री जैना को बयान देना चाहिए। क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र रांची की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रांची बिहार की मुख्य राजधानी है। वहां बिजली और पानी की बहुत दिक्कत हो गई है। लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ रहा है और 10-10, 12-12 घंटे तक बिजली बंद रहती है जिसके कारण बहुत से उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। वहां पर सरकार की तरफ से बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। रांची शहर की

12 लाख की आबादी है और वहां पानी का काफी अभाव है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां पानी और बिजली की समस्या से जो स्थिति बिगड़ी हुई है, उसे ठीक करे। लोगों को बिजली और पानी ठीक से मुहैया कराया जाये।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक–दिल्ली) : सभापति महोदय, दिल्ली रैंट एक्ट के अंदर जो अमैंडमैंट आने थे, उसके लिए सरकार ने कई बार वायदा किया है। दिल्ली वालों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। 90 प्रतिशत लोग यह चाहते हैं कि उस पर अमैंडमैंट आना चाहिए। सरकार ने भी कई बार वायदा किया, मंत्री जी ने भी इस हाउस में खड़े होकर यह कहा था कि हम इसमें अमैंडमैंट लाना चाहते हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उनकी खामोशी कब तक रहेगी। जो अमैंडमैंट आने हैं, वे क्यों नहीं लाये गये ? यह अमैंडमैंट लाये जाने चाहिए जिससे जनता को फायदा हो।

[अनुवाद]

श्री थाम्मीनेनी वीरभद्रम (खम्माम)* : सभापति महोदय, मैं इस महान सदन के ध्यान में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं। केवल कुछ मिनट पूर्व कर्नाटक के एक माननीय सदस्य ने तेलुगु गंगा पर तत्काल कार्य रोकने के बारे में कहा था। किंतु अब मैं अलमाटी परियोजना पर निर्माण कार्य तत्काल रोकने के लिए कह रहा हूं। इस महान सभा के किसी भी माननीय सदस्य को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हम सदस्य भिन्न-भिन्न राज्यों से आ रहे हैं जो अपने राज्यों से ही संबंधित मुद्दे इस सर्वोच्च मंच पर उठा रहे हैं। अलमाटी और तेलगु गंगा से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक समिति को भेजा गया है। इस समिति में पांच मुख्यमंत्री हैं। इस मुख्यमंत्रियों की समिति द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। अब, मैं विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट से कुछ वाक्यों का उल्लेख करना चाहता हूं।

> "कर्नाटक ने बताया है कि जब कर्नाटक राज्य को पूर्ण जलाशय स्तर से 524.256 मि.मी. प्लस जल स्कीम बी के अन्तर्गत मिलता है तो यह इस उपलब्ध जल का परिचालन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब स्कीम बी फलीभूत होती है, तो पोलावरम डिविजन के अन्तर्गत 23 टी एम सी तथा स्कीम बी से 165 टी एम सी जल का बड़ा भंडार उपलब्ध होगा।"

सभापति महोदय : आप शून्य काल में वक्तव्य नहीं दे सकते।

विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर अलमट्टी के कार्य को आगे बढ़ाने कि कतई आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। आंध्र प्रदेश विधान सभा ने अलमट्टी का निर्माण कार्य तत्काल रोकने का संकल्प सर्वसम्मति से पास किया है। अलमट्टी में निर्माण कार्य के लिये अब तक दी गईं सभी अनुमतियों को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि विशेषज्ञ समिति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को अलमट्टी में निर्माण कार्य रोकने हेतु तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय : सरकार इस पर ध्यान देगी। कृपया आप बैठ जाइये। मैं आपको अवसर दे चुका हूं। सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी : न्यायालय इस पर पहले ही अपना निर्णय दे चुका है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के किसानों की माली हालत को देखते हुए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निःशुल्क ट्यूबवैल के लिए विद्युतीकरण कर जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना में 10 लाख कुएं देने की योजना तथा अन्य योजनाओं में केन्द्र सरकार को राशि उपलब्ध कराकर प्रदेश के किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए उनको सिंचाई सुविधा प्राप्त करने के लिए उसे राशि उपलब्ध कराये, ताकि प्रदेश के किसानों की माली हालत सुधर सके। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्य की सरकारों को पूरी राशि उपलब्ध कराये ताकि इस राशि से प्रदेश के किसानों की माली हालत सुधर सके। इस पर शीघ्र ही कार्यवाही करे और राशि उपलब्ध कराये।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत महत्त्वपूर्ण इश्यू की ओर खींचना चाहता हूं। गेहूं के दाम जो पिछले कुछ महीनों में बढ़े, उसकी चर्चा देश भर में हुई। जिस तरह खाने वाला भी लूटा गया और कमाने वाला भी लूटा गया, इसका कारण है कि देश भर में वैल प्लेड एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है और सपोर्ट प्राइस उत्पादक के लिए और उद्योगपति के लिए फिक्स की जाती है। यहां क्या हुआ कि 380 रुपये में गेहूं खरीदा गया और देश भर में 800 रुपये प्रति क्विंटल बेचा गया। इससे कंज्यूमर भी मारा गया और किसान भी मारा गया। आज अखबारों में खबरें छप रही हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान एक किलो कनक भी किसी सरकारी एजेंसी को नहीं देंगे। वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बयान दिया है कि हम बाहर से कनक मंगा लेंगे। जो गेहूं बाहर से मंगाया, वह कनक स्टोर हो जाना है।

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जो विदेश के लोगों को पैसा देना चाहती है, क्या पंजाब और हरियाणा के किसानों को देने को तैयार है ? 100 रुपये प्रति क्विंटल अगर बोनस नहीं दिया गया, जिसका वायदा वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में किया है तो किसान सैंट्रल पूल में गेहूं नहीं देगा। मेरा निवेदन है कि सरकार इसके लिए जरूर कोशिश करे।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि होली के दो दिन बाकी हैं। राजस्थान में फूड कारपोरेशन द्वारा जो पंजाब से गेहूं खुले बाजार के लिए सप्लाई करना था, वह गेहूं

---

*मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

वहां पर नहीं पहुंच रहा है। आज गेहूं, मैदा और सूजी के दाम एकदम 100 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ गये हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान में गेहूं के दाम जो पिछले सप्ताह 700 रुपये प्रति क्विंटल थे, वे आज 850 रुपये प्रति क्विंटल हो गये हैं, मैदा भी 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई है, जबकि होली के पावन त्यौहार पर मैदा के भाव एकदम आकाश छू रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि कृपा करके राजस्थान के हिस्से का गेहूं, जो फूड कारपोरेशन के द्वारा पंजाब से राजस्थान को सप्लाई किया जाना था और जिसका नकद पांच करोड़ रुपया व्यापारियों से फूड कारपोरेशन ने वसूल कर लिया है, उसके बावजूद उनको गेहूं प्राप्त नहीं हो रहा है, कृपा करके खुले बाजार में होली के लिए गेहूं पंजाब से तुरन्त भिजवाया जाये। वरना राजस्थान में इस होली के पावन त्यौहार पर महंगाई की मार से उपभोक्ता परेशान हो जायेगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। जिन छात्रों ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की है, उनके फार्म कैंसिल किये जा रहे हैं, यद्यपि इन विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और डिप्लोमाओं को प्रत्येक दृष्टिकोण से बराबर की मान्यता प्राप्त है तथा मान्यता का महत्त्व देश के अन्य केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों की उपाधियों और डिप्लोमाओं के बराबर है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इग्नू की स्थापना की गई थी। इग्नू की समस्त डिग्री व डिप्लोमा देश के अन्य विश्वविद्यालयों के समतुल्य मान्यता रखती है। इस विषय में यू.जी.सी. का भी स्पष्ट आदेश है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी नोटिफिकेशन जारी करके बराबर की मान्यता दी है। यू.जी.सी. के इस निर्देश के बाद भी विडम्बना यह है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय इग्नू के प्राप्त उपाधिधारकों को परीक्षा में बैठने नहीं दे रहा है और उनके फार्म कैंसिल कर रहा है।

सभापति महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से निर्देश दिलवाना चाहता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें, इन बच्चों के, जिनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, उनके फार्म कैंसिल न किये जायें, इस बात का निर्देश दें ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलना चाहते हैं तो जल्दी बोलिये न।

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : सभापति जी, बिहार में अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को आठ माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जिसके कारण वे काफी दिक्कत में हैं। जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो अल्पसंख्यक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ।

सभापति महोदय : यह राज्य का विषय है, यहां नहीं उठा सकते।

श्री महावीर लाल विश्वकर्मा : यहां से सरकार देती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उन शिक्षकों को वेतन जल्द से जल्द दिया जाये।

[अनुवाद]

प्रो० जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले के मेकलीगंज क्षेत्र में जामौली उपमंडल में दूरभाष सेवा काफी समय से खराब है। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर बहुत से विद्यालय, कालेज, पंचायत कार्यालय और अन्य सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। अतः दूरभाषों को तत्काल ठीक किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि कूच बिहार जिले के मेकलीगंज क्षेत्र में जामौला उपमंडल में दूरभाष व्यवस्था ठीक की जा सके।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलंदशहर) : सभापति जी, मैं टेलीफोन विभाग में व्यापत भ्रष्टाचार, असंतोष और अस्त-व्यस्तता की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां तकरीबन सारे टेलीफोन खराब पड़े हैं। जनपद के बड़े-बड़े नगरों में टेलीफोन आठ-आठ दिन तक खराब रहते हैं। टेलीफोन की सुचारू व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां का व्यापार ठप्प पड़ा है। इसके अलावा पूरा टेलीफोन विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। फार्म के और डिमांड नोट के पैसे तक वसूल किये जाते हैं। फोन बुक कराने के लिए भी अलग से पैसे लेते हैं। सांसदों के कोटे से जो टेलीफोन मंजूर हो गये हैं, उनके लिए छः-छः महीने तक लाइनें नहीं डाली जातीं। विभाग के कर्मचारी इसके लिए भी उपभोक्ता से पैसे मांगते हैं। मेरा कहना है कि सरकार इस पर ध्यान देकर वहां की व्यवस्था को सुचारू बनाये।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : मैं संक्षेप में बोलूंगा।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में सुबानी रेखा बैरेल परियोजना की लागत का अनुमान वर्ष 1987 के मूल्य स्तर के आधार पर 216.65 करोड़ रुपये लगाया गया था। राज्य सरकार अपने सीमित स्रोतों से प्रत्येक वर्ष बहुत ही कम राशि खर्च कर रही है। इससे निर्माण के निर्धारित समय और लागत दोनों में वृद्धि हुई है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को कुछ वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करता हूं ताकि परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

डा० राम लखन सिंह (मुरेना) : मुरेना जिले में परसों वहां के दिमनी थाने के अन्तर्गत चन्देपुरा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति श्री कृष्ण सिंह तोमर की वहां के एस.पी. के निर्देशन में पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसी एस.पी. के निर्देश पर लाश को कुएं में फेंक दिया गया और आत्महत्या का केस बनाकर मामला रफा-दफा कर दिया। अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सभापति महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा० राम लखन सिंह : वहां इस प्रकार की कई मौतें हुई हैं।

मान लिया गया है कि मुरेना में सभी डाकू बसते हैं। इसी तरह से एक रिक्शा चालक कुशवा की मुरेना कोतवाली में और चेतन पंजाबी की मौत बामौर थाने में हुई है। वहां किसी को भी पकड़कर ऐसे मारते हैं, मानो वहां का रहने वाला हर व्यक्ति डाकू है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

सभापति महोदय : आप सरकार से क्या मांगते हैं ?

[अनुवाद]

यह कानून और व्यवस्था का मामला है जो राज्य सरकार का विषय है।

[हिन्दी]

डा० राम लखन सिंह : बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए केन्द्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और वहां की सरकार को कहे कि इस प्रकार के अधिकारियों को वापस बुलाए।

सभापति महोदय : अब आप बैठिये। डा. सत्यनारायण जटिया।

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, आयल सिलैक्शन बोर्ड ने मध्य प्रदेश के आलोट के बारे में जो निर्णय लिया है, उसका परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र के लिए गैस एजेंसी घोषित करने के बाद भी लोगों को कनैक्शन्स नहीं मिल रहे हैं। तराना मार्केटिंग प्लान में आने के बावजूद भी जो गैस एजेंसी खोली जानी चाहिए, वह नहीं खोली है। स्थिति यह है कि लाखों लोग एल.पी.जी. की प्रतीक्षा सूची में हैं, लेकिन गैस मिलने का कोई अवसर नहीं रह गया है। चार हजार रुपया देकर लोग गैस लेने वाले हैं। जब यह स्थिति है, तो जो लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके साथ न्याय होने वाला नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रतीक्षा सूची के पूरे हुए बगैर, आप इस प्रकार की कोई नीति न बनायें, जिससे उपभोक्ता को तकलीफ हो। मेरा यह भी निवेदन है कि आलोट और तराना में जिन गैस एजेंसीज को खोला जाना चाहिए था, उनको तुरन्त खोले जाने का निर्देश दें।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : सभापति महोदय, राजस्थान में चार करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। राजस्थानी भाषा का साहित्य बहुत ही प्रचण्ड है। कविताएं हैं, गद्य हैं लेकिन इस भाषा को संविधान के आठवें शैड्युल में मान्यता नहीं दी गई है। जब मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था, तो उस समय सदन में कहा गया था कि कुछ समय बाद राजस्थानी भाषा को भी आठवें शैड्युल में शामिल कर लेंगे। मेरी भारत सरकार से मांग है कि राजस्थानी भाषा को आठवें शैड्यूल में शामिल किया जाये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, भारतवर्ष में बिहार एक ऐसा राज्य है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में हैं और यहां कि कृषि बहुत ही उत्तम किस्म की है। उपजाऊ कृषि है। लेकिन यहां सिंचाई का प्रबन्ध न रहने के कारण यह क्षेत्र अलाभकारी होता जा रहा है। इसके चलते वहां जो नौजवान कृषक हैं, वे जमीन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। खेती करने की इच्छा उनकी मर रही है। वे राष्ट्रीय धारा से हटकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस वजह से वहां उग्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन लोगों ने वहां ऐसे पाकेट बना लिए हैं और समानान्तर सरकार चला रहे हैं। इस बात को वहां के डी.आई.जी. ने भी स्वीकार किया है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि वह पुनपुन मुरहर वर्षा योजना की तरफ ध्यान दे। यह योजना एक अरब रुपये से भी ज्यादा की योजना हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस योजना में अधिक से अधिक धन देकर योजना को चलाए।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : महोदय, सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया की दो इकाइयां मेरे क्षेत्र में हैं। इन दो इकाइयों में से एक इकाई बन्द है और दूसरी इकाई बिजली का कनैक्शन काट दिये जाने के कारण बंद है। पहले भी बंद हो चुकी है। कारण यह कि उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया है। अधिकारियों की लापरवाही है। कुप्रबंध है, इस वजह से वहां दो महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। मजदूरों में भयंकर असंतोष है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां पैसा उपलब्ध करायें, ताकि बिजली का कनैक्शन मिले और मजदूरों को वेतन मिले। साथ ही मजदूरों में व्यापत असंतोष दूर हो सके। मैं उद्योग मंत्री जी से निश्चित रूप से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बारे में तत्काल कार्यवाही करें, ताकि स्थिति विस्फोटक न बने।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार के टाल और दियारा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। टाल क्षेत्र के 1062 वर्ग किलेमीटर क्षेत्र में पांच महीने जल जमाव रहता है और एक फसल मुश्किल से हो पाती है। वहां के विकास के लिए डा० के० एल० राव के जमाने से टाल परियोजना की परिकल्पना की गई थी। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उस योजना पर अमल नहीं हुआ। हम आपसे मांग करेंगे कि टाल क्षेत्र की योजना में फसल को दोफसला करने के लिए नौवीं योजना में शामिल किया जाये। टाल क्षेत्र और दियारा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उन क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए उनको विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाये और जो अभी रामाश्रय प्रसाद बाबू ने कहा कि पुनपुन मुरहर वर्षा परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए भी उस योजना को नौवीं योजना में शामिल किया जाये तथा इसके लिए केन्द्र सरकार आवश्यक धनराशि का प्रबंध करे।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, हमारे डोडा जिले में लगभग दो सौ परिवार ऐसे हैं, जिन परिवारों के लोग उग्रवादियों की गोलियों से मारे गये। सरकार ने यह एनाउंस किया था कि जिन परिवारों के लोगों को उग्रवादी मारते हैं उनके परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जायेगी और एक लाख रुपया एक्सग्रेशिया ग्रांट दिया जायेगा। आज तक कम से कम दो सौ परिवार ऐसे हैं जिनको न तो एक्सग्रेशिया ग्रांट मिला है और न ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी मिली है। उसी जिले में सरकार ने विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई थीं, उन डिफेंस कमेटियों को 1500 रुपये प्रति कमेटी देने का वायदा किया था। पिछले तीन वर्षों से वे कमेटियां इतना काम कर रही हैं, जोकि वहां कि आर्मी और सी.आर.पी. के लोग भी नहीं कर पाये थे, परन्तु सरकार की तरफ से उनको किसी तरह की सहायता नहीं मिली है। मैं चाहूंगा कि उनको

तुरंत 1500 रुपये की सहायता दी जाये। वहां पर जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, तकरीबन चार लाख लोग दर-दर की ठोकरें खा रहें हैं, सरकार ने कहा था कि नयी सरकार बनने के बाद उनको वापस ले लिया जायेगा, परन्तु आज तक उनकी कोई योजना नहीं है। मैं चाहूंगा कि जब तक वे वापस नहीं जाते हैं तब तक उनको 3000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाये और राशन फ्री दिया जाये।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मसले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में हर साल पांच लाख लोग टी.बी. जैसे भयंकर रोग से मौत के शिकार हो जाते हैं और ऐसे रोगियों कि संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वेक्षण कराया, जिसके अनुसार इस समय देश में 1.4 करोड़ लोग टी.बी. जैसे रोग से पीड़ित हैं और पांच लाख आदमी हर साल अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं।

मान्यवर, केवल दिल्ली में ही दो लाख लोग सरकारी अस्पतालों में टी.बी. से ग्रसित पाये गये हैं और 12 लाख नये लोगों का टी.बी. से ग्रसित होने का सारे देश के अंदर पता लगा है, जिनकी 15 लाख तक पहुंचने की संभावना है। महोदय, पर्यावरण प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, एड्स का फैलाव, झुग्गी बस्तियों में गरीबी के कारण यह रोग तेजी से बढ़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार ने 1962 में जो राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल टी.बी. कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाये और अस्पतालों के अन्दर टी.बी. की दवाइयां और एक्सरे की मशीन उपलब्ध कराई जाये ताकि देश के लोगों का स्वास्थ्य सुधर सके।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, राजस्थान में एक सांभर लेक है वहां से आधे से ज्यादा हिन्दुस्तान में नमक सप्लाई किया जाता है। वहां पर विदेशी कंपनी का ठेका था, अब उसका ठेका समाप्त हो रहा है। राजस्थान सरकार को उससे उतना बिक्री कर प्राप्त नहीं होता है जितना होना चाहिए। इसलिए विदेशी कंपनी का ठेका समाप्त करके उसे राजस्थान सरकार को ही सौंप दे, इससे बिक्री कर की हानि नहीं होगी और देश को भी सुविधा होगी तथा वे सप्लाई भी कर सकेंगे। यह नमक का प्रश्न है, इसलिए सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि अलमाटी बांध की ऊंचाई के सम्बन्ध में एक अनौपचारिक समिति थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अनौपचारिक समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, एक गैर-सरकारी समिति थी और यह संयुक्त मोर्चा सरकार के दिमाग की अवैध उपज थी। इसे संयुक्त मोर्चा संचालन समिति और मुख्यमंत्रियों की उप-समिति द्वारा बनाया गया था। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह अलमाटी बांध के संबंध में दिमाग की अवैध उपज इस विशेषज्ञ समिति द्वारा दी रिपोर्ट पर ध्यान न दे। कर्नाटक सरकार को इस बांध की ऊंचाई 524.25 मीटर तक बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है। कर्नाटक सरकार ने यह शिकायत पहले ही दर्ज करा दी है कि आंध्र प्रदेश सरकार अधिशेष पानी का उपयोग कर रही है। कर्नाटक सरकार ने विशेषज्ञ समिति से यह शिकायत की है कि आंध्र प्रदेश सरकार तेलगू गंगा, श्रीसैलम लेफ्ट बैंक तथा राइट बैंक नहर, भीमा लिफ्ट इरीगेशन और पुलीचिन्ताला परियोजनाओं को जमा रखा है और वह अधिशेष जल का उपयोग कर रही है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं। आप वह बात कहिए।

श्री अनन्त कुमार : भारत सरकार को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनन्त कुमार : एक बात और है। यह अनुचित है और यह कर्नाटक राज्य के हितों के प्रतिकूल है।

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। आप जो बात कहना चाहते थे वह कह चुके हैं।

श्री अनन्त कुमार : आप मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : आप अपनी बात पहले ही कह चुके हैं।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलमाटी बांध पर सिविल कार्यों को जमा रखने के लिए कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार को इस रिपोर्ट की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। कर्नाटक सरकार के द्वारा बांध की ऊंचाई 524.25 मीटर तक बढ़ाना न्यायोचित है।

सभापति महोदय : यह सही बात नहीं है। आप अब बैठ जाइए।

श्री अनन्त कुमार : जी, महोदय।

श्री पी० सी० थामस (मुवतुपुजा) : सभापति महोदय, जहां तक कर्नाटक सरकार का संबंध है, यह अत्यन्त चिन्ता की बात है। हमारे राज्य में विद्युत की भारी कमी है। हम कुछ विद्युत परियोजनाओं की आशा कर रहे हैं जो निकट भविष्य में स्थापित की जाने वाली हैं। स्थापित की जाने वाली अनेक परियोजनाओं का ईंधन नाप्था है। भारत सरकार द्वारा नाप्था के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। हाल ही में केरल के लिए निर्धारित कोटे को कम कर दिया गया है। केरल के लिए पहले निर्धारित कोटा 660 मे.वा. विद्युत उत्पादन के लिए प्राप्त होता। अब इसमें कटौती कर दी गई है और राज्य को अब जो कोटा प्राप्त होगा उससे केवल 300 मे.वा. विद्युत का उत्पादन हो पायेगा। केरल राज्य के लिए यह अत्यन्त चिन्ता की बात है। वर्षा न होने के कारण जलविद्युत परियोजनाएं भी कार्य नहीं कर पाएंगी। माननीय मंत्री द्वारा सभा में कल दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार ये परियोजनाएं 9 जून के पश्चात् कार्य नहीं कर पाएंगी। इसलिए केरल में बिजली की भारी कमी हो जायेगी। मैं भारत सरकार से केरल को नाप्था के कोटे में बढ़ोतरी करने का पुरजोर आग्रह करता हूं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मुझे अभी-अभी सूचना प्राप्त हुई है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा काम्प्लेक्स की दूसरी तथा तीसरी यूनिटों में 0.3 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के अतिरिक्त आबंटन से इन्कार करने के कारण हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के नामरूप फर्टिलाइजर संयंत्र का संशोधित पैकेज खतरे में पड़ गया है। चूंकि इस संयंत्र में यूरिया के उत्पादन की लागत किसी अन्य संयंत्र में 7000 रुपये से 8000 रुपये तक की लागत की तुलना में केवल 3500 रुपये है तथा चूंकि बड़ी मात्रा में गैस व्यर्थ जाती है, इसलिए मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह नामरूप उर्वरक संयंत्र के लिए 0.3 मिलियन घन मीटर गैस की इस अतिरिक्त और थोड़ी मात्रा का आबंटन करे ताकि इस संयंत्र को बन्द होने से बचाया जा सके।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, माननीय विद्युत मंत्री ने दिनांक 4.9.1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 4200 के उत्तर में यह बताया कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 1993-94 में, 351 गांवों का तथा वर्ष 1994-95 में 310 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था और वर्ष 1995-96 में केवल 89 गांवों का ही विद्युतीकरण किया गया था।

सभापति महोदय : श्री हाराधन राय आपने यह मामला पहले भी उठाया था। कृपया संक्षेप में कहें। कृपया एक वाक्य में कहें।

श्री हाराधन राय : जी हां महोदय, मैं संक्षेप में कहूंगा।

लगभग 8,819 का अभी विद्युतीकरण किया जाना है जोकि मार्च 1996 के अन्त तक के आंकड़े हैं जबकि वर्ष 1995-96 में केवल 89 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। अतः मैं चाहता हूं कि भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय पर्याप्त निधियां निर्मुक्त करे ताकि 2000 ई. तक शेष गांवों जोकि लगभग 9,000 हैं, का विद्युतीकरण किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त निधियां निर्मुक्त की जाएं। मैं यही कहना चाहता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, पर्यावरण की रक्षा के लिए सारे देश में प्रयास चल रहे हैं और वे बहुत स्वागत योग्य हैं। इस पर्यावरण की रक्षा के प्रयास में हवा और ध्वनि का भी प्रदूषण रोकने की बात आती है। हम भी जानते हैं कि जब आवाज का प्रदूषण होता है तो किस प्रकार की तकलीफ होती है। सभापति महोदय, आपको भी इसका अनुभव है।

अभी-अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक इस प्रकार का बहुत लैंडमार्क जजमैंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि शाम को छः बजे से सुबह सात बजे तक किसी पब्लिक वर्शिप के प्लेस में कोई लाउडस्पीकर नहीं लगाएगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें रीलिजियस एस्पैक्ट न रखा जाए। इस बात को वहां के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने भी मान लिया है। वह रीलिजियस लीडर्स की मीटिंग बुला कर इस इश्यू को सॉर्ट आउट करेंगे।

मेरा केन्द्र सरकार के गृह मंत्री से निवेदन है कि वह भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और रीलिजियस लीडर्स की राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग बुला कर फैसला करें कि शाम को छः बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी कारण से वर्शिप की जगह पर लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो। इससे लोगों को राहत मिलेगी और ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकेगा। इस बारे में सरकार क्या करना चाहती है, वह इसके बारे में सदन में एक स्टेटमैंट दे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, हर सरकार को फाउंडेशन स्टोन रखने का लगा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 1995 में इसी प्रकार का एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया जिस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन की ब्रांच खोलना तय हुआ था लेकिन आज तक वहां कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। उसमें वीडियोग्राफी मैनेजमैंट और इस प्रकार के कम्यूनिकेशन के हिसाब से आवश्यक काम विकास सम्बन्धी होने थे। मेरा सरकार से निवेदन है कि 1995 में जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वह वहां कार्य प्रारम्भ करे, अगर वहां काम करने में कुछ कठिनाई हो तो वहीं पास में मेरा क्षेत्र इंदौर है, जोकि पूरी और अच्छी तरह से विकसित है, वहां हम उनकी सभी प्रकार से मदद करेंगे, वहां वह कार्य प्रारम्भ किया जाए।

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, असम में मेरे सीमावर्ती जिले करीमगंज में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। प्रतिदिन डकैती, लूटपाट, सरकारी और प्राइवेट बसों को लूटने तथा गायों और भैंसों की तस्करी अबाध रूप से चल रही है जैसे कि कोई प्रशासन ही नहीं है।

जिला पुलिस प्राधिकारी स्थिति से निपटने में बुरी तरह से निष्क्रिय हैं तथा सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस की नाक के नीचे डकैतियां होती हैं।

इस संबंध में सरकार की भूमिका को निष्क्रिय कह सकते हैं। अतः मैं गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को देखे तथा आवश्यक कदम तत्काल उठाये।

श्री वी० धनन्जय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ने कुछ बेईमान ऋण प्राप्तकर्ताओं को अवैध रूप से ऋण देकर विजया बैंक को 200 करोड़ रुपये से अधिक राशि की हानि पहुंचाने हेतु श्री सदानन्द सेठी और श्री शिवराम सेठी, दो पूर्व चेयरमैनों सहित बैंक के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू की है। इस वजह से ग्राहकों के दिमाग में बहुत डर है। विजया बैंक से धनराशि निकालने में तेजी आयी है। विजया बैंक के कर्मचारियों का मनोबल भी टूटा है।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि गलती करने वाले इन सभी कर्मचारियों के विरुद्ध बहुत कठोर कार्यवाही करनी चाहिए तथा समग्र धनराशि की वसूली की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि आज विजया बैंक की वित्तीय स्थिति खतरे में नहीं है। इसलिए, ग्राहकों के दिमाग से इस डर को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक अथवा सरकार से एक वक्तव्य दिलाया जाये कि विजया बैंक खतरे से बाहर है तथा बैंक को हुई धन संबंधी हानि की वसूली के लिए दो पूर्व-चेयरमैनों

सहित गलती करने वाले सभी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी (श्रीनगर) : महोदय, मिलिटैंसी की वजह से जम्मू-कश्मीर में बेकार नौजवानों की तालीम याफ्ता का इजाफा काफी हुआ है। उन्हें वहां कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। वे रोजगार के लिए परेशान है। मैं मरकजी हुकूमत से मांग करता हूं कि वहां मरकजी महकमें हैं, उनको इलम-व-अलूम हैं। उन्हें रोजगार मुहैय्या करके, उनकी बेकारी को दूर किया जाए।

***श्री के० एच० मुनियप्पा** (कोलार) : सभापति महोदय, कर्नाटक राज्य के समग्र कोलार जिले में पेयजल की भारी कमी है। पशुओं के लिए भी जल नहीं है। भूजल स्तर 500 से 600 फुट तक नीचे गिर गया है। भूजल में फ्लूराइड विद्यमान है तथा इससे दांतों और हड्डी की बीमारी होती है। सरकार के लिए पहला कदम भूजल के स्तर को कम से कम 100 फुट के स्तर तक लाना है। यह जिले में टैंको से गाद निकालकर किया जा सकता है जिसके भूजल स्तर पर अनुमूल प्रभाव पड़ेगा। तत्पश्चात् लोगों को आपूर्ति किए जाने से पूर्व जल शुद्ध करना होगा। इस संबंध में सिद्धलाघट्टा तालुक में मेटूर और कोलार तालुक में चत्रा कोदाहल्ली नामक दो स्थान पर प्रयोग किया गया था। इसमें बडी सफलता प्राप्त हुई थी। वहां पर जल 100 फुट भूस्तर पर उपलब्ध है।

उपायुक्त, श्री संजय दास गुप्ता ने कोलार जिले में टैंको की गाद निकालने की तत्काल आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकार को एक विस्तृत परियोजना भेजी है।

राज्य इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं करा सकता है तथा सूखे की स्थिति गम्भीर होती जा रही है। किसानों और पशुओं को बचाना होगा तथा लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना होगा।

अतः मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि वह समग्र कोलार जिले में सभी तीन हजार टैंकों की गाद निकालने के कार्य को शुरु करने हेतु जिला प्राधिकारियों को लगभग 500 करोड़ रुपये तत्काल निर्मुक्त करे।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति महोदय, यहां पर सूती मिलों की समस्याओं के बारे में अनेक बार आवाज उठाई जाती रही है। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से अनेक बार इस विषय को उठाया है। उत्तर प्रदेश में 11 कताई सूती मिलें हैं जिनमें से पांच कानपुर में स्थित हैं। इसके लिये सरकार आधुनिकीकरण करने के बाद उनका उद्धार करने के लिये एक योजना लाई थी तथा इसके लिये 2005 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था लेकिन वे मिलें आज तक चालू नहीं हुई। श्रमिकों को वेतन भी समय पर नहीं मिलता। कानपुर की पांच मिलों में से दो मिलें—लक्ष्मीरतन काटन मिल और मयूर काटन मिल अच्छी हालत में हैं इनके पास मशीनें भी हैं तथा जैनेरेटिंग सैट्स भी हैं। इसलिये इनको तो अधिक आवश्यकता नहीं है। इनके पास जमीन भी है। मयूर मिल के पास 16 एकड, आर्थर्टन मिल के पास 19 एकड और लक्ष्मीरतन मिल के पास 5 एकड जमीन है। यह प्राईम लैंड है। इसको बेचकर इनका पुनरुद्धार किया जा सकता है। वहां के श्रमिकों को 1991 से पी.एफ. और इ.एस.आई. का 27 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं हुआ है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इन मिलों का आधुनिकीकरण करके चलाये और श्रमिकों का पी.एफ. तथा इ.एस.आई. का 27 करोड़ रुपये का भुगतान अविलम्ब कराये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सुबह जो लिफाफा हमें घर मिला, उसमें एक बिल 'अक्वा कल्चर' सरकुलेट हुआ है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ था जिसे 31 मार्च से पहले अमल में लाना है और मुझे लगता है कि सरकार उसको करने का इरादा नहीं रखती है। इसमें जो छोटे मछुआरे और समुद्र के किनारे काम करते हैं

सभापति महोदय : यह तय हो चुका है कि अगर साढ़े तीन बजे के अन्दर आता है तो लेंगे

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह आएगा नहीं।

सभापति महोदय : अगर नहीं आएगा तो 6 बजे के बाद लेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं, 6 बजे के बाद इस प्रकार के कानून को नहीं लाना चाहिए। हम उस कानून के बिलकुल विरोधी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल में लाना चाहिए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि हम जब छुट्टी पर जाएं और फिर आर्डिनेंस तत्काल लाने का काम करें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिल्हौर, कानपुर देहात में आलू का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है लेकिन कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है। किसानों पर लाठी-चार्ज हुआ है और गोलियां चली हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार आलू की खरीद प्रारम्भ करे और कोल्ड स्टोरेज में भंडारण को प्राथमिकता दे। साथ ही मेरे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करे ताकि किसानों का उद्धार हो सके।

[अनुवाद]

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एन एस सी एन (1) तथा उल्फा, यू एन एल एफ, ए टी टी एफ, एन एल एफ टी आदि जैसे अन्य आतंकवादी दल बंगलादेश और म्यानमार में प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। एन एस सी एन (खपलांग) को म्यांमार में प्रशिक्षण मिल रहा है। एन एस सी एन (1) के शीर्षस्थ नेता श्री मौयहा काफी समय से थाइलैंड में रह रहे हैं। वे त्रिपुरा, असम और मेघालय में भारत-बंगलादेश और मणिपुर और मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से अस्त्रों की तस्करी कर रहें हैं। उग्रवादी दलों ने चटगांव पत्तन प्राधिकारी को यह चेतावनी दी है कि यदि उन्हें

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वे चटगांव पत्तन को विस्फोटकों से उड़ा देंगे। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को थाईलैंड, बंगलादेश और म्यानमार सरकार के साथ उठाए ताकि विद्रोह संबंधी समस्याओं से संयुक्त रूप से निपटा जा सके।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सैंट्रल कोल फील्ड लि. के अन्तर्गत कठारा ऐरिया में कैप्टिव पॉवर प्लांट को चालू करने की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पॉवर प्लांट पिछले 17 साल से बन रहा है जिस पर करीब 84 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और डी.वी.सी. की नैग्लीजेंस के कारण अभी तक चालू नहीं हो सका है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इसे अविलम्ब चालू कराए।

श्री रामचन्द्र वीरप्पा (बीदर) : सभापति महोदय, स्वतंत्रता के पचास वर्षों बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों की लाइन खत्म नहीं हो रही है। उन लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। उन लोगों को देहातों में मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उनके बारे में जल्दी फैसला करे।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी गो-कुशी हमारे देश में चल रही है। गो-कुशी बंद होनी चाहिए।

श्री आर० एल० पी० वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार के 350 महाविद्यालयों के शिक्षक भूखे-नंगे हैं। कई बार उन पर लाठी-प्रहार हुआ है और उन्होंने यहां नंगा प्रदर्शन किया है। उस पर भारत सरकार विचार करे कि 350 महाविद्यालयों के शिक्षक जो 15-16 वर्षों से भूखे-नंगे हैं, उनको अनुदान देकर सहायता प्रदान करे।

श्री आनंद मोहन (शिवहर) : मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान रीगा चीनी मिल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वहां मिल की मनमानी चरमोत्कर्ष पर है। जनवरी-फरवरी में किसानों ने जो गन्ना दिया है, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। अपनी मिल से उत्पादित माल जैसे खाद वगैरह की कीमत उन्होंने 10 प्रतिशत बढ़ा दी है, लेकिन गन्ना किसानों का जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है, उससे पांच-सात रुपये कम अभी तक दिए जा रहे हैं और वह भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। नाप-तोल में भी गड़बड़ी की जा रही है। पर्ची के बंटवारे में भी गड़बड़ी की जा रही है, धांधलियां की जा रही हैं। लगातार उस मिल पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है।

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, पूरे देश में परीक्षाओं के दिन हैं। पूरे भारतवर्ष के स्टूडेन्ट्स पढ़-लिखकर इन दिनों में परीक्षाएं देने का प्रयास करते हैं लेकिन बिहार में खासकर यह हो रहा है कि परीक्षाओं के बाद उनके परिणाम छः महीने तक नहीं निकलते। उसकी वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि दो महीने में रिजल्ट निकाले जाएं।

सभापति महोदय : यह राज्य सरकार का मामला है, आप यहां क्यों उठा रहे हैं ?

श्री नीतीश भारद्वाज : राज्य सरकार के सामने जब भी बात रखी जाती है तो वह उस पर कोई निर्णय नहीं करती है।

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र राबर्ट्सगंज की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पूरा इलाका अशिक्षित है और किसान अपनी खेती के लिए सिर्फ वर्षा पर आधारित है। धान की फसल के लिए दोबारा पानी नहीं मिला और सारी फसल चौपट हो गयी। वहां का मजदूर और किसान भुखमरी के कगार पर है। भारत सरकार से निवेदन है कि तत्काल राहत कार्य प्रारंभ कराकर वहां के किसानों को राहत दिलाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला यहां उठाना चाहता हूं। हमारे यहां बंगलादेश से गंगाजल के संबंध में जो समझौता हुआ है, उसमें 1988 को आधार माना गया है। 1988 के बाद पूरे राज्य की विभिन्न नदियों का पानी जो गंगा में आता है, आज 1997 में जल बहुत कम हो गया है।

सभापति महोदय : भारत सरकार को क्या करना चाहिए, आप वह कहें।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : भारत सरकार से हम चाहते हैं कि जल का जो निर्धारण बिहार की गंगा नदी में हुआ है और उसका आधार 1998 को माना गया है, उसका आधार 1997 को माना जाए।

[अनुवाद]

श्री एन० के० प्रेम चन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, नवंबर, 1996 में, केरल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए व्यापक आवास योजना अभियान चलाया है। यह मैत्रेयी आवास योजना कहलाती है। माननीय प्रधानमंत्री ने केरल का दौरा किया था तथा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उन्होंने ऋण के रूप में 90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी किया है। अभी तक 9 प्रतिशत ब्याज पर 17.95 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार से अनुरोध है कि वह शेष राशि निर्मुक्त करें।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जिला नाहन में एक ट्रांसगिरी इलाका है जो उत्तर प्रदेश की हद से लगता है। वहां पर हाटीसभा के नाम से एक एजीटेशन हो रहा है और उनकी मांग यह है कि उनको जनजातीय क्षेत्र में घोषित किया जाए। महोदय, उनकी यह मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया है और मैं आशा करता हूं कि उनको जनजातीय क्षेत्र मानने की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

[अनुवाद]

***श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा** (दावणगेरे) : सभापति महोदय, कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में वर्षा नहीं हुई है और वहां सूखा पड़ा है। इस क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।

अतः तुंग लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू करने का उचित समय है। वास्तव में इस महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू करने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस परियोजना को बिना और देरी के शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि पूरा चित्रकूट जिला सूखा प्रभावित है।

अतः मैं भारत सरकार से कर्नाटक में तुंग सिंचाई योजना हेतु पर्याप्त राशि देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, हमारे मुम्बई शहर में मेरे क्षेत्र में एक सिंधिया वर्कशॉप है उसमें मजदूरों को 111 महीनों से वेतन नहीं मिला है। मैं इस संबंध में फाइनेंस मिनिस्टर से भी कई बार मिल चुका हूं। उस वर्कशाप के कुछ मजदूर 1991 तक वी.आर.एस. के अन्तर्गत चले गए हैं। लेकिन वहां पर कुछ मजदूर थे जिनको 1990 तक का वेतन दे दिया गया। लेकिन अब 1997 है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बाकी लोगों को 1997 तक का वेतन दिलाने की कृपा करें।

अपराह्न 1.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.22 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.22 बजे पुनः समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

विशेषाधिकार समिति को भेजे गए विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दिए गए प्रिवलेज के मोशन पर अभी रूलिंग मिलने वाली थी, ऐसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे जानकारी मिली है कि जो आपने प्रिवलेज मोशन दिया है,

[अनुवाद]

इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब विशेषाधिकार समिति को यह रेफर हो गया है, तो उस मामले की जानकारी सबको मिलनी चाहिए कि आखिर यह मामला किस बारे में था और इनका नोटिस क्या था।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रो. वर्मा आप अपने नोटिस के बारे में बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए।

प्रो० रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वह सिर्फ मेरे ही अधिकार का मामला नहीं है बल्कि वह इस सदन के सभी सदस्यों के अधिकार का मामला है। इसलिए मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहती हूं ताकि सदन के सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल देश में जो एक प्राइवेटाइजेशन की लहर चल पड़ी है और पब्लिक सैक्टर को जिस तरह बंद किया जा रहा है उससे हम सभी सदस्यों के सामने एक समस्या खड़ी हो गयी है कि अपने क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के बंद होने से या उनके सिक होने से, जो इफैक्टेड लोग हैं, उनके हितों की किस तरह से रक्षा करें। यह सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ प्रिविलेज की बात बता दीजिए।

प्रो० रीता वर्मा : मैं वही बता रही हूं। संक्षिप्त में मैं उसे पढ़ देती हूं। मेरा नोटिस चार पाइंट पर था। वे चार पाइंट इस प्रकार हैं–

[अनुवाद]

1. "कि मुझे एक संसद सदस्य के रूप में उचित कर्त्तव्यों का पालन करने से रोका गया था;
2. कि मुझे गालियां दीं, शारीरिक यातना दी और बहुत घोर दुर्व्यवहार किया गया;
3. कि मुझे गिरफ्तार किया गया और कानून तथा व्यवस्था भंग करने के अपराध में जेल भेजा गया;
4. कि मुझे पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से रोका और उसे स्वीकार करने से मना कर दिया।"

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि मेरा आंदोलन तो एक सिक पब्लिक सैक्टर हिन्दुस्तान स्टील *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रिविलेज मोशन का जो रेलीवेंट पोर्शन है, उसे पढ़ दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पढ़ लिया है तो ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी लोगों को तो समझ में ही नहीं लिया।

(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : उपाध्यक्ष जी, आप मुझे दो मिनट बोलने का समय दीजिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब यह रैफर कर दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : मैं सिर्फ एक मिनट चाहूंगी। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने इसको रैफर कर दिया है। अब और कोई डिस्कशन नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : मैं एक लाइन में बताना चाहती हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इतना हो गया और क्या कहेंगी।

(व्यवधान)

प्रो० रीता वर्मा : मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में बेरोजगार होने वाले मजदूरों के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की मुझे यह सजा मिली कि मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे थप्पड़ों से मारा गया, मेरी साड़ी खींची गयी और मुझे पीटकर जेल में बंद कर दिया गया। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह रैफर हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगुसराय) : जब नोटिस को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है, तो इसका और आगे स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है ? वह ऐसा कैसे कर सकती है ?

अपराह्न 2.30 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पान उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के पाली क्षेत्र में पान की खेती होती है। पान की खेती के उत्पादन में लागत अधिक होती है। गत तीन वर्षों से पान की खेती में कीड़ा लग जाने के कारण लगातार उत्पादन समाप्त होता जा रहा है जिससे पान की खेती करने वाले किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। कृषक तीन वर्षों से लगातार क्षति से भुखमरी की स्थिति में हैं। मेरे द्वारा पूर्व में भी कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था। कृषि अनुसंधान जबलपुर मध्य प्रदेश के विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच भी की गयी है परन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का इस संबंध में एक छोटा-सा कार्यालय खुला है परन्तु पान की खेती पर कीड़ों के प्रभाव पर उक्त केन्द्र किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है।

मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संबंध में उचित कदम उठाएं। कृषकों को उचित अनुदान दिलाएं, कीटनाशकों को उपलब्ध कराएं, बैंक से कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें जिससे पान की खेती करने वाले कृषकों के जीवन में खुशहाली आ सके।

(दो) उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज में जिन लोगों की भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की गयी है, उनको पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र 53 राबर्ट्सगंज की ओर दिलाना चाहूंगा, जहां अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। सोनभद्र जनपद में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्र की तमाम परियोजनाएं चलायी जा रही हैं। किन्तु वहां के मूल भू-स्वामियों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला तथा परियोजनाओं में उन्हें नौकरी नहीं मिली।

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि सर्वेक्षण कराकर वहां के भू-स्वामियों को उचित मुआवजा तथा रोजी-रोटी हेतु परियोजनाओं में समायोजित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(तीन) आंध्र प्रदेश की पोचमपड चरण-दो सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भूमा नागी रेड्डी (नान्दयाल) : मैं इस गरिमामय सदन के ध्यानार्थ नालगोंडा जिले में आंध्र प्रदेश की पोचमपड चरण-दो सिंचाई परियोजना (श्रीराम सागर परियोजना) मुद्दे को लाना चाहता हूं। इससे लगभग 2.75 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। यह बहुत समय से लंबित है और अभी हाल ही में ठीक संसद के चुनावों से पहले, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस वादे के साथ 6.3.97 को आधारशिला रखी थी कि इसे तत्काल शुरू किया जाएगा। यह कहा गया था कि इस परियोजना हेतु विश्व बैंक से 63 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर ली गयी है। आधारशिला रखे हुए पहले ही एक वर्ष हो गया है, किन्तु कोई महत्वपूर्ण कार्य अभी तक नहीं हुआ है।

इसी तरह एस. एल. बी. सी. परियोजना को भी पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जिसके लिए जनता और किसान वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं।

आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि हेतु आवश्यक सहायता देने का अनुरोध करता हूं।

(चार) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम को अर्थक्षम बनाने के लिए अपतटीय प्लेटफार्मों के निष्पादन का कार्य उसे सौंपे जाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम को अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : अग्रणी शिप बिल्डिंग यार्ड हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम ने अपतट क्षेत्र में और प्राकृतिक गैस निगम की सक्रिय भागीदारी से अपनी गतिविधियों को बढ़ा लिया है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने 1989 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा सौंपे गए कतिपय प्लेटफार्मों का कार्य किया है। बाद में शिपयार्ड को कोई कार्य नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरी शिपयार्ड बेकार है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने मैसर्स मैजगन डॉक्स लिमिटेड, मुम्बई को मनोनयन आधार पर दो प्लेटफार्म बनाने का कार्य सौंपा था। एक बी-55 प्लेटफार्म जिसका कार्य हिन्दुस्तान शिपयार्ड को दिया जाना था, प्रारम्भ में आई. सी. बी. आधार पर दिया गया था। हिन्दुस्तान शिपयार्ड की दर सबसे कम थी, किन्तु उसे मैसर्स मैजगैस लिमिटेड, मुम्बई द्वारा अलग से की गई छूट की पेशकश के आधार पर मै. मेजगौनर डॉक्स लि. को देकर, उन्हें इससे वंचित कर दिया गया। इस प्रकार तेल और प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के दावे की उपेक्षा करना चिंता का विषय है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम को हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों पर विचार करना चाहिए। इससे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. के व्यवहार्य बनने में काफी सहायता मिलती।

यह जानी-मानी बात है कि केन्द्र और राज्य दोनों हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का पुनर्गठन करने और इसे जीवनक्षम शिपयार्ड बनाने हेतु विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं। यह जीवनक्षमता बहुत कुछ अपतट गतिविधियों पर निर्भर करती है, इसके न होने से यार्ड को जीवनक्षम बनाना कठिन हो जाएगा।

अतः मैं पैट्रोलियम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित अधिकारियों को अनुदेश दें कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भी तत्काल प्लेटफार्म बनाने का कार्य दिया जाए।

(पांच) बिहार में पटना में दूरदर्शन केन्द्र को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पटना में एक दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन हुआ था किन्तु आज तक उसको चालू नहीं किया गया क्योंकि वहां पर समुचित स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस केन्द्र में 42 करोड़ के उपकरण लगे हैं किन्तु इसको चालू नहीं किया जा सका। जो उपकरण लगे हैं उन पर जंग लग रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस दूरदर्शन केन्द्र को चालू होने में हुई देरी के कारण की जांच की जाए तथा इसे शीघ्र ही शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

(छः) तटवर्ती सिद्धान्तों के आधार पर पंजाब को नदी जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : पंजाब मूलतः कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के लिए अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती है, दुर्भाग्य से पंजाब को इसकी नदियों के जल का पूरा उपयोग करने से मना कर दिया गया है और नहरों के जल से केवल एक-तिहाई भूमि ही सिंचित होती है। इसलिए राज्य में सीमित क्षेत्र के भीतर लगभग नौ लाख ट्यूबवैल लगाए गए हैं। इस भूमिगत जल की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव पड़ा है और भूमिगत जल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। पंजाब में बहने वाली नदियों का पूरा पानी पंजाब को रिपेरियन आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसा कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में है, ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु नहरों के द्वारा अधिक भूमि की सिंचाई की जा सके। मैं इस संबंध में केन्द्र सरकार से आवश्यक कदम उठाए जाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) असम में नदियों से गाद निकलने के लिए विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता

डा० अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, असम का मैदानी इलाका पूर्वोत्तर की पहाड़ी तराई से घिरा हुआ है और वहां कटाव होता रहता है, वर्षा के मौसम में बाढ़ आती रहती है। वनों की निरर्थक कटाई और झूम कृषि सहित अन्य कार्यकलापों के कारण ब्रह्मपुत्र बेसिन की लगभग सभी नदियों में जिसमें 48 सहायक नदियां हैं, में गाद बैठ जाती है जिससे नदी के पाट उथले हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप भूमि कटाव तथा बाढ़ भी आती है, छोटे-छोटे द्वीप बन जाते हैं और नदी का बहाव मुड़ जाता है। बहुत से क्षेत्रों में यह अनुपजाऊ गाद कृषि भूमि पर पांच फुट तक बिछ गई है, जिससे भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है। कतिपय क्षेत्रों में गाद बैठने से ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई बढ़कर 15 किलोमीटर हो गई है।

पिछले दो दशकों के दौरान नदी द्वीप मजूली सहित 10 हजार गांव जोकि असम की कुल उर्वरक कृषि भूमि का दस प्रतिशत हैं, नदियों की लपेट में आ गए। प्रत्येक वर्ष सड़क और रेल संचार के अस्त-व्यस्त होने के साथ-साथ जान और सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान होता है। पिछले वर्ष भारी नुकसान हुआ, सड़क यातायात में रुकावट और पुल टूट गए, जिन्हें वित्तीय कमी के कारण अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। यह जोनाई, धीमाजी, मजूली, लखीमपुर, सोडिया, झाबुआ, धकुआखाना और नौबोइचा में हुआ है, जो मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है।

अतः मैं जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह नदियों से निष्कर्षण द्वारा गाद निकालने हेतु विशेष योजना बनाए और

वर्षा का मौसम शुरू होने से पहले बांधों और सड़क यातायात की रक्षा हेतु तत्काल अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को भी दूरसंवेदी उपकरण और गाद निकालने के उपायों द्वारा स्थिति से निपटने के लिए मास्टर योजना तैयार करने के लिए विशेषरूप से कहा जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पेयजल की भारी कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का अधिकांश भाग पठारी, पहाड़ी, ऊंची-नीची, ऊबड़-खाबड़ भूमि से घिरा हुआ है। कंकरीली-पथरीली और असमतल भूमि होने, वर्षा कम होने के कारण कुंओं का खोदना और पेयजल प्राप्त करना दुष्कर कार्य है, क्योंकि पेयजल डेढ़ सौ, दो सौ फुट गहराई में मिलता है। छोटे-छोटे तालाबों, नदी-नालों का गंदा पानी भी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनमें जो थोड़ा बरसाती पानी एकत्र हुआ है, उसे सूखा पीड़ित किसानों ने पम्प सैट के द्वारा सिंचाई के कार्य में प्रयोग कर लिया है। लाखों लोगों के सामने शुद्ध व स्वच्छ पेयजल की भीषण कमी की समस्या अभी से उपस्थित हो गई है, जो गर्मी के दिनों में और अधिक भीषण रूप धारण करने वाली है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि पेयजल के भीषण अभाव की समस्या हल करने हेतु शासन द्वारा अभी से बिना देरी किए तत्काल कदम उठाए जाएं और लोगों को भीषण गर्मी के दिनों में प्यासा मरने से बचाया जाए, पेयजल की लम्बित योजनाओं में धन का अभाव दूर किया जाए, हैंडपम्प खोदने की पुरानी रिंग मशीनें निष्प्रयोजन घोषित की जाएं और नई अधिक क्षमता वाली रिंग मशीनें खरीदकर अधिक से अधिक संख्या में हैंडपम्प लगाए जाएं। पेयजल की समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जिला क्षेत्रीय विकास अभिकरण बांदा के लिए सीधे पांच करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए जाएं ताकि समस्या का निदान हो सके।

(नौ) उत्तर प्रदेश में विशेषरूप से कानपुर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (यू. पी.) लिमिटेड के नियंत्रणाधीन 11 मिलें हैं जिनमें पांच कानपुर में ही स्थित हैं तथा शेष राज्य के अन्य भागों में हैं। इनको रुग्ण एककों के रूप में लिया गया था और निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से एसटीयूएनए द्वारा 1974 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था।

बजटीय कटौती और अब 'ग' श्रेणी के अन्तर्गत घोषित कर दिए जाने के कारण उनकी उत्पादन गतिविधियां सितम्बर, 1991 से ठप्प हो गई हैं। इन मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत एन आई टी आर ए द्वारा 1993 में उत्पादन योजना तैयार की गई थी। सहायक मिलों को हुई संचित हानि के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भी लिखा गया था जिसने राय दी थी कि जब तक संचित हानियों को इक्विटी में नहीं बदला जाता या माफ नहीं किया जाता, निर्धारित अवधि के भीतर सहायक मिलों का निवल मूल्य (नेट वर्क) सकारात्मक नहीं हो सकता। मैं रुग्ण मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु तत्काल कदम उठाने का सरकार से आग्रह करता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मुझे नियम 377 के अधीन मामला उठाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अतिरिक्त वक्ता के रूप में अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या विषय है ?

श्री राम नाईक : आई. एन. एस. के विक्रांत को म्युजियम में रखने के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उपाध्यक्ष जी, मेरा भी स्टेंडबाई में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे भी मौका दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं उनको अध्यक्ष महोदय ने कहा था इसलिए मैं केवल उनको ही एलाऊ कर रहा हूं।

(दस) देशभक्ति तथा राष्ट्रीयतावाद के प्रतीक के रूप में आई.एन.एस. विक्रांत का परिरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : भारतीय नौसेना के एक विशाल एवं पुराने जहाज आई. एन. एस. विक्रांत को 35 वर्षों की विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के पश्चात 31 जनवरी, 1997 को भारतीय नौसेना से हटा दिया गया।

विक्रांत राष्ट्र का गौरव रहा है, उसका नाम भारत के नौवहन का पर्याय है। वास्तव में, इसने स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत के नौवाहकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित तथा तैयार किया है।

वर्ष 1971 के युद्ध, जिसे अनेक व्यक्तियों ने लड़ाई के इतिहास में चौदह अत्यन्त महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना, में विजयी बनाने के पश्चात अब विक्रांत शिप-ब्रेकर यार्ड में रहेगा।

भारत की नौवहन श्रेष्ठता का एक गौरवशाली प्रतीक बड़ी बेतकल्लुफी से नष्ट कर दिया जाएगा और कूड़े के भाव बेच दिया जाएगा।

भारत के दो प्रसिद्ध युद्धपोतों, आई एन एस दिल्ली और आई एन एस मैसूर को उनके हटाने के बाद पहले ही नष्ट कर दिया गया है। यदि आई एन एस विक्रान्त को बचाने के लिए त्वरित कदम नहीं उठाए जाएंगे तो वही हाल इसका भी होगा।

कोई भी भारतीय विक्रान्त को कभी नहीं भूल सकता और इसे युवकों तथा वृद्धों का एक समान प्यार मिला है। आज के समय

में, जब हम किसी विशेष मुद्दे पर कम ही सहमत होते हैं, विक्रान्त एक ऐसा सच्चा प्रतीक है जिसे प्रत्येक भारतीय प्यार करता है और सच्चे मन से सहमत है कि उसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में विक्रान्त का देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में परिरक्षण किया जा सकता है।

मैं सरकार से जनता की राय तथा पूरे देश के लाभों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में विक्रान्त को परिरक्षण करने का आग्रह करता हूं।

अपराह्न 02.42 बजे

पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 1) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र में सरकार कई अध्यादेशों के स्थान पर बिल लाई है। पिछले सत्र और इस सत्र की अवधि के बीच अनेक अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं। जितने भी अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं उनमें एक ही बात रखी गई है। यह अध्यादेश जो अभी विधेयक के रूप में हमारे सामने विचाराधीन है इसमें भी यही कहा गया है कि इस समय संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति जी संतुष्ट हैं कि इसकी जरूरत है इसलिए आर्डिनेंस लाया जा रहा है। इसके अलावा और कोई बात नहीं कही जा रही है। क्या जरूरत है आर्डिनेंस लाने की ? 9 जनवरी को यह आर्डिनेंस लाया गया। 9 जनवरी से लेकर आज तक इन्होंने क्या पहाड़ ढहा दिया ? संसदीय लोकतंत्र में संसद का यह अधिकार है कि वह कानून बनाए। सरकार विधेयक लाती है और संसद उस पर विचार करके उसे कानून बनाती है। लेकिन इस अधिकार को ये रोकते हैं और पिछले दरवाजे से देश पर कानून थोपना चाहते हैं।

संसदीय स्थाई समितियां चौथे वर्ष में प्रवेश कर गई हैं। राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष, जब भी कोई बिल आता है तो उसे इन समितियों के सुपुर्द कर सकते हैं। उन पर विस्तृत चर्चा होती है। हर बिल पर चर्चा होती है और बिल को बेहतर बनाकर संसद को रिपोर्ट दी जाती है। उसी पृष्ठभूमि में संसद उस विधेयक पर विचार करती है।

स्टैंडिंग कमेटी में न जा पाए, तो स्पीकर साहब को अधिकार प्राप्त है या राज्य सभा के सभापति को अधिकार प्राप्त है कि वे जिस विधेयक को मुनासिब समझेंगे, उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज देंगे। उनके अधिकार को कटौती, संसदीय समिति के अधिकार को कटौती, यानि संसद को बाईपास करने की सरकार की मनोवृत्ति है। अभी जो राज्य सभा में चर्चा हुई है, उसमें सरकार एक क्षण के लिए भी संतुष्ट नहीं कर पाई है कि यह अध्यादेश क्यों जारी किया गया है। सरकार ने अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया और अध्यादेश को विधेयक के रूप में सरकार सदन में ले आई है। राज्य सभा में चर्चा करा कर, अब इस सदन में चर्चा करने के लिए ले आई है। राज्य सभा में इस विधेयक पर कोई खास चर्चा नहीं हुई है। मैं दूसरे सदन के बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। वास्तव में वहां कोई चर्चा नहीं हुई है। इस सदन में भी आपने एक घन्टे का समय निर्धारित कर दिया, लेकिन हो क्या रहा है। स्थिति यह है कि हम तमाम पोर्ट्स खोलते जा रहे हैं। दुनिया में से कोई आदमी आएगा और पोर्ट में पैसा लगाएगा। जब यह होगा, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होगा ? अध्यादेश तो इन्होंने जारी कर दिया। मंत्री जी से राज्य सभा में जो प्रश्न पूछे गए और जो इन्होंने जवाब दिए, उनको समय कम होने की वजह से उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 750 करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट आ रहा है। बस इनकी यही उपलब्धि है, इन्वैस्टमेंट आया नहीं है, कमिटमेंट इनको मिला है। जो अथारिटी का निर्माण आपको करना है, उसका क्या हुआ ? मैं पूछना चाहता हूं, 9 जनवरी को अध्यादेश लाए, लेकिन अथारिटी का निर्माण आपने कब किया ? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि अध्यादेश को जारी करने में क्या जल्दबाजी थी ? सब लोग जानते हैं कि बजट सत्र फरवरी महीने में आता है और इस बीच आप यह बिल ले आए हैं, इस पर अगर अध्यक्ष महोदय मुनासिब समझते तो संसदीय समिति को भेज देते और इस पर वहां चर्चा होती तथा फिर इस सदन में उसके हर पहलू पर विचार हो सकता था। आज हर पहलू पर विचार नहीं हो रहा है। अध्यादेश लागू करना कोई अच्छी बात नहीं है। अध्यादेश जारी करके संसदीय लोकतन्त्र पर हमला किया जाता है। स्टेटमेंट-आफ-आब्जैक्ट्स-एंड-रीजन्स में जो इन्होंने कहा है, जो इनकी प्रोजैक्शन है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं–

[अनुवाद]

"इस प्रकार की अतिरिक्त पत्तन क्षमता के निर्माण के लिए वर्तमान लागत पर 40,000 रुपये से भी अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों से संकेत मिलता है कि पत्तन विकास में निवेश के लिए योजना निधि और रूपांतरिक संसाधनों से 10,000 रुपये से 12,000 रुपये से अधिक उपलब्ध नहीं होगा और शेष धनराशि गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा पूंजी बाजार से जुटानी पड़ेगी।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 21.3.97 में प्रकाशित।

[श्री नीतीश कुमार]

[हिन्दी]

प्राइवेट सैक्टर में कहां से पैसा आएगा। जो कम्पनी पैसा लगाएगी, उसमें उनका कितना पैसा होगा ? जो प्राइवेट सैक्टर के कैप्टन्स हैं, टाटा या आप किसी को भी ले लीजिए, पांच परसेंट से ज्यादा पैसा उनका नहीं होता है। बाकी सारी पूंजी बैंक्स या शेयर-होल्डर्स से आती है या फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन्स से आती है। इनसे वे पैसा इकट्ठा करते हैं और आप कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वैस्टमेंट तथा 750 करोड़ रुपये के इन्वैस्टमेंट का आपने दावा कर दिया। यह पैसा आया नहीं है, कमिटमेंट आ गया है। इसका मतलब यह है कि पांच परसेंट निकाल दिया जाए, तो मुश्किल से मेरे हिसाब से यह राशि 37.50 करोड़ रुपये है। इस पर आप कह रहे हैं कि इन्वैस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट पार्टी कन्टेनर टर्मिनल बनाने के लिए आएगी। इसका आपने राज्य सभा में उल्लेख किया है। मैं पूछना चाहता हूं, वे अपना पैसा कितना लगाएंगे। प्राइवेट सैक्टर में उनका अपना पैसा लगा 37.50 करोड़ रुपये और बाकी पैसा वे नेशनलाइज्ड बैंकों और फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स तथा जनता से शेयर होल्डर्स के रूप में लाएंगे। आप गुनगान कर रहे हैं प्राइवेट सैक्टर का, कि प्राइवेट सैक्टर आएगा और हम को इन्वैस्टमेंट की जरूरत है। 2006 ई. तक 40 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, 10-12 हजार करोड़ रुपये हम प्लान से दे सकते हैं और इन्टरनल रिसोर्सेज से दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के जो ग्यारह मेजर पोर्ट्स हैं, उनकी स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। उनको 1993-94 में 692 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। 1994-95 में 788 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। अब जिस तरह से प्राइवेट सैक्टर के लोग अपना पैसा लगाते हैं, बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और शेयर होल्डर से लेते हैं, अगर उस हिसाब से लिया जाए और इसको पांच प्रतिशत मान लिया जाए तो एक साल में 1993-94 की बचत को अगर लें, जो उनका इंटरनल रिसोर्स है, जो बचत है तो उसके हिसाब से यह 13840 करोड़ का इन्वैस्टमेंट कर सकते हैं। 13840 करोड़ रुपये का 1993-94 के सेविंग के चलते खुद ही इन्वैस्ट कर सकते हैं। अगर 1994-95 की सेविंग ले लें तो एक साल में ही पोर्ट ट्रस्ट 15707 करोड़ रुपया इन्वैस्ट कर सकता है और आप 750 करोड़ रुपये का कमिटमेंट आ गया, उसी का गुणगान कर रहे हैं। इस तरह से आप सबका दरवाजा खोल रहे हैं।

महोदय, एक दिन मारन साहब प्राइवेटाइजेशन के संबंध में उत्तर दे रहे थे। जब यह पूछा गया कि नेशनल सिक्यूरिटी का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि आज सब दरवाजे खुले हुए हैं, हम सेटेलाइट युग में प्रवेश कर चुके हैं। हर चीज की तस्वीर ऊपर से ली जाती है, इसलिए अब उसका कोई मतलब नहीं है। आज वह संयोग से यहां बैठे हुए हैं लेकिन यह पोर्ट, जिसका सिक्यूरिटी के साथ जुड़ा हुआ मसला है, आज तमाम चीजों को इन लोगों ने खत्म कर दिया और किस तरह से नीति में परिवर्तन हो रहा है। ये पार्टियां, चाहे डी.एम.के. हो, टी.डी.पी. हो, इनका संबंध नेशनल फ्रंट के साथ रहा है। जनता दल, नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, यह राजनीति चलती रही है और यहां कांडला पोर्ट के मामले में जब कारगिल को पोर्ट की जवाबदेही दी जा रही थी और वहां नमक बनाने के लिए उनको कुछ इलाका दिया जा रहा था तो उसके खिलाफ दो चीजों को लेकर आंदोलन हुआ। पहला तो नमक बनाने की छूट देने के चलते आंदोलन हुआ और दूसरा वहां पोर्ट पर उनको एक हिस्सा दिया जा रहा था, उसके चलते आंदोलन हुआ। मारन साहब बैठे हुए थे, उस समय नेशनल फ्रंट डिफंक्ट नहीं हुआ था, आप नेशनल फ्रंट की पार्टी में थे और केम्पैन कमेटी बनी थी और उस केम्पैन कमेटी के चेयरमैन श्री वी.पी. सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री थे। संयुक्त मोर्चे के गाईड फिलोस्फर आज भले ही अपने घर में बैठे हुए हैं। आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि इतना बड़ा आदमी अपने घर में बैठा हुआ है और आप लोगों की स्थिति देखकर मन में परेशान ही होते होंगे। ...*(व्यवधान)* पेंटिंग तो उनकी खासियत है। कविता लिखते हैं और इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये नीतियों की धज्जियां उड़ाते हैं और गौरव के साथ आप कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हम कांग्रेस की नीतियों को चलाते रहेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल के साथ संबंध है ?

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हां, इस बिल के साथ संबंध है। यह जो प्राइवेटाइजेशन की पालिसी हो रही है, और किस चीज का संबंध होता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री नीतीश कुमार : अगर आप अभी तवज्जह नहीं देंगे तो कब देंगे ? देश की सुरक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका इस बिल से ही संबंध है। पोर्ट को दुनिया भर के लिए खोल रखा है, वहां सब लोग आएंगे और अपनी पूंजी लगाएंगे। ...*(व्यवधान)* मैं जो नेता हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केम्पैन कमेटी की बैठक 7 जून, 1993 को हुई। यह जनता दल का कागज है। उस समय हम भी जनता दल में ही थे। ये सारे कागज मेरे पास हैं इसलिए मैं इस बात को उद्धृत कर रहा हूं। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के मामले में जो बात आई थी, उसके खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय हुआ, आंदोलन करने का निर्णय हुआ। इसमें यह भी हुआ कि अगर निर्णय में परिवर्तन नहीं होगा तो 28 जून को श्री वी.पी. सिंह वहां सत्याग्रह करने के लिए जाएंगे, अब यह फैसला क्या हो गया है। श्रीकांत जी अपना मुंह छिपाने के लिए भाग गए होंगे, वे इस पर किसी को फेस नहीं कर सकते हैं यह उनको मालूम है। इसलिए वह यहां से चले जाएंगे और आप लोगों को मुकाबला करने के लिए छोड़ देंगे। तो आपकी नीतियां कहां चली गई और इस मुल्क को कहां पर ले जाना चाहते हैं ? आपको देश की सुरक्षा की कोई चिन्ता नहीं है। आप जो प्राइवेट सैक्टर को, मल्टी नेशनल को बुला रहे हैं कि आप यहां आओ और पोर्ट लगाओ और किस बात के लिए लगाओ। हमारे यहां हैंडलिंग में बड़ी देर होती है, जो काम सात दिन में होता है, अगर यहां नई मशीनें लगा दी जाएंगी तो वह काम सात-आठ घन्टे में ही समाप्त हो जाएगा, आप ये सब उदाहरण देते हैं। आपने कभी मजदूरों की चिन्ता की ? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश में आदमी ज्यादा हैं, पूंजी कम है। हम उस नीति को चलाएंगे, उस रास्ते को अख्तियार करेंगे जिसमें आदमी की ज्यादा जरूरत हो और पैसे की कम जरूरत हो। लेकिन आप जिसमें पैसे की ज्यादा जरूरत हो उस नीति को

अख्तियार कर रहे हैं। आदमी कहां जाएंगे, इसकी आपको कोई चिन्ता नहीं है। इसके बाद भी आपका क्या होने वाला है ? वह सरकार दो चीजों पर चल रही है। एक तो जो लिबरलाइजेशन का नारा चला है उसके तहत सबके लिए दरवाजा खोल दो, यह किस प्रकार का पैसा आ रहा है, हम आपके सभी जवाब चाहेंगे।

यह 750 करोड़ रुपये के इन्वैस्टमेंट का क्या होता है। उसका कितना पैसा लगेगा और आपके जो इंटरनल सेविंग हैं, पोर्ट-ट्रस्ट के पास जो अपना इंटरनल सेविंग है, उस पैसे को और मार्किट बौरोइंग मिला दीजिए, बैंक के कर्जे को मिला दीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो उधार लिया जाएगा, उसको जोड़ दीजिए और शेयर की निकासी की छूट देने से शेयर होल्डर्स जो पैसा लाएंगे तो उससे कितना पैसा ये ले सकते हैं। क्यों नहीं जो इंटरनल रिसोर्सिज हैं उनका आधार मानकर व 5 परसेंट वाला आधार मानकर आप सबको चलाते हैं तो कैसा रहेगा। लेकिन यह आप नहीं करेंगे। जो कुछ आपके प्राप्त धन है उसका सदुपयोग आप नहीं करेंगे। लेकिन विदेशियों के लिए दरवाजे खोल देंगे कि यहां आओ और धन कमाकर ले जाओ।

विदेशों में इनका क्या है ? अथॉरिटी बनाएंगे। पहले पोर्ट-ट्रस्ट बोर्ड था उसको खत्म करके एक अथॉरिटी बना देंगे जो भाड़ा वगैरह तथा और दूसरी चीजों के बारे में तय करेगा। यानि सरकार ने तय कर लिया है क्योंकि रोज जितने बिल आए हैं उनको मैं ध्यान से देख रहा हूं। जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होंगे उनको फायदा होगा, क्योंकि सबमें लिखा हुआ है कि जो सैक्रेट्री रह चुका हो या सैक्रेट्री रैंक की जिनको सुविधा मिलती रही हो, या उनकी बराबरी के दर्जे के हों, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है और इस सत्र में जितने बिल आए हैं सब में हमने देखा है। यानि जो सैक्रेट्री हो जाए, जोकि बहुत थोड़े से ही ब्यूरोक्रेट ऊपर के रैंक के होंगे। ये अगले पांच या दस सालों के लिए ऐसा कानून बनवाकर जाएंगे जिससे उनको रोजगार मिल जाए। यह सिलसिला बना हुआ है। वे चाहते है कि ऐसा कानून बनाओ कि कुछ लोग तो मल्टी-नेशनल कंपनियों की नौकरी करने के लिए चला जाए, कुछ लोग सरकार की नीतियों को प्रभावित करके, आप लोगों को घबरा करके ये करवाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग दिल से जानते होंगे, अगर आप जमीन से उठकर आए होंगे तो आपको मालूम होगा या थोड़ा-बहुत भी आपका संपर्क होगा या आपके इलाके के लोगों का आजादी के आंदोलन से संपर्क होगा तो आपने स्वावलंबन की बात सुनी होगी, स्वदेशी की बात सुनी होगी। आप यह भी जानते होंगे कि एक ईस्ट-इंडिया कंपनी आयी थी। उसके पीछे अंग्रेजी साम्राज्यवाद आया और इन मल्टी-नेशनल कंपनियों के पीछे अमरीकी साम्राज्यवाद आएगा।

आप जब नीचे के राजनीतिक कार्यकर्ता रहे होंगे तो इन सब बातों को सुनते रहे होंगे। लेकिन यहां आइयेगा तो मल्टी-नेशनल की जो लॉबी है वह जब आप अपने विभाग में बैठते हैं तो आपको प्रभावित करती है और नौकरशाह आपसे ही सारा काम करा लेता है। यह देश की राजनीतिक स्थिति है। आपको तो दुबारा जनता के बीच में जाना है। लेकिन उनको क्या करना है क्योंकि उन्होंने तो आगे अपना भविष्य सुरक्षित कर लेना है। सरकार में रहकर वे मल्टी-नेशनल्स को लीड करते हैं तो बाद में उनको वहां नौकरी मिल जाएगी और कुछ यहां नौकरी पाएंगे यानि रिटायरमेंट के बाद भी वे अपनी नौकरी का इंतजाम करते हैं और उनके लिए आप विधेयक लाते हैं और उसमें इन सब बातों की चर्चा करते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहीं से भी संतुष्ट नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ा संक्षिप्त रखिए, आपको राइट ऑफ रिप्लाई भी देना है।

श्री नीतीश कुमार : राइट ऑफ रिप्लाई की क्या जरूरत है। राइट ऑफ रिप्लाई 6 बजे के बाद तो मजाक ही होता है। यह भी मजाक होता है कि आज प्राइवेट मैम्बर्स डे है।

उपाध्यक्ष महोदय : बी. ए. सी. ने एक ही घंटा एलॉट किया है।

श्री नीतीश कुमार : बी. ए. सी. ठीक है, लेकिन इस सरकार के काम करने का ढंग क्या है ? संसद तो कहीं ऑबस्ट्रक्ट नहीं हुई। यही संसद पिछली बार 9-9, 10-10, 12-12 दिन काम नहीं करती रही है। लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या जल्दबाजी है। आर्डिनेंस लाकर गलती करना और कहना कि संवैधानिक संकट आएगा, आर्डिनेंस लाइए। इसलिए मैं तो सदन से दरख्वास्त करूंगा कि प्राइवेट मैम्बर बिजनेस के बाद कोई भी काम करने के लिए यहां पर इकट्ठा नहीं होने चाहिए। अब आप लाएंगे एक्वा-कल्चर का बिल जो आज सर्कूलेट हुआ है। उस बिल में क्या धांधली है, क्या अन्याय है तथा कोर्ट ने एक फैसला दिया है तो आप कोर्ट में रिव्यू के लिए जाइए और कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो इस बिल की बात करिए।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी पीड़ा को रखने दीजिए। ये कोर्ट में जा सकते थे। यहां आकर ये जल्दबाजी करेंगे। एक तो कोर्ट के फैसले पर हम अमल न करें। क्या इसके लिए हम संसद की अनुमति लेंगे या गलत काम करेंगे या आर्डिनेंस जारी कर दिए जाएंगे और पूरी संसद को फंसाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि संसद किस तरह से इस बात में फंस रही है। मैं जानता हूं कि चाहे बीएसी हो, चाहे लीडर्स मीटिंग हो, सब इस सरकार के भ्रमजाल में फंसते हैं और इस सरकार के काम करने का यह ढंग बिल्कुल भी मदद करने के लायक नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं राजनैतिक मदद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं संसदीय कार्य की बात कर रहा हूं। संसद में किसी भी तरह सरकार को इस ढंग के कार्यों में मदद नहीं करनी चाहिए। यह सरकार अध्यादेश जारी कर देगी और कहेगी कि छः बजे के बाद बैठ जाइए, यह बिल पास कर दीजिए। मैं इस पर गहरा एतराज प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बात मानते हुए मैं कनक्लूड करना चाहता हूं लेकिन अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक बेमतलब है, गैर-जरूरी विधेयक है, अनावश्यक विधेयक है और देश को गुलाम करने वाला विधेयक है। जब हमने कांडला पोर्ट की बात कही थी तो नेवी तक ने उसका विरोध किया था।

[श्री नीतीश कुमार]

क्या आपने उन लोगों की राय ली ? ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होगा ? इनवैस्टमैंट कहां से आएगा, इसकी कोई सफाई नहीं दी गयी। आपने इनवैस्टमैंट के पक्ष में एक माहौल बना दिया लेकिन वह किस तरह से आएगा ? हमारे पास पूंजी है, संसाधन है, उनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वह आएगा नहीं और आप हमसे पैसे की उगाही करेंगे। क्या आप उगाही करते नहीं हैं ? पोर्ट ट्रस्ट इसे कर नहीं सकता। इसका माडर्नाइजेशन भी हो सकता है। सब कुछ हो रहा है। हमारे पोर्ट्स घाटे में नहीं चल रहे हैं। वे मुनाफे में चल रहे हैं उनका मुनाफा दूसरे कामों में लगा दीजिए और फिर पोर्ट्स को खत्म कर दीजिए। यह गलत परंपरा है। यह विधेयक राष्ट्रघाती विधेयक है और देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने वाला है।

अध्यादेश के जरिए सदन में चर्चा को कम करने की जो साजिश है, इस पर स्टैंडिंग कमेटी के जरिए जो चर्चा हो सकती थी, उसको खत्म करने की साजिश है। इसलिए मैं इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस अध्यादेश के निरनुमोदन का जो प्रस्ताव है, उसको रखते हुए मैं जोर देना चाहूंगा और एक अपील सरकार से करना चाहूंगा कि अगर थोड़ी भी राष्ट्रीय भावना बची है, उसका ध्यान रखें। कल क्या होगा, आप इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। कल आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। आप आने वाली पीढ़ी की चिंता कीजिए। सरकारें आएंगी और जाएंगी। जो नीतियां बन जाती हैं, वे आने वाले लंबे काल तक ठहर जाती हैं और अपने पैर जमा लेती हैं। उसका खमियाजा आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। आप इस तरह की हवाई और सतही बातों में मत जाइए। आप खुद इस बात का अध्ययन करें कि क्या हो सकता है और इसकी क्या-क्या संभावनाएं हैं ? आप बाकी तमाम संभावनाओं को बगैर तलाशे, बगैर मेहनत किए अनदेखी कर रहे हैं। यह फैसला मेरी समझ के अनुसार अनुचित है और राष्ट्र के हित के प्रतिकूल है। आपको इस ढंग का इनवैस्टमैंट नहीं होगा। मल्टी-नेशनल कंपनियां मुनाफा कमा कर इस देश के धन को अपने देश में ले जाएंगी। बड़ी-बड़ी मल्टी-नेशनल कंपनियां इस ओर नजर लगा रही हैं और उनका सालाना कारोबार आपके बजट से भी बढ़ा है। वैसी स्थिति में जो खतरा उत्पन्न होगा, उससे आप सावधान रहिए। आप इस खतरे को समझ लीजिए।

आज बाहर यह चर्चा होती है कि राजनैतिक विचार बदलने के लिए जो लेन-देन हुआ, उसको लेकर कोर्ट में मामले चल रहे हैं, जांच भी चल रही है। आप क्या चाहते हैं ? आप चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएं और अपने पैर जमाने के लिए उसी तरह का जाल फेंके जिससे हमारी राजनीति गंदी हो जाए और हमारा देश गुलाम हो जाए। अगर कुछ भी बचा है, कुछ भी स्वाभिमान इस देश के प्रति बचा है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस तरह के बिल को न लाएं। इनवैस्ट करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशिए। आप गलत रास्ते की ओर देश को मत ले जाएं। यही कह कर मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार के इस विधेयक और अध्यादेश का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार करने और उसके अनुमोदन करने के लिए इसे प्रस्तुत करते समय मैं आपकी अनुमति से कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

देश में 11 प्रमुख पत्तन हैं, छः पश्चिमी तट पर और पांच पूर्वी तट पर, जो केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन पत्तन न्यास द्वारा शासित होते हैं। भारत के समुद्र के द्वारा किए जाने वाले व्यापार का 90 प्रतिशत से भी अधिक इन्हीं 11 प्रमुख पत्तनों द्वारा होता है। प्रमुख पत्तनों पर यातायात में वर्ष-दर-वर्ष भारी बढ़ोत्तरी होती रही है।

यातायात की दृष्टि से प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की संचयी वृद्धि के परंपरागत आकलन पर हमारे पत्तनों को 2012 तक लगभग 850 एम.टी. यातायात वहन करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। इससे विभिन्न प्रकार के वर्गों के लिए 300 से 400 अतिरिक्त स्थानों की जरूरत होगी। इस प्रकार की अतिरिक्त पत्तन क्षमता के सृजन के लिए वर्तमान लागत पर 40,000 रुपये से भी अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी। हमारे अनुमानों से संकेत मिलता है कि पत्तन विकास में निवेश के लिए योजना निधि और आंतरिक संसाधनों से 10,000 रुपये से, 12,000 रुपये से अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं होगी और शेष धनराशि गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा पूंजी बाजार से जुटानी पड़ेगी।

हमने प्रमुख पत्तनों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। हमने निर्णय किया है कि प्रशुल्क के निर्धारण और संशोधन संबंधी प्रश्नों का निर्णय एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाए ताकि वसूल किए जाने वाले प्रभारों के संबंध में विशेषकर पत्तन सुविधाएं प्रदान करने वालों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके। इस विधेयक का प्रमुख प्रयोजन इस प्रकार के प्राधिकरण के सृजन को संभव बनाना है। टैरिफ अथॉरिटी फार मेजर पोर्ट्स का कार्य भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न पत्तन प्रभारों के संबंध में प्रमुख पत्तनों पर लिए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण करना और लागत, परिचालनात्मक लागत, मुद्रास्फीति आदि में वृद्धि के कारण आवश्यक हो जाने पर दरों में संशोधन करना भी होगा। प्राधिकरण, पोर्ट ट्रस्ट बोर्डों और किसी विशिष्ट सुविधाएं/सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों दोनों द्वारा वसूली योग्य कार्गो संबंधित प्रभारों और पोतों संबंधित प्रभारों दोनों के संबंध में प्रभार निर्धारित करेगा।

यह प्राधिकरण, "टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स" नामक एक निगमित निकाय होगा जिसे यहां पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के उपबन्धों के अधीन शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा का अधिकार प्राप्त होगा और इसमें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक सभापति तथा दो सदस्य होंगे। लोकहित में आवश्यक पाए जाने पर केन्द्र सरकार को सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नीतियों के संबंध में निदेश जारी करने तथा प्राधिकरण का स्थान लेने का अधिकार होगा।

प्रमुख पत्तनों के विभिन्न पोतों के मालिकों/एजेंटों द्वारा प्रमुख पत्तनों पर अदा किए जाने वाले प्रभार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के

अन्तर्गत विनियमित हैं और प्रभारों के निर्धारित और संशोधित करने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है। प्रस्तावित टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स में इन शक्तियों को निहित करने के उद्देश्य से भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 33, 34 और 35 में संशोधनों तथा अन्य परिव्ययी संशोधनों का प्रस्ताव किया जा रहा है।

इसी प्रकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत प्रत्येक पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड को बोर्ड द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं हेतु अथवा बोर्ड की संपत्ति हेतु दरें निर्धारित करनी होती हैं। दरों तथा शर्तों संबंधी विवरण को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है और अनुमोदन के पश्चात् पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड संबंधित राज्य के सरकारी गजट में अनुमोदित दरें प्रकाशित करते हैं। यह शक्ति प्रस्तावित टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स को प्रदान करने के लिए यहां पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48, 49, 50, 51 और 52 में संशोधन तथा अन्य परिव्ययी संशोधनों का प्रस्ताव है।

यह विधेयक राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 1997 को पारित किया जा चुका है और अब इस सभा के विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 1) निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले निर्णायक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत और पूर्व वक्ता मेरे सहयोगी माननीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा निरनुमोदित पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 आया है, उसके बारे में मैं श्री नीतीश कुमार की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस 14 पार्टियों की सरकार ने दिसंबर, 1996 में सम्पन्न हुए शीतकालीन सत्र और इस बजट सत्र के प्रारंभ होने तक की समयावधि में 14 अध्यादेश जारी कर दिए हैं। जब माननीय मंत्री ने स्वयं इस बात का विवरण दिया है कि 10.10.1996 को मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले इस पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 को लिया जाए और इसके माध्यम से प्राधिकरण के गठन की बात की थी। जब सरकार ने निर्णय ले लिया था तो शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती थी लेकिन वह नहीं हुआ और एक अध्यादेश ले आयी। यह सरकार प्रजातंत्र का सहारा लेने वाली है और यदि इस व्यवस्था में विश्वास रखती है तो उसका उल्लंघन और अतिक्रमण करके इस अध्यादेश का सहारा लेकर यह बिल क्योंकर लायी है ? इस बिल के आने के पहले यह सरकार कितनी जागरूक है ?

क्या सरकार ने अध्यादेश के बाद उस प्राधिकरण का गठन किया है ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्राधिकरण के गठन में विलंब क्यों हो रहा है ? अध्यादेश की प्रवृत्ति की मैं निन्दा करता हूं और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में अध्यादेशों का सहारा न लें।

हमारा देश प्रकृति का पालना रहा है और इसके तीन तरफ समुद्र है। हमारी समुद्र तट रेखा बहुत लंबी है और इसमें 11 बड़े-बड़े बंदरगाह है जिसमें से छः पश्चिमी तट पर हैं। इनमें काण्डला, मुम्बई, मार्मागोआ, जवाहरलाल नेहरू, न्यू मैंगलोर और कोचीन हैं। पांच पूर्वी तट पर हैं जिसमें कलकत्ता और हल्दिया सहित पारादीप, विशाखापत्तनम, मद्रास और तूतीकोरिन हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के अधीन 144 छोटे-छोटे बंदरगाह हैं। उन बंदरगाहों का विकास करने के लिए सरकार को संसाधन चाहिए और पोर्ट ट्रस्ट के अधीन काम करने वाले जो अलग-अलग बंदरगाह हैं, वह ये सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, टैरिफ वगैरह का प्रबंध देखते हैं। वहां प्राइवेट इनवेस्टर्स को बुलाने के लिए और उनसे पूंजी निवेश कराने के लिए बहुत जरूरी है कि उन सबकी व्यवस्था सही चले और सही टैरिफ का निर्धारण हो। इसलिए इंडिपेंडेंट टैरिफ अथॉरिटी का जो प्रावधान किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। जब हमने टेलीकोम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्वागत किया है, जब हमने पर्यावरण प्राधिकरण का स्वागत किया है, आने वाले समय में इनश्योरेन्स के लिए जो प्राधिकरण बनने वाला है, उसका भी हम स्वागत करने वाले हैं तो आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप जब हमारे देश में सरकारी निवेश के साथ-साथ प्राइवेट पार्टियों द्वारा निवेश किया जाने लगा है और प्राइवेट पार्टियां आएंगी तो वे मनमाना चार्ज न लें, मनमानी वसूली न शुरू कर दें, जहाजों में माल चढ़ाने-उतारने में, मजदूरों के भुगतान में या उतराई में या बंदरगाह में कितने दिन सामान रखना है, उनके क्या चार्जेज़ हैं, उन सबमें वह शोषण न करने लग जाएं, सरकारी नियमों का अतिक्रमण न करने लग जाएं, इसलिए सरकारी पोर्ट ट्रस्ट तथा प्राइवेट इनवेस्टर्स में एकरूपता लाने के लिए और विनियमितता करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इस बिल को लाया गया है। इस नाते मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हमारे देश के निर्यात-आयात का 90 प्रतिशत से ज्यादा माल इन बंदरगाहों द्वारा लाया तथा ले जाया जाता है, लेकिन इन बंदरगाहों की हालत बहुत खस्ता है। एक समझौते के अनुसार गंगा का पानी सरकार ने बंगलादेश को दे दिया। हुबली में इससे पानी कम हो रहा है। परिणामस्वरूप कलकत्ता के मुहाने पर मिट्टी जमा हो जाती है। इससे वह बंदरगाह अनुपयुक्त हो रहे हैं और सरकार को उस मिट्टी को निकालने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जब पानी की कमी होगी तो और भी खस्ता हालत हो जाएगी। ऐसे ही काण्डला, मद्रास, मुम्बई के जो बंदरगाह हैं, दुनिया के अन्य बंदरगाहों की तुलना में उनकी हालत बहुत खस्ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि प्राधिकरण तो वह बना रही है और प्राइवेट इनवेस्टर्स को भी बुला रही है और निजी क्षेत्र की पूंजी को भी आमंत्रित कर रही है जिससे संसाधन बढ़ेंगे और 700 करोड़ रुपये का आश्वासन भी इनको मिल चुका है। इनको अनुमान है कि सन् 2000 तक या उसके बाद के लिए हमारे बंदरगाहों की वर्तमान क्षमता बहुत कम है। उनको समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए हमें

[प्रो० रासासिंह रावत]

प्राइवेट इनवेस्टर्स को बुलाना पड़ रहा है और प्राइवेट इनवेस्टर्स को बुलाने के कारण इस प्राधिकरण की स्थापना करनी पड़ रही है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि बंदरगाहों की हालत को सुधारने की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। बंदरगाहों में कई बार मुहानों पर टूटे हुए जहाज आकर खड़े हो जाते हैं और उनको उठाने की जिम्मेदारी या उनको वापस खाली करने की जिम्मेदारी अथवा वहां पर जो रेत वगैरह जमा होती थी, उसको हटाने की और प्राकृतिक बंदरगाहों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, माल चढ़ाने-उतारने की जिम्मेदारी, वहां पर काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण की बात, वहां पर काम करने वाले अधिकारियों, इन सबका ध्यान रखना है और जैसा हमारे मित्र नीतीश जी ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी समुद्र सीमा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी पूंजी का निवेश इस क्षेत्र में करेंगे और अगर निवेश करेंगे तो स्पष्ट कहा जाए कि इन पर केन्द्र सरकार का स्वामित्व ही रहेगा। हमारे जो पोर्ट ट्रस्ट बने हुए हैं, उसके चेयरमैन आई. ए. एस. अधिकारी होते हैं। उनके अधीन जो प्राइवेट इनवेस्टर्स होंगे या जो सेवाएं उनको दी जाएंगी उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी या हमारी रहेगी, इस बारे में स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया जाए।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। काण्डला बंदरगाह उत्तर भारत का मुख्य बंदरगाह पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इसके इंटरलैण्ड हैं। काण्डला बंदरगाह जिस भाव को लेकर स्थापित किया गया था, उसके विकास में भी आर्थिक संसाधनों का अभाव दिखायी पड़ता है। मुझे वहां देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां बहुत कार्य हुआ है लेकिन बहुत कार्य होना अभी बाकी है। देश के महापत्तनों के अंदर सारा इनफ्रास्ट्रक्चर जैसे विकसित देशों के बंदरगाहों में है, ऐसे ही हमारे यहां भी होना चाहिए। मान्यवर, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने नयी बंदरगाह नीति घोषित की थी। वह अस्पष्ट होने के कारण और सरकार तथा निवेशकों के रवैये के कारण अस्पष्ट जान पड़ती है। यह अस्पष्टता निर्यातकों और आयातकों को बहुत भारी पड़ती है। विश्व बैंक ने अध्ययन कराया था जिसके अनुसार भारत के बंदरगाहों पर कंटेनर लाने-ले जाने की लागत 500 डॉलर से 525 डॉलर प्रति बॉक्स पड़ती है जबकि इसी क्षेत्र के अन्य बंदरगाहों, चाहे पाकिस्तान का कराची हो अथवा अरब देशों के किनारे पर दूसरे बंदरगाह हों अथवा इंडोनेशिया वगैरह के बंदरगाह हों, वहां पर 300 डॉलर से 350 डॉलर प्रति बॉक्स खर्च पड़ता है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे बंदरगाहों में कंटेनर लाने-ले जाने की सुविधाएं जैसी उपलब्ध होनी चाहिए, वैसी नहीं हैं और परिणामस्वरूप कई बार माल-भाड़ा हमें महंगा भी देना पड़ता है। देश को जितनी आय इससे होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो लाभ होना चाहिए, उस लाभ से भी हम वंचित रहते हैं।

एक और कमी हमारे बंदरगाहों में पायी जाती है। हमारे यहां पर जहाज का माल लादकर अथवा उतारकर वापस आने में 15 से 45 दिन का समय लगता है जबकि विश्व के अन्य देशों में यह अवधि केवल छः घंटे की है। हमारे बहुत से मित्र मुम्बई गए होंगे। मुम्बई समुद्र तट पर कई समुद्री जहाज़ समुद्र में प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं और तीन-चार दिन खड़े रहते हैं कि बंदरगाह के अंदर सामान उतारने के लिए जाएं। परिणामस्वरूप कितना ज्यादा डैमरेज या किराया भाड़ा विदेशों से आए माल पर लगता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए हमारे यहां कई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में 95 प्रतिशत से अधिक व्यापार देश के बंदरगाहों द्वारा ही होता है। इन बंदरगाहों पर उचित संसाधन या सुविधाएं होनी चाहिए जिनकी व्यवस्था सरकार को उचित रूप से करनी चाहिए।

बिल में यह अस्पष्ट है कि जो प्राधिकरण बन रहा है और इसका जो नाम है कि बड़े-बड़े बंदरगाहों या महापत्तनों के लिए स्वतंत्र टैरिफ प्राधिकरण बनेगा, इसका काम है—

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेशकों, मुख्य पत्तन न्यासों और पत्तन प्रयोक्ताओं के लिए मुख्य पत्तनों पर उचित टैरिफ संरचना उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

ये तीन बातें कही गयी हैं कि पोर्ट से लाभान्वित होने वाले, पोर्ट की सेवाओं का फायदा उठाने वाले, आने-जाने वाले जहाज, व्यापारीगण, पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड और प्राइवेट सैक्टर इनवेस्टर्स, इन सबके हित के लिए सामान उतारने-चढ़ाने का और कंटेनर्स का जो भाड़ा लगता है, या जो रेट्स वगैरह तय करने होते हैं, उस बारे में इंडीपेंडेंट अथॉरिटी गठित की गयी है। इसका कार्यालय कहां होगा ? इसके कार्यालय के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि मुम्बई में होगा, मद्रास में होगा या कलकत्ता में होगा। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सरकार की तरफ से स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इस प्राधिकरण का कार्यालय कहां पर होगा।

श्री नीतीश कुमार : इसका कार्यालय न्यूयार्क में होगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या देश के बाहर होगा ?

श्री नीतीश कुमार : जो देश को बेचने वाला है आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। आश्चर्य है स्वदेशी का नारा भी देते हो और सपोर्ट भी करते हो।

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, इतने सख्त लफ्जों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो ?

प्रो० रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक उदारीकरण के अन्तर्गत जहां पूंजी की कमी है वहां तो जवाहर रोजगार योजना क्षेत्रों में तथा औद्योगीकरण के लिए अन्यान्य क्षेत्रों में पूंजी लगायी जा रही है। मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से तो यह ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का आर्डिनेंस था तो सरकार इसको लायी, अभी मंत्री जी कह रहे थे तो फिर इन्होंने अभी तक प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं किया। इसलिए मेरा कहना है कि प्राधिकरण का गठन शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और उसका कार्यालय कहां होगा यह भी निश्चित किया जाए। महोदय, यह एक टैक्नीकल विषय है जो जहाजों के आवागमन के बारे में जानकारी रखता हो, नेवीगेशन के बारे में जानकारी रखता हो, समुद्र

विज्ञान के बारे में जानकारी रखता हो, माल तथा व्यापार का भी जिसका अनुभव हो, ऐसे व्यक्तियों को इसका चेयरमैन और मैम्बर्स रखें, ताकि मजदूरों, व्यापारियों, जहाजों से आने-जाने वालों का तथा भारत का भी हित हो। हमारे राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। इसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यादेश की प्रवृत्ति का तो विरोध करता हूं, लेकिन प्राधिकरण की नियुक्ति, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड इन सबको कामों के ऊपर निगरानी, टैरिफ का इंडीपेंडेंट ढांचा यह प्राधिकरण तय करेगा और न्याय प्रदान करेगा और ऐसे मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य के अंदर राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह सब कुछ तय करेगा, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय विनम्रता के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार की अध्यादेश प्रख्यापित्त करने की प्रवृत्ति है। पिछले सात महीनों के अन्दर 14 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं और यह उनमें से एक है। जले पर नमक छिड़कने के लिए एक विधेयक लाया गया है और इसे तेजी से लागू किया जा रहा है। जब विपत्ति आती है तो घोड़ा छलांग लगाता है अन्यथा यह धीरे-धीरे चलता है।

इस विशेष विधेयक में इस प्रकार की छलांग लगाना इस मायने में निन्दनीय है कि ऐसी कोई तत्कालिकता नहीं है जिससे कि घोड़े को इतनी तेजी के साथ छलांग लगानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा द्वितंत्र प्रणाली लागू की जा रही है। कृपया वर्ष 1920-30 के उदाहरण देखें जबकि इस देश में दोहरी शासन प्रणाली का संविधान था तथा दोहरी शासन प्रणाली ज्यादा दिन नहीं चल पायी। मेरे विचार से यह संशोधन निश्चित रूप से भारत के पत्तनों के हित में नहीं होगा। उड़ीसा राज्य वाणिज्यिक परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में मुझे पाराद्वीप पत्तन के कार्यकरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी है तथा मैं इस विशेष अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य का सी. आई. एफ. एजेन्ट था। एक पत्तन के सामने क्या-क्या परेशानियां आती हैं इसकी मुझे जानकारी है।

जिन व्यक्तियों ने इस अधिनियम को बनाया है, उनकी निन्दा किए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें केटामारैन और एक फ्लेट तथा घाट और गोदी क्या होते हैं की कोई जानकारी नहीं है। इस विधेयक में बताए गए ये सभी मामले अधिक लंबे समय तक नहीं चलेंगे जिसके कारण हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम वर्ष 1908 की बात करते हैं जबकि वर्ष 1855 और 1875 में कुछ विनियमों के स्थान पर पत्तन अधिनियम बनाया गया था। पत्तन अधिनियम 1908 में मुख्यतः पत्तन तथा पत्तन प्रभारों के संबंध में अधिनियमों के समेकन करने पर ध्यान दिया गया था। यह बहुत ही संक्षिप्त था तथा इस अधिनियम की धारा 6 बहुत ही संगतपूर्ण है। धारा 6 का सारांश यह है कि इसमें बर्थ छोड़ने अथवा प्रवेश करने, केंद्रों, लंगर डालने, पोतों के नियंत्रण, बांधने, लंगर स्थल की दरें निर्धारित करने, उत्प्लव आदि के समय का विनियमन करने हेतु पत्तन नियम बनाने का अधिकार है।

कृपया इस विशेष वाक्य की ओर ध्यान दें। यह कानून की किताब में किस प्रकार लिख गया है ? जब कभी आप टैरिफ के विनियमन का विचार करते हैं तो आपको पत्तन में विद्यमान फिक्चर के मूवमेन्ट को विनियमित करने का विचार करना चाहिए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि जब कभी अधिनियम बनाने का विचार किया जाता है तो अधिनियमों के पूर्व इतिहास के बारे मे विचार किया जाना चाहिए। जब हम इस संशोधन को लाने का विचार करते हैं तो हमें पहले बनाए गए इस अधिनियम, को ध्यान में रखना चाहिए अर्थात वर्ष 1908 का पत्तन अधिनियम और इस अधिनियम में संशोधन करने में ही उन्होंने धारा-36 को ध्यान में रखा है, जहां एक प्राधिकरण की नियुक्ति की जाती है। यहां पर प्राधिकरण की नियुक्ति करने का प्रश्न है।

मुख्य पत्तन अधिनियम की धारा-47 में एक प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है। कृपया इसे देखें। नियुक्ति और गठन के बीच यही अन्तर है। कानून बनाने वालों को यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि इन दोनों के बीच क्या अन्तर है। मैं पत्तन अधिनियम के विस्तार में नहीं जाऊंगा। किन्तु कृपया मुख्य पत्तन अधिनियम, 1963 का अध्ययन करें। इसका उद्देश्य भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसका उद्देश्य बड़े पत्तनों के लिए पत्तन प्राधिकरण गठित करने के लिए प्रावधान करना तथा उन्हें इनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन कार्य सौंपना है। एक प्राधिकरण होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब उन्होंने द्वितंत्र प्रणाली--दो प्राधिकरणों का विचार किया है। एक बोर्ड होगा तथा दूसरा एक प्राधिकरण होगा।

इस संबंध में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौटिल्य के *अर्थशास्त्र* की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कौटिल्य के *अर्थशास्त्र* की पुस्तक-दो में, भारत की मचियावेल्ली ने सदैव लोगों को विभाजित करना चाहा था। पत्तनों पर दो प्रकार के लोग थे। एक नौवहन नियंत्रक तथा दूसरा पत्तन नियंत्रक अथवा आयुक्त। आप इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उनके पास एक व्यक्ति था जिसे नौवहन नियंत्रक कहते थे। दूसरा व्यक्ति पत्तन आयुक्त होता था।

पत्तन आयुक्त को दरें निर्धारित करनी थीं और नौवहन नियंत्रक को कभी उपस्करों तथा पत्तन में आने वाले जर्जर जहाजों आदि की ओर ध्यान देना था। अतः वहां कुछ-कुछ दोहरी शासन प्रणाली थी। उन दिनों के बारे में मैं नहीं जानता, लगभग 2,300 वर्ष पहले या 2,400 वर्ष पहले भारत में हमारे पास चार या पांच पत्तन होते थे और लोग आराम से आते जाते थे। मैं नहीं जानता कि वर्तमान में, भारत में क्या उस तरह की दोहरी प्रणाली कभी संभव होगी।

श्री पी० सी० चाक्को (मुकुन्दपुरम) : आजकल कौटिल्य कौन है ?

श्री अनादि चरण साहू : मैं ऐसा कह नहीं सकता। शायद यह संयुक्त मोर्चा सरकार ही इस मुद्दे पर प्रकाश डाले।

[श्री अनादीचरण साहू]

मैं यह बताना चाहता हूं यदि यह संशोधन अस्तित्व में आता है तो ये ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका सामना इन पत्तनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उन प्रावधानों के बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी में भी बताया गया है कि यह निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए होगा। यदि आप निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस संशोधन में ही माननीय मंत्री को बताना चाहिए था कि पत्तन में निजी पार्टियां किस तरह का ढांचा बनाएंगी और यह प्राधिकरण उन निजी संपत्तियों को सरकार द्वारा उपयोग किए जाने पर किस तरह का शुल्क लगाएगा।

माननीय मंत्री जी ने इस पत्तन अधिनियम में केवल सरकारी संपत्तियों के उपयोग के लिए संकेत दिया है। यदि मुझे पत्तनों के बारे में जानकारी होती या कानून की कुछ व्यवसायिक जानकारी होती तो मैं बता सकता कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है और मुझे निजी लंगरयुक्त चट्टान का पता लगाने वाला उपकरणों, घाटों का सरकारी आदमी या आम आदमी द्वारा उपयोग करने का कोई उल्लेख नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि निजी पार्टियों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क के संबंध में इस शुल्क प्राधिकरण का क्या प्राधिकार होगा।

अब उदाहरण के तौर पर इस मुद्दे हेतु कोई एक पत्तन लें। सरकार के पास बहुत से घाट, स्थायी लंगर, पुश्ते आदि हैं। मान लो इस प्राधिकरण द्वारा सौ हजार या लाख रुपये प्रशुल्क निश्चित किया जाता है तो सभी प्रकार से इसी तरह की अधिक चीजों के बारे में क्या होगा। मान लो यदि 'कनवेयर' या फोर्क लिफ्ट या जहाज की इसी तरह की कोई चीज निजी पार्टी को आयात करनी पड़े, तो उन उपकरणों और मशीनरी के लिए दर क्या होगी ? इन बातों को भी इस अधिनियम में दर्शाना होगा।

अन्यथा, सरकार और निजी कंपनियों की दो तरह की प्रणाली होने से बहुत कठिनाइयां आएंगी। मैं निजीकरण के विरुद्ध नहीं हूं। यह बहुत ही जरूरी है किन्तु कुछ निश्चित नियम, कतिपय विनियमन और कतिपय दिशानिर्देश होने चाहिए, जिनका पालन किया जाए। अन्यथा, इस स्तर पर इस संशोधन को लागू करना संभव नहीं होगा। अब मेरा विनम्र निवेदन यह है कि कृपया उन प्रावधानों का पूरी तरह अवलोकन करें, जो आपने इस संशोधन में सुझाए हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि चरण साहू, अगर आपने कुछ बोलना है तो अगले सैशन में बोलिए, क्योंकि अब प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनेस का समय शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू : मैं कुछ खामियों का उल्लेख करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले सैशन में बोल सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : धन्यवाद श्रीमान, आपने कहा है कि वह अगले सत्र में बोलेंगे। इसका मतलब इस विधेयक को अगले सत्र में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस ने कोई फैसला लिया है तो आप 6.00 बजे के बाद बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसदीग कार्य मंत्री यहां नहीं हैं। सरकार अपने कार्य के प्रति बहुत असावधान है किन्तु यह सहमति व्यक्त की गयी है कि हम 6.00 बजे के बाद कार्य करेंगे, क्योंकि इस अध्यादेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं। अन्यथा सरकार और मछुआरे मुसीबत में फंस जाएंगे। जलकृषि प्राधिकरण विधेयक लाया गया है। यह निर्णय लिया गया है, यदि आवश्यक हुआ तो हम 6.00 बजे के बाद काम करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने कहा कि 6.00 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : आपने 'अगला सत्र' कब कहा, मुझे कुछ दुविधा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उसके साथ यह भी जोड़ दिया कि 6.00 बजे के बाद बैठ सकते हैं। जो भी फैसला हुआ, कम से कम मुझे नहीं बताया गया कि क्या फैसला हुआ ?

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, आप अपनी बात पर अडिग रहिए। आपने एक बार जो कह दिया, उसे कह दिया। अब 6.00 बजे के बाद सदन के बैठने का कोई औचित्य नहीं है ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : इ पता चलता है कि सरकार का रवैया पूरी तरह से कठोर है।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम मुझे इसकी सूचना नहीं दी गयी है।

श्री राम नाईक : ससंदीय कार्य मंत्री को यहां होना चाहिए। सरकार को इस बारे में कुछ कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा गहरा ऐतराज है। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी से ऊपर यह सदन है। यह सदन उससे ऊपर है। आज 6.00 बजे के बाद बैठने का क्या औचित्य है ? ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० दासमुंशी : उनका भाषण अभी खत्म नहीं हुआ है। यह अगला सत्र नहीं है। यह अवकाश के बाद का सत्र है।

अवकाश के पश्चात् उसी विषय पर वही अपनी बात कहेंगे कोई और नहीं।

श्री सुरेश प्रभु : हां, बिल्कुल। यह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने भी कही। परन्तु अभी भी मैंने यही कहा कि 6 बजे के बाद भी आप बैठ सकते हैं और विधेयक पारित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, आपने एक बार जो कह दिया, वह कह दिया। इस आसन का बड़ा महत्व है। अगले सत्र का आशय है अगला अन्तः सत्र जब आपने एक बार इस बिल को नैक्स्ट सैशन में लेने के लिए कह दिया, वह चेयर का फैसला है, अब इसे नैक्स्ट सैशन में लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों बातें कही हैं। अब फैसला हाउस ने करना है।

श्री नीतीश कुमार : ये जिस ढंग से चाहते हैं, पूरे सदन को मनमाने ढंग से चलाते हैं। इस सरकार के काम करने का कोई तरीका नहीं है। आज प्राइवेट मैम्बर्स डे है और अंतिम दिन भी है, इसीलिए 6.00 बजे के वाद बैठने का क्या तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी अफसोस है कि मुझे हाउस के फैसले का पता नहीं कि क्या फैसला हुआ था।... *(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत सीरियस मामला है। एक्वा-कल्चर के बारे में, सैशन शुरू होने से पहले, हमने सरकार से निवेदन किया था और प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। आज एक्वा-कल्चर इंडस्ट्रीज के फार्मर्स की हालत बहुत खराब है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, देखते हैं कि उसे कैसे लिया जाए लेकिन अब तो प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनेस शुरू हो गया है।

श्री सुरेश प्रभु : लेकिन इस सदन में माननीय सदस्य भी नहीं हैं जिससे इसे आज पास कराया जा सके।... *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, अगर 6.00 बजे के बाद हाउस चलाएंगे तो विरोध-स्वरूप मैं बाहर जाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र यादव।

श्री नीतीश कुमार : 6.00 बजे के बाद अगर सदन चलना है तो मैं अपने मोशन को विदड्रा नहीं करूंगा। मैंने बी. जे. पी. के सदस्यों का भाषण सुन लिया और इनका भी सुन लिया। अगर उसे निगेट करना होगा तो लोग निगेट कर देंगे लेकिन यह फैसला मुझे अमान्य है।

श्री काशीराम राणा : 31 मार्च के बाद इस बारे में पूरे देश में क्यास हो जाएगा। इसलिए आज इस बिल को पास करना बहुत आवश्यक है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : यह अक्वा-कल्चर अथॉरिटी बिल के बारे में है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे माननीय सदस्यों द्वारा की गयी चर्चा के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। परन्तु एक कठिनाई है। मैं हर समय आपसे सहयोग करने को तैयार हूं। मैं यह कह रहा हूं कि 4 अप्रैल को यह अध्यादेश व्यपगत हो जाएगा। इसलिए, उन्हें चर्चा करने दीजिए। मैं यहां उपस्थित रहने को तैयार हूं।

श्री नीतीश कुमार : आपसे यह अध्यादेश लागू करने को किसने कहा था ? अध्यादेश को लागू करने की तत्काल आवश्यकता क्या थी ? आपने कुछ नहीं किया है।

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री पी० आर० दासमुंशी : मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी तथा सरकार कार्य को जानते हैं और पिछले कई दिनों से हम किस प्रकार कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम 10.00 बजे तक बैठेंगे।

श्री नीतीश कुमार : हम पूरी रात बैठे।

श्री पी० आर० दासमुंशी : हम सदैव संसदीय शिष्टता और ऐसी प्रत्येक चीज के बारे में बात करते हैं। कभी-कभी हम इसे अपनी पार्टी के उद्देश्यों के अनुभव ठीक महसूस करते हैं। यह उचित नहीं है।

यदि कार्य सूची में कोई मद इतनी आवश्यक है जिसे आज ही 6 बजे के बाद भी पारित किया जाना जरूरी है, तो मंत्री जी को यह क्यों महसूस करना चाहिए कि यदि विधेयक पारित नहीं किया गया तो विधेयक को कुछ हो जाएगा ? यह उचित नहीं है। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह कि कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए--यदि उपाध्यक्ष जी गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को लिए जाने की अनुमति देते हैं, तो इसे गैर-सरकारी सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना लिया जाना चाहिए। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करने के पश्चात् यदि अध्यादेश को सही ठहराने के लिए सरकारी विधेयक पर चर्चा पूरी करने हेतु समय बढ़ाने के लिए सभा की सहमति होती है तो यह उचित है। हम यहां सहयोग करने को तैयार हैं और ऐसा नहीं है कि हम इसे समाप्त होने देंगे। परन्तु मंत्री जी एक विशिष्ट प्रस्ताव तथा इच्छा के साथ आना चाहिए और सभा उस पर विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं। हम 6 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं।

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : मैंने कभी नहीं कहा। कल अपने वक्तव्य में मैंने इसका उल्लेख किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री कहां हैं ?

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : मुझे सदस्यों द्वारा चर्चा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैंने कठिनाई बता दी है। मैं 6 बजे के बाद भी जितना समय उन्हें विधेयक पर चर्चा के लिए चाहिए, बैठने को तैयार हूं।

श्री सुरेश प्रभु : हम सरकारी कार्य को बढ़ाए जाने के विरुद्ध नहीं हैं। प्रश्न यह है कि समुचित सूचना दी जानी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण विधेयक को अन्तिम दिवस तक रोके रखना चाहिए था और इसे काफी पहले ही ले आया जाना चाहिए था। हम इस पर चर्चा कर सकते थे। · · *(व्यवधान)* हमें अपने सदस्यों को सूचित करना होगा।

श्री राम नाईक : कृपया संसदीय कार्य मंत्री को बुलाइए, उनसे पूछिए कि सरकार क्या चाहती है। अन्यथा सदस्यों के एक बार चले जाने पर सरकार अपेक्षित गणपूर्ति नहीं जुटा पाएगी। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री आएं और बताएं कि सरकार क्या चाहती है। हम सहयोग करने को तैयार हैं।

अक्वा-कल्चर अथॉरिटी बिल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे अवश्य पारित किया जाना चाहिए। परन्तु हम सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा है, अभी हम प्राइवेट मैम्बर बिजनैस शुरू कर देते हैं। इन दि मीन टाइम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आ जाते हैं।

[अनुवाद]

हम इसके बारे में स्पष्टीकरण ले लेंगे। श्री सुरेन्द्र यादव। · ·

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार सदन के प्रति गंभीर नहीं है और शाम को छः बजे के बाद इस तरह से बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना चाहती है। इसमें हमारा सख्त विरोध है। यदि सदन छः बजे के बाद बैठता है, तो इसके विरोध में मैं अनुपस्थित रहूंगा।

अपराह्न 3.38 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 19 मार्च, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 मार्च, 1997 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा विकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.39 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

मातृ-वंशावली विधेयक*

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी की भी वंशावली उसके मातृपक्ष से जानने के अधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"किसी की भी वंशावली उसके मातृपक्ष से जानने के अधिकार का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.39¼ बजे

प्रत्येक गांव में संचार सुविधा का उपबंध विधेयक*

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापटनम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन, डाकघर तथा तारघर संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन, डाकघर तथा तारघर संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-दो में दिनांक 21.3.97 को प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39½ बजे

युवा कल्याण विधेयक*

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अपराह्न 3.40 बजे

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापटनम) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

कपास उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर० साम्बासिवा राव (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कपास उत्पादकों के सुरक्षा और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कपास उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40¼ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 324 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री आर० साम्बासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40½ बजे

जानकारी तक पहुंच विधेयक*

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी नागरिकों की जानकारी तक पहुंच होने और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के सभी नागरिकों की जानकारी तक पहुंच होने और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सनत मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40¾ बजे

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 और 19 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती मीरा कुमार (करोल बाग--दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-दो में दिनांक 21.3.97 को प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीरा कुमार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

धर्म परिवर्तन का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में धर्म परिवर्तनों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में धर्म परिवर्तनों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41¼ बजे

मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41½ बजे

बेरोजगारी भत्ता विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आर० साम्बासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० साम्बासिवा राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41¾ बजे

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम (संशोधन) विधेयक*

(धारा 16 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-दो में दिनांक 21.3.97 को प्रकाशित।

अपराह्न 3.42 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 44 का लोप आदि)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 19 पर विचार करेंगे—श्री भगवान शंकर रावत द्वारा 6 मार्च, 1997 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार। श्री बनातवाला अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, पिछली बार जब श्री बनातवाला बोल रहे थे, अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया था कि उनके तत्काल बाद मैं बोल सकूंगा क्योंकि उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थीं जिन पर मुझे स्पष्टीकरण देना था।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वह अवैध घुसपैठ के बारे में था। आज हम अवैध घुसपैठ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप यह भूल गए। आज हम समान नागरिक संहिता पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, माननीय सदस्य मुद्दों के बारे में भूल गए हैं तथा इन्हें आपस में मिला दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप बोलें।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, यह इससे भी पहले था। इसलिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप पहले ही 21 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया संक्षेप में कहें।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर राष्ट्रीय वाद-विवाद किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 21 मिनट ले चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं सहयोग दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यह बताया है कि समान नागरिक संहिता की अवधारणा कुछ भ्रांतियों पर आधारित है। दुर्भाग्यवश चर्चा के दौरान अब अनेक असंगत मामले भी बीच में ले आए गए हैं। उदाहरण के लिए, मुसलमानों में बहुपत्नी प्रथा होने के बारे में कहा गया था। यह समान नागरिक संहिता की अवधारणा से असंगत मुद्दा है क्योंकि द्वि-विवाह के प्रावधान वाली एक समान नागरिक संहिता हो सकती है। यह संभव है। अतः इस प्रकार के असंबद्ध मामले लाए गए हैं।

उदाहरणार्थ, गोवा में, कतिपय परिस्थितियों में ही हिन्दुओं में बहु-विवाह प्रथा को संरक्षण दिया जाता है। अतः मेरा कहना है कि बहु-विवाह और जो भी मामले लाए गए हैं वे समान नागरिक संहिता की अवधारणा से अलग हैं। ये कतिपय समुदायों की स्वीयविधि में सुधार के रूप में मेल खाते हों। जहां तक मुस्लिम स्वीयविधि का संबंध है, ऐसे सुधार की आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं तो यही कहूंगा कि अन्य विभिन्न वर्गों की तुलना में मुसलमानों में बहु-विवाह की दर सबसे कम है।

मैं भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में समिति की रिपोर्ट जो 1974 में प्रस्तुत की गयी का जिक्र करना चाहता हूं। इसमें वर्ष 1961 में भारत की जनगणना के अध्ययन के अनुसार बहु-विवाह प्रथा के मामलों पर विचार किया गया है। इस रिपोर्ट में हमारे यहां विभिन्न वर्गों में बहु-विवाह प्रथा देखने को मिलती है और इसमें दिए आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि आदिवासी समुदायों में बहु-विवाह प्रथा की दर 15.25 प्रतिशत, बौद्धों में 7.97 प्रतिशत, जैनियों में 6.72 प्रतिशत, हिन्दुओं में 5.8 प्रतिशत और मुसलमानों में सबसे कम 5.7 प्रतिशत है।

अब महोदय, केवल यह ही नहीं, आदिवासियों में बहु-विवाह प्रथा में लगातार वृद्धि हुई है। 1931-40 के दशक में यह दर 9.53 प्रतिशत थी। 1941-50 के दशक में यह दर बढ़कर 17.53 हो गयी और 1951-60 के दशक में यह दर और बढ़कर 17.98 प्रतिशत हो गयी। यह सभी चीजें तो हैं ही लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, दुर्भाग्य से कई असंबद्ध मामले भी इसमें लाए गए हैं। एक बात का उल्लेख किया गया है · ·

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, हर चीज में हिन्दू और मुसलमान की बात जोड़ी गयी है, इस पर मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है।

मुनाफरत की जंग में देखो ये क्या-क्या हो गया
सब्जियां हिन्दू हुईं बकरा मुसलमां हो गया।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह बहुत अच्छा शेर है, लेकिन मुझे भी यह देखने में आता है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो आपको बहुत सारे शेर याद आ जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है, क्योंकि आप भी उर्दू भाषा जानते हैं और मैं भी उर्दू भाषा जानता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ अशआर उन लोगों के लिए भी रखिए, जो एक्सट्रेनियस मैटर्स में कह रहा हूं, यह इस बिल के अन्दर ले आए हैं। मैंने अक्सर कहा है कि हमें उस देश को याद रखना होगा कि 'हम' से हिन्दुस्तान है और 'हम' बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। 'ह' और 'म', उर्दू में 'ह' और 'मीम', हम, 'ह' से हिन्दु, 'म' से मुसलमान और दूसरी माइनोरिटीज, ये 'ह' और 'म' एक हुए, तब हुआ हम और हम हैं हिन्दुस्तान और इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन मुश्किल यह है कि ऐसे-ऐसे कन्सैप्ट लाए जाते हैं, जो नेशन को डिवाइड करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं, मुश्किलें आसान हो जाएंगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : हां। इसीलिए तो यह सदन है, यह सदन का एक बहुत बड़ा काम जो होता है, इस एवान का एक बहुत बड़ा काम जो होता है, जो पार्लियामेंटेरियंस ने बताया है और ज्यूरिस्ट्स ने बताया है कि विवाद का समाधान किया जाता है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-दो में दिनांक 21.3.97 को प्रकाशित।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

ڈپٹی اسپیکر : بنات والا جی ہر چیز میں ہندو اور مسلمان کی بات جوڑی گئی ہے اس پر مجھے اردو کا ایک شعر یاد آرہا ہے -

منافرت کی جنگ میں دیکھو یہ کیا کیا ہو گیا
سبزیاں ہندو ہوئیں اور بکرا مسلمان ہو گیا

شری جی - ایم - بنات والا (پونانی) : یہ بہت اچھا شعر ہے لیکن مجھے بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کو بہت سارے شعر یاد آجاتے ہیں -

ڈپٹی اسپیکر : اچھی بات ہے کیونکہ آپ بھی اردو زبان جانتے ہیں اور میں بھی اردو زبان جانتا ہوں -

شری جی - ایم - بنات والا : اسلئے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں - کچھ اشعار ان لوگوں کے لئے بھی رکھئیے جو اسٹیٹمنٹس میٹرس میں کہہ رہا ہوں یہ اس بل کے اندر لے آئے ہیں - میں نے اکثر کہا ہے کہ ہمیں اس دیش کو یاد رکھنا ہوگا کہ "ہم" سے ہندوستان ہے اور "ہم" بڑا امپورٹینٹ لفظ ہے - "ہ" اور "م" اردو میں "ہ" اور "م" ہم "ہ" سے ہندو "م" سے مسلمان اور دوسری مائنورٹیز یہ "ہ" اور "م" ایک ہوئے تب ہوا ہندوستان اور اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے - لیکن مشکل یہ ہے کہ ایسے ایسے کسیمپٹ لائے جاتے ہیں جو نیشن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں -

ڈپٹی اسپیکر : کوئی بات نہیں مشکلیں آسان ہو جائیں گی -

شری جی - ایم - بنات والا : ہاں - اسلئے تو یہ سدن ہے یہ سدن کا ایک بہت بڑا کام جو ہوتا ہے اس ایوان کا ایک بہت کام جو ہوتا ہے جو پارلیمنٹ ٹیرینس نے بنایا ہے اور جمہوریت نے بنایا ہے کہ

विवाद का समाधान करना है।

That is the resolution of conflict.

[अनुवाद]

अतः चर्चा का स्वागत है। उदाहरणार्थ, हमें तलाक के बारे में बताया गया है। पैगम्बर उनको शांति प्रदान करें उन्होंने कहा है कि तलाक उन सभी चीजों में जिनकी इजाजत दी गयी है, सबसे बड़ी चीज है। पैगम्बर ने आगे कहा है कि जब तलाक की घोषणा की जाती है, तो स्वर्ग हिल जाता है। ये परंपराएं, ये *सुन्नाह* मुस्लिम समाज पर भी प्रभाव डालती हैं।

यहां, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि युसुफ रौदर बनाम सोरम्मा ए. आई. आर. 1971, केरल 271 में क्या कहा गया है। उस समय न्यायमूर्ति श्री वी. आर. कृष्णा अय्यर केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति श्री वी. आर. कृष्णा अय्यर ने तलाक के सम्बन्ध में मुस्लिम कानून के बारे में कहा था :

> "वास्तव में विषय का गहन अध्ययन करने से आश्चर्य होता है कि तलाक संबंधी कानून एक तर्कसंगत, यथार्थवादी तथा आधुनिक कानून है।"

ये विभिन्न तथ्य हैं। जहां तक तलाक का संबंध है, अमरीका इस मामले में पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। मैं तलाक के इतिहास जाकर और हिन्दुओं में तलाक के इतिहास को कुरेद कर सदन का समय नहीं लूंगा। किन्तु जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, वैदिक काल में तलाक की कोई अवधारणा नहीं थी। उसके बाद स्मृति काल में नारद और अन्यों के द्वारा तलाक का विचार लाया गया। तृतीय काल में संतान न होने, सामंजस्य न होने और वैवाहिक जीवन के असफल होने की दशा में उपचार के तौर पर तलाक का रास्ता निकाला गया था। हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1955 और 1976 में मुख्य संशोधन के बाद तलाक के मामले बढ़ रहे हैं।

तथापि जो कुछ बातें मैंने कही हैं, वे समान नागरिक संहिता की अवधारणा से अलग हैं। समान नागरिक संहिता की वकालत इस गलत विश्वास पर की जाती है कि इससे एकता बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही विस्तार से बता चुका हूं कि इससे राष्ट्र के टुकड़े हो जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार हमें मुस्लिम देशों के बारे में बताया गया था। यहां इस गलतफहमी को जोकि चल रही है दूर करना जरूरी है। यह सभी जान लें कि सऊदी अरब, लीबिया, यमन, बहरीन, अफगानिस्तान और अन्य देशों में पारंपरिक मुस्लिम कानून को बदलने के लिए कोई कानून नहीं लाया गया है।

मैं पूरी सूची नहीं ले रहा हूं। सीरिया, ईराक, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के मामले में लाए गए कुछ परिवर्तन मुस्लिम न्यायशास्त्र के एक विद्यालय में किसी विशेष सिद्धांत के स्थान पर मुस्लिम न्यायशास्त्र के दूसरे विद्यालय का कोई सिद्धांत लाना ही है। इसलिए यह स्पष्ट है कि समग्र कार्य मुस्लिम न्यायशास्त्र के कार्य ढांचे के अन्तर्गत आता है। केवल दो देशों के मामले में शरियत से अलग हो गए हैं किन्तु वहां भी मुस्लिम कानून को ही मानने हेतु जोरदार आन्दोलन चला है। तो भी जैसा कि मैंने पहले कहा था अपने मार्ग-निर्देशन के लिए हम न केवल मुस्लिम देशों को देखते हैं बल्कि *कुरान* और *सुन्नाह* भी देखते हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने सरला मुदगल के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ—1995, 3 एस. सी. सी. 635 में न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने कहा था कि विवाह, विवाह-विच्छेद आदि संबंधी इन सभी प्रश्नों का धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 25, 26 और 27 इसमें आकृष्ट नहीं होते हैं। किन्तु इसके अलावा यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि इसी मामले में हम न्यायाधीश आर. एम. सहाय का टिप्पण देखें। उन्होंने अलग प्रकार का टिप्पण किया था तथा अपने अलग टिप्पण में न्यायाधीश आर. एम. सहाय ने कहा :

> "विवाह, उत्तराधिकार, विवाह-विच्छेद, धर्म-परिवर्तन स्वरूप और अन्तर्वस्तु में इतने ही धार्मिक हैं जितने कि अन्य आस्था अथवा विश्वास हैं।"

यह मैंने पैराग्राफ 44 से उद्धृत किया है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने इस विशेष तथ्य और सार को सभा के समक्ष लाने से पूर्णतया छोड़ दिया है। अतः मैं यह कहूंगा कि इस प्रश्न पर दोनों न्यायाधीशों के विचार भिन्न-भिन्न हैं और चूंकि केवल दो ही न्यायाधीश थे इसलिए बहुमत से भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने अपने निर्णय में ऐसी राय व्यक्त की है जोकि आश्चर्यजनक है तथा यह अनुच्छेद 145(5) के भी विपरीत है, इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है :

> "... किसी मामले की सुनवाई पर उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के बिना उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई ऐसी राय व्यक्त नहीं की जाएगी ...।"

किन्तु इस विशेष पहलू पर केवल दो न्यायाधीशों ने अपनी राय व्यक्त की जोकि भिन्न-भिन्न थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि "समान नागरिक संहिता की अवधारणा हमारे विभिन्नता में एकता" के कोमल उद्देश्य को अस्वीकार करना है। यह अवधारणा हमारे समाज के अनेक स्वरूपों को नष्ट करने वाली है। इससे हमारे देश में धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र का अन्त हो जाएगा। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं समान नागरिक संहिता एक विनाशकारी प्रयत्न सिद्ध होगा। विभिन्न समुदायों, जनजातियों और हिन्दुओं के भी अपने निजी कानून हैं। कृपया अनुच्छेद 371क (एक) और (छः) देखिए। ये अनुच्छेद विशेष रूप से नागाओं और मिजोरम वासियों के प्रथागत कानूनों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की रक्षा करते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

संविधान में संशोधन किया गया था तथा नागालैंड और मिजोरम के लोगों को यह विशेष गारंटी दी गयी थी कि उन्हें राष्ट्रीय मुख्य-धारा में लाया जाएगा तथा वहां पर विद्यमान पार्थक्यवादी गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। अतः मैं यह चाहता हूं कि हमें केवल ऐसी मृगतृष्णाओं और अवधारणाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए जो

[श्री जी० एम० बनातवाला]

संपूर्ण राष्ट्र को विभाजित कर देंगी। जैसाकि आप जानते हैं, हिन्दू भी भिन्न-भिन्न विचारों अथवा न्यायशास्त्रों का पालन करते हैं। आप इन्हें किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। किसी भी समान नागरिक संहिता को सभी पर बलपूर्वक लागू करने से हमारे देश में काफी तनाव उत्पन्न हो जाएगा।

जहां तक मुस्लिम कानून का संबंध है, यह एक दैविक और रहस्मयी कानून है। इसकी जड़ें कुरान और सुन्नाह में होती हैं, अर्थात् पैगम्बर की परंपरा (उसपर दया करें)। मुस्लिम वैयक्तिक कानून मुस्लिम के रूप में एक मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करता है! अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें अन्तर्विष्ट नियम ऐच्छिक नहीं हैं। ये वे सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता है।

अपराह्न 4.01 बजे

[प्रो० रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

कुरान में यह उल्लेख है :

"ये सीमाएं अल्लाह द्वारा निश्चित की गयी हैं। इनके बाहर न जाओ तथा यदि कोई इन सीमाओं को पार करता है तो वह पापी है।" यह सुरराह 2 अर्थात् 229 है।

महोदय, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक मुसलमान, एक मुसलमान के रूप में 'शरीयत' में किसी निराकरण अथवा हस्तक्षेप को न तो स्वीकार कर सकता है और न ही स्वीकार करेगा। 'शरीयत' एक मुसलमान के लिए अपनी जान से अधिक प्रिय है। अतः मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह विचार करना एक भ्रांति है कि समान नागरिक संहिता से एकता बढ़ेगी। नहीं। इसके विपरीत जैसा कि मैंने कहा है, इससे बहुत से मतभेद उभरकर आएंगे। मैंने यह भी बताया है कि अमेरिका में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं और कोई नहीं कहता है कि कानूनों की इन विभिन्नताओं से अमेरिका की एकता और आपसी सौहार्द को खतरा है।

वहां किसी समुदाय का स्वीय विधि शांति या युद्ध काल में एकता और अखंडता के पथ में कभी बाधा नहीं बना है। अतः ये भ्रांतिपूर्ण बातें हैं और इस अवधारणा पर अड़े रहने से मतभेद और तनाव के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं बताना चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था, जब समान नागरिक संहिता के बारे में इस अनुच्छेद 44 पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था :

"कोई भी सरकार अपनी शक्ति ऐसा उपयोग नहीं कर सकती कि मुस्लिम समुदाय उत्तेजित होकर विद्रोही बन जाए। मैं समझता हूं कि यदि सरकार ऐसा करती है तो वह पागल होगी।"

संपूर्ण देश में आदिवासियों और कुछ समुदायों के अपने कानून हैं। इन कानूनों ने कभी रूकावट नहीं डाली और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के रास्ते में नहीं आए। मैं खुश हूं कि कम से कम वर्तमान सरकार डा. अम्बेडकर के सिद्धांत वाक्य के अनुसार पागल नहीं कही जा सकती। मैं मंत्री का धन्यवाद करता हूं और यह बताना चाहूंगा कि हम प्रधानमंत्री और मोर्चा सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए एक शपथ पत्र दिया है कि सरकार के लिए बलपूर्वक समान नागरिक संहिता बनाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : मुस्लिम वोट के लिए डरते हैं।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : आप डा. अम्बेडकर पर अभियोग लगा सकते हैं कि उन्होंने यह मुस्लिम वोटों के लिए कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे संकीर्ण मानसिकता का पता चलता है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। इससे पहले कि भूल जाऊं, मुझे यह भी बताया गया था कि इस्लाम के आपराधिक कानून हैं और हम उन पर जोर क्यों नहीं देते। वह एक अलग भ्रांति है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम उलेमाओं और धार्मिक महापुरुषों की बहुत ज्यादा उपस्थिति थी और मुस्लिम उलेमाओं और धार्मिक महापुरुषों की बहुत ज्यादा उपस्थिति के बहुत से कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेज शासकों का मुस्लिम कानून में हस्तक्षेप करना था। अंग्रेज शासक मुस्लिम कानून की विभिन्न पहलूओं को हटाते रहे, जिससे यह विशेष स्थिति बनी। वहां यह सोच कार्य कर रही थी कि भारत के स्वतंत्र होने के साथ मुस्लिम इन कानूनों का पहले की तरह पालन करेंगे। आज भी, उसी भावना से शरिया न्यायालय को हमारी न्यायपालिका के अभिन्न अंग के रूप से संस्थापित कीजिए और तब इस्लामिक आपराधिक कानून को लागू करिए। ऐसा करना राष्ट्र के हित में होगा।

सभापति महोदय, मैं अनिवार्य समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे मतभेद पैदा न करें, तनाव न बढ़ायें और राष्ट्र को खंडित न करें। मैं विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि देश की एकता के हित में ऐसे विघटनकारी और विध्वंसक विचार वाली समान नागरिक संहिता के बारे में बात न करें और इस विधेयक को वापिस ले लें। मुझे विश्वास है कि सरकार भी, अवश्य ही, ऐसा अनुरोध करेगी। किन्तु मैं पहल करने का यत्न कर रहा हूं। यह अच्छी बात है कि हमने ऐसी चर्चा की और इतने लंबे समय से मैं विभिन्न पहलुओं और भ्रांतियों पर बोल रहा हूं, जो हमारे बीच में है।

मैं लिंग भेद के आधार पर न्याय की चिन्ता को समझता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हमारा और हमारी प्रणाली का संबंध है; यह लिंग भेद के आधार पर न्याय के बारे में अत्यधिक चिन्ता की बात है। यदि कोई अन्य समुदाय अपने स्वीय कानून में परिवर्तन करना चाहता है, तो यह उनके अपने निर्णय का मुद्दा है। अवश्य ही, मैं लिंग भेद के आधार पर न्याय के प्रश्न पर न जाकर और विभिन्न प्रावधानों को आपके सामने रखकर, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम में लिंग भेद के आधार पर न्याय सबसे अधिक है और सबसे अच्छे ढंग से है, सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इसमें यह न्याय किसी भी अन्य विद्यमान प्रणाली से अधिक है, मैं दावा करता हूं। वास्तव में हमने उस पर चर्चा शुरू की है। वर्तमान

चर्चा से वह उद्देश्य पूरा हो या न हो, किन्तु यह केवल समान नागरिक संहिता तक सीमित थी।

यहां इसको अपनाने की रट लगायी गयी है और देश में तनाव और दबाव बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस सारी चर्चा के साथ ही अब यह विधेयक वापिस ले लिया जाएगा और हम देश के विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना जारी रखेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसात) : यह विधेयक संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधानों के अन्तर्गत लाया गया है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि संविधान का भाग-चार क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 51 तक उद्देश्यों और कारणों की लंबी सूची है, जिनका अर्थ यह है कि राज्य इन सिद्धांतों के आधार पर राज्य की नीति बनाने का प्रयत्न करेगा। मुझे संविधान का अनुच्छेद 44 पढ़ कर सुनाने दें ताकि कोई गलतफहमी न रहे कि मैं इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्या कहना चाहता हूं। अनुच्छेद 44 में निम्नवत बताया गया है :

"कि राज्य, भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

हम अनुच्छेद 39 से शुरू करते हैं :

"राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामुहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

मैं कहता हूं कि संविधान में अधिसंख्य मदों का प्रावधान है, जिन पर सरकार को अपनी नीतियां बनानी चाहिए ताकि वे उद्देश्य धीरे-धीरे प्राप्त किए जा सकें।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से बार-बार न बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : यह एक खाली सदन है।

श्री चित्त बसु : यहां खाली होने का प्रश्न नहीं है। यहां सिद्धांत का प्रश्न है। मैं भी इस विधेयक के संबंध में अपनी पार्टी के विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सुरेश प्रभु : यह समय गैर-सरकारी विधेयकों हेतु है। क्या हम इसमें पार्टी मुद्दों को भी सम्मिलित कर सकते हैं ?

श्री चित्त बसु : ऐसा नहीं है कि मुझे राजनीति नहीं आती है। मुझे राजनीति का ज्ञान है। मैं गैर-आदर्शवादिता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। मैं आदर्शवाद में विश्वास करता हूं। हम यहां आदर्शवाद व्यक्त करने के लिए ही यहां हम हां जी कहने या अच्छा कहलाने नहीं आए हैं।

ये सरकार के आधारभूत उद्देश्य के बहुत से पहलू हैं। क्या मैं आपसे सभापति होने के नाते एक आसान प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या सरकार उन सभी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वयन में सक्षम है।

नहीं यह नहीं किया गया है। यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें, तो मैं कहूंगा कि वर्तमान प्रणाली के भीतर उन सभी सिद्धांतों का कार्यान्वयन कभी नहीं किया जाएगा, जब तक कि नया सामाजिक ढांचा न बना लिया जाए। नया सामाजिक ढांचा केवल सामाजिक परिवर्तन से बनाया जा सकता है। जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाया जाएगा, यह वाद-विवाद का विषय है और संसद सामाजिक क्रांति का साधन है या कुछ अन्य तरीके जरूरी हैं: यह महान आदर्शवादी लड़ायी है। हमें यह लड़ायी सदन के अन्दर और सदन के बाहर लगातार लड़नी पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा कि ये सभी बातें लागू नहीं होंगी। आगे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन बातों को लागू नहीं कर पाएगी, जब तक नयी राजनीतिक प्रणाली से पुराना सामाजिक ढांचा नहीं बदला जाता।

संविधान का भाग-चार नीति निदेशक सिद्धान्तों के बारे में है। देश के संविधान के भाग-चार (क) में भी नागरिकों के कर्त्तव्य के बारे में उल्लेख है।

अनुच्छेद 51क में कहा गया है—

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, आस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें;

(घ) देश की रक्षा करना तथा जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना;

(ङ) भारत के लोगों के बीच सद्भाव और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय अथवा वर्गीय विभिन्नताओं से परे होना; महिलाओं के गौरव घटाने की प्रक्रियाओं का परित्याग ..."

यह भी एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। यह भी पवित्र पुस्तक का एक भाग है। महोदया, जब हम अनुच्छेद 44 को समाप्त करने अथवा

[श्री चित्त बसु]

छोड़ देने की बात करते हैं तब क्या हम वास्तव में संविधान में निर्धारित अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर रहे होते हैं ? हम नहीं करते हैं। अनुच्छे 44 को निकाल देने से हमारे देश में सामाजिक और विभिन्न धार्मिक शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं होगा। इससे भारत एक नहीं होगा। इससे भारत विभाजित होगा। इससे फूट की भावना उत्पन्न होगी। इससे सद्भावना की भावना सुदृढ़ नहीं होगी। इससे विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा। ऐसा न करके हम देश के संविधान द्वारा निर्धारित किए अनुसार इस देश के नागरिकों के रूप में कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे। मैं सभा से इसका उत्तर चाहता हूं, आपसे नहीं। भाग-चार संविधान का एक भाग है। भाग-चार क भी संविधान का एक भाग है। यदि भाग-चार और भाग-चार क को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा ? मेरे विचार से कोई परिवर्तन, विशेषरूप से अनुच्छेद 44 को समाप्त करने अथवा निकाल देने जैसाकि इस विधेयक में मांग की गयी है, भाग-चार क का पूर्णतया प्रतिवाद करता है। मैंने इस प्रश्न को पहले उठाया नहीं था। अतः इसका उत्तर दिया जाए।

जैसाकि आपने पहले ही कहा है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा अथवा कोरी सिद्धांतवादी संभाषण नहीं दूंगा। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह धर्मशासित राज्य नहीं है। हमें पहले यह समझना होगा कि धर्मनिरपेक्षता का वास्तव में मतलब क्या है। धर्मनिरपेक्षता धर्महीनता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता नास्तिकता नहीं है। यदि कोई महसूस करता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्महीनता के समान है—भगवान में विश्वास न रखने वाले अथवा विश्वास रखने वाले—यह एक गलत व्याख्या है। यह धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। धर्मनिरपेक्षता आस्तिकता नहीं है; धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या में राज्य से धर्म को अलग रख रही है। सरकार सरकार ही है। सरकार को धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। यह सभी धर्मों की समानता का पर्याय भी नहीं है। यदि आप मेरे द्वारा दी गयी परिभाषा के अलावा कोई अन्य परिभाषा स्वीकार करते हैं, आप हमें कठिनाई में फंसा देंगे विशेषरूप से भारत के बहुलता वाले गुण को देखते हुए। जब आप शब्द की वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की भर्तसना करेंगे तो भारत भारत नहीं रह जाएगा। मैं जानता हूं यूरोप में किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है और भारत में धर्मनिरपेक्षता उस प्रकार की या उसके समान नहीं हो सकती। किन्तु विचार में समानता यह है कि यह बहुलता वाला समाज है और बहुलता वाले समाज में हमें सामंजस्य स्थापित करना होगा, हमें सहनशील बनना पड़ेगा। हमें विभिन्नताओं में एकता की भावना को मन में बैठाना होगा। एकल समुदाय में भी, विभिन्नता होती है।

यदि हम वैयक्तिक कानूनों अथवा वैयक्तिक प्रथाओं को लें तो इसका कोई अन्त नहीं है। मेरे दोस्त ने ठीक ही कहा था कि आप नागा समाज पर हिन्दू नियम नहीं लागू कर सकते हैं। उनके प्रथागत कानून हैं। मैंने इसे देखा है। मैंने इसे जाना है और इसे समझा है। मैं उनसे सहमत हूं। अतः मणिपुर में भी हिन्दुओं के यही विवाह कानून और विवाह-विच्छेद कानून नहीं हैं। हिन्दू समाज में भी ऐसी एकरूपता नहीं होती है। मैं आशा करता हूं कि यही बात मुस्लिम समाज के मामले में है। निःसंदेह मैं एक मुल्ला अथवा एक मुस्लिम नहीं हूं। जहां तक मैं समझता हूं भारत में विविधता है और यह विविधता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकती किन्तु प्रतिबिंबित होती है। अथवा जीवन भी इस विविधता से प्रभावित है; मेरा जीवन भी इस विविधता से प्रभावित है। कोई भी विविधता से ऊपर नहीं हो सकता। आज संसार एक तारा ग्रह के समान है। यह मानव सभ्यता की प्रगति है। अतः मैं अनुच्छेद 44 के निकालने के प्रति अपना विरोध व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम यह अनुच्छेद 4(क) जो कर्तव्य नाम अध्याय है के विपरीत होगा। इसीलिए मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता, मैं संविधान के अनुच्छेद 44 जोकि इस विधेयक का मुख्य, प्रारंभिक और विशेष उद्देश्य है को निकालकर संविधान के अनुच्छेद 4(क) को समाप्त नहीं कर सकता। इस मामले में, कानून और न्यायालय का बहुत ही कम महत्व है। प्रारंभिक भूमिका अदा की जाएगी तथा इसे समाज और समुदाय को स्वयं अदा करना चाहिए।

यदि कोई कानून पारित भी किया जाता है, तो इससे समाज का सुधार नहीं होगा इससे नागरिक जीवन, समाज को नया रूप मिलने नहीं जा रहा है। क्या किसी व्यक्ति के पास एक पत्नी से अधिक या एक पत्नी से कम हो सकती है—मैं नहीं जानता कि क्या एक पत्नी से कम हो सकती है · ·

श्री के० परसुरामन (चेंगलपट्टू) : एक पत्नी काफी है · · *(व्यवधान)*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह ठीक है, यह सामाजिक प्रगति है।

महोदया, चूंकि आप वहां हो, अतः मैं आपसे अपील करता हूं कि आप केवल एक महिला ही नहीं हैं बल्कि आपका अपना एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है जोकि अन्य पुरुषों से भी भिन्न हो सकता है। पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई महिला कौन से विशेष जीवन शैली अपनाए। हम किसी भी व्यक्ति के जोकि महिला है मूलभूत अधिकार की भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं चाहती हूं कि अन्य पुरुष भी आप ही की तरह उदार ह्रदय के हों।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं कह रही हूं कि हमारे दूसरे सदस्य भी उतने ही जेनरस हों जिनते आप हैं।

श्री चित्त बसु : आपको भी ऐसा बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

इसीलिए सुधारों की आवश्यकता है। यहां तक कि न्यायालय भी इस मुद्दे पर विभाजित हैं। मैं इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता हूं। मेरे मित्र ने ऐसा किया है। मैं तो न्यायमूर्ति सहाय की टिप्पणी से सहमत हूं। यही न्यायाधीश कहते हैं : "इसमें तो न्यायालय से ज्यादा समाज के पास आख्तियार है" अतः हमें समाज के पास जाना चाहिए। समाज को बदलने की जरूरत है और यह तो इच्छा-शक्ति होने पर ही हो सकता है। अब एक मुसलमान एक से अधिक पत्नी

रख सकता है या दो पत्नी या तीन पत्नी रख सकता है—इस मामले में यदि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर चलें तो कानून उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। इससे देश की एकता को भी खतरा नहीं होता है। मैं नहीं जानता कि कितने हिन्दुओं के एक पत्नी और अधिक स्त्रियां बिना किसी कानूनी विवाह के हैं।

महोदया,. आप यह नहीं जानती हैं। हमें अनुभव है। एक महिला मेरे पास यह प्रमाणपत्र लेकर आयी कि वह फलां-फलां व्यक्ति की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी या औरत है। उसने कहा यदि यह प्रमाणपत्र नहीं दिया जाए तो वह ट्रेजरी आफिस से पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएगी।

अतः आपको समाज में सुधार लाना होगा। समाज को सुधारने के लिए आपको सबसे पहले गरीबी हटानी होगी। गरीबी हटाए बगैर आप सांस्कृतिक पिछड़ापन दूर नहीं कर सकते हैं और आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पूरे अवसर भी नहीं मिलेंगे। आपसे मेरा मतलब है हमारे देश के लोग। आवश्यकता इस बात की है कि सभी के विकास के लिए पूरी गुंजाईश और अवसर हों। हम सभी का विकास चाहते हैं, सभी का समान विकास चाहते हैं।

हमें इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी लेना चाहिए। यदि इस सामाजिक पहलू को स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि जीवन की एक समान या भिन्न-भिन्न आचार संहिता केवल विगत की ही बात रह जाएगी।

अतः हमें समाज को अपने ही तरीके से सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और समाज में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि यदि समाज या समुदाय या किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है तो यह भी समाज के ही अनुरूप होना चाहिए।

महोदया, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब हम 21वीं सदी में तेजी से जा रहे हैं तब संविधान में इस तरह के संशोधन की बात की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, हमारे साथी श्री भगवान शंकर रावत ने जो बिल प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वास्तव में कुछ वर्ष पूर्व जब शाहबानो का प्रकरण चर्चा में आया था, तब भी इस विषय के ऊपर गंभीर चर्चा हुई थी। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के दो जजों की पीठ के निर्णय के बाद फिर यह विषय चर्चा में आया। मेरे पूर्व वरिष्ठ मित्रों ने अपनी काफी राय इस पर दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें अप्रसन्नता व्यक्त करने की बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक दोनों न्यायाधीशों ने किसी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सताए हुए लोगों की रक्षा और राष्ट्र की एकता व अखंडता इन दोनों बातों के लिए जरूरी है कि सबके लिए एकरूप संहिता बनायी जाए और उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन इस दिशा में सबसे पहले अल्पसंख्यकों से संबद्ध दीवानी कानूनों को तर्कसंगत बनाया जाए, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक सौहार्द बढ़े। हमारा उद्देश्य यहां पर कोई सौहार्द बिगाड़ने का नहीं है।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि हमसे हिन्दुस्तान है, तो हिन्दुस्तान तो पहले से ही है। इस देश की कल्चर ऐसी है कि जो यहां पर आया, यहीं पर रहना और बसना उसने पंसद किया। यह हिन्दुस्तान की संस्कृति है। दुनिया में हर मुल्क में हर एक के साथ अत्याचार हुए लेकिन इस देश में सबको प्रेम से लाया गया, बैठाया गया, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया गया।

मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 44 में जो प्रावधान किया गया है, उसमें साफ लिखा था कि "राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने और उसे लागू करने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं कि इस सुझाव के ऊपर जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने इस बात का प्रयास नहीं किया, उन्होंने इस बात की चिन्ता नहीं की कि इसका प्रयास करें। जब मंत्री महोदय जवाब देंगे तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वह यह बताएं कि क्या-क्या खाली लिखने के लिए एक लाइन मात्र थी। पिछले 50 वर्षों में देश की आजादी के बाद इस दिशा में कितना काम हुआ है। हमारे देश के अंदर अलगाव की प्रवृत्ति 50 वर्षों में बढ़ती गयी और एकरूपता के साथ लाने की बात नहीं की गयी और उसका परिणाम यह है कि आज हम समुदायों, बिरादरी और सब-कास्ट में बंटते चले जा रहे हैं और अगर वास्तव में आजादी के बाद हमने इस दिशा में चिन्ता की होती तो आज हिन्दुस्तान के बारे में ऐसी बात नहीं होती। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो आज हम अपने आपको हिन्दुस्तानी कहने के बजाए अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को कहना ज्यादा पंसद करते हैं। अब हम किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी को रख सकते हैं कि ऐसा काम करने के लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसा काम करने की जिम्मेदारी जो लोग सत्ता में रहे उनकी पहले रही है और उच्चतम न्यायालय के दोनों मान्य न्यायाधीशों के निर्णय के बाद निश्चित रूप से यह आवश्यक हो गया है कि हम लोग इस पर विचार करें, हम लोग इस पर चिन्ता करें, हम लोग इस बात की चर्चा करें कि जो हमारे बीच आपसी बदलाव का भाव आ रहा है उसको हम कैसे दूर करेंगे और दूर करने के लिए हमें कुछ विषयों पर विचार करना होगा। मैं यहां पर यह नहीं कहता कि किसी भी समुदाय या संस्कृति को अलग कर दिया जाए। हमें कुछ विषयों के बारे में मिल-बैठकर विचार करना चाहिए और विषय को वोट का मानकर नहीं चलना चाहिए और जो लोग हर विषय में वोट की बात रखते हैं वे निश्चित रूप से देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं।

मैं यहां पर बहुत ज्यादा विस्तार में अपनी बात कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरा कहना केवल इतना है कि जो आपसी विसंगतियां हैं उनको हमने समय रहते दूर करने का काम किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग मिल-बैठकर बात करें कि वास्तव में संविधान के निर्माताओं ने जो हमें एक प्रारूप दिया, जो एक दिशा दी, हम उसके हिसाब के कितना चल रहे हैं। अपनी इच्छानुसार संविधान में संशोधन करते चले जा रहे हैं। संविधान में 73वें, 74वें संशोधन हमने किए। क्या हम उसके अनुरूप अपने आपको चला पाने की स्थिति में बना पाए हैं। हमने सब वर्गों को आरक्षण देने की बात तो कर दी, परन्तु अब भी उसमें बंटवारा है और यह बंटवारा जैसा हमने आजादी के बाद सोचा था उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं। संविधान में तो यह भी लिखा था कि आरक्षण की व्यवस्था

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

10 वर्षों तक रहेगी, उसके बाद हम विचार करेंगे, या उसके बाद ऐसा नहीं होगा। परन्तु अब लोग कहते हैं कि आरक्षण को हम 200, 300 साल तक रखेंगे। हम आज इसकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आम आदमी का रहन-सहन ऊपर उठे।

आम आदमी एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें। आज हर बात को हम इस हिसाब से रखना चाहते हैं कि कैसे एक दूसरे के बीच बदलाव या भेद का भाव पैदा करके वोट प्राप्त किए जाएं। हमारे मित्र श्री भगवान शंकर रावत ने इसी आधार पर अपना विधेयक सदन में रखा है क्योंकि आज हिन्दुस्तान की पहचान धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। इस पहचान में एकरूपता लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।

मैं यहां इस कानून की ज्यादा व्याख्या में जाना नहीं चाहता, उस पर हमारे अन्य साथी बोलेंगे परन्तु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आपस में हमारे बीच बंटवारे की भावना नहीं रहनी चाहिए। आज देश में आदमी-आदमी के बीच जिस तरह खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को कौन दूर करेगा। आज देश में 80 प्रतिशत लोग एक प्रकार के कानून के समर्थक हैं और 20-25 प्रतिशत दूसरे प्रकार का कानून चाहते हैं। जहां मैं समझता हूं कि हमें एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वही इस सदन को भी इस मामले में विचार के लिए पहल करनी चाहिए। हम बहुत से विषयों पर समितियां बना लेते हैं, क्या इस मामले में किसी समिति का गठन नहीं किया जा सकता जो यह देखे कि वे कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें संशोधन या बदलाव करने की आवश्यकता है। आजादी के 50 साल बाद भी आज देश उसी दिशा में जा रहा है। जहां हम इक्कीसवीं सदी में जाने की बात करते हैं वही बहुत से मामलों में संकुचित दृष्टि से देखते हैं। हमें इस दृष्टि को छोड़कर नए सिरे से सोचना होगा।

श्री भगवान शंकर रावत ने इस सदन में जिस विषय को उठाया है, वह अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत सी बातें न्यायालय की मानते हैं, न्यायालय के निर्णय को सबसे ऊपर रखते हैं परन्तु जब हमारे मतलब का मामला नहीं होता तो न्यायालय के निर्णय को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। शाहबानो के मामले में ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि कुछ लोग न्यायालय की आलोचना करने में भी पीछे नहीं हटते और कहते हैं कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। परन्तु मैं मानता हूं कि हमें संकुचित दृष्टि से ऊपर उठकर इस मसले पर विचार करना चाहिए।

इस मामले में अधिक गहराई तक न जाते हुए, मैं सदन से इतना आग्रह जरूर करूंगा कि यह ऐसा मामला है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए जो यह तय करे कि देश को हम किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और क्या हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं ? उसके लिए समान नागरिक कानून अत्यन्त आवश्यक है। यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है बल्कि पूरे देश को साथ लेकर विचार करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि बहुत से मामले ऐसे हैं जिन पर समान कानून बनाना अत्यन्त आवश्यक है, भले ही कुछ लोग इस मामले में विभिन्न तर्क रखते हों।

इसलिए ज्यादा न कहते हुए, श्री भगवान शंकर रावत के विधेयक की भावना के साथ स्वयं को जोड़ते हुए, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर, पूरे विश्वास के साथ, हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर डिस्कशन का समय 4.37 बजे समाप्त हो रहा है। यदि सदन की इच्छा हो तो डिस्कशन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : हां, समय बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है। इस विधेयक पर डिस्कशन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति जी, जब से मैं इस सदन में आया हूं, उसके बाद लगभग 4-5 मर्तबा इसी तरह के बिल पर यहां चर्चा हो चुकी है और आज छठी बार फिर चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि पर्सनल लॉ क्या है ? पर्सनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसी दूसरी कम्युनिटी को अफैक्ट नहीं करता। हमारा क्रिमिनल लॉ कौमन है, अदर सिविल लॉज भी कौमन हैं लेकिन जो लॉ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए होता है, वही पर्सनल लॉ है। अगर मैं चाहूं तो हिन्दू लॉ अपना सकता हूं और उधर से कोई चाहे तो मुस्लिम लॉ अपना सकता है--यह इंडीवीज्यूअल की मर्जी पर है। बार-बार यह बात यहां इसलिए आ रही है।

अभी बनातवाला जी ने बहुत से तर्क यहां पेश किए। मैं उनमें जाना नहीं चाहता लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े भारत में बहुत-सी कम्युनिटीज रहती हैं, बहुत से प्रान्त हैं और हर कम्युनिटी के अलग-अलग तौर-तरीके हैं, कायदे-कानून हैं। जब हम कौमन कोड पर आएंगे, चाहे वह क्रिश्चियन कौमन कोड हो, हिन्दू कौमन कोड हो, मुस्लिम पर्सनल हो, सबमें शादी-ब्याह के अपने तरीके हैं कि किससे शादी की जा सकती है, किससे शादी नहीं हो सकती।

सभापति महोदया, दक्षिण भारत में मामा-भांजी का संपर्क सबसे अहम बात है। क्या आप इसे रखेंगे या हटा देंगे। मुसलमान महिला को मेहराना पर हक दिया है। यह हक रखेंगे या हटा देंगे। अगर यह हक हटा देंगे, तो मुसलमान महिला के साथ न्याय नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, तो बहुत सी नयी उलझनें पैदा कर रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदया, आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान में तालिबान ने एक हुक्म निकाला है कि जो कार की विंडो रहती है, उसकी स्क्रीन भी बंद रखी जाए, ताकि महिला को बाहर से न देखा जा सके। ऐसा हुक्म तालिबान ने निकाला है। मेरा निवेदन है कि यदि माननीय सदस्य इस बारे में कुछ जानकारी दे सकें, तो दें।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : सभापति महोदया, मैं तालिबान भी नहीं हूं। मैं अफगानिस्तान का भी नहीं हूं। मैं भारत का हूं और

भारत का कानून कैसा होगा, उस पर तकरीर हो रही है। मैं आपको बता दूं... *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : शरीयत के अनुसार पर्सनल लॉ तो एक जैसा ही है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : पर्सनल लॉ, शिया और सुन्नी में फर्क है। पर्सनल लॉ, हनैफी और अहलादीज में फर्क है। गुजरात में जो दाउदी वोहराज हैं, वे हिन्दू पर्सनल लॉ द्वारा गाइड होते हैं। जिन जिन्नाह साहब ने देश के टुकड़े किए वे भी हिन्दू पर्सनल लॉ से गाइडेड थे। सिफ इतना ही नहीं वे दस अवतार को भी मानने वाले थे। मुम्बई में जो इतना बड़ा कांड हुआ, दाउद इब्राहिम का भी जो हनैफी स्कूल का पर्सनल लॉ है, उसके साथ संपर्क नहीं है, बल्कि जो हमारा आपका पर्सनल लॉ है, उसके साथ संपर्क है।

मैं बनातवाला साहब की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मुसलमान ट्रेडीशन को बहुत ज्यादा फौलो करता है और उसके साथ-साथ लॉ ऑफ दि लैंड भी जुड़ गया है। खैर मैं इतनी तकरीर में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इसको छोटा कर रहा हूं और जिस चीज पर मैं आना चाहता हूं वह यह है कानून बदलने से समाज की सूरत नहीं बदलती। समाज की सूरत बदलना अलग चीज है और कानून बदलना दूसरी चीज है। सवाल है रिगार्डिंग पोलीगैमी। आप पार्लियामेंट में देख लीजिए। *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदया, सदन में विधि मंत्री जी नहीं हैं। यह विषय विधि से संबंधित है।

[अनुवाद]

महोदया, यह विषय कानून से संबद्ध है। विधि मंत्री सभा में नहीं हैं और माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अन्य माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं, यह सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि माननीय विधि मंत्री सभा में उपस्थित हों।

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : महोदया, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उस पर अन्य मंत्री महोदय ध्यान दे रहे हैं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : माननीय जलभूतल परिवहन मंत्री श्री टी० जी० वेंकटरामन और मैं विधि स्नातक हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैडम मैं आपकी अनुमति से आगे बढ़ूं या उनकी अनुमति से ?

सभापति महोदय : चेयर की अनुमति से।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपकी तरफ से रुकावट नहीं हो रही है। रुकावट तो उधर से हो रही है।

अच्छा हुआ लॉ मिनिस्टर साहब आ गए। मैं जिस जगह पर जाना चाहता था, उस पर मैं अभी तक इसलिए नहीं गया क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब यहां नहीं थे। इसलिए मैंने वह सवाल नहीं उठाया था।

मोहन जी, मैं जिस सवाल को उठाना चाहता था, वह मैं इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मिनिस्टर साहब यहां नहीं थे। अब मैं उस सवाल को उठा रहा हूं। भगवान शंकर लॉयर हैं या नहीं हैं, यह मुझे नहीं मालूम।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : वह लॉयर हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मालूम नहीं है लेकिन आपके यहां तो और भी लॉयर बैठे हुए हैं। यह विधि लाने के पहले भारत के दूसरे कानूनों को भी ढूंढ लिया होता तो शायद अच्छा होता। क्या आप सचमुच कॉमन कोड चाहते हैं ? अगर चाहते हैं तो आपको यह मालूम होता कि भारत में कॉमन कोड है। हिन्दू पर्सनल लॉ है, मुसलमान पर्सनल लॉ है, ईसाई पर्सनल लॉ है और क्रिश्चियन्स पर्सनल लॉ है और साथ-साथ कॉमन लॉ भी है जो कम्पलसरी नहीं है। उसके लिए आपको औप्शन है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और करने के बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपने इसे अपनाया है या नहीं अपनाया है।

क्या आपने सिविल मैरिज एक्ट का नाम सुना है ? कोई भी कम्युनिटी या कोई भी शख्स सिविल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकता है। किसी ने भी अगर एक मर्तबा सिविल मैरिज एक्ट में शादी कर ली तो बगैर कोर्ट की इजाज़त के वह तलाक नहीं दे सकता और न ही दूसरी शादी कर सकता है। इन पर लॉ ऑफ सक्सैशन भी चेंज हो जाएगा। पर्सनल कोड के मुताबिक नहीं इंडियन सक्सैशन कोड के मुताबिक होगा। मैंने इस चीज को जानबूझकर अपनाया है क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : आपकी पार्टी तो फेवर में है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : यूनीफार्म सिविल कोड के फेवर में मैं भी हूं लेकिन थोपने के फेवर में नहीं हूं। किसी भी कम्युनिटी की आवाज आ जाए तो उसका स्वागत है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : हिन्दुस्तान के नागरिकों की आवाज है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : जो अपोज कर रहे हैं, वे भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं।

श्री मोहन रावले : वे कर रहे हैं लेकिन आप तो नहीं कर रहे हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : जो मना कर रहे हैं, जो नहीं चाहते,

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

वे भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं। यह मत भूलना। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूं। मैंने इसे कोड को अपनाया है। मैंने मुल्ला को बुलाकर शादी नहीं की है। मैंने सिविल मैरिज एक्ट में शादी की है। मैं न तो तलाक दे सकता हूं और न ही दूसरी शादी कर सकता हूं। इससे मुझे एक फायदा भी हुआ है कि मुझे मेहर देने की जरूरत नहीं होगी। मेहर के हाथ से भी मुझे छुटकारा मिला है।···*(व्यवधान)* मेहर के हाथ से मैं बच गया।···*(व्यवधान)* तलाक के साथ मेहर का कोई संबंध नहीं है। आपको यह भी मालूम नहीं है।

[अनुवाद]

'मेहर' विवाह के प्रस्ताव के लिए होता है न कि तलाक के लिए।

[हिन्दी]

मैं और मेरी बेगम, किसी के भी इंतकाल के बाद मेरी जो जायदाद रहेगी, वह कम्युनिस्ट पार्टी की तो नहीं रहेगी लेकिन फिर भी जो भी रहे, उसका जो बंटवारा होगा।

[अनुवाद]

यह मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

हमारे यहां कॉमन कोड है। क्या आप में से किसी ने अपनाया है ?···*(व्यवधान)* अगर चाहें तो आप आज भी इसे अपना सकते हैं। जो शादी-शुदा हैं, वे भी कोर्ट में जाकर अपनी मैरिज को सिविल मैरिज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड करा लें तो उनकी पिछली जो कानूनी शादी है वह कैंसिल हो जाएगी और सिविल मैरिज कोड के मुताबिक जो शादी रजिस्टर्ड होगी, वही बरकरार रहेगी। गले से बोलने से आवाज उतनी बुलंद नहीं होती, दिल से बोलिए। ये जो इस बिल को बार-बार लाते हैं, इससे इनकी नीयत साफ नहीं लग रही है। मैं इस बिल से पहले 3-4 बार तकरीर कर चुका हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस बिल के इस हफ्ते में पारित होने की संभावना बहुत कम है। यह अप्रैल के बाद भी चलता रहेगा। मैं यह उम्मीद करूंगा कि मेरे बी. जे. पी., शिव सेना के दोस्त जो इस बिल का बड़ा डटकर समर्थन कर रहे हैं, वे अपनी-अपनी शादी सिविल मैरिज में रजिस्टर करके कम से कम वह सैर्टीफिकेट यहां लाएं।···*(व्यवधान)* हकीकत यही है कि यह औप्शनल है और इस औप्शनल चीज को कोई भी अपना सकता है। देश में वैसे ही बहुत गड़बड़ चल रही है। दिल टूटा हुआ है। हमें टूटे हुए दिल को जोड़ना है, उसे तोड़ने का काम करना देश के हित में नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि दूसरे कम्युनिस्ट लोगों के अंदर से भी आवाज आए। यदि यह आवाज आ जाए तो बहुत खुशी की बात है।···*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : यह मुस्लिम महिला की ही आवाज है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : यह तो बड़ी अजीब सी बात है कि मुस्लिम महिला रावले जी के कान में जाकर कहती है कि यह मेरी आवाज है। मैं न कॉमन कोड की बात कर रहा हूं न कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं लेकिन मेरे अपने-बेगाने तो मुस्लिम हैं। वे मेरे कान में न बोलकर आपके कान में बोल रहे हैं, यह भी सोचना पड़ेगा।

मैं इस बिल का विरोध इसलिए कर रह हूं क्योंकि अभी तक वह वक्त नहीं आया है। हमें इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार की घड़ी कब तक होगी, यह मालूम नहीं है। जो आपसे छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ हैं, वे यह न समझें कि बड़ी कम्युनिटी हमारे ऊपर जबरदस्ती कुछ थोपना चाहती हैं। जब तक उनके अंदर से आवाज न आए, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा।

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में एक बहुत संवेदनशील मामला उठ गया है। वैसे तो यह मामला लॉ का है, कानून-व्यवस्था का है लेकिन पिछले दो हफ्तों से मैं कानून एवं व्यवस्था पर बहस सुन रहा हूं। इससे पहले भी इस सबजैक्ट पर बहस हुई थी। पता नहीं क्यों इसमें धर्म का स्वरूप आ गया है। आज मेरे से पहले जो दो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने तो इस बिल को अपनी पार्टी के साथ जोड़ दिया है कि मैं यूनीफार्म सिविल कोड का समर्थन करता हूं लेकिन में इस पार्टी का हूं उस विचारधारा का हूं।

मैं इस भारत का एक पढ़ा-लिखा नागरिक हूं और आज की तारीख में इस सदन के सामने जो भी बोलना चाहूंगा, वह केवल इस दृष्टिकोण को महत्व देकर बोलना चाहूंगा कि भारत देश को विकास के पथ पर अग्रसर कैसे किया जाए।

इसलिए जहां पर किसी भी कानून व्यवस्था की, लॉ या रैगुलेशन की बात आती है तो उसको जाने-अनजाने में राष्ट्र से मैं जोड़ देता हूं। क्योंकि, पिछले 50 वर्षों में संविधान बना, संविधान के तहत बहुत सारे कानून बने। लेकिन राष्ट्र के प्रति विचार जितना होना चाहिए, उतना नहीं होने की वजह से हम लोग एक-एक समुदाय, एक-एक धर्म, एक-एक जाति और एक-एक संप्रदाय की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं और राष्ट्र की बात बहुत कम कर रहे हैं। यह भारत की आजादी का पचासवां वर्ष है, हर चीज को, हर कानून को, हर व्यवस्था को, यह तो हमको मालूम है कि इसमें बदलाव लाना आवश्यक है, लेकिन बदलाव इस दृष्टिकोण से लाया जाए कि जिससे राष्ट्र की भावना हममें जितनी होनी चाहिए थी, जो नहीं है, वह भी साथ-साथ जगे और बढ़े।

मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे नेताओं के भाषण सुने, जब कभी सदन के अंदर की गतिविधियां दिखायी जाती थीं, वे भी सुनीं, नेताओं के भाषण बाहर भी सुने। बहुत सारे स्लोगंस पिछले 50 वर्षों में इस देश ने चलाए हैं, गरीबी हटानी चाहिए या इस समुदाय को यह देना चाहिए, उस समुदाय को वह देना चाहिए। रिजर्वेशन की, आरक्षण की नीति भी अपनायी गयी, लेकिन आज की तारीख में यह सोचने का अवसर है कि जो सोचकर ये नीतियां अपनायी गयी थीं, क्या हमारा वह उद्देश्य पूरा हो रहा है। गरीबी हटी नहीं है, बेकारी हटी नहीं है, बेरोजगारी हटी नहीं है, बल्कि ये सारी समस्याएं बढ़ती गयी हैं।

भारत का संविधान सैकुलर है। सैकुलर की यहां पर व्याख्या भी की गयी है, लेकिन एक शब्द हम लोग भूल रहे हैं, 'सर्वधर्म समभाव'। सर्वधर्म समभाव में कहीं पर मुझे यह नहीं लगता कि किसी एक धर्म की कुछ बात की वजह से अगर दूसरे धर्म में हीन भावना पैदा हो या एक सैकेंड्री सिटीजन होने की भावना उनके दिल में आ रही है, तो मैं समझता हूं वह नीति सर्वधर्म समभाव अर्थात् सैकुलरिज्म की नीति के तहत नहीं आ सकती। आज अनजाने में यह होता है कि जो भी बात होती है, जो भी विषय होता है, घूम-फिरकर जाति, संप्रदाय और धर्म के साथ जुड़ जाता है। आज के वर्तमान भारत में धर्म का मतलब हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यह सारा धर्म का मतलब हो गया है। मैंने एक हिन्दू परिवार में जन्म लिया। हम हिन्दुओं में जितने स्क्रिप्चर्स हैं, वे मुझे सिखाए गए और उसमें सबसे महान एक जो है, जिससे मैं प्रभावित हुआ, वह भागवतगीता है, उसमें श्रीकृष्ण ने यही कहा था कि जब धर्म की हानि होगी और जब अधर्म बढ़ेगा, तब मैं आऊंगा। आज की तारीख में जब धर्म की परिभाषा ही बदल गयी है, तब इस सदन में मेरे से अनुभवी सदस्यों के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि पांच हजार वर्ष पहले जब इस्लाम नहीं था, जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, जैनिज्म नहीं था तो धर्म का क्या मतलब रहा होगा, जब अर्जुन को कहा गया था कि तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई यह तो परिभाषा नहीं थी। तब धर्म का मतलब वही था कि जो तुम्हारा कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है, जो तुम्हारा कर्तव्य अपने समाज के प्रति है और फिर अपने परिवार के प्रति है।

अपराह्न 5.00 बजे

[**श्री पी० सी० चाको** *पीठासीन हुए*]

वह धर्म का मतलब था। क्षत्रिय धर्म का पालन किया। अभी एक महानुभाव ने कहा कि मैंने अपने आप से धर्म को अपनाया और जो धर्म से कोड बनता है, उसको अपनाया, बिल्कुल सही है। अगर किसी ने क्षत्रिय धर्म को अपनाया है तो उसका पालन करना उसका कर्तव्य बनता है। ले-देकर जो धर्म की परिभाषा की बात आ जाती है, वह सिर्फ एक हो सकती है। हम सबका इस राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य बनता है, जो हमारी निष्ठा है, उसको सबसे अहम् मानना चाहिए।

मैं यह बिल उसी नजरिए से देखता हूं। जब चुनाव लड़े जाते हैं तो अलग-अलग किस्म के लोग संप्रदाय, जाति और धर्म के इकट्ठे होते हैं कि हमारे सामने यह समस्या है। इसको हल करना है और हमें अच्छे उम्मीदवार चाहिए, आप हमारी समस्याओं का निवारण कीजिए। लेकिन इस देश में आज यह स्थिति हो गयी है कि जब चुनाव घोषित होते हैं तो लोग अपनी-अपनी जाति, अपने-अपने धर्म और संप्रदाय के उम्मीदवारों को खोजने लगते हैं। भारत का एक पढ़ा-लिखा नागरिक होने के नाते मैं समझता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है। इसलिए आजादी के पचासवें वर्ष में बदलाव का अवसर मानता हूं। इसलिए इस बिल को एक बदलाव के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है।

हम लोग बहुत-सी जगहों पर जाते हैं। अजमेर शरीफ जाते हैं, शिरडी के साईं बाबा के पास जाते हैं। यहां सब धर्मों के लोग आते हैं। इससे मुझे केवल एक प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही प्रेम की भावना या विश्वास की भावना लोगों के दिल में पैदा कर पाएं, तो यह समाज जुड़ सकता है।

1857 की लड़ाई हुई थी। वह भारत के लोगों ने लड़ी थी। बनातवाला जी ने जैसे कहा कि हिन्दू और मुसलमान से हम बनते हैं। उन्हीं से हमने लड़ाई लड़ी थीं और बाहर के शत्रु की नाक में दम कर दिया था। वह दिन भी आ गया था जब उसे कभी भी जाना पड़ सकता था। आज के दिन हमें 1857 को याद करना होगा। 1858 में वह लड़ाई खत्म हुई। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने हिन्दू और मुस्लिम समाज को आपस में एक-दूसरे से अलग करने की नीति बनायी। यह बाकायदा क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन था और वहां से यहां लार्ड वायसराय को निर्देश आता था कि डिवाइड एंड रूल की पालिसी अपनाओ।

जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान बना। संविधान में यह निर्णय लिया कि भारत एक गणराज्य होगा, एक सेकुलर राज्य होगा और हम सर्व धर्म समभाव की भावना से देश को चलाएंगे। लेकिन जो हो रहा है, क्या वह देश के हित में हो रहा है ? अगर आप किसी एक धर्म या संप्रदाय के लोगों को बढ़ावा देंगे तो जाहिर है कि दूसरे धर्म के लोग भी नाराज होंगे।

यहां पर पर्सलन लॉ की बात है। इस देश की संस्कृति है जिसमें बहुत सारी परंपराएं बनी हुई हैं। हजारों साल से हम उन परंपराओं का, रूढ़ियों का पालन करते आए हैं। संस्कृति और पर्सनल लॉ उन परंपराओं से बने हुए हैं। इसीलिए जब कभी इसमें बदलाव के लिए हम सोचते हैं तो हमको एकदम से आघात लगता है। पहले ही सोचने पर आघात लगे, यह तो ठीक है, लेकिन यहां जो सज्जन उपस्थित हैं, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उसके ऊपर सोचें। बनातवाला साहब ने जो स्टेटिस्टिकल एनालिसेज दिए। उसमें पॉलीगैमी के विषय पर अपना वक्तव्य दिया। यह भी दिखाया कि हिन्दू समाज में मुस्लिम समाज की तुलना में ज्यादा पॉलीगैमी है। मेरा सदन के सामने प्रश्न यह नहीं है कि प्रतिशत कितना है।

हां, यह सत्य है कि पॉलीगैमी हिन्दू समाज में भी होती है। मुसलमान समाज में भी होती है। हर समाज में होती है। आज की तारीख में हर धर्म में हो रही है। यहां पर प्रतिशतता का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस चीज का है कि जो स्त्रियां हैं, क्या इसके लिए उनकी अनुमति है ? क्या हमने कभी उनकी मानसिकता के विषय में सोचा है ? क्या उनसे हम इजाजत लेकर यह पॉलीगैमी करते हैं ? अगर मुसलमान समाज ने उसको पर्सनल लॉ के तहत एप्रूवल दे दिया है, ठीक है, उसको एप्रूवल दे दिया है, किताब में लिखा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान स्त्रियों से क्या कभी पूछा है कि उन पर क्या गुजरती है ? क्या हिन्दू स्त्रियों से यह पूछा जाता है कि उन पर क्या गुजरती है ?

यह भी सत्य है कि हिन्दू समाज में कुछ लोग दो या तीन शादियां करने के लिए इस्लाम को अपनाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों का इस्लाम पर्सनल लॉ के तहत स्वागत करेगा ? क्या पर्सनल लॉ

[श्री नीतीश भारद्वाज]

का सहारा या उसकी आड़ लेकर किसी एक स्त्री के अधिकारों को कुचला जा सकता है ? आज की तारीख में यह सोचने का अवसर है। मैं इतना अवश्य जानता हूं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, वह सारे ही धर्मों में है। इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और जो फंडामेंटल ड्यूटी के 51ए(ई) में लिखा है :

[अनुवाद]

"भारत के सभी लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।"

[हिन्दी]

इन्हीं शब्दों पर मैं इस सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।"

हम जब दो शादियां करते हैं, तीन शादियां करते हैं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी पुरुष इस देश में जब ऐसा करता है तो क्या एक नागरिक के नाते इस संविधान का पालन कर रहा है ? केवल मुसलमान समाज में एक किताब में लिखा हुआ है और हिन्दू समाज में ऐसा नहीं लिखा गया है। क्या केवल इतना ही एक बहस का मुद्दा होगा ? मैं तो कहता हूं कि अगर मुसलमान समाज में पॉलीगैमी का प्रतिशत कम है और हिन्दू समाज में ज्यादा है तो यूनिफॉर्म कोड के आने से इस देश की जितनी स्त्रियां हैं, क्या उनको इस तरह से राहत नहीं दे रहे हैं ? क्या उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं ? आज की तारीख में जो पॉलीगैमी होती है, कोई भी पुरुष अपनी पहली पत्नी से नहीं पूछता। यह मानसिकता का सवाल है। आज भी आपने कहा, इन महानुभाव ने कहा, कि सभापति महोदया अपने बलबूते पर इतनी बड़ी बनी है। हमारी कुछ महिला मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा स्थान हासिल कर लिया है और हमको आप पर गर्व है। उन्होंने जैसे अनजाने में कह दिया कि हां, हमारे पति ब्रॉड माइंडेड हैं और इसलिए हमको एलॉउ करते हैं। यह भारतीय समाज के स्त्रियों की मानसिकता बन गयी है। स्त्रियों की इस मानसिकता को चेंज करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है क्योंकि यह स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करके, स्त्रियों के अधिकारों की बात करेगा। यहां पर मैं जानता हूं कि यह बहुत संवेदनशील इश्यू है। बनातवाला साहब ने बार-बार कहा कि अगर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया तो "इस देश में विभाजन होगा।" मेरी समझ में नहीं आता कि अगर मुसलमान समाज में स्टैटिस्टिकल विश्लेषण के मुताबिक यदि मुसलमान समाज में पॉलीगैमी का प्रतिशत इतना कम है और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो

[अनुवाद]

यह देश वैसे विभाजित होगा और इस विधेयक के आने से यह देश विभाजित क्यो होगा ?

[हिन्दी]

बार-बार अगर हम स्त्रियों की रक्षा की बात करें, हम किसी सूरत में स्त्रियों के अधिकारों की बात करें।

अगर वह बात कुछ मर्दों को नहीं पचती है, तो बात डिवीजन-ऑफ-दि-कन्ट्री तक पहुंच जाती है। इस पर मुझे थोड़ा अचरज हो रहा है। उन्होंने यहां अम्बेडकर जी का एक कोटेशन भी दिया और बताया कि—मुसलमान समुदाय को विद्रोह करने पर मजबूर मत कीजिए। मैं इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी ने जो कोटेशन दिया है, वह 1947 में साइटेशन के तहत जब रायट्स हुए थे, हिन्दू-मुसलमानों में तनाव पैदा हो गया था, उसको लेकर अम्बेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया था। किसी और रैफ्रेंस में लेकर अगर ये महानुभाव अपने मत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अम्बेडकर जी के स्टेटमेंट को डिस्टोर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अम्बेडकर जी का अपमान होगा। इसलिए उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था और मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं।

उन्होंने एक और बात कही थी और वह यह कि इस्लाम में औरतों को सबसे ज्यादा अपोर्चुनिटीज हैं, उनको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। यह जो बिल है, यह मेरे लिए स्त्रियों का बिल है। इसलिए जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। अभी सर्पोतदार जी ने बताया था कि तालीबन में आज ही खबर आयी है कि स्त्रियों को विन्डोज में वैसे ही प्रदर्शित न किया जाए, उनको देखा भी न जाए। इस तरह से आज के पेपर में वक्तव्य आया हुआ है। महोदय, इज़ीप्ट एक ऐसा देश है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और उस देश में मुस्लिम स्त्रियों के साथ एक समस्या है। जिस वक्त हम लंदन में रह रहे थे। उस समय एक बहुत अच्छी फिल्म दिखायी गयी थी और वह फिल्म एक मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट ने ही बनायी थी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि इस्लाम में स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। आज भी इज़ीप्ट जैसे देश में मुस्लिम स्त्रियों की जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उनके लिंग के साथ म्यूटिलेशन किया जाता है। उनके शरीर के एक लैंगिक हिस्से को काट दिया जाता है। यह इस फिल्म में दिखाया गया था, ताकि जब संभोग की प्रक्रिया हो, तो वह स्त्री परमोच्च सुख का जो बिन्दु होता है, वहां तक न पहुंच पाए। इसको सर्कमसिशन कहते हैं। यह भी मुस्लिम समाज में हो रहा है। इसलिए आप कौन से मुस्लिम समाज में स्त्रियों के अधिकार की रक्षा की बात कर रहे हैं। कृपया बनातवाला जी मुझे यह समझा दें।

महोदय, जाती तौर पर मैं मानता हूं कि यह बिल आना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें राष्ट्रीयत्व की भावना का सवाल है। पचास वर्षों में बहुत कुछ हो गया है। आज की तारीख में हम जो भी कानून बनाएं, जो भी निर्णय लें, वह ऐसा नहीं होना चाहिए,

जिससे हम दो कदम पीछे हट जाएं। इसलिए मेरा इतना कहना है कि यह बिल तो स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला है। यह बिल थोपने वाला है, इससे मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यदि कोई एक पार्टी इस बिल को लाती है, तो वह आपको थोपने वाला लगता है और कोई और पार्टी लाती है, तो वह थोपने वाला नहीं लगता है। मैं कहता हूं, हम इस सदन में पार्टी पोलिटिक्स करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहां पर लोगों का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। जन-समुदाय के हित में जो बात होगी, उसके लिए हम यहां पर बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय बहुत ही संवेदनशील है।

मैं आपके माध्यम से इस सदन से यह भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे भी प्रयास किए जाएंगे—जैसे कि हिन्दू समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, सिख संप्रदाय के बुद्धिजीवी हैं, सारे धर्म और संप्रदाय के जितने बुद्धिजीवी हैं इनका एक डेलीगेशन होना चाहिए। इनकी एक समिति गठित हो और उस पर विचार किया जाए कि क्या पर्सनल लॉ यूनिफार्म हो सकते हैं और यदि यूनिफार्म हो सकते हैं तो सर्वसम्मति से उसको किया जाए। अगर 50 साल के बाद भी हम अपनी सारी शक्ति को लड़ने-झगड़ने में खर्च कर देंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के विकास के दृष्टिकोण से दो कदम पीछे जाएंगे। या तो फिर इस सदन में ऐसा निर्णय लिया जाए कि पर्सनल लॉ, फेडरल लॉ या स्टेट लॉ को अलग किया जाए, लेकिन फिर आप मुझे यह समझाइए कि भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम समाज के बंधु जब ब्रिटेन और अमेरिका में जाते हैं,

[अनुवाद]

तब देश में विद्यमान कानून का शासन होता है। ब्रिटेन में मुसलमानों को वहां का कानून मान्य है। किन्तु, भारत में मुसलमानों को देश में विद्यमान कानून स्वीकार्य क्यों नहीं है ?

[हिन्दी]

यह मेरा प्रश्न है। मैं यहां पर किसी की भावना को दुखाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं, दोनों तरफ के विचार रख रहा हूं, इनको तोलना चाहिए। यदि पिछले 50 वर्षों की तरह हम लोग किसी एक मसले को उठा कर आपस में लड़ने-झगड़ने वाले होंगे और बहुत ज्यादा लड़ने वाले होंगे, सारी शक्ति उसी में खर्च कर देंगे तो उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे भारत के विकास की गाड़ी आगे नहीं जाएगी।

महोदय, यह बिल आना चाहिए, क्योंकि यह स्त्रियों के अधिकारों का बिल है। इसलिए या तो ऐसी एक समिति का गठन किया जाए, आपके माध्यम से सदन को और मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि पर्सनल लॉ और फेडरल स्टेट लॉ को अलग किया जाए और हर आदमी अपना-अपना जो पर्सनल लॉ है उसको फॉलो करता रहे और जो एक स्टेट लॉ होगा, सिविल कोड होगा, जो स्टेट का होगा वह सबके लिए एक होगा। जैसे क्रिमिनल प्रोसिजरल लॉ है। इसलिए शांति, अमन और विकास भारत में हमको करना है तो यह मैं बहुत आवश्यक समझता हूं, जब दोनों चीजों को तोलता हूं। आज की तारीख में इस बिल के जो लाभ देने वाले हिस्से हैं, जो स्त्रियों के अधिकार के हिस्से हैं वे मुझे ज्यादा दिखायी देते हैं, इसलिए इस सदन के सामने इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। ··*(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अगर स्त्रियों को अधिकार देना चाहते है तो पहले सामंतवाद लाइए। ··*(व्यवधान)*

श्री नीतीश भारद्वाज : सभापति जी, यह 50वां वर्ष है। यह वर्ष हमारे भारतीय समाज के लिए विशेष वर्ष है इसलिए यह जो त्रुटियां रही हैं, गलतियां और दोष हुए हैं उनको मानकर उनके ऊपर एनलसिस करके हमको आगे जाना है। यदि सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस एक लाईन को निकाल देगी कि जो हमारे दोष हुए हैं और त्रुटियां रही हैं उनको हमको देखना है और उसके बाद आगे की नीतियां बनानी हैं तो मैं समझता हूं कि यह जो सरकार का रवैया है, यह ठीक नहीं है, यह हर नीति में हर कानून को बनाते हुए वह जो काटा हुआ भाषण है, यहां पर सरकार के दो-चार मंत्री उपस्थित हैं। ··*(व्यवधान)* आप लड़ने की बात मत कीजिए, यहां पर अनुभवी लोग उपस्थित हैं। भले ही ठीक है काट दिया, हो गया सो हो गया लेकिन उसको ध्यान में रखकर हर नीति को बनाएं तो इस भारत की गाड़ी कहीं आगे जाएगी।

***श्री के० परसुरामन** (चेंगलपट्टु) : माननीय सभापति महोदय, श्री भगवान शंकर रावत द्वारा इस सभा में प्रस्तुत विधेयक के बारे में द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम की ओर से बोलूंगा।

प्रस्तावित संविधान संशोधन—हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के बारे में है। इसमें लिखा है "राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा," वह इसमें 51(ग) भाग चार-ख भी लाना चाहते हैं। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करेगा। इन दोनों के बीच क्या अंतर है। वे इसमें से "प्रयास" शब्द को हटाना चाहते हैं। इसके बाद इसका पाठ राज्य · प्राप्त करने का प्रयास करेगा" नहीं रहेगा—अपितु,—इसका पाठ "राज्य · प्राप्त करेगा—" हो जाएगा। वे समझते हैं कि केवल "प्रयास" शब्द को हटा देने से उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। किन्तु हमारे संस्थापकों, जिन्होंने संविधान बनाया, ने इसके गुणा व गुणों को बहुत सावधानी से परखा कि इसे अन्यथा न देकर राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत में दिया जाए। स्वतंत्रता के इन 50 वर्षों में हमने कई राज्य बना दिए। ये भाषायी राज्य उन राज्यों की संस्कृति, रीति-रिवाज़ और उन भाषाओं के बोलने वालों की परंपराओं को बरकरार रखते हुए वहां की भाषाओं को सही स्वरूप में रखने के लिए बनाए गए थे। हमारे संस्थापकों ने सोचा कि—ये सांस्कृतिक तत्त्व एक दूसरे के मामलों में बिना दखल दिए अस्तित्व में रहनी चाहिए और उन्हें उनको अपनी स्वीकृत सांस्कृतिक परंपराएं बनाए रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने यह उचित समझा कि इससे देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार सुनिश्चित होंगे। मेरे एक सहयोगी जो मुझसे पहले बोले थे, ने कहा कि इन 50 वर्षों में हमारे संविधान को अस्सी से अधिक बार संशोधित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह संशोधन अभी से लागू किया

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के० परसुरामन]

जाना चाहिए। यदि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो एक तरीका होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मेरे साथी यह बात दिमाग में रखें। ऐसे संशोधन इस सभा में किए गए थे और यह हमारे जैसे सदस्यों द्वारा लाया गया था। जिन्होंने अपने विचारों का स्वरूप दिया और उचित संदर्भ में अपने तर्क रखे। इसीलिए हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि इस संशोधन में उचित संदर्भ को नजरअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए—जिसको ध्यान में रखते हुए यह बताया गया था। और हमें हमारे संविधान में दिया था। अब तक किए गए संशोधनों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में तर्क होंगे। मेरे जिस साथी ने संशोधन के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उसे यह बात समझनी चाहिए। जब श्री बनातवाला बोले तो उन्होंने कहा कि—हम देखते हैं कि समाज के कई भागों में बहु-विवाह प्रचलित है। यह मुसलमानों तथा कई जनजातीय समुदायों में आमबात है। मैं समझता हूं कि यह जनजातियों में अधिक है। मैंने यह भी देखा है कि उनमें से कुछ प्रतिमाह एक बीवी लाते हैं। क्या हम उनमें एकदम परिवर्तन कर सकते हैं ? क्या हम उनके अधिकारों में दखल कर सकते हैं ? हम इस संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं और हमारा यह भी विश्वास है कि यह एक सामान्य विधेयक है। किन्तु, हम असामान्य रीति-रिवाज़ों को रातोरात कैसे बदल सकते हैं ? उनकी संस्कृति ही ऐसी है। मैं कमीज़ पहनता हूं दूसरा व्यक्ति कोट सूट पहन सकता है। सरदार जी की दाढ़ी होगी। कोई अन्य दाढ़ी बनाने में विश्वास रख सकता है। हमारे समाज में विभिन्न परंपराएं तथा रीतिरिवाज़ हैं। हमारी संस्कृति में इस प्रकार की विविधताएं हैं। भारत बहुसांस्कृतिक देश है। हमारे स्वर्गीय नेता "अन्ना" ने 50 वर्ष पहले कहा था कि एक संस्कृति, एक ईश्वर, एक धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मानव एक जाति और केवल एक भगवान है। क्या आप इस सिद्धांत को अपना कर अनुसरण कर सकते हैं। यहां भगवान बहुत से हैं। यदि आप एक भगवान को अपना सकते हैं तो हम एक संस्कृति को स्वीकार कर सकते हैं। तब इसका मतलब होगा कि हम सुधार करेंगे। ईसाई एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। मुसलमानों का एक ईश्वर है। सिखों का एक ईश्वर में विश्वास है। जबकि हिन्दुओं के भगवान असंख्य हैं। एक ही समय में हम इन सब भगवानों को एकजुट नहीं कर सकते तो हम सब लोगों को एकजुट कैसे कर सकते हैं और इस संशोधन के जरिए हम यह कार्य कैसे कर सकते हैं। क्या इससे देश विभक्त नहीं हो जाएगा ? देश को एक बनाए रखने के लिए ही हमारे संस्थापकों ने ऐसा विधान किया है। वे इसके बारे में बहुत गंभीर थे। उनकी चिन्ता देश को एक बनाए रखने की थी। उन्होंने सोचा कि देश की एकता तथा निष्ठा विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को उनकी परंपरा को अपनाने की स्वतंत्रता देकर ही बरकरार रखी जा सकती है। प्रत्येक सांस्कृतिक समूह की अपनी पहचान है। इस विशेषता को बनाए रहने देना चाहिए। विभिन्न समूहों की पहचान एक समामेलन में समाप्त नहीं होने देनी चाहिए। संविधान सभा में हमारे पूर्वजों ने यह विधान बहुत सोच समझकर बनाया था।

क्या आज हमारे बीच में एकता है ? धार्मिक मतभेदों की बात छोड़िए, हम इससे कभी नहीं सीख सकते और हम एक-दूसरे का आदर भी नहीं कर रहे हैं। और यहां तक कि हम दूसरे समुदाय के बच्चों की बलि चढ़ाने की बात भी मान लेते हैं। मैं आपको, एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं जहां एक सवर्ण जाति के नेता की प्रतिमा को सिर्फ इसीलिए धोया गया, क्योंकि इसका अनावरण एक निम्न जाति के नेता ने किया था। उस प्रतिमा को 'गंगा स्नान' कराया गया। जब हमारे बीच ऐसे मतभेद और फूट पड़ी हो, तो हम कैसे समान नागरिक संहिता की बात सोच सकते हैं। अतः यह संविधान में संशोधन करने का समय नहीं है।

यदि हम इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम अपने राजनैतिक ढांचे में हर चीज में तो समान कानून की बात को कर सकते हैं लेकिन नागरिक संहिता में नहीं। दीवानी कानून और फौजदारी कानून दो अलग-अलग चीजें हैं। दीवानी कानून एक समान हो सकता है, किन्तु नागरिक संहिता समान नहीं हो सकती। सभी फौजदारी कानून समान हो सकते हैं और सभी नागरिक कानून के सामने समान होंगे। संवधिान में संशोधन करके समान नागरिक संहिता लाने के प्रस्ताव का मैं पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ए० सी० जोस (इडुक्की) : यह बहुत ही विवादास्पद विषय है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए या नहीं। यह बहस इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही चल रही है। 50 वर्षों से हम इस पर बहस कर रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं कि बहुत से न्यायिक निर्णयों के अन्तर्गत बहुत से दिशा-निर्देश दिए हैं। अवश्य ही न्यायपालिका को लोकतंत्र में इस फैलायी गयी गंदगी को साफ करना पड़ता है।

1986 में शाहबानो का मामला आया था। इससे समान नागरिक संहिता के संबंध में उपदेश देने वालों और इसकी वकालत करने वालों को यह कहने का मौका मिलता है कि प्रत्येक समुदाय की स्वीय विधियों में कुछ खामियां हैं और उन्हें बदला जाना चाहिए। इसके बाद हाल ही में उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय आया जिसने समान नागरिक संहिता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए और हवा दी। यहां भ्रांति या गलतफहमी यह है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता बनाने हेतु कभी कोई निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने इस मामले पर चर्चा करते हुए यह सुझाव या मत व्यक्त किया है कि समान नागरिक संहिता 'वांछनीय' हो सकती है। उच्चतम न्यायालय का निर्देश इस संबंध में व्यक्त इच्छा से अलग है।

इस देश में अनेकों बातें वांछनीय हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनेकों बातें वांछनीय हैं। समाज कल्याण हेतु अनेकों बातें वांछनीय हैं। किन्तु सभी वांछनीय बातें व्यवहारिक नहीं हो सकती हैं और यदि सभी वांछनीय बातें पूरी हो जाए और उन पर अमल हो जाए तो हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। अतः सभी वांछनीय बातें पूरी नहीं हो सकती। यह एक बात है।

दूसरे, न्यायालय इसे 'वांछनीय' कहेगा। सरकार या राजनैतिक पार्टियों या प्रशासन को इस पर कार्यवाही करते वक्त इसके विभिन्न पहलुओं की जांच करनी पड़ेगी।

अतः इस सम्मानीय सदन के समक्ष मेरी धारणा या मेरा मत

यह है कि न्यायालय ने कभी कोई निर्देश नहीं दिया है। यह राजनैतिक मामला है। यह सरकार का कार्य है कि यह कोई समान नागरिक संहिता बनाए या नहीं। उस प्रसिद्ध निर्णय के बाद अभी हाल ही में उच्च न्यायालय के अन्य निर्देश से यह निष्कर्ष निकला है कि न्यायालय इस पर निर्णय नहीं दे सकता है।

अतः यह निर्णय तो सरकार को करना है। जब हम सरकार से निर्णय करने के लिए कह रहे हैं, तो सरकार को इस देश की जनता की राय के सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए। सरकार को देश के सभी समुदायों को देखना पड़ता है। भारत एक बहुत ही जटिल देश है। राष्ट्र समुदाय में भारत जितना कोई भी देश इतना जटिल और पेचिदगी लिए नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हमारी कितनी भाषाएं हैं। क्या हमारी भाषाओं की कोई गिनती है ? मुझे बताया गया है कि लगभग 1,200 भाषाएं हैं, जिनकी अपनी लिपियां हैं और हमारी आठवीं अनुसूची में 21 भाषाएं सम्मिलित हैं। विश्व में केवल सोवियत संघ ही कमोबेश भारत के बराबर है, जहां 16 भाषाएं बोली जाती हैं। अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है, जहां इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं।

धर्म के बारे में क्या कहें ? हमारे यहां कितने धर्म हैं ? क्या किसी ने गिना है ? मेरे अनुसार धर्म और सम्प्रदाय मिलकर लगभग 18,000 धर्म होंगे। भिन्न-भिन्न जातियां हैं। ये जातियां हमने नहीं बनायी हैं, इसके पीछे इतिहास का हाथ है। हमारी *चतुर्वर्ण* व्यवस्था *पुराण और वेदों* का परिणाम है। वे बनाए नहीं गए *थे*, ऐसा हो गया था। यह हमें उत्तराधिकार में मिला है। यह पूर्वजों की देन है। किन्तु यह आश्चर्यजनक है कि हम सभी मतभेदों के बावजूद पिछले 50 वर्षों से बिना किसी बड़ी समस्या के देश में इन्हें झेलते रहे हैं। अतः प्रत्येक धर्म ने समय के साथ-साथ अपनी-अपनी स्वीय विधियां बनायी हैं। वे कानून धर्म द्वारा विभिन्न रूपों में लागू किए जाते हैं। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि संविधान में सभी धर्मों, जातियों के लोगों का पूजा और अन्य अधिकार सुरक्षित हैं। हमारा संविधान कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें जो कुछ भी गलत हो, किन्तु हमारा संविधान विश्व के सर्वाधिक बुद्धिमान मनीषियों द्वारा बनाया गया पाक और बहुमूल्य दस्तावेजों में से एक है।

इसमें नीति-निर्देशक सिद्धांत हैं। इस समय हमने सोचा था कि हम समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयत्न करेंगे। महोदय, जब आप हमारे संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को देखें, जैसा मैंने कहा है, इसमें बहुत सी बातों का संविधान ने निर्देशित किया है। संविधान का निर्देश था कि इस देश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया जाना चाहिए। क्या हमने ऐसा किया ? हमने वहां से भी मद्यनिषेध उठा लिया जहां लागू किया था। मुझे यह भी बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में बहुप्रचारित मद्यनिषेध वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा उठाया जा रहा है। अतः बहुत से निदेश दिए गए हैं। उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था और उनका एक सपना था—मेरे विचार से उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत सी बातें सोची थीं लेकिन वे व्यवहारिक नहीं हैं। हमें सभी अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना है—बल्कि छोटे से छोटा अल्पसंख्यक समुदायों को भी देखना है। मेरे विचार से अल्पसंख्यक राष्ट्र की शक्ति हैं। निःसंदेह, कोई भी कह सकता है कि हमारे यहां 62 प्रतिशत बहुसंख्यक हैं और 18 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं। किन्तु क्या हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। यदि हम अनदेखा करते हैं, तो क्या इसें लोकतंत्र कहा जा सकता है ? इस देश में समान नागरिक संहिता न होने से क्या गलत हुआ है। समान नागरिक संहिता न होने के बावजूद हमने प्रगति की है या नहीं ? अतः समान संहिता हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज है और हम इसे वहन नहीं कर सकते हैं। हमें इस देश के सभी अल्पसंख्यकों की इच्छाओं का ध्यान रखना है। अतः मेरा कहना यह है कि समान नागरिक संहिता वांछनीय हो सकती है, लेकिन व्यवहार्य नहीं। वांछनीयता और व्यवहारिकता अलग-अलग बातें हैं। अतः मेरा कहना यह है कि जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य मामले में · *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोस, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए हमें इस विधेयक हेतु समय बढ़ाना है।

माननीय सदस्यों, हमने निर्णय लिया था कि यह चर्चा अपराह्न 5.37 बजे तक चलेगी। अभी छह और सदस्यों को बोलना है। अतः मेरा सुझाव है कि हम सभी सदस्यों को इस विधेयक पर बोलने हेतु कुछ और समय बढ़ाना चाहिए। क्या सदन सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : धन्यवाद, अतः हम समय बढ़ाते हैं। श्री जोस, बोल सकते हैं।

श्री ए० सी० जोस : महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि संविधान के मूल या आधारभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। समान नागरिक संहिता बनाकर हम संविधान के आधारभूत ढांचे को बदल देंगे। संविधान का आधारभूत ढांचा लोकतांत्रिक प्रकृति का है। कहीं भी पूजा करना या स्वीय विधि को व्यवहार में लाना यदि वह समाज के लिए हानिकारक नहीं है, तो वह मौलिक अधिकार है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि पिछले पचास वर्षों से हम काम चला रहे हैं। मेरा कहना यह है कि समान नागरिक संहिता बिल्कुल व्यवहार्य नहीं है। कोई भी समान नागरिक संहिता संविधान के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगी और अतः इस संविधान संशोधन विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही इसे पारित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : सभापति जी, मेरे सहयोगी श्री भगवान शंकर रावत जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आपात स्थिति जब हिन्दुस्तान में लगी थी, तब भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। मैं आपात स्थिति का विरोधी था और उस समय की सरकार ने, आपात स्थिति का विरोध करने के लिए हमें पकड़कर जेल में बंद किया था। लगभग एक वर्ष मैं चंडीगढ़

[श्री सत्य पाल जैन]

जेल में रहा। आपात स्थिति में सरकार की नीतियों का शुरू से लेकर अंत तक हम विरोध करते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी चीज़ आपात स्थिति में हुई थी जिसका देश ने स्वागत किया था और आज भी हम उसका स्वागत करते हैं। वह काम था कि भारत के संविधान में जहां पहले नागरिकों के मूलभूत अधिकार थे, एक संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को भी संविधान के अंदर शामिल किया गया। जहां उस संशोधन के द्वारा नागरिकों के कर्तव्य इसमें शामिल किए गए थे, आज रावत जी इस संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार के कुछ कर्तव्य भी उसके अंदर शामिल करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि संविधान के दिशा-निर्देशों में से धारा 44 को निकालकर धारा 51 के अंदर सरकार के जो मूलभूत कर्तव्य हैं, उसके अंदर इसको शामिल किया जाए।

सभापति जी, मैंने माननीय सदस्यों के तर्कों को बड़े ध्यान से सुना है। आज कहा जा रहा है कि इसके आने से किसी के धर्म का परिवर्तन होगा, किसी के धर्म में मुदाखिलत होगी, इस धर्म के लोग मानने वाले नहीं हैं, उस धर्म के लोग मानने वाले नहीं हैं। मैं उन सब धर्मों के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि समान आचार-संहिता हमने नहीं, भारत का संविधान बनाने वालों ने भारत के संविधान में शामिल की थी। आज हमें कहा जा रहा है कि जो इसकी मांग करते हैं, वह सांप्रदायिक हैं, वह धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की संविधान सभा ने जब धारा 44 को बनाया था तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं था। उसके अंदर देश के महान नेता डा. अंबेडकर और डा. राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोग बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी थीं और भारत का संविधान बनाने वाले इससे पहले भारत का संविधान बना चुके थे।

अगर आज आप यह बात कहते हैं कि समान आचार संहिता की बात करना सांप्रदायिकता है तो मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि भारत का संविधान बनाने वाले जितने भी सदस्य थे सबसे पहले आपको उनको सांप्रदायिक कहना पड़ेगा। क्या डा. अंबेडकर, डा. राजेन्द्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक थे ?

[अनुवाद]

श्री एम० सी० जोस : श्री जैन, आपने नीति-निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। मैंने भी इसका उल्लेख किया है, किन्तु क्या हमने संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित सभी बातों को कार्यान्वित किया है ? . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : जिनके हाथ में अब तक शासन था, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं।

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन : मैं उस बात का उत्तर दे रहा हूं। मैं आपकी इस बात पर आऊंगा।

[हिन्दी]

इसलिए सभापति महोदय, आज यह बात कहना कि धर्मनिरपेक्षता नहीं है, मैं समझता हूं कि भारत के संविधान का अपमान करने के समान है। भारत का संविधान समान आचार संहिता को स्वीकार कर चुका है। प्रश्न सिर्फ इतना हो सकता है कि इसे आज लागू किया जाए या इसे थोड़े समय के बाद लागू किया जाए। आचार संहिता का मतलब क्या है। बहुत गलत बातें कही गयीं। अभी हमारे एक सज्जन बोल रहे थे कि एक आदमी का शादी करने का ढंग दूसरा है और अगले का दूसरा है। समान आचार संहिता में किस धर्म के अनुसार कैसे शादी होगी, उसके अंदर कोई मदाखलत हम करना चाहें, यह संविधान बनाने वालों की कभी इच्छा नहीं थी। आज भी 80 परसेंट देश की जनता पर हिन्दू मैरिज लॉ लागू नहीं होता। क्या वे सभी एक ही ढंग से शादी करते हैं। अगर आज आप सिख पंथ में शादी करना चाहें तो शादी करते समय गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद चार लावां लेते हैं और शादी हुई मान ली जाती है। आप अगर शादी करना चाहें तो अग्नि के इर्द-गिर्द जाकर फेरे लगा सकते हैं। अग्नि के इर्द-गिर्द फेरे लेने का आर्य समाज, सनातन धर्म, जैन समाज का अलग से ढंग है। कोई आपको रोकता नहीं है आप उस ढंग से शादी कर सकते हैं। आपको किसने कहा कि इस ढंग से शादी करो। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आप अपने धर्म की रक्षा की आड़ में कुछ ऐसे काम करना चाहें जो देश और समाज के हित में नहीं हैं। कहा गया कि लोगों से पूछना चाहिए, लोगों की सहमति होनी चाहिए। मुसलमान समाज समान आचार संहिता के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें समान आचार संहिता लागू नहीं करनी चाहिए। अगर जनता से पूछकर कानून बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और स्कूलों में जाएं, आज शायद 50 परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नकल मारने का कानून बंद होना चाहिए, हमें नकल मारने की आज्ञा होनी चाहिए तो क्या आप जो नकल मारने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून है, उसको वापस ले लेंगे। इसी तरह से मकान मालिक और किरायेदार के झगड़े का संबंध है, कोई मकान मालिक नहीं चाहता कि किराये का कानून बने। हर मकान मालिक चाहता है कि किरायेदारी का कानून वापस ले लिया जाए, ताकि वह जब चाहें मकान किराये पर दें और जब चाहें उसे खाली करा लें। तो क्या मकान मालिक के कहने पर हम किराये का कानून वापस ले लेंगे। समाज में जो लोग चोरी करना चाहते हैं तो क्या हम चोरी के विरुद्ध कानून वापस ले लेंगे। समाज के अंदर ट्रेडर्स ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वे कहेंगे कि उन्हें भ्रष्टाचार की आज्ञा होनी चाहिए तो क्या प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हम वापस ले लेंगे ? आज कचहरी में बयान दिया जा रहा है कि एम.पीज., एम.एल.ए. पर जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून हैं वह लागू नहीं होता, तो क्या एम.पीज. के कहने पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून संसद सदस्यों पर लागू नहीं होगा ? मैं आपको एक नहीं पचासों उदाहरण दे सकता हूं।

सभापति महोदय, इसी सदन के अंदर श्री सिमरनजीत सिंह मान पंजाब से लोक सभा में चुनकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं 12 फुट की तलवार लेकर सदन के अंदर आना चाहूंगा। लेकिन सदन

ने कहा कि नहीं, यह हिन्दुस्तान की संसद है, आप अपनी छः इंच की तलवार लेकर आना चाहें तो आ जाएं, नहीं तो हम सदन के अंदर आपको नहीं आने देंगे। तो क्या वह उनके धर्म के हकों की मदालखत हो गयी, क्या उनके रिलीजियस राइट्स में इंटरफेरेंस हो गया ?

सभापति महोदय, हमने भूमि कानून लगाए और इन कानूनों को लगाते समय हजारों एकड़ जमीन लोगों को लेकर किरायेदारों को दे दी। जो लोग यह कहना चाहते हैं कि पहले मुसलमानों से पूछिए, जब तक वे सहमत नहीं होंगे, तब तक हम यह कानून लागू नहीं करेंगे। अगर हिन्दुस्तान में भूमि मालिकों से पूछा जाए तो कोई भूमि मालिक यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उसकी फालतू जमीन लेकर उसके मुजायरों में दे दी जाए, तो क्या हम उस कानून को वापस ले लेंगे ? इसलिए यह अपने आपमें कोई तर्क नहीं है, जो देश के हित में है उसे पूछकर लागू करना चाहेंगे। मैं आज इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सैकड़ों ऐसे कानून हैं जो आपको वापस लेने पड़ेंगे, आपको रद्द करने पड़ेंगे। आप समान आचार संहिता को क्यों लागू करना नहीं चाहते, कोई उसके पीछे तर्क है। अभी बनातवाला साहब बोल रहे थे कि मुसलमानों में इतने परसेंट हैं, हिन्दुओं में इतने परसेंट हैं। तो आपको खुशी होनी चाहिए अगर बहुपत्नी, बहुविवाह प्रथा समाप्त होती है और यह हिन्दुओं में ज्यादा होती है, मुसलमानों में कम है। तो आप विरोध किस बात का कर रहे हैं।

एक वकील के नाते मैंने भी कुछ मुस्लिम लॉ पढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस मुस्लिम लॉ में, किस मुस्लिम धर्म में या कुरान में कहां लिखा है कि एक मुसलमान चार शादियां कर सकता है—क्या एक भी आदमी यहां खड़ा होकर मुझे बता सकता है कि किस मुस्लिम धर्म में चार शादियां करना वाजिब है। इतना ज़रूर है कि अगर आपके बेटा नहीं होता तो आप चार शादियां तक कर सकते हैं। लेकिन चार शादियां करेंगे—ऐसा किसी धर्म में नहीं कहा गया है। फिर आज हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। आज हमारे सामने कितनी समस्याएं हैं, कितनी कठिनाइयां हैं। हमारे देश की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सत्य पाल जैन, कृपया एक मिनट रुकिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करनी है। श्री राम नाईक ने इस जल कृषि विधेयक का मामला उठाया है। कृषि मंत्री एक घोषणा करेंगे।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मैं समझता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य का समय कम नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे इसका पता है। चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आपके सामने उठाया गया था और मंत्री महोदय इस विधेयक को पेश करने वाले थे। अतः उन्हें एक मिनट के लिए अपनी बात कहने दें।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : इस वक्त तो हम प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनैस को डिस्कस कर रहे हैं ? आप किस बिल की बात कह रहे हैं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह विधेयक नहीं है। यह तो कुछ और ही घोषणा है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : उसे तो बाद में लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह तो कोई न्यायालय का निर्णय है, जिसके बारे में वह वक्तव्य देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : सभापति महोदय, एक्वा-कल्चर से संबंधित बिल सदन में इन्ट्रोड्यूस करने के लिए हमने नोटिस दिया था लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे-आर्डर दे दिया है और डिमीलीशन को रोक दिया है। इसे देखते हुए, आज मैं इस बिल को इन्ट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखने के बाद अब इसे किसी अन्य दिन सदन में इन्ट्रोड्यूस किया जाएगा। मुझे सदन को यही जानकारी देनी है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिए। यही मुझे कहना है।

सभापति महोदय : वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए वे इस विधेयक को आज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।

श्री मधुकर सरपोतदार : विधेयक सभा में कब लाया जाएगा ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : विधेयक अभी सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

अब यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। हम और समय नहीं लेंगे। यह स्पष्ट है कि हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री सत्य पाल जैन अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : मुझे खुशी है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने इस विषय के बीच में बोलते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान दिलाया। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसा मत करिए कि जिन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

[श्री सत्य पाल जैन]

आपको ठीक लगे, वहां आप उसे मानें और जहां ठीक न लगे, वहां उसे न मानें। आज मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक समान आचार संहिता बनाएं–यदि इस निर्णय को भी सरकार मानती है तो अच्छा रहेगा··· *(व्यवधान)*

मैं देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बोल रहा था कि आज हमारी आबादी कितनी हो गयी है। हमारे देश की जनसंख्या आज 90 करोड़ से भी अधिक पहुंच गयी है।··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा की व्यवस्था बनाए रखें।··· *(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, सभा में यह क्या हो रहा है··· *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं इस विधेयक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में काफी दूर तक पहुंच गया था। मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या हम अब यह कर सकते है ?

श्री राम नाईक : महोदय, इस मामले पर छः बजे के बाद अवश्य चर्चा की जानी चाहिए। यह मंत्री कहते हैं कि वह यह विधयेक प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने 30 अप्रैल तक का समय दिया है। अब यह विधेयक राज्य सभा पारित कर चुकी है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सात या ग्यारह सदस्यों की एक प्रवर समिति गठित की जानी चाहिए। वह समिति इस सत्र के अगले भाग के प्रथम सप्ताह, 23 या 24 को प्रतिवेदन दे सकती है। यदि ऐसा होता है, तो विधेयक पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा और अन्य बातों पर कार्य हो सकेगा। अन्यथा, सरकार के सामने समस्या आएगी। राज्य सभा में यह पारित हो चुका है। अतः मेरा सुझाव यह है कि यदि प्रवर समिति गठित की जाती है, तो समिति विधेयक का भलिभांति अध्ययन कर सकती है और संसद को प्रतिवेदन दे सकती है। विधेयक समुचित रूप से देखा जाएगा। तद्नुसार जब मुझे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पता चला तो मैंने यह संकल्प दिया है, इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है। किन्तु यह बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय : यह मामला हम छः बजे लेंगे। श्री सत्य पाल जैन आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : सभापति जी, मैं देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आज आप किसी अस्पताल में जाइए, जहां 500 मरीजों के लिए व्यवस्था है, वहां 10,000 मरीज आपको मिलेंगे। किसी स्कूल में जाईए, यदि उसमें 1,000 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है तो वहां 10,000 बच्चे प्रवेश पाने के लिए खड़े हुए आपको मिलेंगे। आप रेलवे, बस, स्कूल, कालेज या अस्पताल कहीं भी चले जाईए, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सभी जगह हालत बहुत खराब है। यह किसी एक राजनैतिक दल या पार्टी का मुद्दा नहीं है। चाहे आप किसी राजनैतिक दल के हों, किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी प्रान्त के निवासी हों, किसी भाषा के व्यक्ति हों, सभी को मिलकर इस समस्या पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर हम काबू नहीं पा सकते तो यहां खड़े होकर हम चाहें जितनी घोषणाएं कर लें, कितनी ही बड़ी-बड़ी योजनाएं बना लें, कितना ही अधिक से अधिक फंड दे दें, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी सारी योजनाएं धराशायी हो जाएंगी, कोई भी सफल होने वाली नहीं है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकें।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज दुनिया के किस मुस्लिम देश में चार शादियां करने की इजाजत है ? फिर हमारे यहां कैसे कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में इसकी इजाजत है। आज दुनिया के हर मुस्लिम देश में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए एक से ज्यादा शादी न करने पर जोर दिया जा रहा है। अभी हमारे एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भाई बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं यूनिफार्म सिविल कोड के तो पक्ष में हूं लेकिन इस बिल के पक्ष में नहीं हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे दुनिया के किसी एक कम्युनिस्ट मुल्क के बारे में बताइए, भले ही वह टूट गया है या जिन्दा है, जिसने अपने यहां किसी को चार शादियां करने की आज्ञा दी हो। हमारे वही भाई जब इंगलैंड, अमेरिका या किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के धर्म के अनुसार शादी कर सकते हैं लेकिन यहां हमसे कहा जाता है कि हमें एक से ज्यादा शादियां करने की आज्ञा होनी चाहिए और इस मामले में हमारे धर्म में कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए।

सभापति जी, हमें देखना होगा कि इसमें आर्थिक कठिनाई भी आती है। आज जो लोग मुसलमानों के हित की बात करते हैं, चार शादियां करने की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा अहित यदि किसी ने किया है तो उन लोगों ने किया है जो एक से ज्यादा शादियां करने पर जोर देते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के इस दौर में, जबकि महंगाई इतनी बढ़ गयी है, अपने परिवार का पेट पालना हर इंसान के लिए मुश्किल हो रहा है, एक पत्नी और दो बच्चों के परिवार का पालन-पोषण 10,000 रुपये कमाने वाला बहुत मुश्किल से कर पाता है फिर जिसके परिवार में 10-12 बच्चें हों वह कैसे गुजारा कर सकता है, अपने परिवार का पेट पाल सकता है।

हमने देखा है कि 50 साल तक तो लोग मुसलमानों के हक की बातें करते रहे, वे आम मुसलमान के जीवन में सुधार के लिए कुछ नहीं कर पाए, भले ही उनमें से कुछ आज मुसलमानों के नाम पर मंत्री बन गए हों या सांसद बन गए हों या कहीं और चले गए हों एक साधारण मुसलमान महिला जो आज पीड़ित है, आज तक उसे वे कोई राहत नहीं दे पाए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखा पाए।

इसलिए हमें इस सवाल को आज आर्थिक दृष्टि से भी देखना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आज क्यों यूनिफार्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है, इससे कहां किसी धर्म में मदाखलत होती है। आप मुझे बताइए कि ऐसा किस देश का कानून है जो तीन चार तलाक-तलाक-तलाक कहने पर, एक महिला जो अपने मां-बाप

को छोड़कर, आपके साथ शादी करके आयी है, जिसके माध्यम से आपने दो-तीन बच्चे पैदा किए हैं, उसे एक मिनट या कुछ सैकेंड में सड़क पर खड़ा कर दें और कहें कि मेरा और आपका संबंध समाप्त हो गया। दुनिया का कोई कानून इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे हैरानी होती है जब हमारे एक साथी ने यहां जिक्र किया कि गांव की किसी दलित महिला के साथ जब बलात्कार होता है या कुछ दूसरी घटना होती है तो यहां महिलाओं पर अत्याचार की चर्चा हम करते हैं।

अपराह्न 5.54 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

लेकिन एक मुस्लिम महिला के साथ जब इस तरह का व्यवहार होता है तो उसके बारे में बोलने वाले को सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या भारत में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं दूसरी महिलाओं से भिन्न हैं ? क्या वे किसी राहत की हकदार नहीं हैं ? कब तक एक मुस्लिम महिला को घर की चारदीवारी में बंद करके हम पीड़ित करते रहेंगे और उसके हक की बात नहीं करेंगे।

आज जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म चार महिलाओं से शादी की आज्ञा देता है, मैं उन्हें चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि आप बीच में मत आइए और हिन्दुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को अपने आप निर्णय करने दीजिए। यदि मुस्लिम महिलाओं को आप अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वे निश्चित रूप से बहु-विवाह के खिलाफ अपना निर्णय देंगी।

हम इस देश में समान आचार संहिता चाहते हैं। क्या हम मुस्लिम महिलाओं के लिए इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। अभी हमारे साथी नीतीश भारद्वाज जी बोल रहे थे। अध्यक्ष जी, आप भी हमारे साथ एक कांफ्रेंस में थे।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे मुसलमान देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। शायद सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। सांसद बनने की बात तो दूर रही। इसलिए यह धर्म की बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको समाप्त करने का एक ढंग यह है कि आप समान आचार संहिता लागू करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का ताल्लुक है, श्री बोस बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इच्छा व्यक्त की है। मैं उनको सुप्रीम कोर्ट का एक पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है—

[अनुवाद]

"जब 80 प्रतिशत से अधिक नागरिकों को संहिताबद्ध स्वीय विधि के अन्तर्गत पहले ही लाया जा चुका है, तो भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने संबंधी कार्य को और प्रास्थगित रखना न्यायोचित नहीं है।"

[हिन्दी]

इस जजमेंट को पढ़ने के बाद मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई यह कह सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश नहीं दिया है ? सर्वोच्च न्यायालय ने तो सरकार को दो मास का समय दिया था कि आप दो महीने में बताएं कि आपने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ? लेकिन आज हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी अज़ीब बात है कि जो लोग हमें कहते हैं कि आप अदालत के निर्णय को मानिए। अयोध्या के मामले में कहा गया कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार करो, तो अब कोर्ट का निर्णय आ गया है, तो अब कहते हैं कि यह दिशा-निर्देश नहीं है। यह तो इच्छा व्यक्त की गई है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय किस भाषा में होते हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट भाषा और क्या हो सकती है। आज जो हमसे यह कह रहे थे कि कोर्ट की बात मानो, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो कम से कम जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, आप उसके संबंध में विचार करने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, बनातवाला साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है 'ह' 'म' यानी 'ह' से हिन्दू और 'म' से मुसलमान बनता है। यदि 'हम' इकट्ठे रहें, तो देश इकट्ठा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। इस देश में रहने वाला व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, मुसलमान हो, इसाई हो, सिख हो, आर्यसमाजी हो, जैन हो, वह इस देश का नागरिक है। हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। उनकी एकता से देश एक रहता है, लेकिन यह कहना कि यदि दो धर्मों के लोग इकट्ठे रहेंगे, तो देश की एकता रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। यह देश अनंतकाल से चला आ रहा है। जब मुसलमान भाई नहीं थे, तब देश एक था और आज भी देश एक है और आगे भी यह देश एक रहेगा। यह किसी की इच्छा पर निर्भर करने वाला नहीं है। अगर हम एक थे, तो 1947 में उनकी पार्टी ने इस देश का विभाजन क्यों करवाया था ? तब आप खड़े होकर कहते कि हम एक हैं। हम अलग नहीं होना चाहते हैं। हमें दो हिस्सों में मत बांटिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई कहता है कि इसका इतिहास पांच हजार साल पुराना है, कोई कहता है कि इसका इतिहास पांच लाख साल पुराना है, कोई कहता है कि महाभारत हजारों साल पहले थी। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यह राष्ट्र दो समाजों के, दो पार्टियों के समझौतों पर निर्भर नहीं करता। राष्ट्र का इतिहास होता है। देश की अपनी एक हिस्ट्री होती है। जिन हजारों लोगों ने हमारे इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसको देखिए। आप सिख इतिहास पढ़िए। वे मुगल बादशाहों से लड़ते-लड़ते मर गए। कई लोग जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए। उन लोगों के कारण यह देश बना है। आपके और दो लोगों के कहने से कि हम एक हैं, यह देश एक नहीं हो जाता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि हम धर्मनिरपेक्ष इसलिए हैं कि यहां हिन्दुओं का बहुमत है। मैं बनातवाला साहब से कहना चाहता हूं कि कोई एक मुल्क ऐसा बताएं जहां मुसलमान बहुमत में हों और वह सैकुलर स्टेट हो। एक

[श्री सत्य पाल जैन]

हिन्दुस्तान है, जहां हिन्दू बहुमत में हैं, लेकिन फिर भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। यह सैकुलर स्टेट है। कोई भी मुसलमान देश, जहां मुसलमान बहुमत में है, सैकुलर स्टेट नहीं है। सबके सब थियोक्रेटिक स्टेट हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सैकुलरिज्म हमारे खून में है। यह देश हिन्दू और मुसलमान के नाम पर नहीं बंटा है और न कभी बंटेगा। आज पाकिस्तान के अंदर हिन्दुओं की क्या हालत है, इसका अंदाजा आपको है। मुसलमानों की पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है, इसका भी अंदाजा आपको है। हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान इस देश का नागरिक है और उसका पूरा सम्मान होगा। उसकी पूरी इज्जत होगी। उसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप यह चाहेंगे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो जाए और यदि पाकिस्तान जीत जाए और कुछ लोग इस देश का राष्ट्रीय झंडा फाड़ना चाहेंगे, तो बनातवाला जी यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का गद्दार, गद्दार है, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, इसाई हो, सिख हो। गद्दार का कोई धर्म नहीं होता। देशभक्त का कोई धर्म नहीं होता। इस देश के साथ जिनकी लायल्टी है, जो इस देश के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उनकी देश में पूरी रक्षा होगी और इस देश के साथ ज्यादती करने वालों को इस देश में सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप इस बात को न करें।

अपराह्न 6.00 बजे

आपने आर्टिकल 369, 370 और 371 का जिक्र किया है। बनातवाला जी अगर आप पढ़ें, उस संविधान के चैप्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि यह अस्थायी धाराएं हैं। ट्रांजिशनल एंड टैम्परेरी आर्टिकल है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़कर समझा सकता हूं। वह संविधान के पक्के अनुच्छेद नहीं हैं। कुछ समय के लिए रखे गए अनुच्छेद थे। अंत में हमको एक धारा में सबको लेकर आना है इसलिए जो ट्रांजिशनल टैम्परेरी आर्टिकल हैं उनका सहारा लेकर आप सिविल कोड का विरोध नहीं कर सकते।

आपने अम्बेडकर का उदाहरण देकर विरोध करने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब 6 बजे हैं। इस गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के लिए आबंटित किया गया समय पहले ही समाप्त हो गया है। तीन अथवा चार वक्ता बच गए हैं। इसलिए, क्या हम एक घंटा समय और बढ़ा दें तथा उसके बाद इसे अगली बार लें ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अपराह्न 6.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के असुरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधयेक, 1997 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (सं. 2) विधेयक 1997 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 1997 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 1997 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 21 मार्च, 1997 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1997 को हुई इसकी बैठक में पारित किए गए रिजर्व बैंक आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 1997 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 6.02 बजे

जल कृषि प्राधिकरण विधेयक के बारे में

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय, उच्चतम न्यायालय ने आज जल कृषि फार्मों आदि को नष्ट करने के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। इसको देखते हुए, मैंने इस सभा को सूचित किया है तथा मैं यह फिर कह रहा हूं कि मैं विधेयक के विचारणीय स्तर पर कार्यवाही करना नहीं चाहता-हूं। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। हम उच्चतम न्यायालय

को पर्याप्त समय दे रहे हैं और हम यह देखेंगे कि वे इसे किस प्रकार करेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरे पास उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विस्तृत ब्यौरा है और उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश 30 अप्रैल तक ही है। यदि इस विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता है तो मेरे विचार से इस विधेयक को चयन समिति को भेजा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि राज्य सभा ने इसे क्यों पारित कर दिया है। यदि हम प्रवर समिति को इस विधेयक को भेजते हैं और तदनुसार मैंने एक संकल्प भी दिया है, तो प्रवर समिति इस विधेयक की विस्तारपूर्वक जांच कर सकती है और अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में सभा को इसके बारे में सूचित कर सकती है ! इसलिए, इस विधयेक की जांच पूरी की जा सकती है और यदि समिति इसे ध्यानपूर्वक देखती है तो यह बेहतर होगा। अन्यथा, यदि यह नहीं किया जाता है, क्या हो सकता है--20 अंतिम तारीख है--कि हमें इस पर जल्दी में विचार करना पड़ेगा। अतः इस जल्दबाजी से बचने के लिए यदि हम प्रवर समिति नियुक्त करते हैं, तो प्रवर समिति अवकाश काल में विधेयक को देख सकती है और संसद को इसकी रिपोर्ट दे सकती है। इसलिए, विधेयक को सभी प्रकार से पूर्णता प्रदान की जा सकती है तथा सभा के लिए इसे पारित करना आसान हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए समय का हमें उपयोग करना चाहिए और हम सही कार्य कर सकते हैं। सही कार्य करने के लिए हमें एक प्रवर समिति गठित करनी चाहिए।

महोदय, प्रवर समिति एक सभा की हो सकती है। इस मामले में यह संयुक्त प्रवर समिति नहीं हो सकती है क्योंकि राज्य सभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है। हमें एक प्रवर समिति बनानी होगी जिसमें तटीय राज्यों के लोक सभा सदस्यों को शामिल किया जाए; उसके बाद, हम भिन्न-भिन्न राज्यों में जा सकते हैं, समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं, उपयुक्त विचार-विमर्श कर सकते हैं तथा हम अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा किया जाना चाहिए। तदनुसार, महोदय, मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है और मैं सरकार से अपील करता हूं कि यदि ऐसी एक समिति गठित की जाती है तो इससे सहायता मिलेगी क्योंकि जल कृषि की समस्या सहित पारंपरिक मछुआरों की एक गंभीर समस्या भी है। पारंपरिक मछुआरों ने इन जल-कृषि फार्मों का विरोध करना शुरू कर दिया है। इन दोनों मुद्दों पर समेकित तरीके से विचार करना होगा। पारंपरिक मछुआरों ने अपना आन्दोलन शुरू कर दिया है। पहले यह सभा इस पर विचार-विमर्श कर सकती थी और पिछले वर्ष हम गहन समुद्र मत्स्यन नीति पर सर्वसम्मति से निर्णय ले सकते थे। इसी प्रकार, इस जल-कृषि पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री राम नाईक : इसीलिए, मेरा सुझाव है कि समिति गठित की जानी चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं श्री राम नाईक के संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि जब हम विधेयक पर गौर कर रहे हैं तो हमें इसमें अनेक कमियां मिली हैं। चूंकि हम तटीय राज्य से सम्बन्धित हैं हम किसानों के हितों के बारे में जानते हैं, जिनकी रक्षा की जानी आपेक्षित है। इसके साथ-साथ हमें किसानों के हितों और पारंपरिक मछुआरों के बीच समझौते का रास्ता भी खोजना चाहिए।

ऐसी नीति प्रभावित होने वाले लोगों के साथ परामर्श करने के बाद ही विकसित करनी होगी। इसलिए वास्तव में इस प्रकार की एक प्रवर समिति, जिसमें तटीय क्षेत्रों के सदस्य शामिल हों, की आवश्यकता है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं सिवाय यह बताने के कि एक पूर्वोद्धरण भी है, इस प्रस्ताव के गुणावगुणों की बात नहीं करना चाहता--दूसरी सभा ने "परिसीमन आयोग विधेयक" बिना किसी परिवर्तन के पारित कर दिया। यह हमारे पास आया था। उस विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में इस सभा में कुछ आपत्तियां उठायी गयी थीं। केवल इस सभा से एक प्रवर समिति नियुक्त की गयी थी। प्रवर समिति ने परिसीमन के मामले पर विचार-विमर्श किया था और इसकी रिपोर्ट अभी लंबित है। अतः एक पूर्वोद्धरण तो है। यदि यह सभा के सभी पक्षों को संतुष्ट करता है तो यह एक उचित मार्ग होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे केवल यही कहना है कि इस अवस्था में प्रवर समिति की नियुक्ति ठीक नहीं है और यह दूसरी सभा के लिए अनुचित होगा। मैं स्पष्ट करता हूं, दूसरी सभा ने तात्कालिकता के लिए विधेयक को पारित किया। जहां तक मैं समझता हूं उन्हें न्यायालय के स्थगन आदेश के बारे में नहीं पता था, और उन्होंने इसे जल्दी में पारित कर दिया। *(व्यवधान)* मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं जब भी उठता हूं आप भी उठ जाते हैं। कृपया मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मैं इस तरह बात छोड़ नहीं दूंगा। आपकी बारी जब आएगी आप बोलिएगा।

श्री राम नाईक : उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां, मैं जानता हूं। मैं यह बात जानता हूं और मैं कहता हूं कि उन्होंने यह विधेयक जल्दी में पारित किया था। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया। अब हमारे लिए इसका फायदा उठाना और इस सभा की प्रवर समिति बनाना दूसरी सभा के प्रति न्याय नहीं होगा।

मैं एक और सुझाव देता हूं। हमें यह औपचारिक प्रवर समिति नहीं बनानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस अन्तरिम अवधि का उपयोग करें और एक समिति बनाएं जिसमें दोनों सभाओं के संसद सदस्य होंगे विशेषतौर पर तटीय इलाकों से जो पूरी स्थिति का अध्ययन करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसी प्रवर समिति नहीं गठित की जानी चाहिए। हमें दूसरी सभा को नज़रअन्दाज़ नहीं करना चाहिए, जिसने आपातिक स्थिति में बहुत सही कार्यवाही की। माननीय मंत्री महोदय एक अनौपचारिक समिति बना सकते हैं जिसमें दोनों सभाओं के विशेषतौर पर तटीय इलाकों के

[श्री जी० एम० बनातवाला]

संसद सदस्य शामिल होंगे और हम उनकी रिपोर्ट से लाभ उठा सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : एक सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी थी। हम सभी वहां गए थे। उस समय यह कहा गया था कि इसे तत्काल पास करने की आवश्यकता है। सभी पार्टियों के सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। अब उच्चतम न्यायालय से एक नया आयाम आया है। वह इसे थोड़े समय के लिए रोक देगा। यदि आप इसे प्रवर समिति को भेजते हैं तो वह क्या संदेश देगी। हम बिना तैयारी के विधेयक पारित कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं होगी। श्री राम नाईक ने क्या बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी बैठक 21 को होगी और लक्षित तिथि 30 होगी। अतः हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं और इस सभा में हम मानते हैं कि यदि उच्चतम न्यायालय में कोई स्थिति बन जाती है तो इस 31 से पहले इस सभा में आ जाना चाहिए। किन्तु हमें इसे प्रवर समिति को नहीं भेजना चाहिए। भविष्य में राज्य सभा कहेगी कि "पहले आप निर्णय लें और फिर हमारे पास आएं।" हमारी पार्टी के लोग उत्तेजित हैं। हमने कहा "नहीं, हमने एक बैठक में स्वीकार किया है जो संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई थी। हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। कृपया जैसा कि उन्होंने कहा इसे वैसा ही रखें। वे एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और सी.पी.आई. के एक बहुत अच्छे मंत्री हैं।"

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ सहमत हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं यह पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता कि उच्चतम न्यायालय क्या करेगा। उन्होंने जो किया वह मेरे लिए इस बात के लिए पर्याप्त है कि इस विधेयक को तुरन्त पारित करने के लिए न कहूं। उन्होंने अपने आदेश को स्थगित किया है। यह बहुत अच्छी बात है, अब खेतों को विनष्ट नहीं किया जाएगा। 30 तारीख के बाद उनका फैसला जो भी हो, यदि इस सभा के समक्ष आना जरूरी होगा तो मैं जरूर आऊंगा। इस बीच, मैं इसे, स्वीकार करने को तैयार हूं और मैं उन सदस्यों से मिलूंगा जो इस समिति को बनाने के लिए इच्छुक हैं और इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। किन्तु विस्तृत चर्चा उनके फैसले के बाद ही हो सकती है।

मान लीजिए वे स्वयं कुछ फैसला करते हैं *(व्यवधान)* यदि यह अनुकूल होगा तो वे भी इसे मानेंगे। अब उन्होंने सभा की भावना समझ ली है। हमें भी उनका सम्मान करना है। वे समझदार लोग हैं। वे इस पर सही फैसला लेंगे। अतः प्रवर समिति की कोई जरूरत नहीं है *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा क्योंकि मैं इसमें काफी ज्यादा शामिल हूं। मैंने पहले ही कहा है कि परपंरागत मछुआरे जलचर विज्ञान का विरोध कर रहे हैं। यह उनके हितों के खिलाफ होगा। अतः यह देखने के लिए कि कोई संघर्ष न हो सभा की एक समिति इस समस्या का बेहतर समाधान कर सकती है। अन्यथा उन्होंने श्री थामस कोचेरी की अध्यक्षता में पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय मछुआरा मंच ने पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया है *(व्यवधान)*

श्री एन० के० प्रेमचंद्रन (क्विलोन) : यह बात नहीं है। कोई समस्या नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा कहना यह है कि कृपया एक समिति गठित कीजिए। और तब हम समस्या पर विचार करते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : यदि मैं समिति बनाऊंगा तो मैं आपको समिति में शामिल करूंगा। किन्तु, मैं सभा की समिति बनाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि तब प्रक्रिया, अधिसूचना इत्यादि का प्रश्न उठेगा। इन सबमें समय लगता है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि वे एक अनौपचारिक चर्चा के लिए संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाएंगे। यदि कोई संसद सदस्य महसूस करता है कि कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए तो वह सुझाव दे सकता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि आप अपने सुझाव लिखित में दें। श्री राम नाईक हमें हर बात के लिए प्रवर समिति के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतनी अधिक समितियों के लिए मुझे उनके लिए स्थान आदि जैसी अन्य कई समस्याएं आती हैं।

मंत्री जी, यदि माननीय संसद सदस्य कुछ सुझाव चाहते हैं तो आप उन्हें चर्चा के लिए बुला सकते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : उनका बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने यह बात पहले ही कह दी है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हमें दो विधेयक पारित करने है। मैं जानता हूं कुछ सदस्यों ने शाम की उड़ान के लिए टिकटें बुक करवा ली हैं। मैं समझता हूं कि ये विवादास्पद विधेयक भी नहीं हैं। सभी इस पर एकमत हैं। हमने उन पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। हम विधेयक को सभा में मतदान के लिए रख सकते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, श्री रामूवालिया से हमने अनुरोध नहीं किया कि *(व्यवधान)*

अपराह्न 6.13 बजे

पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अब उत्तर दे सकते हैं। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, संशोधन भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन पर बाद में आऊंगा क्योंकि हम क्रमवार चलते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैंने सोचा कि आप सदस्यों को उड़ान लेने के लिए निर्देश दे रहे थे। *(व्यवधान)*

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : महोदय, अब तक केवल तीन सदस्य बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर दें, एक संक्षिप्त उत्तर दें।

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : महोदय, आरंभ में मैं यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि एक-एक प्रश्न का मैं उत्तर क्रमवार दूंगा, जैसाकि आपने कहा मैं यह उत्तर संक्षेप में ही दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि यह एक विवादास्पद विधेयक नहीं है। जितने भी सदस्य इस पर बोले हैं सभी ने इसका समर्थन किया है। किन्तु वे कहते हैं कि वे अध्यादेश जारी करने की प्रथा के उत्तरदायी नहीं हैं। इसके अलावा, इस संबंध में कोई अन्य विधिक विवक्षा या अन्य आपत्ति नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सांविधिक संकल्प को वापिस लें और विधेयक को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, श्री नीतीश कुमार इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा 9 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पत्तन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 की संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 तथा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 13 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड-14

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं पृष्ठ 4, पंक्ति 28,

"धारण किया है" *के पश्चात* निम्नलिखित *अंतःस्थापित किया जाए–*

"अथवा नौसेना के वाइस एडमिरल अथवा किसी पोत प्रांगण के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रहे हैं।"

अध्यक्ष महोदय मेरे लिए आप जैसे विशाल व्यक्तित्व वाले पीठासीन व्यक्ति के समक्ष बोलने का यह एक अच्छा अवसर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि जब भी मैं पीठासीन होता हूं आप मेरे समक्ष बोलते हैं। मैं आप सबकी बात अपने कक्ष में सुनता रहता हूं।

श्री अनादि चरण साहू : जैसा कि मैंने पहले कहा था यह विधेयक इन सब बातों को कारगर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें कई बातों पर विचार नहीं किया गया है।

महा पत्तन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक बोर्ड गठित किया गया है जिसमें सभी क्षेत्रों के लोगों, सभी व्यवसायों के लोगों, विभिन्न दृष्टिकोण और रुचियों वाले लोगों को लिया गया है। अब यह विधेयक इस बोर्ड की कई शक्तियां लेने की कोशिश कर रहा है। महा पत्तनों के बोर्डों के विभिन्न कार्य तथा गतिविधियां रहती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के महा पत्तन भी हैं। कुछ छोटे पत्तनों जैसे पोर्टब्लेयर का दर्जा बढ़ाकर इसको बड़े पत्तन में बदल दिया गया है। यह प्रमुख पत्तन की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन इसे मंत्रीमंडल के निर्णय से एक महा पत्तन का दर्जा दे दिया गया है। यदि विभिन्न पत्तनों से शक्तियां ले ली जाएं तो इससे समस्या पैदा हो जाएगी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैंने कई चीजों का उल्लेख किया है।

यदि आप पृष्ठ 2 पर खंड 3 के भाग (ट) को देखें, इसमें लिखा है :

"किराये पर चलने वाले कैटामारन (बेड़े) को लाइसेंस देने के लिए और विनियमित करने के लिए" इसमें समय का भी उल्लेख है। एक बार समय दे देने पर जो भी बोर्ड वहां है वह उसके कार्यकरण को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। हम कोची पत्तन का मामला ले सकते हैं। कैटामारन उस पत्तन में बहुत महत्व रखते हैं। जब हम "विनियमित करके". कहते हैं तो इसका तात्पर्य है "इसके प्राधिकरण के लिए समय का निर्धारण।" इससे कई प्रचालन संबंधी समस्याएं उठ खड़ी होंगी मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए समय नहीं बचा है।

मैं धारा 47क के बारे में कहना चाहूंगा जिसे इस संशोधन में लिया जा रहा है, जहां प्राधिकरण को काफी शक्तियां दी गयी हैं और प्राधिकरण में एक व्यक्ति चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा जो कि सचिव स्तर का होगा या इसके समकक्ष होगा और दो अन्य सदस्य

[श्री अनादि चरण साहू]

होंगे। यह संशोधन लाने का मेरा आशय यही है कि एक व्यक्ति जो नौसेना में रह चुका हो या एक व्यक्ति जो जहाजों के निर्माण से संबद्ध हो, शिपयार्ड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रह चुका हो ही चेयरमैन होना चाहिए। कोई अन्य व्यक्ति जिसने संभालक अथवा दस्तों का नेतृत्व न किया हो और इसके बारे में कुछ भी जानकारी न रखता हो चेयरमैन बन सकता है और वह इस संशोधन के कारण ही चेयरमैन बन सकता है। अतः यह बात ध्यान में रखी जाए कि नौसेना के ही किसी व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया जाए।

महा पत्तन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रक्षा सेवाओं से संबद्ध किसी व्यक्ति को ही बोर्ड का सदस्य बनाया जाए। यहां भी, मैं सुझाव दूंगा कि चेयरमैन नौसेना से होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री अनादि चरण साहू : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 से 31 विधेयक अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.20 बजे

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 21, श्री रामूवालिया विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हम सुबह से शाम तक बैठे हैं। श्री टी० जी० वेंकटरामन के दल हंस रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं कह रहे हैं ··*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामूवालिया इसकी भरपाई करेंगे।

(व्यवधान)

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993, राज्य सभा द्वारा यथा पारित में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993, राज्य सभा द्वारा यथा पारित में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, कृपया श्री मंगत राम को बोलने की अनुमति दें। वह केवल एक मिनट लेंगे। ··*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ··*(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष जी, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ··*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे तो नहीं होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई विवादास्पद बात नहीं है, सभी सहमत हैं। मैंने नेताओं के साथ चर्चा कर ली है।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-दो, दिनांक 21.3.97 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : सामाजिक न्याय का नाम लेने वाली सरकार का क्या यही तकाजा है कि वह सफाई कर्मचारी, जो समाज का इतना बड़ा उपेक्षित वर्ग है, उसकी भलाई के लिए कार्य करने वाले इस आयोग के साथ इस प्रकार से व्यवहार करें ? नवम्बर 1996 में मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि इसकी समय अवधि बढ़ायी जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, जो कहना चाहते थे, वह कह दिया।

(व्यवधान)

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन कमीशंस जो मायनोरिटी कमीशन, बैकवर्ड क्लासेज कमीशन और एस.सी.एस.टी. कमीशन जो हैं, इन तीनों कमीशंस के चेयर पर्सन्स को कैबिनट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ है। उनको एडिमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और ज्युडिशियल पॉवर्स दी हुई हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यह जो सफाई कर्मचारी का आयोग है, उसको कोई पॉवर्स नहीं दी गई हैं। बाकी तीनों कमीशंस परमानेंट हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी का आयोग जो है, यह परमानेंट भी नहीं है। सफाई कर्मचारी का जो तबका है, वह समाज की बड़ी सेवा करता है। ये गरीब लोग हैं और छुआछूत के भी शिकार हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि जिस तरह से तीनों कमीशंस के चेयर पर्सन्स को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है और सारे अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से सफाई कर्मचारी के आयोग के चेयर पर्सन्स को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाए तथा सारे अधिकार दिए जाएं। मेरी आपसे यही अपील है। मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, मैं जानता हूं कि आप सभी वाद-विवादों में सर्वाधिक योगदान देने वालों में से एक हैं, लेकिन इस समय नहीं।

(व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा है कि तीन-चार आयोग जो इस विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको फुल पॉवर्स दी गयी हैं, उसी प्रकार से मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इस सफाई कर्मचारी आयोग को भी फुल पॉवर्स दी जाएं तथा इसे सिविल कोड का दर्जा अवश्य दिया जाए। इसमें कहने के लिए कई बातें हैं, जैसे कि अब तक के जो इसके चेयरमैन रहे हैं, मैंने उन्हें स्वयं दिल्ली से जयपुर बस में जाते हुए देखा है क्योंकि मैं भी इसमें सदस्य हूं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि उसको भी वही दर्जा दिया जाए जो और आयोगों का है। सफाई कर्मचारी इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं। इसलिए उनकी बुरी हालत को देखते हुए इस आयोग को पॉवर्स दी जाएं।

अभी तक भी सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा बाकायदा पूरे हिन्दुस्तान के अंदर चली हुई है और वह समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इस आयोग को आजीवन, अनादिकाल के लिए रखा जाए ताकि अपने विषय में यह आयोग सही काम कर सके और जो इस तबके की समस्याएं हैं, उनका समाधान सही मायने में निकाल सके। यह आयोग अभी तक कुछ नहीं कर सका है क्योंकि उसके पास कोई पॉवर्स नहीं थीं। अभी तक इसने सिर्फ हिन्दुस्तान में घूम-घूमकर यह जरूर देख लिया है कि इसमें काफी कमियां हैं।

बहुत से अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया। बहुत से बैंकों ने हमारा साथ नहीं दिया। जो पैसा हम उनको देने वाले थे, वह सही मायनों में नहीं बंट रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना कहना चाहता हूं कि इस आयोग को पूरी पावर दी जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं और इस आयोग को हमेशा के लिए परमानेंट बना दिया जाए और आयोगों की तरह।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो आयोग के बारे में कहा है, मैं उस पर पूरी सहानुभूति से गौर करूंगा। अभी मैं पांच साल के लिए आयोग की मियाद बढ़ाने का अमेंडमेंट लाया हूं, इस आशा से कि पांच साल में यह स्टिगमा भारतवर्ष के माथे से दूर हो जाएगा। हमें ऐसा यकीन है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी वैलफेयर मिनिस्टर हैं। सब का वैलफेयर देख रहे हैं, माननीय सदस्यों का भी वैलफेयर देख लें, तो कृपा होगी। यह सरकार तो सामाजिक न्याय की सरकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे नोट कर लिया है, वह इस पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993, राज्य सभा द्वारा यथा पारित में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं जानता हूं कि आपको स्थायी समितियों की बैठकों में बजट प्रस्तावों की जांच करने संबंधी अधिक मुश्किल कार्य करना है। मैं आपके लिए शुभकामना करता हूं।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हम सभी माननीय सदस्य भी आपको धन्यवाद देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 21 अप्रैल, 1997 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.28 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 21 अप्रैल, 1997/1 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एस० एस०—48/11/22/97 (एन०)

220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110035 द्वारा मुद्रित।